एकादश माला, खंड 6, अंक 9

मंगलवार, 3 दिसम्बर, 1996
12 अग्रहायण, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 6 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

3 दिसम्बर, 1996 के लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
98	नीचे से 12	[ख] से [ङ]	[ख] से [घ]
119	नीचे से 9	श्री मंगल राम शर्मा	श्री मंगत राम शर्मा
191	10	1580	1598
203	17	1513	1613
210	नीचे से 9	1518	1618
217	6	श्री दाउ दयाल जोशी	वैद्य दाउ दयाल जोशी
227	नीचे से 15	[ग] से [घ]	[ख] से [घ]
281	नीचे से 5	1068	1668
303	नीचे से 13	1584	1684
332	4	श्री छात्रपाल सिंह	श्री छत्रपाल सिंह

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपरसचिव
लोक सभा सचिवालय

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्री बलराम सूरी
सहायक सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 9, मंगलवार, 3 दिसम्बर, 1996/12 अग्रहायण, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	161 से 164	1—29
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	165 से 180	30—48
अतारांकित प्रश्न संख्या	1529 से 1715	48—345
सभा पटल पर रखे गए पत्र		345—359, 363—366
रेल संबंधी स्थायी समिति		
तीसरा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत		359
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति		
उनचासवां, पचासवां और इक्यानवां प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखे गए		360
अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय		
श्री सुखराम, संसद सदस्य के कथित अवचार की जांच करने हेतु सभा की एक विशेष समिति का गठन		360—363
नियम 377 के अधीन मामले		388—391
(एक) कार-निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में और अधिक भूमि का अधिग्रहण करने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता		
श्री मनोरंजन भक्त		388
(दो) देवगढ़ के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर एक बाई-पास तथा उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के निर्माण कार्य को पूरा करने को नौवीं योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता		
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही		388—389
(तीन) बिहार में बरूण सोन नगर जी.टी.रोड पर सोन नगर बरवा डीह रेलवे क्रासिंग पर एक ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता		
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह		389
(चार) महाराष्ट्र को गेहूं और अन्य खाद्यान्नों का बढ़ा हुआ कोटा जारी किए जाने की आवश्यकता		
श्री नारायण अठावले		389—390
(पांच) उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की कोल-मयैया जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता		
श्री रामसजीवन		390
(छ) उत्तर प्रदेश के जलेसर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता		
प्रो. ओमपाल सिंह "निडर"		390—391

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(सात) मेरठ, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री अमर पाल सिंह	391
(आठ) देश में अल्पसंख्यकों को आरक्षण की सुविधा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री जी.एम. बनातवाला	391
आय-कर (संशोधन) विधेयक, 1996—पारित	392—399
विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव	
प्रो. रासा सिंह रावत	392, 394—396
श्री पी. चिदम्बरम	392—393, 398
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	394
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	396
श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका	397
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी	397—398
खंड 2 और 3 और 1	398
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री पी. चिदम्बरम	399
उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प	399—413, 416—459
श्री इन्द्रजीत गुप्त	399—403
डा. मुरली मनोहर जोशी	403—413, 416—423
बेगम नूर बानो	424—426
श्री पी. कोदंडा रमैया	426—429
श्री सोमनाथ चटर्जी	429—438
श्री तिरूची शिवा	438—440
श्री रामसागर	441—443
श्री इलियास आजमी	443—446
श्री संतोष कुमार गंगवार	446—452
श्री राममूर्ति सिंह वर्मा	452
श्री जय प्रकाश	452—456
श्रीमती गीता मुखर्जी	456—458
श्री जी.एम. बनातवाला	458
मंत्री द्वारा वक्तव्य	413—415
2 दिसम्बर, 1996 को अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर झेलम एक्सप्रेस में बम-विस्फोट	
श्री राम विलास पासवान	413—415

लोक सभा

मंगलवार, 3 दिसम्बर, 1996/12, अग्रहायण, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

कपास का उत्पादन

*161. **जस्टिस गुमान मल लोढा :**

श्री नीतीश कुमार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कपास के उत्पादन में कमी आ रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या गत वर्षों से देश में कपास के प्रति हैक्टेयर उत्पादन में कमी आई है;

(घ) यदि नहीं, तो 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान देश में कपास का प्रति हैक्टेयर उत्पादन कितना हुआ; और

(ङ) उक्त वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने क्षेत्र में कपास की खेती की गई?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग में राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 1980-81 से 1994-95 तक की अवधि के दौरान कपास के उत्पादन की वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर 3.88 प्रतिशत देखी गयी। हाल ही अवधि में भी, कपास का उत्पादन 1993-94 में 107.4 लाख गांठों से बढ़कर 1994-95 में 118.9 लाख गांठे हो गया और वर्ष 1995-96 में और बढ़कर 130.9 लाख गाठे हो गया।

(ग) जी, नहीं। गत 10 वर्षों के दौरान कपास का प्रति हैक्टेयर उत्पादन 197 कि.ग्राम से बढ़कर 246 कि.ग्राम तक पहुंच गया है।

(घ) 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान प्रति हैक्टेयर कपास की उपज क्रमशः 249 कि.ग्राम, 257 कि.ग्राम और 246 कि.ग्राम थी।

(ङ) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान कपास के तहत आने वाला क्षेत्र क्रमशः 73.21, 78.71 और 90.63 लाख हैक्टेयर था।

जस्टिस गुमान मल लोढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न देश में कपास के प्रति हैक्टेयर उत्पादन में कमी से संबंधित था। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह तो स्वीकार किया है कि पिछले वर्षों में जितने क्षेत्र में कपास की खेती हुई है, एरिया को देखकर यदि उसका प्रतिशत निकाला जाए तो जहां 1995-96 में 90.63 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में कपास का कल्टीवेशन हुआ और उत्पादन 246 कि. ग्राम प्रति हैक्टेयर था, उसकी तुलना में वर्ष 1993-94 में 249 कि. ग्राम प्रति हैक्टेयर कपास का उत्पादन हुआ जबकि केवल 73.21 लाख हैक्टेयर एरिया में खेती की गई जिससे स्पष्ट होता है कि कल्टीवेशन एरिया में कमी आई। इसे मंत्री जी ने फीगर्स में तो स्वीकार किया है लेकिन उत्तर में इस बात को स्वीकार नहीं किया है। मेरा पहला प्रश्न है कि क्या यह सही है कि विश्व में प्रति हैक्टेयर 592 कि.ग्राम कपास पैदा होती है जबकि भारत में केवल 240 कि.ग्राम प्रति हैक्टेयर पैदा होती है-यदि ऐसा है तो क्यों? विश्व में कपास से उत्पादन के अनुपात में अपने देश में कपास का उत्पादन करने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं और क्या कदम उठाने जा रही है, यह मेरा पहला प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा प्रश्न बाद में पूछना।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : माननीय सदस्य ने दुनिया के देशों में कपास के उत्पादन के संबंध में सवाल किया है और कहा कि विश्व में प्रति हैक्टेयर 592 कि.ग्राम कपास पैदा होती है, परन्तु ऐसा नहीं है। इजराइल में 1709 कि.ग्राम प्रति हैक्टेयर कपास पैदा होती है, टर्की में 1009 कि.ग्राम प्रति हैक्टेयर कपास का उत्पादन होता है, आस्ट्रेलिया में 1636 कि.ग्राम प्रति हैक्टेयर और संयुक्त राज्य अमेरिका में 767 कि.ग्राम प्रति हैक्टेयर कपास पैदा होती है।

यह सही है कि हिन्दुस्तान में दुनियाभर के सभी मुल्कों की तुलना में उत्पादकता कम है और कभी 246 और कभी 259 प्रति किलो प्रति हैक्टर उत्पादकता हुई है। इसका कारण हिन्दुस्तान की खेती जुए के समान है और हमारे कृषि मंत्री बोलते हैं कि कृषि का असली मंत्री मानसून है। जब सही समय पर अनुकूल वर्षा होती है, तो कपास का उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन जब वर्षा और मानसून धोखा देता है, तो उसका प्रभाव कपास की खेती पर पड़ता है। यदि कभी ज्यादा वर्षा हो जाती है, तो इससे बीमारियां भी ज्यादा लग जाती हैं। हमने पिछले वर्ष में 1991 से देखा है कि कपास की उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। हर साल कुछ न कुछ वृद्धि हो रही है। फिर चूंकि यहां वर्षा पर आधारित खेती है इसलिए तथा नियंत्रित खेती न होने के कारण उत्पादकता में कमी है। फिर भी सरकार की कोशिश है कि उत्पादकता में वृद्धि की जाए।

जस्टिस गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने भारत में कपास के उत्पादन की कमी को मानसून से जोड़ दिया है। मानसून तो विश्वव्यापी फिनामिना है। भारत में विशेषरूप से कभी कम और कभी ज्यादा हो सकता है, लेकिन यह तो ग्लोबल फिनामिना है। भारत के लिए कोई अलग नहीं हो सकता है। आप यहां पर कपास की खेती

का उत्पादन प्रति हैक्टर क्यों नहीं बढ़ा पाए, इसका आपने कोई कारण नहीं बताया है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि चूंकि कपास उत्पादकों और कास्तकारों को कपास के दाम बहुत कम मिलते हैं इसलिए वे कपास की खेती को छोड़-छोड़ कर दूसरी कास्त करने के लिए जा रहे हैं। इसके कारण राजस्थान के कास्तकारों ने मांग की है कि 3000 रुपए प्रति क्विंटल नरमा और 2500 रुपए प्रति क्विंटल देशी कपास प्रक्योर करके सपोर्ट प्राइस देने के लिए कदम उठाएं, तो क्या आप ऐसा करेंगे और क्या आपके फायनेंस सेक्रेट्री श्री मांटेक सिंह अहलूवालिया ने जो कहा है कि टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर सैस लगाकर, उससे जो कपास उत्पादक हैं, उनको और अधिक सबसिडी दी जाए, मदद दी जाए, तो क्या आप इस पर विचार करेंगे?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, कपास की कीमत तय करने के लिए कृषि मूल्य आयोग न्यूनतम सपोर्ट प्राइस देने के लिए सरकार को एक रिपोर्ट देता है। जब आयोग की रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हो जाती है, उसके बाद छानबीन करके कि उसमें लागत क्या है और किसान की आमदनी ठीक होनी चाहिए, उसके आधार पर सरकार भाव तय करती है। ऐसा करते समय सरकार हमेशा सतर्क रहती है कि किसी भी हालत मे रिम्यूनरेटिव प्राइस किसान को मिले जिससे उत्पादकता में कमी न आए और कपास पैदा करने से किसान निरूत्साहित न हो। इसलिए माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है कि राजस्थान या विभिन्न प्रांतों जहां कपास पैदा होती है, वहां के किसानों की मांगों और समस्याओं पर सरकार हमेशा संवेदनशीलता से विचार करने के लिए तैयार है।

जस्टिस गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 1125 रुपए से ज्यादा खर्च कपास के उत्पादन में किसान का हो रहा है। वह बेचारा क्या करे। उसकी लागत भी उसे नहीं मिल रही है। इसलिए क्या उसकी कीमत को आप बढाएंगे?

अध्यक्ष महोदय : जस्टिस साहब, इतना आर्गूमेंट नहीं होता है। श्री नीतीश कुमार।

श्री रामेश्वर पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, यदि भाव नहीं बढ़ाएंगे, तो किसान तो मर जाएगा। मंत्री जी कपास के दाम को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री नीतीश कुमार को बुला लिया है। कृपया बैठ जाइए।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय, कृषि मंत्री जी की अनुपस्थिति में जवाब दे रहे थे। मुझे मालूम कि इनको सारी बातों की जानकारी है कि नहीं, यही कारण है कि जो स्पेसिफिक सवाल पूछा गया है, उसका उन्होंने जनरल जवाब दिया है। जब उन्होंने देशी उत्पादन 246 किलोग्राम प्रति हैक्टर और अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन कपास का 550 किलो ग्राम प्रति हैक्टर बताया, तो सवाल यही है कि यहां की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार ने बताया कि मानसून पर निर्भर है।

अध्यक्ष महोदय, संसद में कृषि मंत्री ने पिछले वर्ष जवाब दिया था वह प्रति भी उपलब्ध है। मंत्री महोदय से उस समय पूछा गया था कि सर्टिफाइड सीड पूरी मात्रा में किसानों को नहीं मिलता है। क्या इसके कारण भी उत्पादकता में कमी होती है, तो सरकार ने राज्य सभा में बताया था कि सर्टीफाइड बीज इतना ही उपलब्ध है जिससे मात्र हमारा 30 प्रतिशत एरिया ही कवर होता है।

आज सर्टीफाइड सीड्स की भी कमी है। इसके साथ पैस्ट कंट्रोल का भी सवाल है। कभी-कभी पाकिस्तान से हवा बह जाती है और हमारा समूचा कॉटन बर्बाद हो जाता है। पैस्ट कंट्रोल के लिए भी सरकार के पास क्या योजना है? इनको इन तमाम बातों का जवाब देना चाहिए था कि हम कैसे उत्पादन दर को बढ़ाएंगे। हम इस पर स्पैसीफिक उत्तर चाहेंगे।

दूसरा प्रश्न, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल के समय कोई प्रोक्योरमैंट एजैंसी किसानों के सामने नहीं आती। उनको कभी-कभी डिस्ट्रैस सेल करनी पड़ती है। यह स्थिति उत्पन्न होती है। उस पर सरकार क्या कदम उठाएगी?

मैं इस बात पर भी सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय वित्त सचिव श्री मौंटेक सिंह अहलूवालिया ने सभी सूती वस्त्रों पर उपकर लगाने का समर्थन किया है जो गरीब कपास उत्पादक किसानों की सहायता ...

अध्यक्ष महोदय : यह बात पहले भी कही जा चुकी है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपके दो मिनट खत्म हो रहे हैं। आपको प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री नीतीश कुमार : मिनट का सवाल नहीं है। यदि यह बात नहीं कही जाएगी तो सरकार की प्रतिक्रिया कैसे आएगी।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिए।

श्री नीतीश कुमार : मैं सवाल ही पूछ रहा हूं और इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। इसे व्यक्त तो करने दीजिए।

[अनुवाद]

गरीब कपास उत्पादक किसान जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें कपास की बहुत कम कीमतें दी जाती हैं और दूसरी तरफ हथकरघा बुनकरों को राजसहायता देकर सहायता की जाती है। भारतीय कपास-उत्पादक किसान कदाचित शारीरिक श्रम करने वालों के समान ही गरीब हैं। श्री मौंटेक सिंह ने यह देखा और कहा है कि यदि विश्व

भर में किसान अपनी उपज के लिए अच्छे मूल्यों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं तो भारतीय किसान क्यों नहीं।

[हिन्दी]

यह वित्त सचिव का कुछ ही पहले का बयान है। मैं आपके माध्यम से सरकार से इस वक्तव्य पर प्रतिक्रिया चाहता हूं कि क्या सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाना चाहती है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता कृषि विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं और होशियार सदस्य माने जाते हैं। इसलिए माकूल उत्तर की अपेक्षा है और यह उचित है। इनका प्रश्न दो खंडों में विभाजित है। एक खंड उत्पादकता का है। उत्पादकता में हमने स्वीकार किया है कि हालांकि वर्ष 1950-51 से उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। आप देखेंगे जहां सन् 1949-50 में 95 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर उत्पादन हो रहा था वहां अभी 246-257 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें आहिस्ता-आहिस्ता वृद्धि हो रही है। हालांकि सिंचित जमीन कम है। जिस समय 8.2 प्रतिशत सिंचाई थी, उस समय 95 किलोग्राम उत्पादन था। अभी 34 प्रतिशत के करीब सिंचाई है इसलिए उत्पादकता में वृद्धि हुई है। फिर भी इन्होंने प्रमाणिक बीज का सवाल उठाया है, प्रमाणिक बीज के लिए भी सरकार सजग है। इसके लिए सरकार गहन कपास विकास योजना चला रही है। उसमें किसानों को प्रमाणिक बीज मिलेगा, खाद मिलेगी, सिंचाई की सहूलियत होगी, कीटाणु से, बीमारी से बचाने की दवा का भी प्रबंध है। इसलिए उत्पादकता के संक्षेप में सरकार हमेशा सचेष्ट है।

कीमत के संबंध में भी प्राइस कमीशन की तरफ से बराबर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होता है। जैसे पंजाब में इस साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1165 रुपये प्रति क्विंटल तय हुआ। अक्टूबर में करीब 1775 और अंत में बाजार भाव 2045 रहा। इसी तरह से नवम्बर के शुरूआत में 1760 था लेकिन अभी 2000 है। आंध्र प्रदेश के संदर्भ में अक्टूबर में 1981 था और उसके अंत में 2038 था, नवम्बर में 1831 रुपये प्रति क्विंटल था और उसके अंत में 2152 रुपये प्रति क्विंटल था। इसी तरह से गुजरात का 2125 रुपये प्रति क्विंटल है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा-पटल पर रख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : वित्त सचिव श्री मोंटेक सिंह की टिप्पणी पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : जो जवाब दिया गया है, मैं उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि किसानों को 1500 रुपये क्विंटल से अधिक नहीं मिल रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री लक्ष्मण सिंह को बोलने की अनुमति दी है। अन्य किसी और की बात कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : कपास का उत्पादन बढ़ाना भी आवश्यक है। इसके साथ-साथ यह भी देखना आवश्यक है कि तिलहन और दलहन की फसलें कपास की फसल के साथ यानी खरीफ के समय ही बोई जाती हैं। खरीफ के समय कपास का एरिया कम न हो और उत्पादन तथा कीमतों में सामंजस्य बना रहे। सोयाबीन भी खरीफ के समय ही बोई जाती है। अगर कपास का एरिया बढ़ा दें और सोयाबीन का कम कर दें, तो यह भी उचित नहीं है। खरीफ की फसलों में सामांजस्य बना रहे उसके लिए शासन क्या कदम उठाने जा रहा है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : जिन राज्यों में कपास की खेती हो रही है, उन राज्यों में किसानों को उसका उचित दाम मिल रहा है। उसी के हिसाब से उत्पादन भी बढ़ा है और खेती का रकबा भी बढ़ा है। देश में कपास की जो मांग है, उसके हिसाब से रकबा कम न हो, यह देखा जाता है।

श्री रामेश्वर पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी सवाल है ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न-काल है। इस विषय पर हम पूर्ण चर्चा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अलग सूचना देना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की कम मूल्यों पर बिक्री

***162. प्रो. अजित कुमार मेहता :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देश भारत में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोडों को भारी मात्रा में और कम मूल्य पर बेच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). वाणिज्य मंत्रालय की सूचना के अनुसार कुछ अन्य देशों से भारत में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड को सामान्य मूल्य से भी कम कीमत पर लाया जा रहा है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का आयात औद्योगिक उपयोग के प्रयोजन से किया जाता है। अतः पर्यावरण पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ग) से (ङ). एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

· (ग) से (ङ). वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क, 9ख और 9ग, उसके तहत निर्मित नियमों अर्थात् कस्टम टैरिफ (संग्रहित वस्तुओं पर डंपिंगरोधी शुल्क का अभिनिर्धारण, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अन्तर्गत भारत में डंपिंग-रोधी जांच की जाती हैं। वाणिज्य मंत्रालय में अपर सचिव को इस अधिनियम के तहत "नामित प्राधिकारी" नियुक्त किया गया है। नामित प्राधकारी द्वारा प्राप्त याचिकाओं पर अधिनियम तथा उसके तहत निर्मित नियमों के अन्तर्गत निर्धारित विस्तृत कार्यविधि को अपनाने के पश्चात् निर्णय लिया जाता है। ये जांच अर्द्धन्यायिक स्वरूप के होते हैं और इन जांचों के प्रति अपील सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण में की जाती है। जांच के गुण-दोषों की संवीक्षा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाये जाने पर ही की जा सकती है।

(व्यवधान)

प्रो. अजित कुमार मेहता : मैं ट्रेजरी बैंच पर से क्या सवाल भी न करूं, क्या इसका अधिकार आपको ही है ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स कम मूल्य पर विदेशों से यहां लाई जा रही हैं। कम मूल्य का सामान लाकर यहां बेचा जाएगा तो इससे हमारे घरेलू उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा। हमने कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते जैसे गैट और डंकल आदि किए हैं, इनकी चर्चा यहां भी हो चुकी है। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की डम्पिंग के खिलाफ कार्रवाई करने की सरकार ने क्या प्रक्रिया अपनाई है? क्या यह प्रक्रिया इस मामले में अपनाई गई है या नहीं, यदि हां, तो कब और कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है?

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : यह प्रश्न जिस संदर्भ में पूछा गया है, वह मूलरूप से वाणिज्य मंत्रालय से सम्बन्ध रखता है। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोड कम मूल्य पर विदेशों से लाकर भारत में बेचे जा रहे हैं, यह मुद्दा फारेन ट्रेड से सम्बन्ध रखता है। हमने इसकी जानकारी वाणिज्य मंत्रालय से प्राप्त की है। इस प्रकार विदेशों से कम कीमत पर सामान लाकर अपने देश में बेचने के लिए और उसको डम्प करने वालों के खिलाफ कार्रवाई वाणिज्य मंत्रालय ही करता है।

इस बारे में 1.1.95 प्रभाव से हमारे कानूनों को वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन के एन्टी-डम्पिंग प्रावधानों के अनुरूप संशोधित कर दिया गया है। इस संबंध में जांच का कार्य कस्टम टैरिफ अमेंडमेंट, 1995 के नियमों के अन्तर्गत किया जाता है। इस प्रकार की जांच के लिए वाणिज्य मंत्रालय के एक अपर-सचिव को सक्षम पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह उन्हीं का दायित्व है कि वे डम्पिंग के बारे में प्राप्त शिकायतों की जाचं कर यह मालूम करें कि किस हद तक डम्पिंग की जा रही है। उनकी जांच के परिणामों के आधार पर केन्द्रीय सरकार निर्णय लेती है कि एन्टी-डम्पिंग ड्यूटी लगाई जाए या नहीं लगाई जाए, यदि लगाई जाए तो किस हद तक। यह कार्य एक सैमी-जुडिशियल प्रक्रिया के तहत किया जाता है और इसके विरूद्ध कस्टम के एपलेट-ट्रिब्युनल में अपील दायर की जाती है।

प्रो. अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है। क्या सरकार के पास आंकड़े हैं कि वह किन देशों से मुख्य रूप से ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड हमारे यहां आयात करती है?

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : अध्यक्ष महोदय, ग्रेफाइट का आयात ज्यादातर मात्रा में अमरीका, स्पेन, जापान, चीन, बेलजियम और आस्ट्रेलिया से होता है। 1995-96 के दौरान विभिन्न देशों से जो मात्रा आयात की गई है, उसके आंकड़े निम्न प्रकार हैं: चीन से 486.1 टन, यू.एस.ए. से 391.2 टन, जापान से 379 टन, बेलजियम से 192.1 टन, स्पेन से 156.6 टन, आस्ट्रेलिया से 112.4 टन।

[हिन्दी]

जनजातीय लोगों के लिए कल्याणकारी योजना

+

***163. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते :**

श्री भक्त चरण दास :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश के जनजातीय क्षेत्रों में कौन-सी कल्याणकारी योजनायें चलाई जा रही हैं;

(ख) जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए केन्द्र द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) एक विवरण-I सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) एक विवरण-II सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) एक विवरण-III सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	योजना का नाम
1.	आदिवासी उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता।
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक (क) के अन्तर्गत अनुदान।
3.	अनुसूचित जनजातियों की लडकियों के लिए छात्रावास।
4.	अनुसूचित जनजातियों के लडकों के लिए छात्रावास।
5.	टी.एस.पी. क्षेत्र में आश्रम स्कूल।
6.	आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।
7.	अनुसंधान तथा प्रशिक्षण।
	(1) आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को अनुदान तथा आदिवासी विकास के लिए अनुसंधान फैलोशिप का आवंटन।
	(2) अखिल भारतीय तथा अन्तर्राज्यीय प्रकृति की सहायक परियोजना।
8.	लघुवन उत्पाद कार्यों के लिए आदिवासी विकास सहकारी निगमों की सहायता अनुदान।
9.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान।
10.	अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए कम साक्षरता वाली पॉकेटों में शैक्षिक परिसर।

विवरण-II(क)

वर्ष 1994-95, 95-96 के लिए आदिवासी उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जारी किया गया राज्यवार अनुदान

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95	1995-96
1	2	3	4
आ.उ.यो. राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	1947.10	2140.32
2.	असम	1112.67	1545.19
3.	बिहार	1748.70	274.22
4.	गुजरात	2491.56	3060.26
5.	हिमाचल प्रदेश	450.57	541.62
6.	जम्मू और कश्मीर	550.63	756.64
7.	कर्नाटक	409.03	659.99
8.	केरल	126.30	181.20
9.	मध्य प्रदेश	7535.72	9579.66
10.	महाराष्ट्र	2196.34	2930.82
11.	मणिपुर	432.81	574.53
12.	उड़ीसा	3956.55	4958.10
13.	राजस्थान	2202.79	2819.04
14.	सिक्किम	75.10	100.10
15.	तमिलनाडु	256.88	274.44
16.	त्रिपुरा	480.01	565.47
17.	उत्तर प्रदेश	70.41	104.08
18.	पश्चिम बंगाल	1335.03	1763.21
19.	अं. व नि. द्वीपसमूह	25.50	112.21
20.	दमन व द्वीव	35.50	59.31
		27500.00	33000.00

टिप्पणी : जारी की गई उपर्युक्त राशि में राज्य सरकारों को उनके प्रस्तावों के प्रति प्रदान की गई अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता।

विवरण-II(ख)

वर्ष 1994-95, 95-96 के लिए अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत धनराशि का राज्यवार आवंटन

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य	1994-95	1995-96
1	2	3	4
आ.उ.यो.			
1.	आंध्र प्रदेश	460.50	460.50
2.	असम	315.00	315.00
3.	बिहार	725.25	725.25
4.	गुजरात	675.00	675.00
5.	हिमाचल प्रदेश	24.00	24.00
6.	जम्मू और कश्मीर	95.25	95.25
7.	कर्नाटक	210.00	210.00
8.	केरल	35.25	35.25

1	2	3	4
9.	मध्य प्रदेश	1687.50	1687.50
10.	महाराष्ट्र	801.75	801.75
11.	मणिपुर	69.00	69.00
12.	उड़ीसा	771.00	771.00
13.	राजस्थान	600.00	600.00
14.	सिक्किम	9.75	9.75
15.	तमिलनाडु	63.00	63.00
16.	त्रिपुरा	93.75	93.75
17.	उत्तर प्रदेश	31.50	31.50
18.	पश्चिम बंगाल	417.75	417.75
	आदिवासी बहुसंख्यक राज्य		
19.	अरुणाचल प्रदेश	60.00	60.00
20.	मेघालय	166.50	166.50
21.	मिजोरम	72.00	72.00
22.	नागालैंड	116.25	116.25
		7500.00	7500.00

विवरण–II(ग)

आदिवासी विकास प्रभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1994–95 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई धनराशि

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	रा./सं. रा.क्षे.	लड़कियां	लड़के	आश्रम	वी.टी.आई.	आर.एण्ड टी.	एस.टी.डी. सी.सी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	50.00	58.47	66.80	–	16.98	–
2.	असम	–	16.00	–	–	12.55	–
3.	बिहार	–	–	–	44.34	10.63	–
4.	गुजरात	4.73	6.44	–	21.60	6.13	30.00
5.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	0.21	–
6.	जम्मू और कश्मीर	–	86.02	–	–	–	–
7.	कर्नाटक	–	–	67.50	–	0.63	–
8.	केरल	20.00	20.00	–	–	10.00	36.00
9.	मध्य प्रदेश	115.83	16.90	–	–	13.09	124.00
10.	महाराष्ट्र	–	–	1.76	54.12	24.30	30.00
11.	मणिपुर	–	–	–	–	2.00	10.00
12.	उड़ीसा	44.00	36.00	60.00	88.68	8.59	75.00
13.	राजस्थान	–	–	24.50	–	6.14	30.00
14.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–
15.	तमिलनाडु	–	–	–	10.05	7.12	–
16.	त्रिपुरा	19.44	29.17	19.44	–	10.41	–
17.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–	–
18.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	6.22	1.19	–
19.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	मेघालय	11.00	11.00	–	–	–	15.00
21.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–
22.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–
23.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–
24.	दादर व नगर हवेली	37.00	–	–	–	–	–
25.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	–
26.	दमन व द्वीव	3.00	26.82	10.00	13.18	–	–
	जोड़	305.00	306.00	250.00	238.19	130.00	350.00

विवरण-II(ख)

टी.डी. डिवीजन की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधियों का विवरण

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लड़कियां	लड़के	आश्रम	बी.टी.आई.	आर.एण्ड टी.	एस.टी.डी. सी.सी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	91.00	92.63	72.17	64.34	25.54	90.00
2.	असम	3.03	–	–	64.895	17.77	–
3.	बिहार	–	–	–	–	14.73	50.00
4.	गुजरात	–	–	–	52.305	0.14	–
5.	हिमाचल प्रदेश	6.50	–	–	–	0.78	–
6.	जम्मू और कश्मीर	24.05	12.70	–	–	–	–
7.	कर्नाटक	–	–	–	–	–	–
8.	केरल	–	–	–	–	11.25	57.00
9.	मध्य प्रदेश	–	–	99.45	44.34	22.21	57.00
10.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	75.00
11.	मणिपुर	–	–	–	–	0.49	8.00
12.	उड़ीसा	65.93	46.62	70.00	–	12.98	-
13.	राजस्थान	66.74	–	–	–	7.93	-
14.	सिक्किम	–	–	–	–	–	-
15.	तमिलनाडु	–	–	–	–	16.54	-
16.	त्रिपुरा	19.44	38.38	38.35	59.12	8.27	63.00
17.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	1.12	-
18.	पश्चिम बंगाल	19.57	115.92	–	–	10.81	-
19.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	-

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	मेघालय	13.75	13.75	-	-	-	-
21.	मिजोरम	-	-	-	-	-	-
22.	नागालैंड	-	-	-	-	-	-
23.	दिल्ली	-	-	-	-	-	-
	संघ राज्य क्षेत्र						
24.	दादर और नगर हवेली	40.00	45.00	-	-	-	-
25.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-	-	-
26.	दमन और द्वीव	6.50	-	-	-	-	-
	जोड़	370.00	365.00	280.00	285.00	15.00 18.42 प्रयोजना सेमीनार हेतु	400.00

विवरण-II(ङ)

वर्ष 1994-95, 95-96 के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता योजना के अन्तर्गत जारी राज्यवार अनुदान का ब्यौरा

	राज्य	1994-95	1995-96
	1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	9,18,169	27,00,556
2.	अरुणाचल प्रदेश	83,39,822	84,50,450
3.	असम	25,94,040	15,09,623
4.	बिहार	34,99,269	35,30,467
5.	गुजरात	2,36,494	1,07,885
6.	कर्नाटक	22,15,755	15,80,265
7.	जम्मू और कश्मीर	-	10,81,575
8.	केरल	28,11,055	29,42,105
9.	मध्य प्रदेश	3,91,363	12,54,226
10.	महाराष्ट्र	56,96,523	40,73,503
11.	मणिपुर	3,97,837	3,05,888
12.	मेघालय	48,63,168	68,91,173
13.	नागालैंड	-	1,96,191
14.	उड़ीसा	52,86,748	70,63,743
15.	राजस्थान	11,36,660	10,79,343
16.	तमिलनाडु	12,89,149	17,88,896
17.	त्रिपुरा	4,22,370	1,45,906
18.	उत्तर प्रदेश	3,25,336	6,18,917
19.	पश्चिम बंगाल	25,81,900	40,11,742
20.	न्यू दिल्ली	63,67,538	36,75,537
	जोड़	4,96,21,114	5,30,00,000

विवरण-II(च)

अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए कम साक्षरता वाली पॉकेटों में शैक्षिक परिसर की योजना के अन्तर्गत 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त धनराशि का विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	1994-95	1995-96
1.	आंध्र प्रदेश	2.01	2.49
2.	असम	-	
3.	बिहार	4.85	1.82
4.	गुजरात	24.25	22.51
5.	केरल	-	2.75
6.	मध्य प्रदेश	52.30	30.45
7.	महाराष्ट्र	-	0.68
8.	उड़ीसा	64.99	68.66
9.	राजस्थान	48.19	20.64
	जोड़	169.59	150.00

नोट : निरीक्षण रिपोर्टों/लेखा परीक्षित लेखाओं के माध्यम से उपयोग की जानकारी होती है तथा बिना व्यय की हुई शेष राशि को देखते हुए अनुदान पर विचार किया जाता है।

विवरण-III

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा विकास के लिए 10 योजनाएं हैं जिसमें से 4 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं तथा 6 केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत हैं :-

1) लडकियों के लिए होस्टल
2) लड़कों के लिए होस्टल
3) आश्रम स्कूल
4) अनुसंधान और प्रशिक्षण

राज्यों को धनराशि 50 : 50 के अनुपात में आवंटित की जाती है।

निम्नलिखित योजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं :-

1) आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
2) राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगम को सहायता अनुदान।
3) आदिवासी उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता।
4) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत निर्मुक्त धनराशि।
5) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान।
6) कम साक्षरता वाले पाकेटों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर।

आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं तथा राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगम के मामले में धनराशि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निर्मुक्त की जाती है।

आदिवासी उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत धनराशि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को आई.टी.डी.पी.,एस.ए.डी.ए. क्लस्टर आदि के द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर निर्मुक्त की जाती है जबकि संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत धनराशि पर निर्मुक्त की जाती है। केन्द्रीय क्षेत्र की शेष दो योजनाओं-स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता तथा कम साक्षरता वाली पॉकेटों में शैक्षणिक परिसर के लिए धनराशि को राज्य-वार निर्धारित की गई है। संगठनों को निधियां राज्य सरकारों की सिफारिशों पर निर्मुक्त की जाती है।

[हिन्दी]

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में साफ तौर से पूछा था कि क्या भारत सरकार आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं में धनराशि देती हैं, लेकिन उसका उत्तर संतोषजनक नहीं है। यदि धनराशि देती है, तो उसकी देखरेख की कोई व्यवस्था नहीं है। आपके जवाब मे यह कहीं नहीं है कि इतनी सारी धनराशि खर्च करने के बाद मोनीटरिंग की कोई व्यवस्था है। इस बारे में मैंने सचिव से भी बात की थी।

मैं पूछना चाहता हूं कि जो धनराशि राज्य सरकारों को दी जाती है, वह किन-किन योजनाओं के लिए दी जाती है? क्या मंत्री जी इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी देंगे?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : अध्यक्ष जी, अकेला कल्याण मंत्रालय ही नहीं बल्कि विभिन्न मंत्रालय ट्राईबल्स सब प्लान के तहत विभिन्न स्कीमों के जरिए ट्राईबल्स के लिए केन्द्र से धनराशि देते हैं, यह समस्त धनराशि राज्य सरकारों के माध्यम से दी जाती है और राज्य सरकारें ही उस धनराशि के व्यय को मोनीटर करती है। कल्याण मंत्रालय उनसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगता है, उसके मुताबिक समय-समय पर धनराशि जारी की जाती है, उस धनराशि का उपयोग किस तरह होता है, इस बारे में माननीय सदस्य ने थोड़ा सा शक व्यक्त की है, इसलिए मैं भी कहना चाहता हूं कि हम केन्द्रीय सरकार के तौर पर ट्राईबल्स सब प्लान के तहत ट्राईबल्स के लिए राज्यों को जो धनराशि ट्राईबल्स की सहायता के लिए देते हैं, उसके खर्च और उसके उपयोग के बारे में हम भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं लेकिन सिस्टम यही है कि हम राज्यों के माध्यम स धनराशि देत हैं।

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री ने कहा कि हम राज्य सरकारों को दते हैं और उसकी मोनीटरिंग की व्यवस्था के बारे में जो कहा है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, फिर भी मैं जानना चाहता हूं और जैसे आपके आंकड़े स्पष्ट दर्शाते हैं कि आदिवासियों के नाम से आदिवासियों को जो धनराशि दी जाती है, आंकड़े देखकर स्पष्ट हो जाएगा कि पूरे हिन्दुस्तान में वास्तव में किन-किन प्रदेशों को कितनी धनारशि दी गई? जहां तक स्वयं सेवी संस्थाओं का सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर में स्वयं सेवी संस्थाएं या जो भी संस्थाएं उन आदिवासी क्षेत्रों में काम करती हैं, जैसे दिल्ली में भी आदिवासी संस्थाओं को ग्रांट देने की बात कही गई है, अनेक राज्यों में ग्रान्ट देने की बात कही गई है, जैसे हमारा मध्य प्रदेश का आंकड़ा बताता है कि यह 3,91,363 रुपया आपने वर्ष 1994-95 में दिया और 12,54,226 रुपया आपने वर्ष 1995-96 में दिया। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सवाल पूछिए।

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : मेरा प्रश्न यह है कि आपने इसके लिए क्या मापदंड अपनाए हैं कि यह रुपया आपने उन क्षेत्रों में ग्रामीण विकास को दिया है या पोपुलेशन के आधार पर आपने रुपया दिया है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप जनसंख्या के आधार पर उन क्षेत्रों को धनराशि आवंटित करेंग? मैं यह बात पुनः जानना चाहता हूं क्योंकि मंत्री जी ने अपने उत्तर में इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप जनसंख्या के आधार पर उन क्षेत्रों को या राज्यों को धनराशि देंग?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने दोनों प्रश्न बहुत महत्व के उठाए हैं, इसके लिए मैं इनकी प्रशंसा करता हूं। आप ठीक कह रहे हैं कि हम राज्यों को धनराशि देते हैं। इसके

लिए स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय को हम ट्राईबल्स के उत्थान के लिए केन्द्र से धनराशि देते हैं। आपने ठीक मांग की है और बात भी ठीक है तथा मैंने चिट्ठी भी लिखी है। ...**(व्यवधान)**

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : आप क्या करेंगे?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : आप सुन लीजिए। मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। ...**(व्यवधान)** क्या आपके शोर-शराबे से जवाब आ जाएगा? ...**(व्यवधान)** मुझे बात कहने दीजिए। वह मुद्दा उठा रहे हैं कि क्या केन्द्रीय सरकार आबादी के प्रतिशत के हिसाब से धनराशि सहायता के लिए देती है?

कल्याण मंत्रालय इस बात के लिए दो पक्षों में जोर लगा रहा है। पहला यह है कि जितनी धनराशि दी जाए ट्राइबल्स को, शेडयूल्ड कास्ट्स को उनकी जनगणनानं के प्रतिशत के लिहाज से केन्द्रीय फंड से वह हिस्सा रखा जाए। दूसरी बात यह है कि हम यह कह रहे हैं कि विभिन्न मंत्रालयों में जो पैसे पड़े हैं वह साल के आखिर में और जगह डायवर्ट कर देते हैं तो उसको भी रोकने के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि उसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूं।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार से दी गई वित्तीय सहायता राज्य सरकारें जनजातीय लोगों के लिए जनजातीय क्षेत्रों में खर्च करती हैं या नहीं, यह अन्य दूसरी जगह खर्च किया जाता है ऐसी मेरी मालुमात है। इसके बारे में केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से रिपोर्ट मंगाते हैं या नहीं और अगर रिपोर्ट मंगाते हैं तो यह जो राशि है यह नॉन ट्राइबल एरिया में खर्च की जाती है। क्या उसके बारे में मंत्री जी हर राज्य को अपनी गाइडलाइंस देने की कृपा करेंगे?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : महोदय, मैंने जैसे पहले भी आपको अर्ज किया कि हम बिल्कुल दृढ़ हैं कि जिसके लिए पैसा दिया जाता है उसी पर खर्च होगा। अगर कोई सदस्य मेरे नोटिस में लाएगा कि यह पैसा उसके लिए दिया गया और फिर डायवर्ट किया गया, . ..**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सनत मेहता : सदस्य ने उनकी नोटिस में पहले ही यह ला दिया गया है। उन्हें उत्तर देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : मैं उसी पर आ रहा हूं । देखिए अगर डायवर्शन हुआ है तो हम एक्शन लेंगे। एक तो यह है कि हम उनकी राशि बंद कर दें लेकिन वह हम नहीं करना चाहते। हम जो नियम के तहत हैं वह करेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहता हूं कि आप स्पेसिफिक बात कहिए। मैं तो खुद बताना नहीं चाहता क्योंकि मुल्क में शोर मच जाएगा, बहुत सी राज्य सरकारें ऐसी हैं जो कुछ नहीं कर रही हैं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री प्रदीप भट्टाचार्य : आपका उन राज्यों के विरूद्ध क्या कदम करने का विचार है जो कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। आपका क्या कदम उठाने का विचार है? **(व्यवधान)** उन राज्य सरकारों के विरूद्ध क्या कदम उठाए गये हैं जिन्होंने इसे लागू नहीं किया है? **(व्यवधान)** राज्य सरकारों के विरूद्ध आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : आप मेरी बात को तो सुनिए। मैंने बात जानबूझ कर आज लीक की है। मैं देश को बताना चाहता हूं कि हमाम में सब नंगे हैं। मैंने इसीलिए कहा है कि ...**(व्यवधान)**

श्री श्याम बिहारी मिश्र : आप सबको कैसे कह रहे हैं? आप भी नंगे हो सकते हैं। ...**(व्यवधान)** बहुत से लोग हमाम में चड्डी पहनते हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मंत्री जी को ठीक से बोलना चाहिए। ...**(व्यवधान)** यह कैसे बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको जवाब चाहिए या नहीं। आपका सवाल नहीं है आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री प्रदीप भट्टाचार्य : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वे उन राज्य सरकारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करना चाहते हैं जिन्होंने यह योजना लागू नहीं की है जिसके लिए उन्हें वित्तीय सहायता दी गई है? हम मंत्री महोदय से सीधे-सीधे यह जानना चाहते हैं ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं। प्रश्न यह था कि क्या स्टेट डायवर्ट कर रहे हैं। मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि फिर डिसकशन शुरू हो जाएगा। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री प्रदीप भट्टाचार्य : वे कौन से राज्य हैं जिन्होंने जनजातीय विकास के लिए केन्द्र द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का उपयोग नहीं किया है?

दूसरा, भारत सरकार का उन राज्यों के सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है जो जनजातीय कल्याण के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का उपयोग करने में असफल रहे हैं?

मैं इस सम्बन्ध मे आधे घंटे की चर्चा कराए जाने का अनुरोध करता हूं। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न-काल है। सामन्यतया, इस दौरान हम तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं जानता हूं कि यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई सदस्य उत्तेजित हो रहे हैं। प्रश्न-काल के दौरान सभी को बोलने के लिए अवसर देना सम्भव नहीं है। मैं इस पर आंधे घंटे की चर्चा करने के लिए समय निकालने का प्रयास करूंगा।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : महोदय, यह प्रश्न जनजातीय लोगों के कल्याण संबंधी योजनाओं से सम्बन्धित है। माननीय मंत्री महोदय ने जानबूझकर या अनजाने में कहा है कि कई राज्य सरकारों ने धनराशि खर्च नहीं की है, इसलिए जनजातीय लोगों के कल्याण के हित में सरकार को सभा के समक्ष आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए ताकि हमें इस बारे में जानकारी मिल सके कि किन राज्यों ने प्राप्त धनराशि खर्च नहीं की है। किसी भी दल की सरकार हो सकती है, इसलिए यह जनजातीय लोगों के हित में होगा कि सरकार इस बारे में आंकड़े बताए ताकि देश को और इस सभा को भी इस बारे में जानकारी मिल सके। उन्हें आंकड़े अवश्य प्रस्तुत करने चाहिए। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आधे घंटे की चर्चा कराने पर सहमत हूं। इस पर आधे घंटे की चर्चा कराई जाएगी।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप मंत्री महोदय से यह जानकारी सभा पटल पर रखने के लिए कह सकते हैं। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस पर आधे घंटे की चर्चा होगी।

(व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : जी, हां।

[हिन्दी]

भारत-नेपाल सीमा

***164. श्री जगत वीर सिंह द्रोण :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने भारत-नेपाल सीमा पर अपराध तथा तस्करी रोकने के लिए नौ करोड़ रुपये की योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग). भारत-नेपाल सीमा पर, विशेषरूप से अपराध और तस्करी रोकने के लिए बिहार राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने संबंधी केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार को निम्नलिखित सहायता दी गयी है :-

(रु. लाखों में)

वर्ष	राशि
1994-95	116.560
1995-96	308.120
1996-97	233.120

[हिन्दी]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी के जवाब में यह कहा गया है कि नेपाल और भारत की सीमा पर व्यवस्था के लिए कोई योजना उनके पास नई आई है। इस पर मेरा कोई विवाद नहीं है। लेकिन दैनिक जागरण के 6 सितम्बर, 1996 के अंक में बड़े स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है। मैं चाहूंगा उसको आप पढ़ लें। उसमें लिखा है कि भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी, अपराध, आतंकवादियों का प्रवेश और अतिक्रमण को रोकने के लिए एक साढ़े नौ करोड़ रुपये की योजना आपके पास भेजी गयी है। आपका उत्तर है कि आपको नहीं मिली है। मैं इस विवाद में नहीं पड़ रहा हूं। यह ठीक है कि आपने अपनी केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत वहां पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण के लिए पिछले तीन वर्षों के अंदर पैसा दिया है। अध्यक्ष जी, हम इस बात से परिचित हैं कि हमारे देश की सीमा बहुत लम्बी है।

अध्यक्ष महोदय : आपको सवाल पूछना है।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : सर, आपने दो मिनट का समय दिया है, मैं उतने में ही सवाल पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपके तीन सैकेंड बाकी हैं।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : मेरा सीधा सा सवाल है कि जो धन आपने केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत बिहार सरकार को दिया, उसका उपयोग किस प्रकार से हुआ और वहां की पुलिस का आधुनिकीकरण किस सीमा तक पहुंचा। वहां ऐसे 15 सीमावर्ती थाने हैं जिनको पुलिस फोर्स को हथियार देने चाहिए, वायरलैस सैट देने चाहिए, जिप्सियां देनी चाहिए और इन साधनों के साथ ही गैस्ट-हाउस बनाकर देने चाहिए जहां अधिकारी ठहर सकें। क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले तीन वर्ष में केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत जो बिहार सरकर को धन गया है उससे इन साधनों में कहां तक वृद्धि हुई और ऐसे अपराधियों, तस्करों और आतंकवादियों के प्रवेश में कितनी कमी आई है?

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मूल प्रश्न में यह पूछा गया था कि क्या भारत नेपाल सीमा पर अपराध और तस्करी को रोकने के लिए बिहार सरकार की ओर 9 करोड़ रुपये की कोई योजना प्राप्त हुई थी, जो कुछ भी समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है जिसे माननीय सदस्य ने अभी पढ़ा, उसके बावजूद हमें इस तरह की कोई योजना प्राप्त नही हुई है। लेकिन यह सच है कि बिहार सरकार अपने पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग करती रही है और दिसम्बर, 1994 के दौरान, बिहार सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें 16.86 करोड़ रुपए की सहायता दिये जाने की मांग की गई थी। उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों में आतंकवाद और उग्रवाद को रोकने के लिए राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी थी। यह सहायता राशि वाहनों, हथियारों व गोलाबारूद, संचार उपकरण और दंगा नियंत्रण उपकरणों की खरीद के लिए मांगी गई थी।

वित्त मत्रालय की सलाह पर फरवरी, 1995 में राज्य सरकार से कहा गया था कि वह अगले तीन वर्षों की अवधि में अपनी आवश्यकताओं का अलग-अलग ब्यौरा दे। उनके उत्तर की अभी भी प्रतीक्षा है। तथापि, 1993-94 से चालू वित्तीय वर्ष तक राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को निम्नलिखित सहायता दी गई है :—

1993-94 में 238.120 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी और वास्तव में जारी की गई धनराशि आंवटित राशि से अधिक अर्थात 284 लाख रुपये थी। 1994-95 में उतनी ही धनराशि अर्थात् 233.120 लाख रुपये आवंटित की गई और 116.660 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई। यह आवंटित राशि से कम है। इसका कारण यह है कि प्रचलित प्रणाली के अनुसार राज्य सरकार के लिए अगले वर्ष की राशि जारी करने से पूर्व पिछले वर्ष जारी की गई धनराशि का उपयोग-प्रमाणपत्र देना अपेक्षित होता है। उस समय उक्त राशि का उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए अगले वर्ष के आवंटन में कटौती की गई।

1995-96 और 1996-97 में, वास्तव में जारी की गई धनराशि आवंटित राशि से अधिक थी। यदि हम इन चारों वर्षों को एक साथ लेते हैं तो कुल 932.480 लाख रुपये की आवंटित धनराशि के मुकाबले जारी की गई धनराशि 941.800 लाख रुपये थी।

उक्त धनराशि में से अभी भी कुछ धनराशि शेष हमारे पास है और यदि पिछले वर्षों का उपयोग-प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाता है तो शेष धनराशि को जारी किया जा सकता है। पुलिस बलों के इस उन्नयन में पुलिस स्टेशनों और सीमा-चौकियों का निर्माण, पुलिस-बल के लिए आवास, पुलिस-प्रशिक्षण और पुलिस-दूरसंचार शामिल हैं। यह सब उन्नयन और आधुनिकीकरण योजना के भाग हैं। दसवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि चार वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 31 मार्च, 2000 तक, बिहार सरकार को इन प्रयोजनों हेतु जिनका मैंने अभी उल्लेख किया था, कुल 7215.48 लाख रुपये की राशि दी जा सकती है। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार द्वारा वास्तव में कितना खर्च किया। हमें इस सूचना की प्रतीक्षा है। हमें अभी विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न हे . ..**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अभी कुछ और पूछना बाकी रह गया है?

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : महोदय, मेरा मुख्य प्रश्न था कि चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को जो धनराशि दी गई उससे कितने पुलिस स्टेशनों का निर्माण किया गया और उससे दूरसंचार के कितने उपकरण खरीदे गए। लेकिन यह सूचना माननीय मंत्री के पास उपलब्ध नहीं है। मुझे प्रसन्नता होगी यदि वे इसे बिहार सरकार से प्राप्त करते हैं बशर्ते कि वे इसे भेजें।

[हिन्दी]

मेरा दूसरा सप्लीमैंट्री सीधा-सादा है। जब से कश्मीर और पंजाब में आतंकवादियों के ऊपर नियंत्रण हुआ है और प्रैशर बना तो वहां से लोग दूसरे रास्ते से आने लगे। चूंकि नेपाल के साथ हमारे मैत्री सम्बन्ध हैं, इसलिए हमारी जांच-पड़ताल उतनी ज्यादा सख्त और कठोर नहीं होती। पिछले दिनों दिल्ली में चार आतंकवादी पकड़े गए थे जो नेपाल के रास्ते से आए थे। इसी वर्ष फरवरी माह में जब वहां के प्रधान मंत्री यहां आए थे तो महामहिम राष्ट्रपति जी ने आतंकवादियों के प्रवेश पर और उनकी गतिविधियों पर उनसे चिन्ता व्यक्त की थी जिनसे वह सहमत भी थे।

दूसरी समस्या बॉर्डर के ऊपर आतंकवादियों की है। वहां अतिक्रमण बहुत हो रहा है। शाही सेना आती है और क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीणों को धमका कर वहां से भगाती है। इसलिए केन्द्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों पहले वहां के क्षेत्र का सर्वे करने का निर्णय लिया था। मेरी सूचना के हिसाब से अभी तक कोई भी अधिकारी उस क्षेत्र का सर्वे करने के लिए नहीं गए। कारण यह है कि पश्चिमी चम्पारण में जंगल पार्टी के द्वारा अपहरण और आतंकवाद।

नेपाल के माध्यम से एके-47, एके-56 आदि पूरे हथियार लेना कि वहां पर एक ऐसा माहौल है कि उस स्थान पर सर्वे कराना आवश्यक है। हमारी सीमा कहां तक है, यह बात हमारे ग्रामीण और देशवासी जानना चाहते हैं। क्या माननीय गृह मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस क्षेत्र का सर्वे किया जाये ताकि भारत-नेपाल की सीमा स्पष्ट हो जाये क्योंकि माईल स्टोन नं. 27,28,29 और 31 पर विवाद गहराया हुआ है। क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस क्षेत्र का सख्ती से सर्वे करने के लिये अधिकारियों को भेजे जाने की कोई योजना सरकार के पास है?

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि नेपाल और भारत के बीच समूची सीमा अत्यधिक संवदेनशील है।

अप्रवास और सीमा-शुल्क उद्देश्यों के लिए 23 औपचारिक मार्ग हैं जहां जांच-चौकियां बनाई गई हैं। लेकिन इन 23 औपचारिक मार्गों के अलावा बहुत बड़ी संख्या में अनौपचारिक मार्ग भी हैं जो पूरी सीमा से जुड़े हैं और जहां से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों में पहुंचा जा सकता है। हाल के वर्षों में नेपाल देश की सीमा में कुछ गतिविधियां बढी हैं जिसके लिए हमें पाकिस्तान की आई.एस. आई. पर संदेह है।

माननीय सदस्य द्वारा कुछ व्यक्तियों के गिरफ्तार किए जाने और उनके पूर्ववृत्त नेपाल में पाये जाने के बारे में जिक्र किया गया था; यहां लाजपत नगर में बम-विस्फोट हुआ था। आपको याद होगा। हमें इसके पीछे आई.एस.आई. का हाथ होने का शक था। ये लोग वास्तव में शिथिल स्थिति और नेपाल में उदार शासन का फायदा उठा रहे हैं तथा अनेक प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं।

अब हम यह कह रहे हैं कि अप्रवास जांच-चौकियों को सुदृढ़ किया जा रहा है। यह निश्चित किया गया है कि इन अप्रवासी जांच-चौकियों का स्टाफ पूरा का पूरा विशेष शाखा के कार्मिकों का ही होगा और कोई अन्य नहीं। विभिन्न सरकारी एजेंसियों के स्टाफ के बीच भी समन्वय और सहयोग को सुदृढ़ किया जा रहा है। नशीले पदार्थों के नियंत्रण के मामले में पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण चल रहा है। नशीले पदार्थों का व्यापार वहां अत्यधिक हो रहा है।

जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, गृह सचिव के नेतृत्व में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और आसूचना ब्यूरो के अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल नेपाल गया था और वहां अपने सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श किया। वे नेपाल के उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिले और सीमा की समस्याओं के बारे में चर्चा की और उनकी ओर से नेपाल सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिलाया था कि वे नेपाल के भू-भाग का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए करने की अनुमति नहीं देंगे और उन्होंने हमारे पारम्परिक सम्बन्धों और अन्य सम्बन्धों के महत्व पर बल दिया।

इस तरह से, दोनों देशों की एजेंसिया पहले से बेहतर तालमेल के साथ काम कर रही हैं। लेकिन इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि हम संतोषजनक ढंग से पूरी सीमा की सुरक्षा करने में समर्थ हैं।

माननीय सदस्य ने कतिपय क्षेत्रों का जिक्र किया है जिनका नये सिरे से सर्वेक्षण करना अपेक्षित है। मैं इसका ध्यान रखूंगा। उन्होंने कतिपय मील-पत्थरों और मार्ग-पट्टों का उल्लेख किया है जिनका सर्वेक्षण किया जाना अपेक्षित है।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : मैंने स्तम्भ संख्या 27,28,29 और 31 का उल्लेख किया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे यह जानकारी माननीय सदस्य से मिली है। मैं तत्काल सुनिश्चित करूंगा कि इन विशेष क्षेत्रों का सर्वेक्षण यथाशीघ्र किया जाए।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि भारत-नेपाल सीमा पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार की लम्बी सीमा नेपाल से लगती है।

क्या आप केन्द्रीय पुलिस बल इस पूरे लंबे बार्डर पर तैनात करने का विचार रखते हैं क्योंकि जिस प्रकार की गतिविधियां बढ़ रही हैं, यदि उन पर अंकुश नहीं लगाया गया, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो पंजाब और जम्मू-कश्मीर की तरह स्थिति बिहार और उत्तर प्रदेश में बदल सकती है क्योंकि उस लंबी सीमा से प्रत्येक दिन समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि अत्याधुनिक हथियार दिल्ली और नार्थ की तरफ ले जाने के लिए उस मार्ग का इस्तेमाल हो रहा है। इस परिस्थिति में, मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय विचार कर रहे हैं कि उस पूरी सीमा पर केन्द्रीय पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की जाए?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैं इस पर चर्चा कराना चाहता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं इससे सहमत नहीं हूं।

[हिन्दी]

कि उस पर नजर नहीं रखी जा रही है। नजर रखी जा रही है तथा और भी ज्यादा नजर रखी जाएगी।

[अनुवाद]

ऐसा इसलिए है कि यह एक लम्बी सीमा है और इसे आसानी से पार किया जा सकता है। मैं यह भी कहता हूं कि नेपाल से तस्करी के जरिए हथियार बिहार के पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण और सीतामढ़ी जिलों में पहुंचने की सूचना मिली है। हम इनकी जांच कर रहे हैं। तस्करी के प्रयोजनों के लिए नेपाली भूमि के गलत प्रयोग के लिए, इसके बारे में एक विरोध-पत्र विदेश मंत्रालय के जरिए नेपाल सरकार को भेजा जा चुका है।

इस सीमा पर केन्द्रीय अर्द्ध सुरक्षा बलों की तैनाती के प्रस्ताव के बारे में दिक्कत यह है कि इस समय हमारे पास देश की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अर्द्ध-सुरक्षा बल उपलब्ध नहीं है। कई राज्य जैसे आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर जो इस समय कई तरह के आंतकवादी और उग्रवादी गतिविधियों का सामना कर रहे हैं, हर रोज अपने यहां अतिरिक्त केन्द्रीय सुरक्षा बलों को भेजने की मांग कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि हम हमेशा उनकी भी मांगें पूरी करने की स्थिति में नहीं हैं। वस्तुतः, कश्मीर और उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान कुछ राज्यों से इन सुरक्षा बलों की कतिपय यूनिटें वापिस बुलाने के बाद अब हमें यह सोचना पड़ रहा है कि इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ

और राज्यों से ये यूनिट वापिस बुलाए जाए। यदि भारत-नेपाल सीमा पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल या सीमा सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं तो उनकी कई और यूनिटों की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या आप इसकी शुरूआत करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह शुरूआत करने का प्रश्न नहीं है। वस्तुतः केन्द्रीय अर्द्ध-सुरक्षा बल और सेना जम्मू-कश्मीर में पहले से ही तैनात हैं। लेनिक इसकी सौ फीसदी गारंटी नहीं थीं कि हम घुसपैठ रोकने में समर्थ होंगे। घुसपैठ अभी भी जारी है। कश्मीर में, चुनावों के बाद भी घुसपैठ जारी है हांलाकि इसमें कुछ कमी आई है।

लेकिन अर्द्ध-सुरक्षाबल और सेना वहां तैनात हैं। बात यह है कि सीमा की प्रकृति इस तरह की है कि सीमा के हर चप्पे की सुरक्षा करना अत्यधिक कठिन है, लेकिन यदि हम अर्द्ध-सुरक्षा बलों की संख्या में वृद्धि करने में समर्थ होते हैं तो इससे कुछ राहत मिलेगी। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि जो राज्य अतिरिक्त सहायता की मांग कर रहे हैं, उन्हें अपनी स्वयं की आरक्षित बटालियनें गठित करना चाहिए और हम उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस तरह से केन्द्रीय बलों को कुछ राहत मिलेगी।

जहां तक सशस्त्र आरक्षित बटालियनों का संबंध है, जो प्रत्येक राज्य गठित कर सकता है, इनका पचास प्रतिशत खर्च केन्द्र द्वारा वहन किया जाता है। इससे कई बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार भी मिलेगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या आप सुस्पष्ट उत्तर देंगे?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ऐसा किया जाना चाहिए ताकि केन्द्रीय बलों पर दूसरे काम करने का दबाव कम किया जा सके।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, हमें भारत-नेपाल सीमा के बारे में स्पष्ट उत्तर चाहिए। ...**(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने तो वही हमेशा जैसा जवाब ही दिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पायलट, स्पष्ट प्रश्न पूछें।

श्री राजेश पायलट : महोदय, हम उस तरफ बैठे विभिन्न सरकारों के मंत्रियों से यही सुनते आये हैं ...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप भी ऐसा ही उत्तर देते थे ... **(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट : जब मैं उत्तर दिया करता था तो आप ऐसा ही कहा करते थे।

मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री, एक माननीय सदस्य के रूप में ऐसा ही कहा करते थे जब मैं मंत्री के नाते उत्तर दिया करता था ...**(व्यवधान)** महोदय, मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है कि मैं माननीय मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हूं कि इस सीमा को आसानी से पार किया जा सकता है। लेकिन अर्द्ध-सुरक्षा बलों के संबंध राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु कुछ कदम उठाए गए हैं क्योंकि सुरक्षा बलों की संख्या पर्याप्त नहीं हैं।

महोदय, उस समय दो निर्णय लिए गए थे-संचार माध्यमों की आपूर्ति की जायेगी या इन्हें केन्द्र सरकार के पास रखा जाएगा और बलों के लिए जनशक्ति राज्य सरकारों द्वारा दी जायेगी। यह निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के साथ परामर्श से लिया गया था। खासतौर पर इसलिए कि इस सीमा की और निगरानी की जा सके और केन्द्र सरकार इस बात पर भी सहमत हुई थी कि विशेषकर उस समूह के सैनिकों को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जाएं जिससे उन्हें सीमा की निगरानी करने में सहायता मिले। इससे शुरू में काफी सुधार आया। मैं व्यक्तिगत रूप से सीमाओं को देखने गया था। उस समय इसे लागू किया जा रहा था। उन दिनों आपके विशेष सचिव श्री माथुर उन दिनों महानिदेशक थे। आज वह विशेष सचिव है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो समन्वय पहले चल रहा था, क्या उसका पालन अभी भी किया जा रहा है? यदि इसका पालन किया जा रहा है तो क्या यह लाभकारी सिद्ध हुआ है या इसके कोई परिणाम निकले हैं? दूसरा जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं भी देखा है कि नेपाल सीमा की ओर आई.एस.आई. की गतिविधियां बढ़ रही हैं, उस समय हमने यह मामला नेपाल सरकार के साथ उठाया था क्योंकि यह मामला लगभग एक वर्ष पूर्व उठाया गया था अब तक उसमें क्या प्रगति हुई है। ऐसा नहीं है कि विदेश मंत्रालय ने नेपाल सरकार को अब कोई नोट भेजा है। नेपाल सरकार की तरफ से क्या जवाब मिला है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने उस तरफ से कोई जांच चौकियां बनाई हैं क्योंकि सीमावर्ती राज्यों मे यह सर्वविदित है कि नशीले पदार्थों और अन्य चीजों के लिए नेपाल सीमा सबसे सुगम सीमा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पायलट, आपका दो मिनट का समय समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, आंतरिक सुरक्षा के पूर्व मंत्री बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नेपाल-उत्तर प्रदेश सीमा को बहुत आसानी से पार किया जा सकता है और उस तरफ से खतरे को देखते हुए कतिपय निर्णय लिए गए हैं जो मुख्यतया केन्द्र सरकार और नेपाल सरकार के बीच समन्वय के बारे में हैं। मैंने पहले ही उल्लेख किया था कि इस उद्देश्य के लिए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा वहां जाने के अलावा दोनों सरकारें आपस में संपर्क बनाए रहती हैं और इनकी सुरक्षा एजेंसियों और गुप्तचर एजेंसियों के बीच बातचीत चलती रहती है। यह नियमित प्रक्रिया है और यह चलती रहती है। यदि आप उससे यह जानना चाहते हैं कि मैं आपको यह बताऊं कि नेपाल सरकार आई.एस.आई. की गतिविधियों को रोकने में किस सीमा तक सफल हुई है तो मेरे विचार से इस प्रश्न का उत्तर बहुत कठिन है।

मैं व्यक्तिगत रूप से यह समझता हूं कि कोई अधिक सुधार नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि इन आतंकवादियों की गतिविधियां अभी भी जारी हैं। आपको पता है अम्बाला में कल क्या हुआ। किसी को इसकी अपेक्षा नहीं थी। मेरे विचार से हमें इस ओर ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की घटनाएं लोगों में बहुत दहशत फैलाती हैं और

यदि गलती गुप्तचर एजेंसियों की हैं तो मामले की जांच करानी होगी और उनकी खिंचाई करनी होगी। विस्फोट के कारणों की भी जांच करनी होगी। वे आर डी एक्स आदि और अन्य सभी प्रकार की सामग्री और तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं। नेपाल से ही इनकी तस्करी भारत में की जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं तो कहूंगा कि स्थिति काफी गम्भीर है। यदि माननीय सदस्य श्री पायलट स्थिति की गम्भीरता पर बल देना चाह रहे हैं तो मैं उनसे शत प्रतिशत सहमत हूं। मुझे प्रसन्नता होगी यदि वे अपने पिछले अनुभव से हमें कुछ विशिष्ट सुझाव दें कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ और तालमेल कैसे बैठाएं।

हम बंगलादेश के साथ तालमेल बैठा रहे हैं। बंगलादेश सीमा से भी काफी तस्करी होती है। बंगलादेश में अब जो नई सरकार सत्ता में आई है उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे इस बात का भरसक प्रयास करेंगे कि बंगलादेश के भू-भाग का प्रयोग भारत-विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें किसी तरह का संरक्षण या रहने की जगह नहीं दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह चर्चा पर्याप्त है। श्री पायलट पूरी तरह से संतुष्ट हैं जो उनके मुख से स्पष्ट हो रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अंतिम प्रश्न है और एक मिनट बाकी है।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार-नेपाल सीमा पर 25 पुलिस थाने थे, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है। लेकिन वहां मात्र 5 पुलिस थानों में ही गाड़ी है और दूरसंचार की व्यवस्था है। बाकी बॉर्डर पर जो पुलिस थाने हैं उन सभी थानों को तेज व्हीकल्स मिलें और उनमें दूरसंचार की व्यवस्था हो, क्या इस बारे में भारत सरकार कुछ विचार कर रही है। बिहार की सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए कोई योजना नहीं भेजी है और न ही भेजने वाली है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से जानना चाहूंगा कि वह इस बारे में क्या करने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : आधा मिनट बाकी है, आपको जवाब चाहिए कि नहीं, जवाब चाहिए तो अभी बैठिये।

[अनुवाद]

मंत्री महोदय, आपके पास उत्तर देने के लिए आधा मिनट का समय हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी, हां। महोदय, हम इस समस्या से निपट रहे हैं और यह विचार कर रहे हैं कि संचार-प्रणाली को कैसे अच्छा बनाया जाए जो कि अति महत्वपूर्ण है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

गंगा कार्य योजना

***165. श्री डी.पी. यादव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत गंगा कार्य-योजना हेतु आवंटित राशि का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है और शेष राशि वापस लौटाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त धनराशि का पूरा उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) गंगा कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग). गंगा कार्य योजना चरण-I के अन्तर्गत निधि का प्रयोग काफी हद तक बजट अनुमानों के अनुसार किया गया है। भूमि अधिग्रहण में विलंब और संविदागत समस्याओं के कारण वर्ष 1994-95 और 1995-96 में निधियों के प्रयोग में कुछ कमी आई थी। अब इन बाधाओं को दूर कर लिया गया है।

[अनुवाद]

वन्य जीव संरक्षण

***166. श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण :**

श्री छत्रपाल सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने युनाइटेड किंगडम स्थित एक गैर-सरकारी संगठन "एनवायरनमैंटल इन्वेस्टिगेटिव एजेन्सी" की भारत के वन्य जीव संरक्षण संबंधी प्रयासों में विशेषकर "प्रोजेक्ट टाइगर" तथा "प्रोजेक्ट एलीफेन्ट" के बारे में निराशाजनक कार्य-निष्पाद एवं गंभीर संकट के बारे में रिपोर्ट का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). जी, हां। यह रिपोर्ट बाघ परियोजना के विशेष संदर्भ के साथ भारत के वन्य जीव संरक्षण प्रयासों संबंधी एक समीक्षा है। इसमें हाथी परियोजना के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। रिपोर्ट में उल्लिखित अनेक मुद्दे प्रासंगिक हैं परन्तु कुछ मुद्दे काफी अधिक बढ़ा-चढ़ा कर उठाए गए हैं जो कि तथ्यों पर आधारित नही हैं। तथापि, इस रिपोर्ट में उन अंतर्राष्ट्रीय

बाजार गतिविधियों का अधिक उल्लेख नहीं है जो भारत सहित विश्व भर की बाघ आबादी में गिरावट के मूल कारण हैं और इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि भारत से बाहर इन गतिविधियों पर कैसे काबू पाया जाए। देश में वर्षों के वन्य जीव संरक्षण प्रयास के सकारात्मक पक्षों और उपलब्धियों की भी पूर्ण उपेक्षा इस रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में बताई गई कमियों पर सरकार पहले से ही ध्यान दे रही है।

[हिन्दी]

बिहार में कृषि विज्ञान केन्द्र

***167. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के अनेक जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाने का विचार है;

(ग) क्या इनके लिए स्थानों का पता लगा लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य सरकार को इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराए जाने का विचार हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) देश के अन्य जिलों के साथ बिहार के निम्नलिखित जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का मामला विचाराधीन है :-

1. अररिया
2. औरंगाबाद
3. भागलपुर
4. पश्चिमी चम्पारण
5. संथाल परगना (दुमका)
6. किशन गंज
7. लोहरदंगा
8. पलामू
9. पुर्णिया
10. वैशाली
12. मुजफ्फरपुर
13. पूर्वी सिंह-भूमि
14. रोहतास
14. डालटेनगंज

(ग) और (घ). योजना आयोग द्वारा जब परिषद को अतिरिक्त धन आवंटित किया जाता है तब केन्द्र के स्थान की पहचान की जाती है।

(ङ) कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए पहचान किये गए मेजबान संस्थान को धन (कोष) सीधे दे दिया जाता है।

[अनुवाद]

उग्रवादियों के साथ विदेशी खुफिया एजेंसियों का सक्रिय होना

***168. श्री उधव बर्मन :**

श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवादियों के साथ आई.एस.आई., सी.आई.ए. और अन्य विदेशी खुफिया एजेंसियों की मिलीभगत होने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इन विदेशी खुफिया एजेन्सियों पर नियंत्रण के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) सरकार को पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजैंस (आई.एस.आई.) और बंगलादेश की डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फील्ड इंटेलिजैंस (डी.जी.एफ.आई.) की पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवादियों के साथ मिलीभगत होने की जानकारी है। सी.आई.ए. की मिलीभगत के बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) पाकिस्तानी आई.एस.आई. तथा बंगलादेश की डी.जी. एफ.आई. की मिलीभगत पर नजर रखने के लिए अनेक कदम उठाये गए हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ, सीमाओं पर निगरानी में वृद्धि, आसूचना के संग्रहण तथा आदान-प्रदान में सुधार, सेना और केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण/सुदृढ़ बनाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा पड़ोसी देशों के साथ राजनयिक पहलें शामिल हैं।

[हिन्दी]

रामागुंडम उर्वरक संयंत्र

***169. श्री नवल किशोर राय :**

श्री सिद्दय्या कोटा :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 सितम्बर, 1996 को "पाइनियर" में छपे शीर्षक "रामागुंडम फर्टिलाइजर्स प्लांट शट डाउन" के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोयले की कमी के कारण उक्त संयंत्र में उत्पादन बंद हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कितनी हानि हुई है और उत्पादन कार्य कितने दिन तक बंद रहा; और

(घ) इस एकक को कोयले की नियमित आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) और (घ). कोयले की कमी के कारण संयंत्र 21.8.96 से 18.9.96 तक बन्द कर दिया गया था। उत्पादन क्रियाकलाप 19.9.96 को शुरू हुये थे और सामान्य उत्पादन 25.9.96 से शुरू हुआ। कोयला उपलब्ध न होने के कारण लगभग 35,000 टन यूरिया उत्पादन की हानि हुई थी। आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा एसएससीएल के साथ निकट सम्पर्कों के परिणामस्वरूप संयंत्र को कायेले की आपूर्ति में सुधार हुआ है।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लि.

***170. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/विशेषज्ञों द्वारा किये गये अध्ययन से यह पता चलता है कि हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड का गैस आधारित नामरूप एकक आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाया जा सकता है;

(ख) क्या इस एकक को लाभप्रद बनाने हेतु हल्दिया, दुर्गापुर आदि स्थित एककों से इसे अलग करना अनिवार्य समझा गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड का पुनर्गठन करने तथा इस संबंध में बी.आई.एफ.आर. की अन्तिम सिफारिश की प्रतीक्षा किये बिना ही नामरूप एकक को अलग निर्गमित एकक के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) उच्च क्षमता उपयोगिता हासिल करने तथा संयंत्र प्रचालनों में मितव्ययता बरतने की दृष्टि से संवेदनशील तथा परेशानी प्रवृत उपस्कर पर ध्यान देने के लिए हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि. (एच एफ सी) के संतुलित रिवैम्प की तकनीकी- आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि तकनीकी अध्ययनों से हो चुकी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) एच एफ सी की अन्य एककों का एक स्वतंत्र पुनरूद्धार पैकेज तैयार करने की दृष्टि से नामरूप एककों को अलग करने का कोई निर्णय नही लिया गया है।

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा एच एफ सी को एक रूग्ण कम्पनी के रूप में घोषित किया गया था। नामरूप एकक सहित कम्पनी के पुनरूद्धार के संबंध में अन्तिम निर्णय बी आई एफ आर, जो कि एक अर्द्ध न्यायिक कल्प है, के समक्ष लम्बित कार्रवाईयों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

सामाजिक वानिकी परियोजनाएं

***171. श्री राजीव प्रताप रूडी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1989 में "जवाहर रोजगार योजना" के लागू किए जाने के बाद सभी राज्यों में सामाजिक वानिकी परियोजनाओं में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सामाजिक वानिकी परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग). 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत् वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों के वार्षिक लक्ष्यों को दो भागों में निर्धारित किया जाता है: पहले भाग में "निजी भूमि पर रोपण हेतु पौध वितरण" तथा दूसरे में "वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि का क्षेत्र" शामिल है। इनमें सामाजिक वानिकी के भाग के रूप में किया गया वृक्षारोपण भी शामिल होता है।

"पौध वितरण" तथा "शामिल किए गए क्षेत्र" दोनों के लक्ष्यों और उपलब्धियों में 1989 से कमी आ रही है। यह विशेषकर इस कारण से है क्योंकि इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही इस अवधि में वृक्षारोपण कार्यों के लिए जवाहर रोजगार योजना से धनराशि कम मिलती रही है।

सरकार वानिकी परियोजनाओं में स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाकर तथा संयुक्त वन प्रबंध के जरिए लागत प्रभावी उपाय कर रही है।

पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी आंकलन समिति

***172. श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी आंकलन समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या पर्यावरणविदों को समिति का सदस्य नहीं बनाया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार समिति में पर्यावरणविदों तथा गैर-सरकारी संगठनों के अधिकारियों को शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ). जी नहीं। मंत्रालय में विभिन्न क्षेत्रों की प्रस्तावित परियोजनाओं के जांच के लिए गठित पर्यावरण-प्रभाव मूल्यांकन समितियों में गैर सरकारी संगठनों के पर्यावरणविदों और प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

विवरण

विभिन्न पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समितियों के सदस्यों की सूची

औद्योगिक क्षेत्र

1. श्री पी.एम. अब्राहम, टी.सी.4/1996, कोवदियर अरूयार, तिरूवनंतपुरम, 695003.
2. श्री वी. वेणुगोपालन नायर, अध्यक्ष, केरल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तिरूवनंतपुरम, केरल।
3. डा. देवराज भूमला, पूर्व महानिदेशक, आइसीएआर एंड कृषि आयुक्त, भूमत्ता भवन, पाल नगर, पोस्ट आफिस सेन्ट्रल सायल, सैलीनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल-132001, हरियाणा
4. डा.पी.एस. चौहान, अध्यक्ष जैनेटिक टेक्नोलाजी एंड क्रोमोसोम स्टडीज सैक्शन, बीएआरसी, बम्बई।
5. महानिदेशक अथवा नामिति, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, मौसम भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली।
6. फादर सी.जे. सालदान्हा, सेंट जेवियर कालेन, बंगलूर।
7. श्री के.पी. न्याती, सी-II 23-26, इंस्टीट्यूट जल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली।
8. सुश्री अमिता बेग, निदेशक (पर्यावरण) आई एन टी ए सी एच, निजामुद्दीन, नई दिल्ली-110013.
9. डा. पी.के. दवे, मेडिकल सुपरीटेन्डेंट, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली-16
10. डा. पी.एस. वर्मा, प्रोफेसर, रसायन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, 83 जय जवान कालोनी-II, टैक रोड, जयपुर-3020181
11. प्रो. अलाउद्दीन अहमद, वाइस चांसलर, जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय, दिल्ली।
12. श्री आर.एन. सिंह, वाइस चांसलर, राजस्थान विश्वविद्यालय, बी-14 अनीता कालोनी, जयपुर-302015.
13. डा.एन.एच. होसाबेतु, अपर निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-3.

थर्मल पावर सेक्टर

1. श्री आर. वायदेवन, अध्यक्ष, सी.1/21, हुमांयू रोड, नई दिल्ली।
2. श्री एस.सी. शर्मा, निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, कमरा नं. 601. इन्सैट बिल्डिंग, मौसम भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली।
3. डा. सी.आर. रामचन्द्रन, आई.सी.एम.आर., असांरी नगर, नई दिल्ली।
4. प्रो. केहर सिंह, प्रोफेसर भौतिकी, आईआईटी, नई दिल्ली।
5. डा. आर.एस. निर्भर, प्रिंसीपल, मालवीया रीजन इंजीनियरिंग, कालेज, जयपुर।
6. श्री के.के. सरीन, सिविल इंजीनियर, पूर्व डीवीआरडी, भारत सरकार
7. डा. आर.डी. गुरजर, भूगोल विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय
8. प्रो. आर.एच. सिद्दीकी, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
9. डा. बी. सेनगुप्ता, वरिष्ठ वैज्ञानिक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, ईस्ट अर्जन नगर, दिल्ली-32.
10. श्रीमती नन्दिता कृष्णा, श्री.पी.आर. सेन्टर, मद्रास।
11. प्रतिनिधि, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन, रामाकृष्णा पुरम, नई दिल्ली।
12. सलाहकार (परियोजना), कोयला मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
13. डा. नलिनी भट्ट, अपर निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली।

खनन क्षेत्र

1. श्री माधोसिंह दीवान, 3/117, विधायक नगर, ज्योति नगर, जयपुर-302005
2. प्रो. एस.पी. बनर्जी, डीन इन्डियन कोल मैनेजमैंट इंस्टीट्यूट, फानके रोड, रांची
3. डा. कर्णसिंह यादव, प्रोफेसर एंड अध्यक्ष, एमएमएस मेडीकल कालेज, बी-3, गंगवाल पार्क, जयपुर-302004.
4. डा. के.एल. गुप्ता, प्रोफेसर रसायन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, आई.के.-14, सेक्टर-I, जवहार नगर, जयपुर-302004.
5. डा. एस.एस. धबरिया, अध्यक्ष रिमोट सैंसिंग विभाग, बिरला रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1/1310, मालवीय नगर, जयपुर-302017.

6. प्रो. एम.सी. दास, लाइफ साइंस विभाग, सम्बलपुर विश्वविद्यालय, उड़ीसा।
7. श्री एच.वी. पालीवाल, निदेशक (सेवानिवृत्त), हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर, राजस्थान-313001.
8. श्री आई.एम. आगा, 228/2, राजपुररोड, देहरादून।
9. श्री भगवानदास मीणा, सेवानिवृत्त, डिप्टी चीफ इंजीनियर (रेलवे) मोहन सदन, आगरा रोड, दोसा, राजस्थान।
10. डा. गौतम भट्टाचार्य, तकनालोजी एंड डेवलपमेंट सेन्टर, दिल्ली
11. डा. (सुश्री) आशा राजवंशी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, प्रभाव मूल्यांकन, डब्ल्यू.आई.आई., देहरादून
12. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि, दिल्ली
13. डा. एन.एच. होशीबेनु, अपर निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

आणविक शक्ति एवं सम्बद्ध क्षेत्र :-

1. प्रो. पी. खन्ना, निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरण अध्ययन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्च्यूट, नागपुर-440020
2. डा. एस. टंडन, प्रो. रसायन विज्ञान, रूढकी विश्वविद्यालय, रूढ़की (उ.प्र.)
3. डा. टी.आर. श्रीनाथन, जी-2, नवगीतां सोसाइटी, सेंट एन्थनी रोड, चैम्बर, मुम्बई
4. डा. वी अब्राहम, 1-ए शेटोन, आई.सी. कोलोनी, बोरीवाली, पश्चिम मुम्बई
5. प्रो. के.बी. मिश्रा, निदेशक ग्रेड वैज्ञानिक, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी), नागपुर
6. डा. ए.टी. दुदानी, अध्यक्ष, सोसाइटी आफ सिटिजन कन्सर्न, सी-55, पंचशील एन्कलेव, नई दिल्ली
7. सुश्री माबेल रीबेली, एल-7, त्रिवेणी काम्प्लेक्स, रोशनपुरा, भोपाल
8. डा. सेयद इकबाल हुसैन, मार्फत श्री रोमील वर्मा, पी टीवानजी का शिकारपुर, बिहार
9. डा. के.एस. पार्थसारथी, सचिव, एटानामिक एनर्जी सेगुलेटरी बोर्ड, विक्रम साराभाई भवन, 24वां तल, नाथं विंग, अणुशक्ति नगर, मुम्बई
10. श्री सुजीत पटवर्धन, परिसर यमुना, आई.सी.एस. कालोनी, गणेशरिबन्ड रोड, पुणे-9
11. श्री बांके बिहारी दास, अध्यक्ष, उड़ीसा कुरशम महासंघ, 14 अशोकनगर, भवनेश्वर-9
12. श्री ए.एन.सेन, बी-26, पंचशील एन्कलेव, नई दिल्ली-17
13. श्री ललित कपूर, पर्यावरण इंजीनियरिंग, सीपीसीबी, परिवेश भवन, सी.बी.डी. एंड आफिस काम्प्लेक्स, ईस्ट अर्जुनगर, दिल्ली-52

नदी घाटी और जल विद्युत क्षेत्र :—

1. श्रीमती अन्ना मल्होत्रा, 96 बी, सैनिक फार्म, अध्यक्ष खानपुर, नई दिल्ली-62
2. डा. आशा राजबंशी, भारतीय वन्यप्राणी संस्थान, चन्द्रवानी, देहरादून-1
3. श्री आर.के. पटेल, वाइस चांसलर, वाइसचांसलर का निवास, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान
4. प्रो. पी.वी. शास्त्री, म.नं. 1-8-678/ए/1, पदम कालोनी, नालाकुन्ता, हैदराबाद
5. श्री जयराम रमेश, ई-79, मस्जिद मोठ, नई दिल्ली
6. श्री बाल्मीक थापर, रणथम्बोर फाउंडेशन, 19 कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
7. श्री गौतम बोहरा, डेवलपमेंट रिसर्च एंवड एक्शन ग्रुप, 75 पश्चिमी मार्ग, बंसत विहार, नई दिल्ली
8. डा. एम. आर. सींगरा, प्रो. आफ प्रिवेंटिव एंड सेशन मैडीसिन विभाग, एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर, राजस्थान
9. डा. कैलाश पालीवाल, प्रो इकोलॉजी, मदुराई विश्वविद्यालय, मदुरै, तमिलनाडु
10. डा. ए.के. गोस्वामी, निदेशक असम काउंसिल फार साइंस, तकनोलाजी एंड एन्वारयमैंट, उपेन्द्र बेजबरना रोड, सिलीगुडी, गुवाहाटी
11. श्री आर.आर. गोयल, निदेशक (पर्यावरण प्रभाव) परियोजना मूल्यांकन निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, आर. के. पुरम्, नई दिल्ली
12. श्री बी.एन. नोवलखाला, सलाहकार (सिंचाई), योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली
13. श्री प्रफ्फुल बिदवाई, प्रथम तल (पिछली तरफ) आनंद बिला, जयपुर एस्टेट, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली
14. डा. एस. भौमिक, अपर निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली

आधारभूत विकास और विविध क्षेत्र :—

1. श्री पी.के. लेहडी, 277, सेक्टर-15-ए, नोएडा
2. श्री हरिडांग, प्रिंसीपल, आर्मी पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली
3. डा. दिनेश मोहन, प्रो. आई.आई.टी, दिल्ली

4. श्री श्याम छैनानी, मुंबई पर्यावरण कार्य दल, 9 सेंट जेम्स फोर्ट, मेरिन ड्राइव, मुंबई

5. श्री पी.के. लोरिया, पूर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर,

6. डा. एस. मैती, रीडर, विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, बी-2/210, कल्याणी, जिला-नदिया, पश्चिम बंगाल

7. डा. डी.वी. सिंह, निदेशक, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

8. डा. एस. घोष, भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई

9. प्रो. के. रविन्द्रन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास

10. डा. आर.एन. भट्टाचार्य, प्रभारी, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कलकत्ता

11. प्रतिनिधि, भूतल परिवहन मंत्रालय (पोर्ट विंग) नई दिल्ली

12. श्री बिट्टू सहगल, संपादक, सैंक्चुरी एरिया, से-602, मेकर चेम्बर्स, नारीमन प्वाइंट, मुंबई

13. वाइस एडमिरल, एस.के. चंद (सेवानिवृत्त), वाइस चीफ, नौसेना स्टाफ, 5, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली

14. डा. आई.के. कम्बोज, अपर निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली

[हिन्दी]

दिल्ली में जिलों और उपमण्डलों का बनाया जाना

***173. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को दिल्ली सरकार से राजधानी को नौ जिलों एवं सत्रह उपमंडलों में विभाजित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (घ). दिल्ली के ढांचे के पुनर्गठन पर बाल कृष्णन समिति की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली में मौजूदा एक राजस्व जिले के स्थान पर 9 राजस्व जिलों के सृजन का प्रस्ताव किया था ताकि दिल्ली के नागरिकों की, अन्य बातों के साथ-साथ, अपनी शिकायतों के निवारण के लिए प्रशासन तक सुगम पहंच हो सके और प्रशासन को अधिक जिम्मेवार बनाया जा सके। इस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार ने सितम्बर, 1996 में इस शर्त पर अनुमोदित कर दिया था कि ये 9 जिले, मौजूदा 9 पुलिस जिलों के साथ समविस्तीर्ण होंगे।

तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उप-मंडलों के सृजन के बारे में स्थानीय सरकार ने मौजूदा 7 उप-मंडलों और तीन राजस्व तहसीलों को 1 जुलाई, 1996 से 27 उपमंडलों और इतनी ही तहसीलों में विभाजित करने के लिए दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत जून, 1996 में अपनी शक्तियों के अन्तर्गत आदेश जारी किए थे।

घुसपैठ

***174. कुमारी उमा भारती :**

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा बलों ने जम्मू-कश्मीर की सीमा पर विदेशी घुसपैठ को रोकने के लिये विशेष निगरानी हेतु प्रबंध किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। जम्मू और कश्मीर की सीमा के माध्यम से घुसपैठ रोकने तथा प्रभावकारी वर्चस्व बनाए रखने के लिए गहन गश्त लगाई जा रही है तथा घुसपैठ के संभावित मार्गों पर रात में घात लगाई जा रही है। सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए आसूचना व्यवस्था में सुधार लाया गया है तथा टुकड़ियों को दूरबीनें, रात में दिखने वाले चश्में, ट्वीन दूरबीनें तथा हाथ में पकड़ने वाली सर्च लाईटें प्रदान की गई हैं। इन उपायों के अलावा, घुसपैठ के संदिग्ध तथा ज्ञात मार्गों पर घुसपैठ विरोधी बटालियनें भी तैनात की गई हैं। सीमा चौकियों की संख्या बढ़ाई गई है तथा जहां कहीं जरूरी है, वहां निगरानी बुर्ज भी बनाए गए हैं।

[अनुवाद]

नदियों में प्रदूषण

***175. श्री प्रमोद महाजन :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदूषित अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में बहा दिये जाने से देश की अधिकांश नदियां प्रदूषित हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन नदियों के प्रदूषित होने की नदी-वार और राज्य-वार परिस्थितियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उनकी सफाई पर नदी-वार तथा राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च हुई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार विभिन्न नदियों के क्षेत्र

प्रदूषित पाए गए थे। नदी-वार एवं राज्य-वार प्रदूषण के स्रोतों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) सरकार ने उपर्युक्त प्रदूषित क्षेत्रों के प्रदूषण निवारण के लिए जुलाई, 1995 में एक राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना शुरू की थी। इस योजना के अन्तर्गत अभिनिर्धारित शहरों से उत्पन्न होने वाले सीवेज को नदी में छोड़ने से पूर्व उसका अवरोधन, दिशा परिवर्तन एवं उपचार किया जाएगा। औद्योगिक प्रदूषण की वर्तमान पर्यावरण कानूनों के अन्तर्गत निगरानी एवं नियंत्रण किया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकारों को नदी-वार एवं राज्यवार जारी की गई निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य का नाम	नदी	प्रदूषण का संभावित स्रोत
1.	आन्ध्र प्रदेश	गोदावरी	घरेलू अपशेष जल
2.	बिहार	सुवर्णरेखा	रांची तथा जमशेदपुर से होने वाला घरेलू एवं औद्योगिक अपशेष जल
3.	गुजरात	साबरमती	अहमदाबाद से होने वाला घरेलू एवं औद्योगिक अपशेष जल
4.	कर्नाटक	तुंग	घरेलू अपशेष जल
		तुंगभद्रा	घरेलू अपशेष जल
		भद्रा	घरेलू अपशेष जल
		कावेरी	घरेलू अपशेष जल
5.	मध्य प्रदेश	खान	औद्योगिक एवं घरेलू अपशेष
		क्षिप्रा	-वही-
		ताप्ती	घरेलू अपशेष
		बेतवा	-वही-
		नर्मदा	-वही-
		वैनगंगा	-वही-
		चम्बल	नागदा से होने वाला घरेलू एवं औद्योगिक अपशेष जल
6.	महाराष्ट्र	कृष्णा	चीनी, डिस्टिलरी उद्योगों का अपशेष
		गोदावरी	चीनी, डिस्टलरी तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से होने वाला अपशेष
7.	उड़ीसा	महानदी	घरेलू अपशेष
		ब्राह्मिणी	घरेलू अपशेष
8.	पंजाब	सतलज	लुधियाना एव जालंधर के होजरी, टैनरी, इलेक्ट्रो प्लेटिंग एवं इंजीनियरी उद्योगों से होने वाला औद्योगिक अपशेष तथा घरेलू अपशेष
9.	राजस्थान	चंबल	कोटा एवं केशोरापट्टन से होने वाला घरेलू एंव औद्योगिक अपशेष
10.	तमिलनाडु	कावेरी	घरेलू एवं औद्योगिक अपशेष

विवरण–II

क्र.सं.	राज्य का नाम	नदी	राज्यों को जारी की गई धनराशि लाख रु.		
			1993–94	1994–95	1995–96
1.	आन्ध्र प्रदेश	गोदावरी	–	2.50	163.01
2.	गुजरात	साबरमती	–	–	174.44
3.	कर्नाटक	तुंग			
		तुंगभद्रा			
		भद्रा			
		कावेरी	–	–	79.72
4.	मध्य प्रदेश	खान			
		क्षिप्रा			
		ताप्ती			
		बेतवा			
		नर्मदा			
		वैनगंगा			
		चम्बल	1.25	–	253.34
5.	महाराष्ट्र	कृष्णा			
		गोदावरी	–	–	140.01
6.	उड़ीसा	महानदी			
		ब्राह्मिणी	–	–	–
7.	पंजाब	सतलज	2.50	–	625.84
8.	राजस्थान	चम्बल	2.50	–	15.50
9.	तमिलनाडु	कावेरी	–	–	105.98
10.	बिहार	सुवर्णरेखा	1.25	–	
	योग		7.50	2.50	1558.94

कृषि संबंधी सूचना नेटवर्क

*176. **श्री पी.सी. थामस :**

श्री जय प्रकाश (हरदोई) :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि सूचना केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नेटवर्क का ब्यौरा क्या है और राज्य-वार उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसे केन्द्र खोले गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकारों को कोई सहायता दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास सहायता हेतु भेजे गये अनुरोध विशेष रूप से केरल का अनुरोध अभी तक लंबित है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशु पालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग ने देश में किसी कृषि सूचना नेटवर्क केन्द्र की स्थापना नहीं की है। फिर भी, इसने एक कृषि अनुसंधान सूचना पद्धति (ए.आर.आई.एस.) आरंभ की है ताकि भा.कृ.अ.प. के विभिन्न संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों को एक सूत्र में बांधा जा सके।

(ग) जी, नहीं

(घ) लागू नहीं होता।

(ङ) जी, नही।

(च) लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का उत्पादन

*177. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**

श्री के.एच. मुनियप्पा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तथा कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) और योजना आयोग के आकलन के अनुसार देश में सन् 2000 तक खाद्यान्नों की कितनी मात्रा का उत्पादन होने का अनुमान है;

(ख) क्या सरकार का विचार खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्यों में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशु पालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में देश के लिए समग्र तौर पर वर्ष 2001-02 की अवधि के लिए 245.0 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाया है। देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन के बारे में खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वर्ष 2000 के लिए अनुमान 201.7 मिलियन टन रखा गया है।

(ख) और (ग). देश के लिए अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन पर नौवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देते समय विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

उर्वरक क्षेत्र में निवेश

*178. **श्री नामदेव दिवाथे : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरक क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कितना निवेश मंजूर किया गया है और उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) कंया आठवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान अधिकांश सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपनी उन परियोजनाओं को निष्पादित करने में असफल रहे हैं जिसमें नए सिरे से निवेश किया गया था जिसके कारण उन पर पिछले दो वर्षों के लिए निवेश की गई पूंजी का उपयोग करने के लिए दबाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो उर्वरक कम्पनियों द्वारा किन-किन परियोजनाओं के लिए नए सिरे से निवेश की मांग की गई है और धनराशि को धीमी गति से उपपोग में लाने के क्या कारण हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है कि चालू वर्ष हेतु निवेश के लिए आबंटित धनराशि का पूर्ण रूप से उपयोग हो और उन परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति क्या है जिनके लिए नये सिरे से निवेश स्वीकृत किया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख). आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरक क्षेत्र के सार्वजनिक/सहकारी उपक्रमों के लिए 5352 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। आठवीं याजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों में कुल योजनागत व्यय 1106.17 करोड़ रुपए था। इस योजना के प्रथम तीन वर्षों में अनुमोदित परिव्यय की अपेक्षा निवेश में कमी, मुख्यतः 1992-93 में आंशिक नियंत्रण हटाने के कारण उर्वरक क्षेत्र में रूकावट तथा सार्वजनिक/सहकारी उपक्रमों के निवेश प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिये जाने में विलम्ब के कारण हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उर्वरक उपक्रमों में भी निवेश पर, इनकी पुनर्वास योजनाओं को अन्तिम रूप दिये जाने तक, रोक लगा दी गई थी।

वर्ष 1995-96 के दौरान योजनागत व्यय बढ़कार 1613.47 करोड़ रुपए हो गया। 1996-97 के लिये परिव्यय 2660.17 करोड़ रुपए है।

आठवीं योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1996-97 में उत्पादन का लक्ष्य 98 लाख मी. टन प्रतिवर्ष नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट तथा 30 मी. टन प्रतिवर्ष फास्फेट न्यूट्रिएन्ट निर्धारित किया गया था।

(ग) विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्टों के आधार पर निम्नलिखित निवेश प्रस्ताव आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में अनुमोदित किये गये थे :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित पूंजी लागत (रु. करोड़)	परिकल्पित उत्पादन (लाख एम टी पी ए में)		प्रारम्भ की प्रत्याशित तारीख
1.	इफ्को की आंवला विस्तार परियोजना	960.00	यूरिया	7.26	1.1.1997
2.	इफ्को की फूलपुर विस्तार परियोजना	993.00	यूरिया	7.26	20.1.1998
3.	इफको की कलोल विस्तार परियोजना	119.08	यूरिया	1.50	1.9.1997
4.	एन एफ एल की विजयपुर विस्तार परियोजना	987.30	यूरिया	7.26	31.3.1997
5.	एम एफ एल के संयंत्रों का पुनरूद्धार	487.47	यूरिया	0.76	31.3.1997
6.	फैक्ट का नया अमोनिया सयंत्र	618.10	अमोनिया	2.97	30.6.1997

सरकार ने एफ सी आई तथा एच एफ सी के लिये अप्रैल, 1995 में एक पुनरुद्धार पैकेज को सिद्धांत रूप से मंजूरी दी थी जिसमें 1994 के मूल्य स्तरों पर 2201 करोड़ रुपए के नये निवेश की परिकल्पना की गई थी। तथापि, यह शर्त लगाई गई थी कि पुनरुद्धार के लिये आवश्यक नई निधियां वित्तीय संस्थानों और/अथवा उर्वरक क्षेत्र की सहाकरी समितियों से प्राप्त की जाये ताकि बजटीय सहायता की आवश्यकता को न्यूनतम किया जा सके। चूंकि आवश्यक वित्तीय व्यवस्था नहीं की जा सकी, अतः पुनरुद्धार पैकेज वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त पोषण की दृष्टि से पुनः तैयार किया जा रहा है।

आर सी एफ की नाइट्रोफास्फेट, मेलामाइन और सऊदी अरेबियन वर्कशाप परियोजनाएं, पी पी सी एल की पाइराइट्स आधारित एस एस पी परियोजना, एन एफ एल की पानीपत विस्तार परियोजना और एम डी एफ बोर्ड का निर्माण करने, आर्गेन गैस रिकवरी यूनिट की स्थापना करने और डी ए पी कम्पनी आवरसीज की साम्यपूंजी में भागीदारी के लिये कृभको के प्रस्तावों को परियोजना व्यवहार्यता मानकों के प्रतिकूल विकास के कारण छोड़ दिया गया है। कृभको की नाइट्रोफास्फेट परियोजना पर भी इन आधारों पर एक समिति द्वारा पुनः विचार किया जा रहा है। कृभको/आर सी एफ की ओमान इंडिया फर्टिलाइजर परियोजना तथा इफ्को की नेल्लोर परियोजना के परियोजना पूर्व क्रियाकलाप अन्तिम चरण में हैं।

(घ) योजनागत व्यय पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है और प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की ध्यानपूर्वक समीक्षा की जा रही है ताकि कार्यान्वयन समय-सारणी में यथासंभव ढील न हो।

चावल निर्यातकों को रियायत

***179. डा. कृपासिन्धु भोई :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेवी चावल पर चावल निर्यातकों को विगत में दी गई रियायत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने चावल निर्यातकों को दी जाने वाली रियायत को समाप्त कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) लेवी संबंधी विनिर्देशन पुनः लागू करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क को कितनी मदद मिलेगी?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) चावल विपणन मौसम 1995-96 में निर्यात के प्रयोजन वाले **उत्तम** और **बढ़िया** चावल को लेवी से छूट दी गई थी।

(ख) से (घ). केन्द्रीय पूल में चावल की अच्छी स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1995-96 में लेवी से छूट प्रदान की गई थी। तथापि, चालू खरीफ विपणन मौसम 1996-97 में केन्द्रीय सरकार ने गैर-बासमती चावल को किसी भी किस्म के संबंध में न ही आंतरिक बाजार के लिए और न ही निर्यात के लिए लेवी संबंधी बाध्यता से छूट दी है।

विपणन वर्ष 1995-96 में चावल की वसूली 1994-95 मौसम में हुई 134.03 लाख टन की वसूली की तुलना में घटकर 98.80 लाख टन रह गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याण योजनाओं की मांग को पूरा करने के प्रयोजन से केन्द्रीय पूल के लिए चावल की पर्याप्त वसूली सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय किया गया है कि वर्तमान विपणन वर्ष 1996-97 में लेवी से छूट की अनुमति न दी जाए।

(ङ) इस वर्ष छूट के बिना लेवी एकत्र करने के परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत बेहतर वसूली होगी और इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए चावल की उपलब्धता में वृद्धि होगी।

यूरिया के लिए प्राकृतिक गैस

***180. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने यूरिया के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने तथा आयात पर देश की निर्भरता कम करने के लिए यूरिया उद्योग को प्राकृतिक गैस देने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख). विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस की मांग इसकी वास्तविक उपलब्धता से अधिक है। अतः उर्वरक संयंत्रों तथा परियोजनाओं सहित उपभोक्ता उद्योगों के लिए आबंटन का संस्थागत अन्तःमंत्रालय परामर्शों के माध्यम से समय-समय पर निर्धारण किया जाता है।

औषध क्षेत्र में निवेश

1529. श्री नारायण अठावले : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा निवेश के मामले में देश को काफी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान औषध क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशी निवेशकों की पेटेन्ट सुरक्षा के माध्यम से विदेशी निवेश की पर्याप्त संभाव्यता का दोहन करने के लिए औषध क्षेत्र में उदारीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाने का विचार है;

(घ) इस संबंध में विनिर्धारित कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नवीनतम प्रौद्यागिकी आकर्षित करने के लिए भारतीय पेटेन्ट अधिनियम 1970 में संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). विद्यमान नीति में सभी प्रपुंज औषधियों, उनकी मध्यवर्तियों तथा सूत्रयोगों के मामलों में 51 प्रतिशत तक विदेशी निवेश का प्रावधान है। उन क्षेत्रों में जहां पर निवेश नहीं हो रहा है तथा प्रपुंज औषधि को उत्पादन बुनियादी स्तर से हो रहा है। 51 प्रतिशत से अधिक के निवेश पर मामला दर मामला के आधार पर विचार किया जाता है।

(ङ) जहां तक भारतीय पेटेन्ट अधिनियम 1970 का संबधं है, डब्ल्यू.टी.ओ. समझौते के ट्रिप्स समझौते के अन्तर्गत भारत जैसे विकासशील देश के पास इसके दायित्व को कार्यान्वित करने के लिए 1 जनवरी, 2000 तक का समय है तथा अब तक असुरक्षित प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में पेटेन्ट उत्पाद शुरू करने के लिए 1 जनवरी, 2005 तक का समय है।

सीमा क्षेत्र (बन्नी) का मानचित्र

1530. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अक्तूबर, 2 नवम्बर, 1996 के "द संडे आब्जरवर" में "बोर्डर एरिया मेप गोज मिसिंग" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच और प्रयास किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) भारत के महा सर्वेक्षण के अनुसार, भुज में उनका कोई कार्यालय नहीं हैं। समाचार में उल्लिखित संबंधित परियोजना कार्यालय भारतीय सर्वेक्षण के नियत्रंणाधीन नहीं है। भारतीय सर्वेक्षण की भुज स्थित संबंधित परियोजना कार्यालय से किसी मानचित्र के गुम होने की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

सीमावर्ती जिलों में मुठभेड़

1531. प्रो. जितेन्द्र नाथ दास : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में वहां के निवासियों तथा सीमा सुरक्षा बल के बीच अकसर मुठभेड़ें होती रहती हैं;

(ख) 1994 से 1996 तक इस तरह की कितनी मुठभेड़ें हुई हैं;

(ग) सीमा सुरक्षा बल के दोषी जवानों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस तरह की मुठभेड़ों से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्।

झड़पो की घटनाएं आमतौर पर, सीमा सुरक्षा बल द्वारा चलाए गए अभियानों को समाज-विरोधी तत्वों और उनके समर्थकों द्वारा अड़चनें/प्रतिरोध पैदा करने से संबंधित होती हैं। वर्ष 1994 से 1996 तक के दौरान हुई ऐसी घटनाओं की संख्या नीचे दी गई है :

1994	30 घटनाएं
1995	23 घटनाएं
1996 (नवम्बर 20, तक)	24 घटनाएं

(ग) ऐसी सभी घटनाओं की जांच पड़ताल की जाती है और यदि बल के कार्मिक दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सीमा सुरक्षा बल अधिनियम और नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है।

(घ) ऐसी घटनाओं से कानून के तहत निपटने तथा बदमाशों द्वारा भड़काए जाने/आक्रमण किए जाने पर ओवर रियक्ट करने से बचने के लिए पर्यवेक्षी स्टाफ द्वारा जवानों को सभी स्तरों पर नियतिम रूप से प्रेरित किया जाता है तथा अनुदेश दिए जाते हैं। इसके अलावा इस प्रकार की समस्याओं से सौहर्दपूर्ण ढंग से निपटने तथा सीमा पर रहने वाले लोगों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस ग्राम पंचायत तथा जिला प्राधिकारियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखा जाता है।

समुद्री प्रदूषण

1532. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि सभी तटों पर समुद्री/तल प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है और इसने गंभीर रूप ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तटवर्ती राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों द्वारा पिछले पांच वर्षों में समुद्री प्रदूषण के बारे में बढ़ते खतर के आकलन के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस समस्या की गंभीरता की जांच शुरू कर दी है और इस कारण से उत्पन्न हुए खतरे से निपटने के लिए समेकित नीति तैयार कर ली है;

(घ) क्या उन पुराने पोतों, जिनका रख-रखाव ठीक से नहीं किया जाता है और जिनके पंजीकरण पत्र विश्वसनीय नहीं होते हैं तथा जिनमें रिसाव का जोखिम अधिक होता है, को भारतीय समुद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है और क्या सरकार ने तेल रसाव कर रहे पोत मालिकों पर दावा किया और उनसे क्षतिपूर्ति प्राप्त की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग). महासागर विकास का समुद्री/तेल प्रदूषण की मानीटरी संबंधी एक चालू कार्यक्रम है, निष्कर्षों से खुले तट के सागर में पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन के विलयन और फैलाव के किन्हीं खतरे के स्तरों का पता नहीं लगता है। तथापि, कतिपय तटीय शहरों में प्रदूषण की समस्याएं विभिन्न नगरपालिकाओं और उद्योगों के निपटान केन्द्रों के आस-पास होने की रिपोर्ट है। सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) कुछ तटीय राज्यों में साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र सुविधाएं प्रदान करने और गहरे समुद्र में मलजल बहिस्राव के निपटान के लिए स्कीमें बनायी गई हैं।

(2) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत तटीय रेखा से 500 मीटर के भीतर विकासात्मक कार्यों को विनियमित करने के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र नियम, 1991 अधिसूचित किए गए हैं।

(3) जल गुणवत्ता की जांच करने के लिए नियमित जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(घ) और (ङ). साधारणतया भारतीय पत्तन में आने वाला कोई पोत पत्तनों को सांविधिक प्रमाणपत्र के ब्यौरे देने के पश्चात अन्दर की ओर प्रवेश करता है। पत्तनों में पोतों का अचानक निरीक्षण महानिदेशक (नौवहन) द्वारा किया जाता है और अक्षम पाए गए किसी पोत को आगे बढ़ने की अनुमति तब तक नहीं दी जाती जब तक कि वह अक्षमताओं को ठीक नहीं कर लेता। गहरे समुद्र में तेल फैलाव और टपकाव संबंधी दावे गहरे समुद्र में प्रदूषण को रोकने वाले महानिदेशक (नौवहन) के माध्यम से तट रक्षक द्वारा किये जाते हैं। 1992 में एम टी मास्क नेविगेटर के पोत स्वामी के खिलाफ 20.38 करोड़ रुपये का दावा किया गया है।

मयूर को संरक्षण प्रदान करना

1533. श्री परसराम भारद्वाज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रहस्यमयी बीमारियों तथा अत्यन्त विषैले कीटनाशकों के कारण शनैःशनैः लुप्तप्रायः हो रही मयूर जाति को संरक्षण देने के लिए कोई कार्यवाही योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है;

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). मयूर के लिए कोई विशिष्ट कार्यवाही योजना तैयार नहीं की गई है क्योंकि इसकी देश में काफी आबादी है और इसके विलुप्त होने का खतरा नहीं है। वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 के अन्तर्गत शिकार और वाणिज्यक दोहन से मयूर को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है। मयूर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है।

केरल में गोदाम

1534. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडागार निगम के गोदामों की भंडारण क्षमता कितनी-कितनी है और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या राज्य में नए गोदाम बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो नए गोदामों के स्थल और भंडारण क्षमता क्या होगी; और

(घ) इस समय यह मामला किस चरण में है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम की गोदामों के स्थानों और भण्डारण क्षमता के ब्यौरे विवरण-1 और विवरण-2 के रूप में संलग्न हैं।

(ख) और (ग). फिलहाल केन्द्रीय भण्डारण निगम का नए गोदामों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा केरल में निम्नलिखित स्थानों पर गोदामों का निर्माण करने के लिए अनन्तिम प्रस्ताव है बशर्ते कि इसके लिए धनराशि और भूमि उपलब्ध हो :-

	स्थान	क्षमता
1.	अराकुलम (इडुक्की जिला)	5000 टन
2.	मीननगडी (वाईनाड जिला)	5000 टन
3.	पायनूर (कन्नूर जिला)	25000 टन
4.	तिरूनावाय्या (मालापुरम जिला)	25000 टन
5.	मरारीकुलम (अलापुजा जिला)	10000 टन

(घ) मीनानगडी और पायनूर में परियोजनाओं के लिए पहले ही भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है जबकि मरारीकुलम, तिरूनावय्या और अराकुलम में परियोजनाओं के बारे में भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यवाही जारी है।

विवरण-I

1.10.1996 को स्थिति के अनुसार केरल में भारतीय खाद्य निगम के पास जिलावार/केन्द्रवार उपलब्ध भण्डारण क्षमता

(आकड़े हजार टन में)

जिला का नाम	केन्द्र का नाम	भंडारण क्षमता		
		अपनी	किराये की	जोड़
अलेप्पी	अलेप्पी	10.00	3.20	13.20
मवेलीकाड़ा	मवेलीकाड़ा	20.00	-	20.00
कालीकट	थिकोड़ी	45.00	-	45.00
	वेस्ट हिल कालीकट	36.48	-	36.48
मालापुरम	कुट्टीपुरम	5.00	-	5.00
	विलिंग्डन द्वीप समूह	60.30	-	60.30
	त्रिपुनिथुरा	-	0.2	0.22
एरनाकुल	अंगपाली	40.00	-	40.00
	एरनाकुलम	-	1.97	1.97
कोट्टायम	चिंगावरम	15.64	-	15.64
	पामपडी	-	0.40	0.40
कन्नौरी	मुप्पीलन्गाड	12.56	-	12.56
कासरगौड	नीलेश्वर	10.00	-	10.00
पालाघाट	अंगदीपुरम	10.00	-	10.00
	ओकवाकोट (पालाघाट)	72.02	-	72.02
किलोन	अव्वानेश्वरम	10.00	-	10.00
	करूंगापल्ली	30.00	-	30.00
	किलिकोल्लुर	5.00	-	5.00
	किलोन	13.18	8.91	22.09
त्रिचूर	चालाकुडी	10.00	-	10.00
	मुलाकुन्नातुकावु	50.24	-	50.24
त्रिवेन्द्रम	चलाई	-	1.49	1.49
	कझाकुट्टम	35.34	-	35.34
	वैलातुरा (टीवीएम)	33.76	-	33.96
	जोड़ :	524.52	16.19	540.91

विवरण-II

केरल में केन्द्रीय भण्डारण निगम के केन्द्रों/गोदामों का उनकी क्षमता सहित ब्यौरा।

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	क्षमता टन में
1.	काजीकोडे	12,254
2.	कोचीन-1	12,250
3.	कोचील-2	5,030
4.	त्रिचूर	27,301
5.	एरनाकुलम	13,375
		70,210

मंत्रियों द्वारा परिसंपत्ति की घोषणा

1535. श्री राम नाईक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी मंत्रियों से अपनी-अपनी परिसम्पत्तियां को घोषित करने के लिये निर्देश जारी किये जाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त घोषणा के लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूर डार) : (क) से (ग). यद्यपि मंत्रियों के लिए एक आचार संहिता है जिसमें उनके द्वारा परिसंम्पत्तियों तथा देनदारियों की घोषणा करने का प्रावधान है, फिर भी, इस संबंध में एक विधायन निकालने पर अलग से विचार किया जा रहा है। तथापि, चूंकि विधायन में अनके कानूनी और अन्य जटिलताएं होती हैं, अतः इसे अन्तिम रूप देने के बारे में कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

बाघ प्रकोष्ठ

1536. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाघ प्रकोष्ठ ने सरकार से इंटेलिजेंस ब्यूरो के अन्तर्गत अवैध रूप से शिकार करने वाले शिकारियों से सम्बन्धित आंकड़ा एकत्र करने तथा उनके क्रियाकलापों और साथ ही बाघ की हड्डियों तथा चमड़े के निर्यात संबंधी आंकड़ा एकत्र किये जाने हेतु एक विशेष इकाई गठित किये जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो प्रकोष्ठ द्वारा की गयी अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां। मंत्रालय के बाघ संकट प्रकोष्ठ ने 31.10.1996 को आयोजित अपनी बैठक में इस आशय की सिफारिश की है।

(ख) और (ग). प्रकोष्ठ द्वारा की गई अन्य मुख्य सिफारिशें हैं :-

(1) मंत्रालय के बाघ परियोजना निदेशालय को काफी सुदृढ़ करना;

(2) कानून और व्यवस्था की सर्वाधिक अपेक्षा वाले बाघ परियोजना के 5 क्षेत्रों का अधिकारियों/प्रकोष्ठ के एक दल का दौरा; और

(3) माननीय प्रधान मंत्री जी को देश में बाघ संकट की जानकारी देना और उन्हें अपने स्तर पर तत्काल उपचारात्मक उपाय किए जाने का सुझाव देना।

सरकार ने बाघ संकट प्रकोष्ठ की सिफारिशों को नोट कर लिया है और इन मुद्दों पर ध्यान देने के लिए योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत नवीं योजना प्रस्ताव में प्रावधान किए हैं।

भारत में बाघ की अवस्थिति की जानकारी देते हुए एक टिप्पणी प्रधान मंत्री जी के कार्यालय को भी भेजी गई है।

अस्पतालों के अपशिष्ट पदार्थों का निपटान

1537. श्री संदीपान थोरात : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अस्पतालों के अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए नए मानक/मार्गनिर्देश बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अपशिष्ट पदार्थों के निपटान में कठिनाइयों के मुद्देनजर पर्यावरणविदों/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा चिकित्सा संस्थानों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और संबंधित एजेंसियों के परामर्श से मार्गनिर्देशों को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) सरकार ने आपत्तियां आमंत्रित करते हुए जनता और प्रभावित होने की संभावना वाले संबंधित अभिकरणों की सूचना के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत प्रारूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1995 अधिसूचित किए हैं। प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किए जाने के पश्चात अंतिम अधिसूचना जारी किया जाना अपेक्षित है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

शीतागार सुविधाएं

1538. श्रीमती वसन्धुरा राजे : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नष्ट होने वाली वस्तुओं के परिरक्षण के लिए देश में और शीतागार सुविधाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय भंडागार निगम को शीतागार स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है; और

(घ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय भंडागार निगम का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने शीतागारों को स्थापित करने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). कृषि मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम खराब होने वाली वस्तुओं के लिए शीत भण्डागारों की स्थापना करता है। यद्यपि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड सुगम ऋण मुहैया कर शीत भण्डागारों की स्थापना करता है जबकि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम आलू, फलों और अन्य सब्जियों के लिए

सहकारी समितियों द्वारा शीत भण्डागारों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया करता है। आठवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का सहकारी क्षेत्र में 27 भण्डागारों की स्थापना करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने विभिन्न राज्यों में 1993-94 से 1995-96 के दौरान 59 शीत भण्डागार मंजूर किए हैं।

(ग) और (घ). जी, नहीं। केन्द्रीय भण्डारण निगम को किसी स्थान पर शीत भण्डागारों की स्थापना करने का कार्य नहीं सौंपा गया है।

आन्ध्र प्रदेश में अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती

1539. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश ने केन्द्र सरकार से उत्तरी तेलंगाना में नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए और अधिक अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य के मुख्य सचिव ने आन्ध्र प्रदेश से हटा ली गई अर्द्ध-सैनिक बलों की 20 कम्पनियों की तैनाती के लिए पत्र भेजा है;

(ग) केन्द्र से राज्य ने कुल कितने सुरक्षाकर्मियों की मांग की है;

(घ) वर्तमान में आंध्र प्रदेश में कुल कितनी अर्द्ध-सैनिक बलों की कंपनियां तैनात की गयी हैं; और

(ङ) आंध्र प्रदेश को उपलब्ध कराई जाने वाली कंपनियों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ). हाल में आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से अतिरिक्त केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। इस समय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 23 कम्पनियां आन्ध्र प्रदेश में तैनात हैं। केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की जम्मू व कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में वचनबद्धता के कारण, इस सयम आन्ध्र प्रदेश को अतिरिक्त बल उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

राजस्थान में अनुसचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं की जनसंख्या

1540. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है और इसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है;

(ख) संविधान में किये गये उपबन्धों के अनुसार उन्हें नौकरियां और राजनैतिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में आरक्षण देने के लिए क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या राज्य में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का पता लगा लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची सहित उनकी सूची क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के संबंध के कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं महिलाओं से संबंधित 1991 की जनगणना के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :-

	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जातियों की सं.	कुल जनसंख्या में अ.जातियों का प्रतिशत	अनुसूचित जनजातियों की संख्या	कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का %
(1)	सब				
	44005990	7607820	17.29	5474881	12.44
(2)	महिला				
	23043000	3600600	15.62	2637867	11.45

(ख) संविधान के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान राज्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

(1) केन्द्र सरकार की उन नौकरियों को छोड़कर, जिनमें भर्ती स्थानीय अथवा क्षेत्रीय आधार पर की जाती है, जिस मामले में आरक्षण की प्रतिशतताएं अनुसूचित जातियों के लिए 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 12 प्रतिशत है, केन्द्र सरकार की सेवाओं और पदों तथा केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत प्रदान किया जाता है।

(2) राज्य सरकार की सेवाओं और पदों तथा राज्य की शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण 16 प्रतिशत और 12 प्रतिशत (मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों के मामलों में विभिन्नताओं के साथ) तक है।

(3) राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 33 सीटें और अनुसूचित जनजातियों के लिए 24

सीटें आरक्षित हैं। राजस्थान के संबंध में लोक सभा में अनुसूचित जातियों के लिए 4 सीटें और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3 सीटें आरक्षित हैं।

(4) केन्द्र सरकार ने भारत सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 8 सितम्बर, 1993 से 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है जो "क्रीमी लेयर" के रूप में समझे जाने वाले सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों को अलग रखे जाने के अध्यधीन हैं।

(ग) और (घ). जी, हां। केन्द्र सरकार ने दिनांक 19 अक्तूबर, 1994 की अधिसूचना संख्या 163 के तहत राजस्थान राज्य के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची अधिसूचित कर दी है।

राजस्थान के संबंध में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किए गए समुदाय, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित चुनाव कानून के मैनुअल के नवीनतम संस्करण में सूचीबद्ध है।

सहकारी भण्डारों को सहायता

1541. श्री एन.जे. राठवा : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात के विशेषकर उसके जनजातीय क्षेत्रों में स्थित कुछ सहकारी भंडारों को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष में गुजरात में सहकारी भंडारों को गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) इन सहकारी भण्डारों को उक्त अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई अन्य खाद्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). जी, नहीं। पिछले तीन सालों के दौरान भारत सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में स्थित भण्डारों सहित गुजरात के किसी भी सहकारी भण्डार को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है।

(ग) जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों का सम्बन्ध है, भारत सरकार राज्य सरकारों को आबंटन करती है और राज्य सरकारें उससे आगे जिला/क्षेत्र/भण्डार-वार आबंटन करती है।

[अनुवाद]

धार्मिक स्थलों पर प्रदूषण

1542. श्री सौम्य रंजन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय महत्व के धार्मिक स्थलों पर पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की किसी योजना पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे धार्मिक स्थलों के नाम क्या हैं; और

(ग) उड़ीसा में धार्मिक स्थलों पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शुरू किए गए कार्य में क्या प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). सरकार ने राष्ट्रीय महत्व के पुरातत्वीय स्मारकों तथा धार्मिक स्थलों के आस-पास उद्योग स्थापित करने के मानदण्ड के संबंध मं पर्यावरणीय दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा धार्मिक महत्व के निम्नलिखित शहरों/नगरों में नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए योजनाएं भी चलाई गई :—

हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, नासिक, श्री रंगपट्ना, भवानी, त्रिची, उज्जैन विदिशा, इन्दौर, भद्राचलम, राजमुंदरी आदि।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

मिल्क बूथ

1543. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न भागों में दिल्ली दुग्ध योजना के कुल कितने मिल्क बूथ हैं;

(ख) क्या स्लम क्षेत्रों में इस प्रकार के मिल्क बूथ हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) दिल्ली के विभिन्न भागों में दिल्ली दुग्ध योजना के 1236 दुग्ध बूथ हैं।

(ख) और (ग). ये बूथ ऐसे स्थानों पर स्थित हैं, जहां से ये स्लम वासियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। कमजोर वर्गों तथा निकटवर्ती स्लम क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध बूथों की सूची संलग्न विवरण मे दी गई है।

(घ) उपर्युक्त (ख) तथा (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कमजोर वर्गों तथा निकटवर्ती स्लम क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की दूध की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध बूथों की सूची

डिपो सं.	क्षेत्र
1	2
763-64	जे.जे. कालोनी, इन्द्रपुरी
787-88	-वही-
1279-	-वही-
1429-30	-वही-
825-	पांडव नगर
1129-30	आनन्द पर्वत
1787-	प्रेम नगर
877-78	रणजीत नगर
765-66	टैगोर गार्डन, जे.जे. कालोनी
1661-62	-वही-
783-84	-वही-
611-12	तुर्कमान गेट
1777-70	शकूरबस्ती
1403-04	सुल्तानपुरी
1453-54	-वही-
1469-70	-वही-
1551-52	-वही-
1585-86	-वही-
1613-14	-वही-
1615-16	-वही-
1617-18	-वही-
1799-1800	-वही-
1939-40	-वही-
1497-98	मंगोलपुरी
1531-32	मंगोलपुरी
1595-96	मंगोलपुरी
1612-	-वही-
1957-	-वही-
829-30	मदनगीर खानपुर
841-42	-वही-
1421-22	-वही-
1441-42	मदनगीर खानपुर
767-68	जीवन नगर
1627-28	नहेरू विहार
1629-30	-वही-
1689-	कल्याण वांस
1621-22	जहांगीर पुरी
1623-24	-वही-

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हिंसा

1544. श्री सुशील चन्द्र : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना के कितने जवान और अधिकारी गत तीन वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मारे गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने आतंकवादी मारे गए;

(ग) क्या हिंसा फैलाने में शामिल कुछ आतंकवादियों को बांगलादेश और म्यांमार में प्रशिक्षण दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इन देशों के साथ इस संबंध में हुए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ङ) आतंकवादियों को किस माध्यम और रास्ते से हथियार और गोला-बारूद सप्लाई की जाती है; और

(च) इन हथियारों और गोला-बारूद की सप्लाई रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 27 नवम्बर, 1996 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेना के 162 जवान और अधिकारी मारे गए।

(ख) इसी अवधि के दौरान 626 उग्रवादी मारे गए।

(ग) और (घ). आपसी हितों के सुरक्षा संबंधी मामले उठाने के लिए बांगलादेश के साथ एक संयुक्त कार्य दल (जे.डब्ल्यू.जी) तथा म्यांमार के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और अमन बनाए रखने के लिए एक समझौता मौजूद है। भारत-बांगलादेश संयुक्त कार्य दल तथा म्यांमार के साथ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर की बैठकें, समय-समय पर आयोजित की गई हैं।

(ङ) अधिकांश अवैध शस्त्र और गोला बारूद आतंकवादियों द्वारा भूमि और तटीय रास्तों से बंगलादेश, म्यांमार और भूटान से भारत-बांगलादेश, भारत-म्यांमार और भारत-भूटान सीमा के पास से पूर्वोत्तर राज्यों में लाया जाता है।

(च) इन शस्त्रों और गोला-बारूद की आपूर्ति रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें, अन्य के साथ-साथ, पड़ौसी देशों के साथ राजनयिक पहलें, सीमाओं पर बढ़ी हुई चौकसी, आसूचना का बेहतर संग्रहण और आदान-प्रदान, सेना और केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की यूनिटों की तैनाती तथा राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण/सुदृढ़ बनाना, शामिल है।

[अनुवाद]

अप्राधिकृत टैक्सी स्टैण्ड

1545. श्री हरिवंश सहाय : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से अप्राधिकृत टैक्सी स्टैण्डों की संख्या बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में इस समय क्षेत्र-वार ऐसे कितने टैक्सी स्टैण्ड कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या प्राधिकृत टैक्सी स्टैण्डों पर प्रशासन द्वारा अनुमय सीमा से अधिक टैक्सियां हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि दिल्ली में कोई अनधिकृत टैक्सी स्टैंड नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). ऐसे दृष्टांत हैं जब वाहनों की अनुज्ञेय संख्या से अधिक वाहनों को टैक्सी स्टैंडों से आपरेट करने की अनुमति दी जाती है। दिल्ली पुलिस समय-समय पर विशेष जांच करती है, जहां यह पाया जाता है कि टैक्सी स्टैंड-मालिकों द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन किया गया है, तो उनके अनुबंध को समाप्त करने हेतु उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जाता है।

स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन देना

1546. श्री चर्चिल अलेमाओ : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा मुक्ति आन्दोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की कुल संख्या कितनी है और कितने व्यक्ति केन्द्रीय पेंशन सुविधा का लाभ उठा रहे हैं; और

(ख) कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने पेंशन हेतु आवेदन किया है और मंजूरी की प्रतीक्षा में हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). पेंशन के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों और उन मामलों, जिनमें पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है, की संख्या के बारे में आन्दोलन-वार कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता। इस समय, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत सम्मान पेंशन की संस्वीकृति के लिए गोवा मुक्ति आन्दोलन से संबंधित कोई आवेदन पत्र लंबित नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम का जिला कार्यालय

1547. श्री ए.जी.एस. राम बाबू : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मदुरई में भारतीय खाद्य निगम का जिला कार्यालय स्थापित करने का था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल भारतीय खाद्य निगम उन आवर्ती और गैर-आवर्ती खर्चों को वहन करने की स्थिति में नहीं है जिनके मदुरई में भारतीय खाद्य निगम के जिला कार्यालय के खुलने पर उत्पन्न होने की संभावना है।

पिछड़े वर्ग

1548. श्री गिरिधर गमांग : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़े वर्ग की सूची में रखे गए भारतीय नागरिकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : पिछड़े वर्गों की जनसंख्या से सम्बंधित आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इस विशेष श्रेणी के लिए विशिष्ट रूप से कोई गणना नहीं हुई है।

तम्बाकू उत्पादन

1549. श्री अनंत कुमार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तम्बाकू के उत्पादन के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य में विभिन्न किस्म की तम्बाकू का कुल कितना उत्पादन हुआ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) निर्यात के उद्देश्य से वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला तम्बाकू बोर्ड वर्जीनियम तम्बाकू के किसानों को विभिन्न आदानों जैसे कि शुद्ध बीज, पौदों, उर्वरकों आदि की पर्याप्त मात्रा में तथा समय पूर्वक आपूर्ति कर रहा है। तम्बाकू बोर्ड किसानों को उन्नत उत्पादन प्रोद्योगिकी के अंतरण करने में भी लगा हुआ है।

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान हुए उत्पादन का राज्यवार और प्रकार-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है:-

विवरण

आठवीं योजना के दौरान तम्बाकू के राज्य-वार, वर्षवार और प्रकारवार उत्पादन

उत्पादन हजार मीटरी टन में

	प्रकार	राज्य	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96 (संभावित)
1.	वर्जीनिया	आन्ध्र प्रदेश	136.7	101.8	101.1	102.0
		कर्नाटक	23.8	21.2	20.8	25.0
		पश्चिम बंगाल	0.9	0.8	0.8	0.8
2.	गैर	आन्ध्र प्रदेश	89.1	86.4	85.2	108.9
	वर्जीनिया	बिहार	9.3	7.4	7.7	19.0
		गुजरात	172.1	179.2	213.2	182.0
		कर्नाटक	28.6	24.8	24.4	19.0
		महाराष्ट्र	11.8	13.0	12.8	9.4
		उड़ीसा	9.5	6.1	6.3	8.5
		तमिलनाडु	9.4	13.5	9.9	9.2
		उत्तर प्रदेश	70.6	94.1	90.3	81.2
		पश्चिम बंगाल	12.8	1.1	1.1	10.2

1991 की जनगणना

1550. श्री मुख्तार अनीस : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास 1991 की जनगणना से संबंधित जिले-वार धार्मिक और भाषायी आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक प्रकाशित कर दिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) 1991 की जनगणना से संबंधित जिलेवार धर्म संबंधी आंकड़े उपलब्ध हैं। जहां तक भाषा संबंधी आंकड़ों का सम्बन्ध है उनकी जांच की जा रही है और उन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) धर्म संबंधी आंकड़ों के ब्यौरे फ्लोपियों पर उपलब्ध हैं। ये आंकड़े भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय तथा विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों में सहज सुलभ हैं।

जहां तक भाषा संबंधी आंकड़ों का संबंध है, उनकी जांच की जा रही है, और उन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) धर्म संबंधी आंकड़ों के संबंध में इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

जहां तक भाषा संबंधी आंकड़ों का सम्बन्ध है, उनकी जांच की जा रही है और उन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) धर्म संबंधी आकड़े पहले ही उपलब्ध हैं।

जहां तक भाषा संबंधी आंकड़ों का सम्बन्ध है, उनके बारे में कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती है।

महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार

1551. श्री संतोष मोहन देव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अगस्त, 1996 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "विग जम्प इन क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या हाल ही में गठित कार्यबल भी इस अत्याचार को रोकने में असफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ने के मुख्य कारण, जनसंख्या में काफी वृद्धि होना, तेजी के साथ शहरीकरण होना, महिलाओं का आर्थिक और इससे संबंधित गतिविधियों में भाग लेने में बढ़ोत्तरी होना, अपने वैधानिक अधिकारों के प्रति महिलाओं में आम जागरूकता में वृद्धि होना, लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन होना, संयुक्त परिवार आदि जैसी परम्परागत सामाजिक प्रणाली और संस्थाओं का समाप्त हो जाना है।

(ग) और (घ). महिलाओं के प्रति अपराधों की जांच करना, विशेष कार्य बल की आम जिम्मेदारियों का एक भाग नहीं है।

(ङ) इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) दहेज निषेध अधिनियम के तहत अपरोधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बना दिया है;

(2) भारतीय दण्ड संहिता में एक नई धारा जोड़कर उनके पतिओं और ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित करने और उनके साथ क्रूरता के अपराध को संज्ञेय अपराध बना दिया गया है;

(3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 113-क और धारा 113-ख को जोड़ा गया है। जिसके अनुसार यदि दहेज के लिए अत्याचार या उत्पड़िन करने का आरोप सिद्ध हो जाता है तो न्यायालय द्वारा यह उपधारणा की जा सकती है कि एक विवाहित महिला को दहेज के लिए आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया/दहेज के कारण उसकी मृत्यु हुई;

(4) यदि किसी महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होती है तो एस.डी.एम. द्वारा मरणोपरांत जांच करना अनिवार्य बना दिया गया है;

(5) विवाह होने के सात वर्षों के अन्दर होने वाली मौतों के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता में धारा 304-ख जोड़ी गई है ताकि पति अथवा ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ उपधारणा की जा सके, अतः साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार उन पर डाला जा सके;

(6) इस प्रकार के अपराधों की जांच करने के लिए 1983 में एक पुलिस उपायुक्त के नेतृत्व में महिलाओं के प्रति अपराधों पर एक विशेष यूनिट स्थापित की गई है। इसके अलावा, विभिन्न अपराधों की शिकार हुई महिलाओं की शिकायतों की जांच करने के लिए प्रत्येक जिले में सहायक पुलिस आयुक्त के नेतृत्वाधीन महिला प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं; और

(7) महिला कालिजों और स्कूलों, चलती बसों तथा बाजार में महत्वपूर्ण स्थानों पर, जहां महिलाएं अक्सर आती जाती रहती हैं, पुलिस कार्मिकों को ड्यूटी के लिए तैनात किया जाता है ताकि महिलाओं के साथ छेड़छाड़, आदि के मामलों को रोका जा सके।

[हिन्दी]

गेहूं की खुली बिक्री

1552. वैद्य दाऊ दयाल जोशी : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष भारतीय खाद्य निगम द्वारा विशेषकर राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में खुले बाजार में बिक्री हेतु गेहूं की कितनी मात्रा आबंटित की गई;

(ख) क्या उक्त व्यापारियों द्वारा आबंटित गेहूं को अन्य राज्यों के व्यापारियों को बेचा गया;

(ग) यदि हां, तो खुले बाजार में गेहूं की बिक्री के क्या नियम हैं तथा जिन मूल्यों पर गेहूं व्यापारियों को दिए गए उस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों में गेहूं न बेचने वाले उन व्यापारियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जून, 1996 तक भारतीय खाद्य निगम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खुले बाजार में बिक्री के लिए गेहूं की किसी विशिष्ट मात्रा का आबंटन नहीं कर रहा था। पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा देश में

और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में बेचे गए गेहूं की मात्रा निम्नानुसार थी :-

(आंकड़े लाख टन में)

	1994-95	1995-96	1996-97 (अक्तूबर, 1996 तक)
अखिल भारतीय	50.29	63.38	16.54 (अनन्तिम)
राजस्थान	0.40	0.41	1.37 (अनन्तिम)
मध्य प्रदेश	4.47	5.43	1.32 (अनन्तिम)

जुलाई, 1996 से नवम्बर, 1996 तक खुली बिक्री के अधीन बिक्री करने हेतु 20.50 लाख टन गेहूं आबंटित किया गया जिसमें राजस्थान को 1.90 लाख टन और मध्य प्रदेश को 1.35 लाख टन का आबंटन सम्मिलित है।

(ख) और (ग). खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम थोक व्यापारियों, खुदरा व्यापारियों, रोलर फ्लोर मिलों, चक्कियों, सहकारी समितियों, सुपर बाजार, राज्य नागरिक पूर्ति निगम आदि सहित सभी को गेहूं बेचता है और गेहूं की पुनः की गई बिक्री को मानीटर नहीं करता है। भारतीय खाद्य निगम इस शर्त के अधीन गेहूं की खुली बिक्री करता है कि किसी क्षेत्र/डिपु में रखा स्टाक सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य कल्याण योजनाओं की आवश्यकता से अधिक हो। गेहूं की खुली बिक्री करने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में क्षेत्रीय स्तर पर गेहूं का आबंटन तीन सदस्यीय समिति द्वारा करना अथवा इच्छुक खरीदारों की उचित पहचान करना शामिल है। अप्रैल, 1996 से नवम्बर, 1996 तक की गई खुली बिक्री के लिए गेहूं के मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) भाग (ख) और (ग) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अप्रैल, 1995 से नवम्बर, 1996 तक के महीनों के लिए निर्धारित किए गए गेहूं की खुली बिक्री के मूल्य बताने वाला विवरण

दर रुपये प्रति टन

राज्य का नाम	अप्रैल से जुलाई, 1995	28 अगस्त से सितम्बर, 1995	अक्तूबर, 1995	केन्द्र	नवम्बर, 95 से मार्च, 96	अप्रैल से जुलाई, 1996	अगस्त, 1996	सितम्बर, 1996 से नवम्बर, 1996
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब	4100	4150	4150	चंड़ीगढ़	4150	4410	4550	4900
हरियाणा	4100	4150	4150	चंडीगढ़	4150	4410	4550	4900
दिल्ली	4150	4200	4150	दिल्ली	4150	4410	4550	4900
उत्तर प्रदेश	4100	4150	4150	लखनऊ	4300	4600	4800	5150
				कानपुर	4300	4600	4810	5160
				वाराणसी	4360	4660	4894	5244
				बरेली		4410	4550	4900
राजस्थान	4150	4200	4250	जयपुर	4300	4000	4765	5115
हिमाचल प्रदेश	4150	4200	4250	शिमला	4250	4550	4681	5031
जम्मू और कश्मीर	4150	4200	4200	जम्मू	4200	4500	4655	5005
				श्रीनगर	4200	4500	4655	5005
बिहार	4300	4350	4400	पटना	4420	4720	4963	5313
				रांची	4450	4750	5056	5406
असम	–	–	4450	*गुवाहाटी	*4450	4900	5188	5538
उड़ीसा	4350	4400	4475	कटक	4500	4800	5143	5493
				भुवनेश्वर	4500	4800	5149	5499
पश्चिम बंगाल	4350	4400	4475	कलकत्ता	4510	4810	5091	5441
				सिलीगुडी	4520	4820	5110	5460

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य प्रदेश	4100	4150	4250	इन्दौर	4350	4650	4925	5275
				ग्वालियर	4280	4580	4753	5103
				राजपुर	4430	4730	5066	5416
गुजरात	4350	4400	4500	अहमदाबाद	4570	4870	5007	5357
				सूरत	4570	4870	5016	5366
महाराष्ट्र	4350	4450	4550	बम्बई	4600	4900	5080	5430
				नागपुर	4560	4860	5005	5355
आंध्र प्रदेश	4550	4600	4600	हैदराबाद	4650	4950	5142	5492
				विशाखापत्तनम	4670	4970	5223	5573
कर्नाटक	4550	4600	4650	बंगलौर	4670	4970	5280	5630
				मैसूर	4690	4990	5299	5649
				बेलगाम	4690	4990	5198	5548
तमिलनाडु	4550	4650	4650	मद्रास	4680	4980	5234	5584
				कोयम्बतूर	4700	5000	5303	5653
				मदुरई	4710	5010	5333	5683
केरल	4550	4650	4700	कोचीन	4740	5040	5334	5684
				त्रिवेन्द्रम	4710	5010	5365	5715

यदि डिपो से अन्य केन्द्र पर खुली बिक्री की जाती है तो नवम्बर, 1995 से निकटतम प्रमुख केन्द्र की बिक्री लागू होगी।

पत्तन नगरों और इनके आसपास के 50 किमी. क्षेत्र में गेहूं के मूल्य 16.1.96 से 4773 रुपये और 1.4.96 से जुलाई, 1996 तक 5073 रुपये है।

बरेली को अतिरिक्त केन्द्र के रूप में शामिल किया गया है और यहां 1.7.1996 से 4150 रुपये प्रति टन तथा 1.4.96 से 4410 रुपये प्रति टन के मूल्य लागू हैं।

* दिसम्बर, 95 से बढ़ाकर 4600 रुपये कर दिया गया है।

[अनुवाद]

खिलौने हेतु प्रमाणन एजेंसी

1553. कृष्ण लाल शर्मा : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में खिलौनों के उत्पादन हेतु कोई प्रमाणन एजेंसी नहीं है;

(ख) कया इसके परिणामस्वरूप इनके निर्यात में विलम्ब और मूल्यों में वृद्धि हो रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार खिलौनों हेतु इस प्रकार की किसी एजेंसी की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ङ). भारतीय मानक ब्यूरो देश के खिलौनों के लिए एक स्वैच्छिक प्रमाणन स्कीम चला रहा है। अब तक इस स्कीम के तहत लाइसेंस के लिए किसी विनिर्माता ने आवेदन नहीं किया है। भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन देश के भीतर बेचे जाने वाले उत्पादों के लिए होता है। इस स्कीम से निर्यात में तभी मदद मिल सकती है जब आयात करने वाले देश भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन को खिलौनों के लिए प्रमाणन की अपनी स्कीम के अनुसार स्वीकार कर लें।

गृह मंत्री की सलाहकार समिति

1554. श्री सत्य पाल जैन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना विधान सभा के संघ राज्य क्षेत्रों के लिये गृह मंत्री की सलाहकार समिति के गठन का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के लिये इस प्रकार की समिति का गठन न करने का क्या कारण हैं; और

(ग) संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के लिये इस प्रकार की समिति का गठन कब तक किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). चण्डीगढ़ सहित, बिना विधान मण्डल के सभी संघ शासित क्षेत्रों के लिए गृह मंत्री की सलाहकार समिति गठित की गई है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ योजनाएं

1555. श्री ललित उरांव : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ कार्यान्वित की गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है और राज्यों के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गयी तथा उन्होंने कितनी धनराशि खर्च की;

(ख) क्या प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए केन्द/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आबंटन योजनावार किया जाता है, न कि राज्यवार। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत आबंटित कुल राशि तथा राज्यों द्वारा व्यय की गई कुल राशि का संलग्न विवरण-I में उल्लेख किया गया है।

(ख) से (घ). अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए केन्द्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य तथा उपलब्धियों के बारे में ब्यौरे संलग्न विवरण II से IV में दिये गये हैं।

विवरण-I

वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान योजनावार आबंटित धनराशि तथा राज्यों द्वारा व्यय की गई राशि (अनुसूचित जाति विकास)

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	1993-94		1994-95		1995-96	
		आबंटन	खर्च की गई राशि	आबंटन	खर्च की गई राशि	आबंटन	खर्च की गई राशि
1.	विशेष संघटक योजना के लिए वि.के. सहायता	272.12	247.3	273.05	284.18	275.00	275.00
2.	अ.जा. विकास निगम को सहायता	22.00	29.34	22.00	22.00	30.00	31.00
3.	एन एस एफ डी सी	21.00	21.00	40.00	63.77	65.00	65.00
4.	सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति तथा पुनर्वास	73.20	70.97	73.00	73.00	90.00	90.00
5.	अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	74.79	68.92	96.35	85.14	145.00	90.74
6.	अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मौट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां	5.61	4.24	6.25	7.52	8.92	8.50
7.	अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों के लिए पुस्तक बैंक	5.60	3.33	3.50	2.96	3.60	2.64
8.	अ.जाति की लड़कियों के लिए होस्टल	6.00	6.60	6.20	6.20	7.00	5.64
9.	अ.जाति के लड़कों के लिए होस्टल	6.00	6.50	6.20	10.00	10.00	14.83
10.	कौचिंग तथा सम्बद्ध योजनाएं	2.00	1.73	2.00	2.00	3.00	2.00
11.	अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों की योग्यता का उन्नयन	0.55	0.15	1.00	1.00	1.00	0.22
12.	बहुत कम साक्षरता स्तरों वाली अ.जा. की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक कार्यक्रम	6.00	शून्य	6.00	शून्य	0.60	शून्य
13.	सिविल अधिकार संरक्षण, अत्याचार निवारण अधिनियम का कार्यान्वयन	6.50	4.95	6.00	4.75	12.00	15.37
	जोड़	501.37	465.96	542.35	526.50	651.12	655.46

नोट : वर्ष 1995-96 के संबंध में उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्यों द्वारा व्यय की गई धनराशि संकलित की जा रही है और इसलिए राज्य सरकारों को निर्मुक्त की गई धनराशि का उल्लेख किया गया है।

विवरण–II

आदिवासी विकास की केन्द्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं, योजनावार आबंटन तथा 1993–94, 1994–95, 1995–96 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा व्यय की गई धनराशि

क्र.सं.	योजना	1993–94		1994–95		1995–96	
		आबंटन	खर्च की गई राशि	आबंटन	खर्च की गई राशि	आबंटन	खर्च की गई राशि
1.	आदिवासी उप योजना के लिए वि.के. सहायता	295.00*	254.45	275.00	253.77	330.00	330.00
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक तहत अनुदान	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
3.	लघुवन उत्पाद कार्यों के लिए राज्य आदिवासी विकास सहाकार/निगमों को सहायता अनुदान	3.50	3.50	3.50	3.50	4.00	4.00
4.	अ.ज.जातियों के स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	4.00	4.03	4.75	4.96	5.51	5.30
5.	अ.ज.जा. की लड़कियों के लिए होस्टल	3.00	2.64	3.05	3.00	3.50	3.70
6.	अ.ज.जा. के लड़कों के लिए होस्टल	3.00	2.70	3.05	3.07	3.50	3.65
7.	आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय	2.50	2.53	2.50	2.50	3.00	2.00
8.	आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	1.90	1.90	2.40	2.30	3.00	2.05
9.	आदिवासी क्षेत्रों में अनु.ज.जा. की लड़कियों के साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता पाकेटों में शैक्षिक परिसर	1.25	1.25	1.85	1.97	2.000	1.50
10.	अनुसंधान तथा प्रशिक्षण						
	(क) आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को अनुदान तथा अनुसंधान फैलोशिप प्रदान करना।	1.20	1.20	1.30	1.30	1.50	1.50
	(ख) अनु.ज.जातियों के लिए अखिल भारतीय अथवा अन्तर्राज्यीय प्रकृति की समर्थन परियोजनाएं	0.15	0.16	0.20	0.20	0.25	0.19
11.	ट्राइफेड में निवेश	8.00	8.00	9.00	9.00	10.75	10.75
12.	ट्राइफेड को मूल्य समर्थन	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
13.	ट्राइफेड को सहायता अनुदान	1.00	1.00	–	–	–	–
14.	ग्रामीण खाद्यान्न बैंक	–	–	–	–	–	–
	कुल	480.00	350.86	302.10	361.08	442.50	441.74

* इसमें 20 करोड़ रुपए का अनुपूरक अनुदान शामिल है।

विवरण-III

वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान योजनावार वास्तविक लक्ष्य तथा उपलब्धियां (अनुसूचित जाति विकास)

क्र.सं.	योजना	एकक	1993-94		1994-95		1995-96	
			लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1.	वि.सं.यो. को विशेष केन्द्रीय सहायता	परिवारों की सं.	-	23.44* लाख	-	26.96 लाख	-	24.32 लाख
2.	अ.जा. विकास निगम को सहायता	वैयक्तिगत	-	5.32 लाख	-	6.31 लाख	-	संकलित की जा रही है
3.	सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति	छात्रवृत्तियों	37000	13266**	50000	25358**	44000	-वही-
			187000	42320	150000	64967	122000	-वही-
4.	अ.जा./अ.ज.जा. के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	छात्रवृत्तियों की सं.	-	14.90 लाख	-	15.34 लाख	-	18.47 (अनन्तिम) लाख
5.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	छात्रवृत्तियों की सं.		1.30 लाख	-	1.76 लाख	-	2.45 (अनन्तिम) लाख
6.	अ.जा. लड़कियों के लिए होस्टल	होस्टलों की सं.	-	213	-	73	-	90
				19452	-	7208		7521
7.	अ.जा. के लड़कों के लिए होस्टल	होस्टलों की सं.	11	387	-	327	-	122
			-	19020		24071		11417
8.	अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों के लिए पुस्तक बैंक	छात्रों की सं.	-	33120	-	37877	-	26667
9.	अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन	छात्रों की संख्या	-	334	-	2336	-	884
10.	कोचिंग और सम्बद्ध योजना	छात्रों की सं.	-	1480	-	3520	-	3420

* राज्यों में अनुसूचित जाति को एस सी.पी. के अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता तथा बीस सूत्री कार्यक्रम के सत्र 11(क) के अंतर्गत समस्त गरीबी उन्मूलन के लिए राज्यों अथवा उनके विशेष संघटक योजना के अंतर्गत कार्यान्वित विभिन्न आय सृजक योजनाएं।

नोट : ऐसी योजनाएं जिनके आगे लक्ष्य अंकित नहीं किए गए हैं ओपन एन्डेड है और इसलिए ऐसे लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं।

** 1993-95 में 1,50,000 सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लक्ष्य की तुलना में केवल 65,000 सफाई कर्मचारियों को पुनर्वासित किया गया। वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान राज्यों द्वारा कल्याण मंत्रालय को 1,22,000 का लक्ष्य सूचित किया गया है। राज्यों द्वारा प्राप्त सूचना केवल 80,000 सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास को दर्शाती है। तथापि, कुछ राज्यों से सूचना अभी प्राप्त की जानी है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे सूचना भेज दें।

लक्ष्य पूरा न होने के कारण हैं अपर्याप्त स्टाइपेंड, योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का वित्त पोषित करने में वाणिज्यिक बैंकों की अनिच्छा तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही सफाई कर्मचारियों की मुक्ति तथा पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना तथा कम लागत वाली स्वच्छता योजना के बीच कार्यान्वयन स्तर पर समन्वय का अभाव।

विवरण-IV

वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान योजनावार वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां (जनजाति विकास)

क्र.सं.	योजना	एकक	1993-94		1994-95		1995-96	
			लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1.	विशेष संघटक योजना के लिये वि. के सहायता	परिवार	900000	1042128	1012175	1051059	1083300	1084330
2.	अनुच्छेद 275(1) अनुदान		-	-	-	-	-	
3.	एस.टी.डी.सी.सी. को सहायता	निगम	7	8	9	8	10	7
4.	अ.ज.जा. की छात्राओं के लिए होस्टल	होस्टल	56	52	60	42	60	45
5.	अ.ज.जा. के छात्रों के होस्टल	होस्टल	50	33	60	66	60	134
6.	आश्रम स्कूल	स्कूल	50	23+41*	60	18	60	163
7.	व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान	प्रशिक्षण	13	15	12	19	15+ पुराने	19
8.	अ.जा. के लिए शैक्षणिक कम्पलेक्स	शैक्षणिक कम्पलैक्स	10	23	10	26 नये 16 पुराने	10 पुराने	42 पुराने 5 नये
9.	अनसंधान और प्रशिक्षण टी.आर. आई को अनुदान	टी.आर.आई.	14	14	14	14	14	14
	(i) अनुसंधान-अध्येतावृत्तियां देना	अध्येतावृत्तियां	25	24	25	19	25	13
	(ii) समर्थक परियोजनाएं		18	11	30	17	25	10
10.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	संगठन	80	66	80	79	85	86

[अनुवाद]

कोर्जेट्रिक्स ताप विद्युत केन्द्र

1556. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र में कोर्जेट्रिक्स ताप विद्युत संयंत्र और किन्हीं अन्य परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन परियोजनाओं के संबंध में अध्ययन/आकलन करने का आदेश दिया गया है;

(ग) इन प्रत्येक योजनाओं के संबंध में विशेषज्ञों के निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या इन परियोजनाओं में से किसी को भी पर्यावरणीय मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी हां।

(ख) जिन परियोजना का अध्ययन और मूल्यांकन किया जाना है उनमें केरल में गोश्री परियोजना, कर्नाटक कोर्जेट्रिक्स परियोजना, महाराष्ट्र बान्द्रा-कुर्ला कम्पलैक्स महाराष्ट्र में सिनारमास पल्प एण्ड पेपर परियोजना और कच्छ में सांधी जैटी/सीमेंट परियोजना शामिल है।

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी) नागपुर के विशेषज्ञ परियोजनाओं का दौरा करेंगे तथा संबंधित राज्यों को इसकी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट की प्रतिलिपि उच्चतम न्यायालय में भी फाइल की जानी होगी।

(घ) और (ङ). केरल में गोश्री परियोजना, कर्नाटक में कोर्जेट्रिक्स परयिाजना, महाराष्ट्र में सिनारमास पल्प एवं पेपर परियोजना तथा कच्छ में सांधी परियोजना को पर्यावरण बचाव के उपायों को लागू करने की शर्त पर पर्यावरण निकासी स्वीकृत कर दी गई है।

स्वतंत्रता सैनानी पेंशन

1557. श्री अमर राय प्रधान : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह मंत्रालय के स्वतंत्रता सैनानी पेंशन प्रभाग को 1 अप्रैल 1995 और 30 नवमबर, 1996 के दौरान पारिवारिक पेंशन देने के सम्बन्ध में परिचम बंगाल के स्वतंत्रता सैनानी परिवारों से कितने अनुरोध प्राप्त हुए है; और

(ख) ऐसे प्रत्येक अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई और ऐसे मामलों यदि कोई हों, निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). विधवाओं को पेंशन प्रदान करने के बारे में, मई 1992 से एक सरल प्रक्रिया शुरू की गयी है, जिसमें स्थानीय स्तर पर वितरण अधिकारी को पेंशन शुरू करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः जो स्वतंत्रता सैनानी पहले ही पेंशन प्राप्त कर रहे थे, उनकी विधवाओं को पेंशन प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

[हिन्दी]

पाउडर दूध तैयार करने वाले औद्योगिक एकक

1558. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूध से दूध पाउडर तथा घी तैयार करने के लिए स्थापित किए गए बड़े-बड़े औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं तथा वे कहां-कहां पर हैं;

(ख) इन एककों की उत्पादन क्षमता कितनी है तथा इसकी स्थापना पर कितना खर्च हुआ है; और

(ग) क्या सरकार का दुग्ध तथा घी की कमी को पूरा करने के लिए सभी राज्यों में ऐसे एकक स्थापित करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग में राज्य मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख). दुग्ध चूर्ण तथा घी के उत्पादन के लिए दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश के तहत पंजीकृत 3.00 लाख प्रतिदिन अथवा इससे अधिक तरल दूध क्षमता वाले डेयरी संयंत्रों के नामों, स्थानों तथा क्षमताओं को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। चूंकि इनमें से अधिकांश एककें सरकार के स्वामित्व में नहीं हैं, अतः उनको स्थापित करने में किए गए व्यय का विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

विवरण

दुग्ध चूर्ण अथवा घी के उत्पादन के लिए प्राधिकृत, 3.00 लाख लीटर प्रतिदिन अथवा अधिक की क्षमता रखने वाली दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश के तहत पंजीकृत डेयरी संयंत्रों की सूची

क्र.सं.	यूनिट का नाम और स्थान	पंजीकृत क्षमता यूनिट
1	2	3
1.	वादिलाल इंटरनेशनल प्रभु कुरूपा, 46 हतकेश सोसायटी प्रथम जल, सातवां रोड (नार्थ-साउथ), जे.वी.पी.डी. स्कीम बम्बई-400056	300.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि पाउडर, डब्ल्यू.एम.पी., एम.एफ.आई.एम.एफ., केसिन, घी, चीज, कटर	
2.	जी.सी.एम.एम.एफ. लिमिटेड इंदिरा पुल के पास गांधीनगर राजमार्ग, गांधी नगर, गुजरात	1,000.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि बटर, घी, पाउडर	
3.	दोआबा सहकारी दूध यूनियन जालंधर-8 पंजाब	300.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि एस.एम.पी., डब्ल्यू.एम.पी., आई.एम.एफ., एम.एफ., बटर, घी	
4.	बंगलौर दूध यूनियन होसूर रोड, बंगलौर-29 कर्नाटक	300.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि एम.एम.पी., एस.सी.एम., घी, बटर, केसिन, दही, पेड़ा, आई/सी	

1	2	3
5.	लुधियाना दुध यूनियन दूध संयंत्र, जगरांव रोड लुधियाना, पंजाब	400.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि एम.एम.पी., डब्ल्यू.एम.पी., आई,एम.एफ., घी, बटर	
6.	डायनामिक्स डेयरी इंडस्ट्रीज एम.आई.डी.सी. औद्योगिक क्षेत्र बारामती, पुणे महाराष्ट्र	300.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि लैक्टोज, केसिन, आई.एम.एफ., बटर, घी, चीज, डब्ल्यू.एम.पी.	
7.	सोफम दूध विशेषताएं लालरू, राजपुरा, पटियाला, पंजाब	300.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि लैक्टोज, केसिन, एस.एम.पी.	
8.	राहुल डेयरी तथा सहायक उत्पाद गांव हसना, जिला कुरूक्षेत्र, जी.टी. रोड हरियाणा	300.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि एस.एम.पी. डब्ल्यू.एम.पी., डी. डब्ल्यू., बटर, घी	
9.	बनासकान्था सहकारी दूध यूनियन बनास डेयरी पालन पुर- 385001 गुजरात	400.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि एस.एम.पी., घी, बटर, पाऊडर	
10.	मेहसाना दूध यूनियन दुग्धसागर डेयरी, मेहसाना-384002 गुजरात	1,050.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि आई.एम.एफ., एस.एम.पी, डब्ल्यू.एम.पी., बटर, घी	
11.	सूरत दूध यूनियन समूल डेयरी, पो.बा.न.501 सूरत-395008	400.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि घी, बटर, केसिन, आई.एम.पी., दही, योगहर्ट, बटर	
12.	साबरकांथा दूध यूनियन साबर डेयरी, बोरिया उप डाकघर-383006 जिला साबरकांथा, गुजरात	950.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि पाऊडर, आई.एम.एफ., बटर, घी, केसिन, श्रीखंड, क्रीम	
13.	हेंज इंडिया लिमिटेड मंजूरगढ़ी, पी.बा.न.1 अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	464.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि आई.एम.एफ., एम.एफ., वी मिल्क, कम्पलॉन, घी	

1	2	3
14.	हरियाणा मिल्क फूड पाहांवा जिला कुरूक्षेत्र हरियाणा	600.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि एस.एम.पी., डब्ल्यू.एम.पी., आई.एम.एफ., बटर, घी	
15.	कैर सहकारी दुग्ध यूनियन अमूल डेयरी आनंद-388001 गुजरात	1,450.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि पाऊडर, आई.एम.एफ., बटर, घी, चीज, केसिन	
16.	उत्तरी राजस्थान दुग्ध संघ उरूमुल डेयरी, श्री गंगानगर रोड बीकानेर-334001, राजस्थान	300.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि घी, पाऊडर, आई.एन.एफ., बटर, चीज, रसगुल्ला	
17.	नेस्ले इंडिया लिमिटेड मोगा, पंजाब 11 लुधियाणा फिरोजपुर रोड, मोगा, पंजाब	22,300.00 मीटरी टन प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि पाऊडर, आई.एम.एफ., एम.एफ., घी, सी.एम.	
18.	मिल्क फूड लिमिटेड डाकघर बहादुरगढ़, जिला पटियाला पंजाब-147021	8,840.00 मीटरी टन प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि डब्ल्यू/एफ., पाऊडर, आई.एम.एफ., सी.एम., चीज, घी, बटर, डी./डब्ल्यू	
19.	अहमद नगर दुग्ध संघ संवेदी रोड, अहमद नगर	300.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि पाऊडर	
20.	पेरियार दुग्ध यूनियन श्री वासावी 'कालेज पोस्ट इरोड जिला पेरियार, तमिलनाडु	300.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि एस.एम.पी., बटर, घी, खोवा, केसिन	
21.	सैलम दुग्ध यूनियन सीतानुर दलावपेटी, सेलम, तमिलनाडु	300.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि एस.एम.पी., घी, बटर	
22.	पुणे दुग्ध संघ संघ मर्यादित कटराज डेयरी, कटराज, पुणे सतरा रोड, पुणे, महाराष्ट्र	300.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि एस.एम.पी., बटर, श्रीखंड, आई./सी.•	
23.	आबाद डेयरी (जी.डी.डी.सी.) कंकारिया रोड, अहमदाबाद, गुजरात	300.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि घी, क्रीम	

1	2	3
24.	गंगोल सहकारी दुग्ध यूनियन गोल रोड, परतापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश	350.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि घी, बटर, पनीर, एस.एम.पी, कैक	
25.	डायनामिक्स इंडस्ट्रीज एम.आई.डी.सी. औद्योगिक क्षेत्र अहमद नगर, महाराष्ट्र	500.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि लक्टोर, डब्ल्यू, पी.आर.ओ.टी., मिनसाल्ट, चीज, घी, बटर, कैसिन	
26.	वादिलाल इंडस्ट्रीज डेयरी संयंत्र, सवाल टार जलगांव, महाराष्ट्र	300.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि एस.एम.पी., डब्ल्यू.एम.पी., एम.एफ, घी, बटर, चीज, केसिन	
27.	लेक्टो प्रोटीन इंडिया लिमिटेड गांव बहराना तहसील छाटा, कोसी कलां, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश	300.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि लैक्टा कैसिन, डब्ल्यू.पी.आर.ओ.टी.,घी	
28.	प्रकाशम दुग्ध यूनियन लिमिटेड ओंगले दूध उत्पाद फैक्टरी, प्रकाशम जिला आंध्र प्रदेश	350.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि एस.एम.पी., घी	
29.	कृष्णा दूध यूनियन लिमिटेड दूध उत्पाद फैक्टरी, विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश	325.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि एस.एम.पी., बटर, डब्ल्यू.एम.पी, आई/सी., कुल्फी, टेटरा ब्रिक मिल्क, घी, पाई	
30.	चित्तूर दूध योजना दूध उत्पाद फैक्ट्री, चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश	450.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि पाऊडर, बटर, घी, चीज, एस.एफ.एम., खोवा	
31.	मदर डेयरी कुर्ला नेहरू नगरकुर्ला, (पूर्वी) बम्बई-400024	400.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि घी, श्रीखंड,	
32.	संगम डेयरी गंटूर, जिला दुध उत्पादक यूनियन लिमिटेड की एक इकाई, वंदलामूदी-522213 जिला गंटूर, आन्ध्र प्रदेश	350.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि एस.एम.पी., पाऊडर, बटर, घी	

1	2	3
33.	रोडमास्टर डेयरी संयंत्र संख्या 2 101, आदित्य वाणिज्यिक काम्पलैक्स प्रीत विहार, दिल्ली 110032	300.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि एस.एम.पी., डब्ल्यू.एम.पी., डी.डब्ल्यू, बटर, घी	
34.	जी.एम.एस. वर्ली महाराष्ट्र सरकार प्रशासनिक भवन, अब्दुल गफार खान मार्ग, वरली, बम्बई-400018	450.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि घी, एस.एम., लस्सी, मसाला दूध	
35.	तमिलनाडु दुग्ध फेडरेशन (अम्बात्तुर) फेडरेशन लिमिटेड अम्बात्तुर डेरी, 29 एवं 30 इंडस्ट्रियल एस्टेट, अम्बात्तुर, मद्रास-600098	400.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि एस.एम.पी., बटर, घी, सीज, एफ.एम.	
36.	पंजाब दुग्ध कैमि, लि. एस.सी.ओ.-214 सैक्टर-36डी, चण्डीगढ़	300.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि एल.एम., घी, बटर, केसिन, सैक्टोज	
37.	दिल्ली दुग्ध योजना पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली पिन-110008	500.00 हजार लीटर प्रतिदिन
	उत्पाद की परिधि घी, बटर, योगहर्ट, एफ.एम.	

[अनुवाद]

ग्लेशियर का क्षेत्रफल कम होना

1559. श्री माधवराव सिंधिया :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि गंगोत्री ग्लेशियर का क्षेत्रफल कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्लेशियर के क्षेत्रफल के कम होने के कारणों की कोई जांच शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पारिस्थितिकी परिरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि गंगोत्री ग्लेशियर का क्षेत्रफल कम न हो?

पर्यावरण और वन मंत्रालय राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

सचिवालयों की स्थापना

1560. श्री मोहन रावले : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए उनके घरों के समीप, देहरादून और नैनीताल में सचिवालयों की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये सचिवालय कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). जी नहीं, श्रीमान्। तथापि इस क्षेत्र के व्यवस्थित विकास हेतु देहरादून तथा नैनीताल स्थित उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न कार्यालयों को सुदृढ़ किया गया है तथा शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया गया है।

[हिन्दी]

सांसदों के लिए पुलिस के सिपाही उपलब्ध कराना

1561. श्री अशोक प्रधान : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1 जुलाई, 1996 से 31 अक्तूबर, 1996 तक की अवधि के दौरान जान-माल की सुरक्षा हेतु पुलिस के सिपाही उपलब्ध कराने के लिए माननीय संसद सदस्यों से कुछ पत्र प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन संसद सदस्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने सरकार को ऐसे पत्र भेजे हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या इन संसद सदस्यों के अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके कया कारण हैं; और

(छ) जिन संसद सदस्यों ने ऐसे अभ्यावेदन दिये हैं उनके जान-माल की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (छ). 01 जुलाई, 96 से 31 अक्तूबर, 96 तक के दौरान, सांसदों से उनकी सुरक्षा से संबंधित 47 पत्र प्राप्त हुए। सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा किए गए आंकलन के अनुसार, उनके खतरे के ज्ञात स्तर के आधार पर दिल्ली में सासंदों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। खतरे के ज्ञात स्तर के आधार पर, सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान करने के अनुरोधों पर विचार किया जाता है तथा जहां कहीं आवश्यक होता है, सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है।

बीज क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों का शामिल होना

1562. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी विदेशी कम्पनियां भारतीय कम्पनियों के सहयोग के साथ अथवा सहयोग के बगैर बीज के अनुसंधान, वितरण, भंडारण और बिक्री का कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार बीज क्षेत्र में इन कम्पनियां के शामिल होने के कारण इस क्षेत्र पर प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) विदेशी कम्पनियां, जिनको बीज क्षेत्र में तकनीकी/वित्तीय सहभागिता के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है, के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) सरकार सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की कम्पनियों के कार्य निष्पादन को ध्यान में देखते हुए देश में बीजों की कुल आपूर्ति और उनकी उपलब्धता की लगातार मानीटरिंग करती रहती है। यह देखते हुए कि विदेशी बीज कम्पनियां बीज क्षेत्र में केवल मामूली भूमिका अदा करती हैं, उनके प्रभाव का अलग से अध्ययन नहीं किया गया है।

विवरण

अगस्त 1991 से सितम्बर, 1996 तक बीज क्षेत्र में तकनीकी/वित्तीय सहभागिता के लिए स्वीकृत की गयी विदेशी कम्पनियों के नाम

क्र.सं.	विदेशी कम्पनी का नाम
1	2
1.	इन्स्ट. रिफारेस्टेशन सप्लायर्स, आस्ट्रेलिया
2.	इनविरोनमेण्ट इमर्जेन्सी स्नेर पी.टी.वाई. आई.डब्ल्यू. आस्ट्रेलिया
3.	डोवरी पी.टी.वाई. लि. आस्ट्रेलिया
4.	पी.जी.एस. इन्टरनेशनल, एन.वी. बेल्जियम
5.	इन्स्टीट्यूट आफ फील्ड वेजीटेबल क्रांप, साइप्रस
6.	केमिरा, ओ.वाई. फिनलैण्ड
7.	स्विर, एस.एस. फ्रांस
8.	रौस्टका सीमेन्सेस, फ्रांस
9.	एशिया वेन्चर्स इन्टरनेशनल, इजराइल
10.	रहन मोंस्टेम प्रोपगेशन, इजराइल
11.	वी.एस.हाईटेक इण्डस्ट्रियल डेवपलमेण्ट लि. इजराइल
12.	हरदर नर्सरीज, इजराइल
13.	सयाग नर्सरीज, इजराइल
14.	बीकेल बायोटेक्नालाजी लि. इजराइल
15.	डोवेलांस एग्रीकल्चरल प्रो. लि. मारिशस

1	2
16.	निप्पन हाईब्रिड राइस (मारिशस), मारिशस
17.	मेसर्स, हासे एल्के, जर्मनी
18.	रोशेन टान्टाऊ जर्मनी
19.	लोहमान टिर्जू एस.टी. जर्मनी
20.	कल्टिस हालैण्ड, बी.वी., नीदरलैण्ड
21.	वेण्डरहावे होल्डिंग इन्टरनेशनल, नीदरलैण्ड
22.	मल्टी वाइट्रो जाण्डसे वीटपाट्स, नीदरलैण्ड
23.	एग्रो एडवाइस ब्यूरो, नीदरलैण्ड्स
24.	फ्लोडैक बी.वी., नीदरलैण्ड
25.	नील ब्रदर्स एक्सपोर्ट, नीदरलैण्ड्स
26.	एग्रीका क्वालिटी प्राइवेट लि. नीदरलैण्ड्स
27.	रोसेन टान टाउ, नीदरलैण्ड्स
28.	सिल्वान वेदरलेण्ड बी.वी., नीदरलेण्ड्स
29.	ग्रीनटेक हालैण्ड, नीदरलैण्डस
30.	एस. एंड जी. सीड्स बी.वी., नीदरलैण्डस
31.	नूरडम कन्सल्टैन्सी बी.वी. नीदरलैण्डस
32.	फ्लेमैंगों इन्टरनेशनल, नीदरलैण्डस
33.	बूइन्समा सीड्स बी.वी. नीदरलैण्डस
34.	पीटर बार्टेन बहीर बी.वी. नीदरलैण्डस
35.	गोया कूडरकर्ले, नीदरलैण्ड्स
36.	बजो जोडेन बी.वी. नीदरलैण्ड्स
37.	मीरहेम रोसेस एंड ट्रेडिंगा बी.वी., नीदरलैण्डस
38.	मल्टीफूल हालैण्ड बी.वी. नीदरलैण्डस
39.	डी. रूटर्स न्यू रोसेस इन्टर्न, नीदरलैण्डस
40.	वीग्रो हियोटेक्नोलॉजी, नीदरलैण्डस
41.	बी.एल. मेकेन्जी एंड एसोसिएट्स, न्यूजीलैण्ड
42.	पैसिफिक फ्लोरी कल्चर (एन.जेड.) लि., न्यूजीलैण्ड
43.	एशियन एक्वाकल्चर कार्न, फिलीपींस
44.	कोईपेसाल सेक्टलासु स्पेन
45.	एशिया पाट एंड प्लाण्ट लि. थाईलैण्ड
46.	डा. एस.एम. सेहगल यू.एस.ए.
47.	डेकल्व प्लाण्ट जेनेटिक्स यू.एस.ए.
48.	बायोजेनेटिक टेक, यू.एस.ए.
49.	एग्रीजेनेटिक्स कं., यू.एस.ए.
50.	कार्न स्टेट्स हाइब्रिड सेर इंन्क, यू.एस.ए.
51.	पायनियर ओवरसीज कार्पोरेशन, यू.एस.ए.
52.	वेंकटेश कृष्णमूर्ति यू.एस.ए.
53.	ए.एस. ग्रोव सीड कं., यू.एस.ए.
54.	ई.एल.ड्यूपाण्ट डीनिमोर्स
55.	सन सीड्स, यू.एस.ए.
56.	कार्गिल इंक, यू.एस.ए.
57.	बायोपानिक इन्टरनेशनल, यू.एस.ए.
58.	बुश बासक एलेन लि.
59.	एफ.एफ. बेप. यू.के.
60.	इम्पीरियल कैमिकल इण्डस्ट्रीज यू.के.
61.	हाईवैल्यू हार्टकिल्चर प्लक, यू.के.
62.	खाशी इन्टरप्राइजेस लि. यू.के.
63.	जेनेका लि., यू.के.
64.	फिर सेन्ट्रो को-आप. यूगोस्लाविया

[अनुवाद]

वीजा के बगैर यात्रा

1563. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशियों को भारत में वीजा के बगैर यात्रा की अनुमति देने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में मत्स्यन पत्तन

1564. श्री बी.एल. शंकर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय मछुआरों के लाभ हेतु कर्नाटक में मत्स्यन पत्तन बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च का अनुमान है; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). जी हां, माल्पे चरण-II मत्स्य बन्दरगाह परियोजना को फरवरी, 1996 में स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

(ग) परियोजना की स्वीकृत लागत 1196.70 लाख रुपये है जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 50 प्रतिशत अर्थात 598.35 लाख रुपये है।

(घ) माल्पे चरण-II मत्स्य बन्दरगाह को प्रशासनिक अनुमोदन की तिथि अर्थात 19 फरवरी, 1996 से चार वर्ष के भीतर पूरा कर लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

तटीय क्षेत्रों में मत्स्यन

1565. श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे :
श्री सुरेश प्रभु :
श्री टी. गोपाल कृष्ण :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ते प्रदूषण के कारण मछुआरे तटीय क्षेत्र में मछली पकड़ने में असमर्थ हैं और भारत सरकार ने विदेशी ट्रालरों को गहरे समुद में मत्स्यन की अनुमति प्रदान कर दी है जिससे पारम्परिक तटीय मछुआरों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी ट्रालरों द्वारा गहरे समुद्र में मत्स्यन के दौरान वहीं से विदेशों में मछली भेज देने के कारण सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कुछ कानूनी उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ये उपाय कस प्रकार तथा कब तक किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं। देश में समुद्री क्षेत्र से मत्स्य उत्पादन वर्ष 1992-93 में 2576 लाख टन से बढ़कर वर्ष 1995-96 में 27.07 लाख टन हो गया है। इसमें गहरे समुद्री क्षेत्र के मत्स्य उत्पादन का योगदान लगभग 30,000 टन ही है और शेष उत्पादन परम्परागत और लघु उद्योग के यन्त्रीकृत क्षेत्र से है। परम्परागत क्षेत्र से मत्स्य के उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है।

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम

1566. श्री सुख लाल कुशवाहा :
श्री एस.पी. जायसवाल :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम को दिल्ली से बहार ले जाया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निगम के कर्मचारियों और मजदूरों के लिए क्या नीति तैयार की गयी है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) हिन्दुस्तान वैजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन के दिल्ली वनस्पति एकक को स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है। उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए हिन्दुस्तान वैजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन के दिल्ली वनस्पति एकक को 30.11.1996 से बन्द करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विभिन्न विकल्पों, जिसमें कर्मचारियों का हिन्दुस्तान वैजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन के दूसरे एककों में तबादला करना शामिल है, की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

[अनुवाद]

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आयुर्वेदिक डाक्टर

1567. डा. अरविन्द शर्मा : क्या **गृह मंत्री** 10 सितम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न सं. 5074 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और दूसरे पिछड़े वर्गों के लिए आयुर्वेदिक डाक्टरों के अलग-अलग कितने पद आरक्षित किए गए हैं;

(ख) अब तक कितने पद भर लिए गए हैं और कितने पद रिक्त हैं और रिक्त पदों को न भरने के क्या कारण हैं;

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के आयुर्वेदिक औषधालयों में प्रतिनियुक्ति पर कितने आयुर्वेदिक चिकित्सक काम कर रहे हैं;

(घ) क्या इन पदों को विज्ञापित किया गया था और उन चिकित्सकों को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते समय वे सभी शर्तों और मानदण्डों को पूरा करते थे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) किसी ग्रेड में समय-समय पर होने वाली रिक्तियों के बारे में आरक्षण नियम लागू होते हैं तथा किसी ग्रेड में स्वीकृत संख्या के आधार पर आरक्षण कोटा निर्धारित नहीं किया जाता है।

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में आयुर्वेदिक डाक्टरों के स्वीकृत 13 पदों में से इस समय 11 पद भरे हुए हैं। इनमें से 3 पद अनुसूचित जाति की श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति के द्वारा भरे गए हैं।

(ग) से (ङ). इनमें से एक पद, निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार भर्ती होने तक हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति करके "स्टाफ गैप" व्यवस्था के रूप में भरा गया है।

[हिन्दी]

सीमा पर बाढ़ लगाने की सामग्री

1568. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 अक्टूबर, 1996 के "दि ट्रिबयून" में "बार्डर फेंसिंग मैटेरियल रस्टिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जम्मू क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ लगाने संबंधी कार्य अभी भी अधूरा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह काम कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). जी, हां, श्रीमान्। जम्मू सैक्टर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य, पाकिस्तान की तरफ से बेवजह और लगातार गोलीबारी किए जाने के कारण, जुलाई 1995 में स्थगित करना पड़ा। चूंकि भारत की प्राथमिकता जम्मू और कश्मीर राज्य में प्रजातांत्रिक सरकार की बहाली करने की थी और सीमा पर तनाव बढ़ना इसके लिए अनुकूल नहीं था अतः इस मध्यवर्ती अवधि के दौरान राज्य में संसदीय चुनाव और विधान सभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह कार्य पुनः शुरू नहीं किया जा सका। बाढ़ लगाने के कार्य को पुनः शुरू करने पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही हैं। तथापि, स्थल पर पड़ी सामग्री को खराब होने से बचाने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

बीजों की आवश्यकता

1569. श्री दत्ता मेघे :

श्री जय प्रकाश (हरदोई) :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किसानों को राज्यवार तथा फसलवार उनकी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न फसलों के कितने प्रसंस्कृत/प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाये गए;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों में किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उचित दर पर प्रसंस्कृत/प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप बीजों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) वर्ष 1996-97 के लिए प्रत्येक राज्य की फसलवार विभिन्न फसलों के कितने बीज उपलब्ध करवाए गए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) बीजों के उत्पादन और किसानों को उनके वितरण की जिम्मेवारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। राज्य सरकार यह कार्य राज्य कृषि विभाग, राज्य बीज निगम, सहकारी संस्थानों, कृषि उद्योग निगम आदि के जरिय करती है। राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्थापित अपनी अवसंरचना के जरिये राज्य सरकार के प्रयासां में सहायता करते हैं। बहरहाल भारत सरकार, प्रत्येक बुवाई मौसम, अर्थात खरीफ और रबी के आयोजित की जाने वाली क्षेत्रीय बीज समीक्षा बैठकों के जरिये प्रत्येक राज्यों की बीज की आवश्यकता और उपलब्धता की स्थिति का जायजा लेती है। इस समीक्षा के आधार पर पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1993-94 से 1995-96 के दौरान बीज की आवश्यकता और उपलब्धता की स्थिति का राज्यवार और फसलवार ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में है।

(ख) से (छ). बीजों के बिक्री मूल्य पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है। सभी बीज उत्पादक संगठन, जिनमें राष्ट्रीय बीज निगम/भारतीय राज्य फार्म निगम बीज उत्पादन की लागत और परिवहन, प्रसंस्करण, ऊपरी प्रभार आदि जैसे अन्य कारकों के आधार पर बिक्री मूल्य निर्धारित करता है। तथापि, बीज का उत्पादन करने तथा उसकी उचित मूल्य पर बिक्री करने के लिए भारत सरकार विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के जरिये विभिन्न फसल कार्यक्रम चलाकर केन्द्रीय सहायता प्रदान करती रही है। बीजों की अनुचित मूल्यों पर बिक्री करने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ङ) वर्ष 1996-97 में आयोजित क्षेत्रीय बीज समीक्षा बैठकों में राज्य सरकारों द्वारा यथोल्लिखित बीज की आवश्यकता और बीज की उपलब्धता विवरण-III में दर्शायी गई है।

विवरण-I

आवश्यकता और उपलब्धता का तुलनात्मक विवरण-राज्यवार/प्रमाणित-क्वालिटी बीज

(मात्रा क्विंटल में)

राज्य का नाम	1993-94		1994-95		1995-96	
	आवश्यकता	आवश्यकता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	9.39	11.19	9.41	16.86	9.61	15.43
असम	1.63	1.35	1.41	1.21	1.26	1.06
बिहार	4.23	4.24	4.27	4.11	4.92	4.73
गुजरात	2.95	3.11	2.91	2.83	2.91	4.73
हरियाणा	2.81	3.04	2.79	3.19	2.88	4.88
हिमाचल प्रदेश	0.41	0.41	0.48	0.48	0.51	0.51
जम्मू और कश्मीर	1.05	1.06	1.09	1.11	1.06	1.09
कर्नाटक	4.44	4.81	4.61	5.38	4.96	5.64
केरल	0.41	0.41	0.35	0.45	0.39	0.44
मध्य प्रदेश	5.53	5.68	6.09	5.82	6.51	6.16
महाराष्ट्र	6.95	8.21	7.77	8.13	7.89	8.38
उड़ीसा	1.42	1.58	1.17	1.23	1.89	1.45
पंजाब	2.66	1.78	2.67	1.65	3.77	2.78
राजस्थान	2.63	3.27	2.23	3.28	3.27	4.00
तमिलनाडु	3.73	4.12	3.93	4.18	3.71	3.78
उत्तर प्रदेश	9.95	9.82	10.67	10.64	11.82	12.73
प. बंगाल	6.52	6.52	6.64	6.64	6.23	6.23
मणिपुर	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29
मेघालय	0.06	0.06	0.09	0.09	0.12	0.12
मिजोरम	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01
नागालैंड	0.02	0.02	0.08	0.05	0.08	0.08
अरुणाचल प्रदेश	0.06	0.06	0.08	0.08	0.10	0.08
सिक्किम	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05
त्रिपुरा	0.21	0.21	0.17	0.17	0.09	0.09
पांडिचेरी	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
अ. व नि. द्वीप	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
गोवा	0.03	0.03	–	–	0.04	0.04
दिल्ली	0.11	0.11	0.01	0.01	0.05	0.07
दादर व नगर हवेली	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
जोड़	67.79	71.69	69.47	80.00	74.48	84.93

विवरण–II

प्रमाणित/गुणवत्ता वाले बीजों की आवश्यकता और उपलब्धता

(मात्रा लाख क्विं. में)

	फसल	1993–94		1994–95		1995–96	
		आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता
	1	2	3	4	5	6	7
फसल	गेहूं	19.56	20.52	20.25	21.80	23.47	27.09
	धान	17.48	19.20	17.29	21.50	17.77	21.80
	मक्का	1.54	1.68	1.57	2.21	2.21	2.19
	ज्वार	4.17	4.76	3.89	5.63	3.44	3.99
	बाजरा	1.74	2.08	1.73	2.78	1.73	2.12
	रागी	0.15	0.19	0.21	0.27	0.12	0.24
	जौ	0.12	0.11	0.11	0.09	0.11	0.19
	कुल	44.76	48.54	45.05	54.28	48.85	57.62
दलहन	चना	1.51	1.12	1.50	1.34	1.40	1.63
	मूंग	0.12	0.12	0.11	0.07	0.17	0.14
	मटर	0.36	0.25	0.33	0.33	0.39	0.42
	उड़द	0.85	1.24	1.02	1.12	1.02	0.94
	मूंग	0.69	0.88	0.76	1.05	0.95	1.35
	अरहर	0.57	0.65	0.64	0.75	0.70	0.74
	लोबिया	0.12	0.11	0.12	0.12	0.10	0.10
	मौथ	0.02	0.01			0.09	0.07
	कुलथे/अन्य	0.04	0.04	0.10	0.10		
	योग	4.28	4.42	4.58	4.88	4.82	5.39
तिलहन	मूंगफली	7.37	7.39	7.59	8.12	8.17	8.17
	तोरिया/सरसों	0.67	0.89	0.79	0.97	0.75	1.10
	तिल	0.10	0.15	0.11	0.13	0.12	0.12
	सूरजमुखी	0.80	0.87	0.89	1.40	0.75	1.01
	सोयाबीन	2.45	3.02	3.22	2.98	3.54	3.46
	अलसी	0.03	0.01	0.03	0.01	0.04	0.02
	अरंड	0.20	0.25	0.22	0.32	0.24	0.65
	कुसुम	0.24	0.24	0.22	0.28	0.26	0.25
	राम तिल	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	योग	11.87	12.81	13.08	14.22	13.88	14.79

	1	2	3	4	5	6	7
रेशा	कपास	2.21	2.17	2.02	2.79	2.26	3.41
	जूट	0.24	0.23	0.29	0.27	0.27	0.23
	मेस्ता/अन्य	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
	योग	2.46	2.41	2.32	3.07	2.55	3.66
अन्य	आलू	3.02	3.02	3.02	3.02	3.04	3.04
	अन्य	1.40	0.49	1.42	0.53	1.34	0.43
	कुल योग	67.79	71.69	67.47	80.00	74.48	84.93

विवरण–III

1996–97 के दौरान प्रमाणित/क्वालिटी बीजों की राज्यवार आवश्यकता और उपलब्धता

(मात्रा क्विं. में)

फसल	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता
1	2	3	4
धान	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	500	500
	आंध्र प्रदेश	42600	1103311
	अरुणाचल प्रदेश	5060	5060
	असम	22000	25064
	बिहार	183797	183748
	दमन व द्वीव	–	–
	दिल्ली	–	–
	गोवा	2870	3870
	गुजरात	24600	59500
	हरियाणा	20500	16038
	हिमाचल प्रदेश	2700	2700
	जम्मू और कश्मीर	7805	5576
	कर्नाटक	84000	03942
	केरल	41838	41840
	मध्य प्रदेश	119200	121385
	मेघालय	7140	7140
	महाराष्ट्र	45600	62025
	मणिपुर	26300	26300
	मिजोरम	932	932
	नागालैंड	3550	3360
	उड़ीसा	160644	132755
	पॉडिचेरी	7650	10110
	पंजाब	44000	46327
	राजस्थान	1500	2000
	सिक्किम	1620	1620
	तमिलनाडु	180000	181500
	त्रिपुरा	3357	3357
	उत्तर प्रदेश	235235	236035
	पश्चिम बंगाल	169200	193700
	जोड़	1827608	2580695
ज्वार संकर और किस्म	आंध्र प्रदेश	41000	264676
	गुजरात	3300	3300
	कर्नाटक	71295	76810
	मध्य प्रदेश	13500	13000
	महाराष्ट्र	190226	181075
	उड़ीसा	50	50
	राजस्थान	3500	3700
	तमिलनाडु	1600	1616
	उत्तर प्रदेश	1100	103
	जोड़	325571	544330

1	2	3	4
बाजरा	आंध्र प्रदेश	6300	59140
	गुजरात	52100	59403
	हरियाणा	8000	7199
	जम्मू और कश्मीर	50	50
	कर्नाटक	10080	16155
	मध्य प्रदेश	500	500
	महाराष्ट्र	45230	57725
	पंजाब	–	–
	राजस्थान	42000	45000
	तमिलनाडु	1100	1137
	उत्तर प्रदेश	4000	2626
	जोड़	168360	248935
मक्का	आंध्र प्रदेश	44000	80303
	अरुणाचल प्रदेश	1120	1120
	बिहार	16870	11050
	गुजरात	4000	4000
	हरियाणा	800	–
	हिमाचल प्रदेश	4550	4550
	जम्मू और कश्मीर	8980	5207
	कर्नाटक	45450	61850
	मध्य प्रदेश	5700	5040
	मेघालय	555	555
	महाराष्ट्र	13500	19976
	मणिपुर	440	440
	मिजोरम	500	500
	नागालैंड	2650	2650
	उड़ीसा	601	550
	पंजाब	4080	790
	राजस्थान	6000	6300
	सिक्किम	1320	1320
	तमिलनाडु	500	502
	त्रिपुरा	213	213
	उत्तर प्रदेश	8400	1500
	पश्चिम बंगाल	1600	1600
	जोड़	171829	210016

1	2	3	4
गेहूं	अरुणाचल प्रदेश	750	750
	असम	75000	75000
	बिहार	200000	200000
	दादर व नगर हवेली	–	
	दिल्ली	–	–
	गुजरात	102600	146317
	हरियाणा	260000	395149
	हिमाचल प्रदेश	44100	44100
	जम्मू और कश्मीर	30250	30290
	कर्नाटक	6400	7440
	मध्य प्रदेश	195000	172803
	मेघालय	4000	4000
	महाराष्ट्र	187657	202046
	मणिपुर	40	40
	मिजोरम	–	–
	नागालैंड	500	500
	उड़ीसा	5000	2000
	पंजाब	200000	188982
	राजस्थान	150000	252253
	सिक्किम	3250	3252
	त्रिपुरा	1409	1409
	उत्तर प्रदेश	967500	803410
	पश्चिम बंगाल	90000	90000
	जोड़	2523456	2619741
जौ	अरुणाचल प्रदेश	40	40
	हरियाणा	2000	2296
	पंजाब	4350	5047
	राजस्थान	2500	1750
	सिक्किम	250	75
	उत्तर प्रदेश	6000	8201
	जोड़	15140	25370
बक-गेहूं	सिक्किम	22	22
	जोड़	22	22

1	2	3	4
रागी	कर्नाटक	13472	25370
(फिंगर	उड़ीसा	250	245
मिलेट)	सिक्किम	185	185
	तमिलनाडु	1000	1018
	जोड़	14907	26818
फौक्सटेल	अरुणाचल प्रदेश	200	200
मिलेट	जोड़	200	200
दलहन	अंडमान व निकोबार		
	द्वीपसमूह	90	90
	जम्मू और कश्मीर	–	–
	केरल	30	30
	सिक्किम	85	80
	जोड़	205	200
तुर	आंध्र प्रदेश	9000	9143
(अरहर)	अरुणाचल प्रदेश	200	200
	असम	120	120
	बिहार	1670	1670
	दिल्ली	–	–
	गोवा	3	3
	गुजरात	5650	12483
	हरियाणा	1850	1320
	हिमाचल प्रदेश	175	175
	कर्नाटक	15232	15232
	मध्य प्रदेश	3850	3867
	मेघालय	10	10
	महाराष्ट्र	19800	11045
	मणिपुर	40	40
	नागालैंड	60	60
	उड़ीसा	1000	1000
	पंजाब	50	–
	राजस्थान	300	500
	तमिलनाडु	1495	1495
	त्रिपुरा	142	142
	उत्तर प्रदेश	7000	5520
	पश्चिम बंगाल	3500	3500
	जोड़	71147	67525

1	2	3	4
मूंग	आंध्र प्रदेश	17000	47748
	अरुणाचल प्रदेश	75	75
	असम	980	1500
	बिहार	–	–
	गोवा	62	62
	गुजरात	6040	27185
	हरियाणा	600	631
	हिमाचल प्रदेश	–	–
	जम्मू और कश्मीर	1098	1308
	कर्नाटक	9588	9650
	केरल	260	280
	मध्य प्रदेश	3500	3321
	मेघालय	130	130
	महाराष्ट्र	21600	22940
	मणिपुर	20	20
	नागालैंड	50	50
	उड़ीसा	2000	1535
	पंजाब	675	433
	राजस्थान	3500	4600
	तमिलनाडु	3587	3587
	त्रिपुरा	391	391
	उत्तर प्रदेश	6200	4612
	पश्चिम बंगाल	608	608
	जोड़	77984	131666
चना	आंध्र प्रदेश	7200	9774
	बिहार	4000	4000
	दादर व नागर हवेली	–	–
	गुजरात	2750	5024
	हरियाणा	3500	5138
	हिमाचल प्रदेश	600	600
	जम्मू और कश्मीर	200	200
	कर्नाटक	34300	34300
	मध्य प्रदेश	40500	33118
	मेघालय	80	80

1	2	3	4
	महाराष्ट्र	35685	32080
	मणिपुर	–	–
	नागालैंड	20	20
	उड़ीसा	300	–
	पंजाब	560	206
	राजस्थान	14000	20910
	तमिलनाडु	80	80
	त्रिपुरा	156	150
	उत्तर प्रदेश	37250	36263
	पश्चिम बंगाल	600	600
	जोड़	181781	182543
उड़द	आंध्र प्रदेश	22000	57622
	अरुणाचल प्रदेश	80	80
	असम	1190	1100
	बिहार	500	500
	गुजरात	2850	4211
	हरियाणा	300	15
	हिमाचल प्रदेश	850	850
	जम्मू और कश्मीर	175	204
	कर्नाटक	4512	4755
	केरल	230	150
	मध्य प्रदेश	3500	2600
	मेघालय	150	150
	महाराष्ट्र	27750	36611
	मणिपुर	275	275
	उड़ीसा	2000	810
	पाण्डिचेरी	455	80
	पंजाब	50	80
	राजस्थान	1200	900
	सिक्किम	200	195
	तमिलनाडु	14350	14350
	त्रिपुरा	300	300
	उत्तर प्रदेश	9000	6403
	पश्चिम बंगाल	6000	6000
	जोड़	97917	138163

1	2	3	4
कुलथी	कर्नाटक	795	795
	तमिलनाडु	2400	2400
	जोड़	3195	3195
मसूर	असम	4500	4500
	बिहार	2000	2000
	हरियाणा	100	27
	हिमाचल प्रदेश	–	–
	जम्मू और कश्मीर	100	
	मध्य प्रदेश	3100	1157
	मेघालय	90	90
	मणिपुर	86	86
	मिजोरम	–	–
	नागालैंड	110	110
	त्रिपुरा	160	160
	उत्तर प्रदेश	6500	3354
	पश्चिम बंगाल	1000	1000
	जोड़	17746	12484
मटर	अरुणाचल प्रदेश	250	250
	असम	10000	6000
	बिहार	400	390
	जम्मू और कश्मीर	1800	1800
	मध्य प्रदेश	4000	4710
	मेघालय	510	360
	मणिपुर	490	490
	मिजोरम	–	–
	नागालैंड	380	380
	उड़ीसा	300	600
	सिक्किम	10	10
	त्रिपुरा	600	600
	उत्तर प्रदेश	21550	20189
	जोड़	40790	35779

1	2	3	4
लोबिया	गोवा	55	55
	जम्मू और कश्मीर	187	187
	कर्नाटक	5525	5555
	केरल	1200	1255
	मिजोरम	-	-
	पंजाब	600	-
	राजस्थान	600	900
	तमिलनाडु	4250	4250
	त्रिपुरा	190	190
	जोड़	12607	12392
माथबीन	राजस्थान	600	500
राजमाश	अरुणाचल प्रदेश	175	175
	असम	2500	230
	बिहार	100	28
	नागालैंड	-	-
	सिक्किम	75	75
	उत्तर प्रदेश	-	-
	जोड़	2850	508
अन्य	अरुणाचल प्रदेश	150	150
(दलहन)	जम्मू और कश्मीर	-	-
	केरल	-	
	सिक्किम	-	
	जोड़	150	150
तिलहन	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	30	30
मूंगफली	आंध्र प्रदेश	357000	432522
	अरुणाचल प्रदेश	250	250
	असम	5000	5000
	बिहार	1500	1500
	गोवा	300	300
	गुजरात	65875	68500
	जम्मू और कश्मीर	100	100
	कर्नाटक	158992	160617
	केरल	2287	2775
	मध्य प्रदेश	3300	1633
	मेघालय	260	260
	महाराष्ट्र	22500	26744
	मणिपुर	100	100
	नागालैंड	250	250
	उड़ीसा	35000	44500
	पांडिचेरी	1865	325
	पंजाब	500	25
	राजस्थान	3900	3500
	तमिलनाडु	107900	108700
	त्रिपुरा	3180	3180
	उत्तर प्रदेश	3400	1455
	पश्चिम बंगाल	10000	10000
	जोड़	783459	871936
अदरक बीज	आंध्र प्रदेश	2000	7810
	गुजरात	18000	18080
	कर्नाटक	742	742
	उड़ीसा	50	50
	राजस्थान	500	600
	तमिलनाडु	630	630
	जोड़	21922	27912
सीसेमम	आंध्र प्रदेश	1100	1914
	असम	172	200
	बिहार	20	20
	गुजरात	2800	5487
	हरियाणा	8	8
	हिमाचल प्रदेश	30	30
	जम्मू और कश्मीर	50	50
	कर्नाटक	1274	1274
	केरल	240	240
	मध्य प्रदेश	600	565
	मेघालय	20	20
	महाराष्ट्र	3212	883

1	2	3	4
	नागालैंड	90	90
	उड़ीसा	540	522
	राजस्थान	1400	1000
	तमिलनाडु	1245	1245
	त्रिपुरा	42	42
	उत्तर प्रदेश	250	62
	पश्चिम बंगाल	1600	1600
	जोड़	14693	15252
अलसी	असम	180	500
	जम्मू और कश्मीर	-	-
	कर्नाटक	34	34
	मध्य प्रदेश	3900	616
	नागालैंड	1120	1120
	उड़ीसा	100	3
	उत्तर प्रदेश	450	103
	जोड़	5784	2376
सूरजमुखी	आंध्र प्रदेश	20000	66927
	अरुणाचल प्रदेश	60	60
	असम	50	50
	बिहार	500	473
	हिमाचल प्रदेश	-	-
	जम्मू और कश्मीर	100	100
	कर्नाटक	19720	24825
	मध्य प्रदेश	2100	1554
	मेघालय	10	10
	महाराष्ट्र	21797	28952
	मणिपुर	100	100
	मिजोरम	-	-
	नागालैंड	500	500
	उड़ीसा	100	-
	तमिलनाडु	4010	6945
	उत्तर प्रदेश	8000	6000
	पश्चिम बंगाल	-	-
	जोड़	77047	136516

1	2	3	4
रामतिल का बीज	असम	420	300
	कर्नाटक	112	112
	मध्य प्रदेश	200	200
	उड़ीसा	400	241
	जोड़	1132	853
सोयाबीन	आंध्र प्रदेश	15000	15080
	अरुणाचल प्रदेश	1150	1150
	असम	4000	3000
	गुजरात	760	761
	हरियाणा		
	हिमाचल प्रदेश	600	600
	जम्मू और कश्मीर	10	10
	कर्नाटक	3150	3380
	मध्य प्रदेश	250000	220000
	मेघालय	380	380
	महाराष्ट्र	57750	58958
	मणिपुर	140	140
	मिजोरम	-	-
	नागालैंड	300	300
	पंजाब	505	505
	राजस्थान	11000	15000
	सिक्किम	480	510
	तमिलनाडु	2000	3850
	उत्तर प्रदेश	25000	18785
	जोड़	372225	370409
कुसुम	आंध्र प्रदेश	-	
	कर्नाटक	2916	3146
	मध्य प्रदेश	1500	1956
	महाराष्ट्र	12502	10351
	उड़ीसा	20	-
	जोड़	16938	15453

1	2	3	4
तोरिया	आंध्र प्रदेश	–	–
और सरसों	अरुणाचल प्रदेश	600	600
	असम	8740	8740
	बिहार	1000	779
	दादर व नागर हवेली	–	–
	दिल्ली	–	–
	गुजरात	9400	17531
	हरियाणा	3500	19172
	हिमाचल प्रदेश	225	225
	जम्मू और कश्मीर	2050	2050
	कर्नाटक	–	–
	मध्य प्रदेश	3800	3863
	मेघालय	350	350
	मणिपुर	182	182
	मिजोरम	–	–
	नागालैंड	220	220
	उड़ीसा	1200	1285
	पंजाब	100	339
	राजस्थान	30000	45293
	सिक्किम	220	200
	त्रिपुरा	386	386
	उत्तर प्रदेश	10500	13665
	पश्चिम बंगाल	6500	6500
	जोड़	78973	121379
तोरिया	हरियाणा	500	1279
	हिमाचल प्रदेश	425	425
	जम्मू और कश्मीर	80	80
	मध्य प्रदेश	1050	630
	पंजाब	50	250
	सिक्किम	–	170
	उत्तर प्रदेश	6900	8375
	जोड़	9175	11209

1	2	3	4
राया	पंजाब	–	
	सिक्किम	150	150
	उत्तर प्रदेश	–	–
	जोड़	150	150
अन्य तिलहन	अरुणाचल प्रदेश	–	–
गोभी	जम्मू और कश्मीर	150	150
सारोन	पंजाब	70	108
	जोड़	220	258
कपास	आंध्र प्रदेश	20000	60560
	गुजरात	15000	19500
	हरियाणा	21000	22399
	जम्मू और कश्मीर	25	25
	कर्नाटक	12460	12060
	मध्य प्रदेश	11700	11863
	महाराष्ट्र	88125	74431
	उड़ीसा	250	250
	पंजाब	17500	27516
	राजस्थान	36000	53000
	तमिलनाडु	3750	3750
	उत्तर प्रदेश	450	3500
	जोड़	226260	288854
पटसन	असम	4000	4000
	बिहार	6000	6000
	मेघालय	400	400
	उड़ीसा	850	832
	त्रिपुरा	30	30
	उत्तर प्रदेश	–	
	पश्चिम बंगाल	18500	18500
	जोड़	29780	29762

1	2	3	4
मैस्ता	उड़ीसा	30	30
	त्रिपुरा	127	127
	जोड़	157	157
सनहैम्प	जम्मू और कश्मीर	-	-
ढैचा	जम्मू और कश्मीर	-	-
	उड़ीसा	-	-
	जोड़	-	-
	कुल जोड़	7191991	8725778

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की समीक्षा

1570. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे राज्य कौन से हैं जिनमें इस समय सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 लागू हैं;

(ख) यह अधिनियम पहली बार राज्यवार कब लागू हुआ था;

(ग) क्या इस नियम को बनाए रखने के बारे में समय-समय पर इसकी समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो अधिनियम की अंतिम बार समीक्षा कब की गई थी; और

(ङ) राज्यवार उक्त समीक्षा की मुख्य विशेषतायें क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम इस समय निम्नलिखित राज्यों में प्रख्यापित हैं :-

1. असम
2. नागालैण्ड
3. मणिपुर
4. मिजोरम
5. मेघालय
6. अरुणाचल प्रदेश
7. त्रिपुरा
8. पंजाब
9. चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र
10. जम्मू और कश्मीर

(ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार यह अधिनियम, प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथियों से प्रभावी हुआ :-

1. असम	27 नवम्बर, 1990 से
2. नागालैंड	7 अप्रैल, 1995 से
3. मणिपुर	28 सितम्बर, 1970 से
4. अरुणाचल प्रदेश	17 सितम्बर, 1991 से
5. पंजाब	15 अक्तूबर, 1983 से
6. चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र	15 अक्तूबर, 1983 से
7. जम्मू एवं कश्मीर	5 जुलाई, 1990 से

(ग) से (ङ). इन राज्यों में उग्रवाद एवं अलगाववादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए इस अधिनियम को जारी रखना जरूरी समझा गया है। उपर्युक्त प्रावधान को जारी रखने के लिए स्थिति पर लगातार नजर रखी जाती है और इसकी समीक्षा की जाती है। मौजूदा वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए इस समय अधिनियम के अधीन शक्तियों को वापस लेने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है।

[अनुवाद]

पर्यावरणीय कोष

1571. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने और उद्योगों की प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक पर्यावरणीय कोष गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों सहित पर्यावरणीय संबंधित मामलों के बारे में सरकार से तथा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता उपलब्ध है। जिन प्रमुख कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई, उनका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

1. लघु उद्योग समूहों के साझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना,
2. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का सुदृढ़ीकरण
3. उद्योगों के स्थान निर्धारण के लिए जोनिंग एटलस तैयार करना,
4. मझौले तथा लघु उद्योगों में अपशिष्ट न्यूनीकरण,
5. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को उपकर की प्रतिपूर्ति,
6. विशिष्ट अध्ययनों/परियोजना प्रस्तावों, पर्यावरण से संबंधित प्रयोगशाला के उपकरणों/औजारों आदि की खरीद।

दमन के मानचित्र तथा मास्टर प्लान

1572. श्री आई.डी. स्वामी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दमन के मानचित्र तथा मास्टर प्लान में स्थानीय प्रशासन भू-माफिया तथा राजनीतिज्ञों की सांठगांठ से जालसाजी की गयी थी;

(ख) क्या उक्त मामले में दमन प्रशासन ने जांच के दौरान प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताएं पायी हैं तथा मुम्बई सी.बी.आई. ने कुछ दमन प्रशासन अधिकारियों के विरूद्ध सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है तथा उनके विरूद्ध अभियोग चलाने के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति मांगी है;

(ग) यदि हां, तो इस जालसाजी में शामिल अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने उन अधिकारियों को गिरफ्तार करने अथवा उनके विरूद्ध अभियोग चलाने के लिए अनुमति दे दी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच-पड़ताल से इस बात का रहस्योद्घाटन हुआ है कि औद्योगिक प्रयोग के लिए, यहां तक कृषि जोन में पड़ने वाले क्षेत्र के संबंध में भी, अनुमति, संघ शासित क्षेत्र के कुछ अधिकारियों द्वारा 1992-93 के दौरान दी गयी थी और बाद में यह दिखाने के लिए कि ये क्षेत्र मास्टर प्लान में औद्योगिक जोन के अन्तर्गत आते हैं, एक जाली मानचित्र तैयार किया गया। जांच एजेंसी ने इस मामले में कथित रूप से संलिप्त नौ अधिकारियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की सिफारिश की है। सक्षम पदाधिकारी द्वारा छः अधिकारियों के विरूद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। तथापि, किसी भी अभियुक्त-अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में अन्य समुदाय को शामिल करना

1573. श्री मंगल राम शर्मा : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर की सरकार ने जम्मू और कश्मीर के जम्मू, पुंछ और राजोरी जिलों के पहाड़ी भाषी को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

बकरी तथा भेड़ से ऊन निकालना

1574. श्री कचरु भाऊ राउत : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बकरी तथा भेड़ से ऊन निकालने को भी उद्योग का दर्जा दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे पेशे के लिए सहायता उपलब्ध कराती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं। बकरियों तथा भेड़ों से ऊन की अधिप्राप्ति ऐसा उद्योग नहीं है जो औद्योगिक विकास तथा विनिमय अधिनियम, 1951 के प्रथम अनुसूची के अंतर्गत शामिल हो।

(ख) और (ग). कपड़ा मंत्रालय का केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड भेड़ तथा ऊन विकास के लिए योजनाएं क्रियान्वित करता रहा है। इस प्रकार की तीन योजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ विपणन सहायता, ऊन परीक्षण तथा भेड़ प्रजनकों को ऊन की कीमत की जानकारी के प्रावधान शामिल हैं ।

ये योजनाएं इस प्रकार हैं :-

1. एकीकृत भेड़ तथा ऊन विकास परियोजना
2. विपणन आसूचना नेटवर्क
3. ऊन परीक्षण केन्द्र।

पर्यावरण और वानिकी संबंधी मंजूरी

1575. श्री रमेश चेन्नित्तला :
श्री विजय अन्नाजी मुडे :
श्रीमती छबिला अरविन्द नेताम :
श्री मोहन रावले :
श्री के.पी. सिंह देव :
श्री कचरु भाऊ राउत :
श्री अनंत कुमार :
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को गुजरात और अन्य राज्यों से विकास परियोजनाओं के संबंध में पर्यावरण और वानिकी मंजूरी हेतु कुछ प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नामों का राज्यवार और वर्षवार आज तक का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं में राज्यवार से अब तक मंजूरी दी गई और लंबित परियोजनाओं की संख्या और नाम क्या हैं;

(घ) प्रत्येक राज्य में इन प्रयोजनार्थ कितने हेक्टेयर-भूमि की जरूरत है;

(ङ) शेष परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी और अब तक मंजूरी देने में देरी के क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इनमें शीघ्रता लाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण निषाद) : (क) से (ग). गत तीन वर्षों में सभी राज्यों के 386 प्रस्तावों को पर्यावरणीय मंजूरी दी गई हैं। इनमें से 30 अनुमोदन गुजरात की परियोजनाओं से संबंधित हैं। पर्यावरणीय मंजूरी हेतु लंबित प्रस्तावों के साथ-साथ नामों की एक सूची विवरण में दी गई है।

(घ) वन भूमि की अपेक्षा संबंधी सूचना एकत्र की जा रही है।

(ङ) और (च). सरकार ने परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी देने हेतु पहले ही कदम उठाए हैं। परियोजना प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय 90 दिन के अंदर लिया जाता है और तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावों से मांगी गई पूर्ण सूचना तथा अन्य संगत ब्यौरों की प्राप्ति तारीख से 30 दिन के भीतर प्रस्तावक के पास भेज दिया जाता है।

विवरण

इस मंत्रालय में पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित विकासात्मक परियोजनाओं की सूची

क. पर्यावरणीय स्वीकृति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कब से लंबित	लंबित के कारण
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	पटनचेरू, आं.प्र. में एशियन पेन्ट्स द्वारा पेन्ट परिसर का विस्तार	सितम्बर, 1995	जांच के अन्तिम चरण में है।
2.	कोउड्डापल्ली, विजयवाड़ा में एस्बेसटोस शीट यूनिट में हैदराबाद इण्डस्ट्रीज लि.	अगस्त, 1996	कार्रवाई चल रही है।
3.	मैसर्स आंध्र प्रदेश रेयन लि. का वारंगल के कमलपुर में रेयन ग्रेड लुग्दी का विनिर्माण	जनवरी, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
4.	मैसर्स नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कं. लि. का रचर्ला करनूल जिला, आं. प्र. में 600 टी पी डी सीमेंट संयंत्र	मार्च, 1996	कार्रवाई चल रही है।
5.	मेडिक्रोम टैक्नोलोजी इण्डिया लि. का पश्चामिलारम गांव, मेडक जिले में भारी मात्रा में औषधि का विनिर्माण	अप्रैल, 1996	वही
6.	मैसर्स विसाक सीमेंट इण्डिया लि. का मल्कापुर मंडलम रंगरेड्डी जिले के समीप सीमेंट संयंत्र	मई, 1996	कार्रवाई चल रही है।
7.	मैसर्स डिया ईंची खरखाना लि. के औद्योगिक और तत्संबंधी पदार्थों का विनिर्माण	मई, 1996	वही

1	2	3	4
8.	मैसर्स एच पी सी एल की विजाग में डीजल हाइड्रोडिसकल्फराइजेशन प्रोजेक्ट	अक्तूबर, 1996	कार्रवाई चल रही है।
9.	मैसर्स सिवप्रिय पावन लि. द्वारा पाण्यम कुरनूल जिले में फरनेस आयल आधारित टी पी एस (30 मे.वा.)	नवम्बर, 1996	वही
10.	वही	अप्रैल, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
11.	मै. इंडियन रेयर अर्थ्स लि. भिमिली बीच सैण्ड	मार्च, 1996	वही
12.	ककटिया खानी, 9, 9ए इन्क्लाइन सिंगरेनी कालियरीज कं.लि.	मार्च, 1996	वही
13.	कर्नल-कुड्डपा नहर सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण	फरवरी,1996	कार्रवाई चल रही है।
	असम		
14.	नार्थ ईस्टर्न कोलफील्डस लि. द्वारा लेडो, असम में प्रस्तावित हवाई पट्टी	जुलाई, 1995	वही
	बिहार		
15.	बोकारो इस्पात संयंत्र, प्रा. इ.प्रा.लि. की कोल ब्रिकेडिंग इकाई	अक्तूबर, 1995	कार्रवाई चल रही है।
16.	भावनाथपुर चूनाखान मैसर्स भां.इ.प्रा.लि.	मई, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।
17.	मैसर्स सीसीएल का हुरिलांग अण्डरग्राउण्ड माइन	दिसंबर, 1994	वही
18.	मैसर्स बीसीसीएल-परिशोधित भालगेरूं खान	जून, 1995	वही
19.	पाखड़ बॉक्साइट खान मैसर्स इण्डाल	सितम्बर, 1995	जांच अन्तिम चरण में है।
20.	बागरू हिल बॉक्साइट खान मैसर्स इण्डाल	सितंबर, 1995	वही
21.	मैन्टिको ओपनकास्ट परियोजना मैसर्स सैंट्रल कोलफील्डस लि.	फरवरी, 1996	कार्रवाई चल रही है।
22.	किरिबूरू मेघहुतुबुनी मैसर्स आ.इ.प्रा.लि.	मार्च, 1996	वही

1	2	3	4
23.	बोकारो ओपनकास्ट परियोजना मैसर्स सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	मई, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
24.	तापिन ओपनकास्ट परियोजना मैसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	जून, 1996	वही
25.	मैसर्स दामोदर घाटी निगम द्वारा 4x250 मे.वा. मेथम राइट बैंक टीपीएफ	जून, 1996	कार्रवाई चल रही है।
26.	मैसर्स जमशेपुर पावर कं.लि. का जमशेदपुर में 2x120 मे.वा. ताप विद्युत परियोजना	सितम्बर, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	गोवा		
27.	स्टार बीच रिजॉर्ट द्वारा कोल्वा में सर्वे.न., 24, 26 और 16 पर प्रस्तावित टूरिस्ट कालेजों और होटल भवन का निर्माण	दिसम्बर, 1994	जांच के अंतिम चरण में।
28.	मोरमुगाक पत्तन, गोवा में बहुउद्देशीय बल्क कार्गो बर्थ का निर्माण	फरवरी, 1995	कार्रवाई चल रही है।
29.	मैसर्स मर्मन इंजीनियरिंग एंड शिप बिल्डिंग प्रा.लि. द्वारा गोवा के जुआरी नदी पर सनकोल में मौजूदा शिपयार्ड का परिवर्द्धन।	जून, 1995	जांच के अंतिम चरण में।
30.	श्री गर्थ डी सूजा द्वारा बीच रिजर्ट का परिशोधित प्रस्ताव	अगस्त, 1995	वही
31.	प्रस्तावित लघु रिजर्ट-मैसर्स रिज्वी एस्टेट एंड होटल्स प्रा. लि.	अगस्त, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
32.	साल्केट तालुक, गोबा के उतोर्डा ग्रा. के सर्वे. नं. 41/1,2,3 और 42/2 में प्रस्तावित महारानी अतिथि गृह का निर्माण	सितंबर, 1995	जांच के अंतिम चरण में।
33.	मैसर्स विनितो रिजर्ट्स प्रा. लि. के मार्मगाव के अरेसिया ग्राम के सर्वे.नं. 72/2 और 74/3 तथा 74/1 में होटल परियोजना	जनवरी, 1996	वही

1	2	3	4
34.	गोवा के अगरसेम कनाकोना तालुक के सर्वे.सं.28/1,29, 33/1 और 2 में प्रस्तावित गोबा रिजर्ट होटल का निर्माण	अप्रैल, 1996	कार्रवाई चल रही है।
35.	लींगनहस बीच रिजर्ट, गोवा द्वारा कोल्वा गांव, में सर्वे. नं. 50/2 और 51/2 से पुराने मौजूदा ढांचे की मरम्मत और सुधार कार्य का नियमितीकरण	जुलाई, 1996	परियोजना को विशेषज्ञ समिति द्वारा नामंजूर कर दिया गया है।
36.	मैसर्स स्काई पाक रिजर्ट प्रा. लि. द्वारा परियम गांव, पेरनम जिला गोवा में सर्वे. नं. 154,155/1, 156/1, और 8 में बीच रिजर्ट का निर्माण	अगस्त, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
37.	गोवा इन प्रा.लि. द्वारा मार्मुगावो तालुक के आरोसिम गांव के सर्वे नं. 117/1 में होटल परियोजना का प्रस्तावित निर्माण	सितंबर, 96	कार्रवाई चल रही है।
38.	मार्मुगावो तालुक के वेलसाओ गांव के सर्वे. नं. 54/3 में सल्डाना केव बीच रिजर्ट की होटल परियोजना का प्रस्तावित निर्माण	अक्तूबर, 1996	वही
39.	मैसर्स गोवा कार्बन लि. का दक्षिण गोवा के कास्टी ग्राम तालुक में लघु ब्लास्ट फरनेस राएट का कच्चा लोहा परियोजना	जुलाई, 1996	कार्रवाई चल रही है।
	गुजरात		
40.	मुंबई से बडोदरा तक एक्सप्रेस मार्ग का निर्माण	जून, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
41.	मंगारोल मत्स्य हार्बर का विस्तार, चरण-2	जुलाई, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
42.	मैसर्स वेस्टर्न पेट्रो डायमंड प्रा. लि. का सीआरजेउ अधिसूचना के तहत गुजरात के ओखा पत्तन पर भण्डारण बैंक निर्माण की अनुमति का प्रस्ताव	जुलाई, 1995	वही
43.	तालुक महल जाफराबाद, जिला अमरेली, गुजरात में सीआरजेड क्षेत्र में चूना और खड़िया के उत्खनन को जारी रखने की अनुमति	सितम्बर, 1995	वही

1	2	3	4
44.	आई पी सी एल के गंधार पेट्रो रसायन परिसर हेतु नर्मदा नदी पर केप्टिव जेट्टी की स्थापना	अक्तूबर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
45.	एचपीसीएल द्वारा कोडला पत्तन पर प्रस्तावित वास्तविक जेट्टी को पर्यावरण मंजूरी	अक्तूबर, 1995	वही
46.	मैसर्स लार्सन एंड टूबो का ग्राम कोवय, राजुका तालुका, अमरेली में सीमेंट परियोजना हेतु केप्टिव जेट्टी	जनवरी, 1996	कार्रवाई चल रही है।
47.	पीपावन, जिला अमरेली, गुजरात में मैसर्स मेटडिस्ट इंडस्ट्रीज लि. द्वारा प्रस्तावित केप्टिव जेट्टी	जुलाई, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
48.	मैसर्स सोधी इंडस्ट्रीज लि. गुजरात द्वारा केप्टिव जेट्टी का निर्माण	जुलाई, 1996	जांच के अंतिम चरण में।
49.	कच्छ जिला, गुजरात में जकाहाऊ पर मत्स्य बंदरगाह का निर्माण	जुलाई, 1996	कार्रवाई चल रही है।
50.	पोरबंदर गुजरात में प्रस्तावित एल पी जी भंडारण टर्मिनल मैसर्स आई.एम.एस. पैट्रोगैस लि.	अक्तूबर, 1996	वही
51.	मैसर्स मेट्रोकेम इन्डस्ट्रीज लि. बड़ौदा का रंग और रंग पदार्थों का निर्माण	जुलाई, 95	जांच के अंतिम चरण में।
52.	मैसर्स बिड़ला सेल्यूलोस, बड़ौदरा का कस्ब, जिला भड़ौच में 60000टीपीए क्षमता का विस्कोस स्टेपल फाइबर संयंत्र	अगस्त, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
53.	मैसर्स मेटडाइज इंडस्ट्रीज लि. का कॉपर रिफाइनरी काम्पलैक्स और कैप्टिव पार्ट फैसिलिटिज	नवंबर, 1995	कार्रवाई चल रही है।
54.	मैसर्स सीरले इंडिया लि. जी. आई डी सी पनौत्री जिला के लिए एग्गे कैमिकल प्रोजेक्ट	जनवरी, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
55.	मैसर्स सोमानी सीमेंट कम्पनी लि. का 1000 टीपीडी सीमेंट प्रोजेक्ट भावगढ़ जिले के महुवा तालुक में पाधीयारका गांव के समीप	अगस्त, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
56.	मैसर्स आई ओ सी लि. का गुजरात रिफाइनरी में 12.5 एम टी पी ए के स्तर पर प्रोसेसिंग क्रूड सहित (डी एच डी एस)	जुलाई, 96	जांच के अंतिम चरण में।
57.	मैसर्स माडर्न पेट्रोकैमिकल्स ग्राम भेनाली जिला भड़ौच गुजरात में पैरा जाइलीन और पीटी ए संयंत्र का विनिर्माण	जुलाई, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
58.	मैसर्स गारप्पा कैमिकल्स लि. का पनौली, जी आई डी सी में गुजरात प्लास्टिक और पी वी सी एडेटिव का विनिर्माण	अक्तूबर, 95	जांच के अंतिम चरण में।
59.	मैसर्स स्विल इंडिया लि. का झागदिया भड़ौच गुजरात में 50,000 टन पी ए कॉपर स्मेल्टर प्लांट की स्थापना	अक्तूबर, 96	तदैव
60.	मैसर्स निरमा लि. का एन्दिरा सावली तालुक बड़ौदा का लिनियर बेन्जीन(एल ए बी) का विनिर्माण	सितम्बर, 96	विशेषज्ञ समिति ने स्थल निरस्त कर दिया है।
61.	मैसर्स लार्सन एंड टूब्रो लि, का कोवाया अमरेली में सीमेंट प्लांट-II प्रोजेक्ट	सितंबर, 96	कार्रवाई चल रही है।
62.	मैसर्स अम्बुजा सीमेंट घटवाड माइनिंग प्रोजेक्ट	फरवरी, 96	तदैव
63.	मैसर्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.(जीएमडीसी) का लिग्नाइट माइनिंग प्रस्ताव (अकरी-मोता)	अप्रैल, 96	तदैव
64.	मैसर्स जी एम डी सी लिग्नाइट माइनिंग प्रोजेक्ट (माता-नोमाड)	अप्रैल, 96	तदैव
65.	मैसर्स जी एम डी सी लिग्नाइड माइनिंग प्रोजेक्ट (उमरसर)	अप्रैल, 96	कार्रवाई चल रही है।
66.	मैसर्स गुजरात पावर कारपोरेशन लि., सुरका लिग्नाइट ओपनकास्ट प्रोजेक्ट	अप्रैल, 96	तदैव
67.	जामनगर के मोतीखावडी में 4x250 एम डब्ल्यू रिलायसटीपीपी	सितंबर, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
68.	गुजरात पावर पारपोरेशन लि. द्वारा 2x120 एम डब्ल्यू घोप्पा टीपीपी	अक्तूबर, 95	तदैव
69.	मैसर्स अहमदाबाद इलैक्ट्रीसिल कम्पनी लि. का वतवा, जिला-अहमदाबाद में मल्टीफ्यूल (130-150 एम. डब्ल्यू) सीसीपीपी	सितंबर, 96	कार्रवाई चल रही है।
70.	मैसर्स सर्च कैमिकल इंडस्ट्री लि. झागदिया, जिला-भड़ौच, गुजरात में 50 डब्ल्यू कैपटिव पावर प्लांट	जुलाई, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	हरियाणा		
71.	नेशनल फर्टिलाइजर लि. की पानीपत में उर्वरक परियोजना की स्थापना	अक्तूबर, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
72.	कांडा गुड़गांव में गैबरियल इंडिया लि.	सितंबर, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
73.	मैसर्स इंडियन आयल कारपोरेशन लि. का पानीपत में डी एच डी एस एकक	सितंबर, 95	कार्रवाइ चल रही है।
74.	मैसर्स सुनेजा फार्मास्यूटिकल लि. का वी पी ओ खांडसा नैशनल जयपुर हाईवे में बल्क ड्रग	सितंबर, 96	वही
75.	सतलुज यमुना नहर	सितंबर, 96	वही
76.	तीसरा गैस टर्बाइन कैप्टिव पावर प्लांट 20 मे.वा. मारूति उद्योग लि. के लिए	अक्तूबर, 96	कार्रवाई चल रही है।
	हिमाचल प्रदेश		
77.	1.0 एमटीपीए सीमेंट प्लांट मैलोंन तहसील सुन्दरनगर जिला मंडी मैसर्स हरीश चन्द्र प्रा. लि.	मार्च, 96	वही
	कर्नाटक		
78.	2.0 एमटीपीवाई कैपेसिटी स्टील प्लांट बैकमपडी मंगलोर में मैसर्स नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लि.	अगस्त, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
79.	पिग आयरन प्लांट 30,000 टीपीए से 60000 टीपीए बेदनहाली ग्राम भोपाल तालुक, रायुर, मैसर्स किर्लोस्कर, फिरौस, इंडस्ट्रीज लि.	सितंबर, 96	निर्णय स्थगित कर दिया गया गया है क्योंकि मंत्रालय में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत चरण-I में कार्यवाही चल रही है।
80.	मैसर्स वेस्टकोस्ट पेपर मिल्स लि. का डांडली उत्तर कनाडा में पेपर और पेपर बोर्ड एकक	अक्तूबर, 95	वही
81.	मैसर्स रेकन लि, कोरमंगलम, कर्नाटक का बल्क ड्रग्स एकक	अक्तूबर, 95	वही
82.	मैसर्स किर्लोस्कर फेरस इन्ड. लि, का कच्चा फाउण्डरी यूनिट	अगस्त, 94	जांच के अंतिम चरण में।
83.	मैसर्स सिंदल लीदर लि. का ज़िला बीदर में फिनिण्ड तथा वेटब्ल्यू/पिकल स्किन से रैसिन नप्पा ग्रेड लीदर का विनिर्माण	जून, 96	कार्रवाई की जा रही है।
84.	मैसर्स इंडियन अल्यूमिनियम कं. लि. द्वारा बेलगाम में 100 मे.वा. कैप्टिव विद्युत संयंत्र	अक्तूबर, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
85.	मैसर्स इंडिया पावर पार्टनर्स द्वारा 145 एम डब्ल्यू मंडया कम्बाइन्ड साइकिल प्लांट	फरवरी, 96	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4
86.	मैसर्स टीपीएस पावर कं. द्वारा तांडवपुर में 110 एम डब्ल्यू कम्बाइंड साइकिल	अप्रैल, 96	कार्रवाई की जा रही है।
87.	46.80 एम डब्ल्यू येलाहंका डीजल पावर स्टेशन (एक्सटेंशन)	मई, 96	वही
88.	मैसर्स पीनया पावर कम्पनी में कानीमिनिके बंगलौर में 100 एम डब्ल्यू कम्बाइंड पावर प्रोजेक्ट	अप्रैल, 96	वही
89.	मैसर्स नागार्जुन पावर कारपोरेशन का पपदुविदेई, मानगालौर में 1000 एम डब्ल्यू पावर प्लांट	जून, 96	कार्रवाई की जा रही है।
90.	मैसर्स उषा इस्पात मैंगनीज और प्रोजेक्ट	फरवरी, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
91.	मैसर्स चामुण्डी पावर कं. का अपर कृष्णा अहमदी डैम पावर हाउस (1107 एम डब्ल्यू)	सितंबर, 96	कार्रवाई चल रही है।
92.	अपर कृष्णा प्रोजेक्ट चरण-II	सितंबर, 96	वही
93.	मैसर्स इंडो एल पी जी जी बाटलिंग प्लांट लि. का कारवार में एल पी जी प्रस्ताव के आयात के लिए प्रस्तावित एल पी जी भंडारण और वितरण सुविधाएं तथा जेट्टी का निर्माण	अगस्त, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
94.	मैसर्स बी पी एल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. द्वारा कसारगोड में 500 मे.वा.गैस टर्बाइन कंबाइंड साइकिल टी पी जी	दिसंबर, 95	अतिरिक्त सूचना की अपेक्षा है।
95.	मैसर्स के पी पी नंबलाट एंड एसोसिएट्स द्वारा 500 में.वा. कन्नूर टीपीपी	मार्च, 96	वही
96.	कायमकुलम में मत्स्य बंदरगाह परियोजना 2. मुथुलोपाशी में मत्स्य बंदरगाह परियोजना,	अगस्त, 95 नवंबर, 95	कार्रवाई चल रही है। वही
97.	मैसर्स पीवीस पेट्रोलियम कालीकट, केरल में वे पोर का प्रस्तावित विकास	अक्तबर, 96	वही
98.	वाटर वे अथोरिटी आफ इंडिया लि. द्वारा केरल राज्य में एन एच-3 के रूप में पश्चिम तटवर्ती नहर का प्रस्तावित विकास	अक्तूबर, 96	वही
99.	मैसर्स एस्केपार्डे रिसोर्ट लि. का मरारीकुलम उत्तर के (अलापुजा उत्तर) अलापुजा जिले में प्रस्तावित बीच रिसोर्ट	अक्तूबर, 96	वही
100.	एफ ए सी टी लि. का 900 टीपीडी सल्फ्यरिक अम्ल संयंत्र	नवंबर, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
101.	मैसर्स एफ ए सी टी इंजीनियरिंग एंड डिजायन आर्गेनाइजेशन का उद्योगमंडल में 100000 टीपीए मेथनोल संयंत्र	मार्च, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
102.	मैसर्स कोचिन रिफाइनरी लि. का एर्णाकुलम में कोचिन रिफाइनरी का डी एच डी एस प्रोजेक्ट	सितंबर, 96	कार्रवाई चल रही है।
103.	अंदोथ द्वीप में विमान पत्तन का निर्माण	दिसंबर, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
104.	पाइकला द्वारा तिन्नकरा इंटरनेशनल बीच रिजार्ट्स का विकास	मई, 96	कार्रवाई चल रही है।
105.	कावरनी द्वीप के उत्तरी छोर पर ब्रेक बाटा और जेट्टी निर्माण	मई, 96	वही
	मध्य प्रदेश		
106.	मैसर्स डाऊ पावर लि. का कोरबा, जिला बिलासपुर में 2x500 मे. वाट ताप विद्युत परियोजना	जून, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
107.	ग्लोबल बोर्ड्स लि. का नरसिंहपुर में 125 मे.वा. डी जी पी पी	अगस्त, 95	वही
108.	मैसर्स जिंदल पावर लि. द्वारा 1000 मे.वा. रायगढ़ टीपीएस	फरवरी, 96	वही
109.	एनटीपीसी द्वारा सीपत में 2000 मे.वा. टीपीसी	अप्रैल, 96	वही
110.	मैसर्स मध्य भारत कार्पोरेशन लि. द्वारा 150 मे.वा. खंडवा सीसीपीपी	अप्रैल, 96	वही
111.	मैसर्स नोवोपन इंडस्ट्रीज लि. द्वारा रतलाम में 120 मे.वा. डीजल जनरेटर पावर संयंत्र	जून, 96	कार्रवाई चल रही है।
113.	मैसर्स ग्रेसिम सीमेंट की केप्टिव चूना खान परियोजना	मई, 96	वही
114.	डोलोमाइट प्रिज्म सीमेंट लि. का उत्खनन	मई, 96	वही
115.	औद्योगिक केन्द्र जिला रायपुर में नागपुर कास्टिंग लि, इस्पात परियोजना हेतु कोक ओवन प्लांट	जनवरी, 96	वही
116.	अमलाई ग्राम में 36680 से 77930 तक कास्टिक सोडा यूनिट	अप्रैल, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
117.	मैसर्स बायोफिल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटीकल्स का खेदर में बल्क ड्रग्स प्लांट	अप्रैल, 96	वही
118.	मैसर्स मध्य भारत पेपर लि. का ग्राम बीरघानी, जिला बिलासपुर, म.प्र. में कागज परियोजना का विस्तार	जुलाई, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
119.	मैसर्स मानेट इस्पात लि, का मंदिर हसंद रायपुर में स्पंज लौह यूनिट	अक्तूबर, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	महाराष्ट्र		
120.	जे एन पी टी में मेरीन केमिकल टर्मिनल	जून, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
121.	बी बी आर एस ब्लाक 2 मुंबई में सरकारी "यशोधन बिल्डिंग" के पीछ सी एम ने 1999, सरकारी भूखंड सं. 186 से 193 तक में राज्य सरकार के अधिकारियों के आवासीय क्वार्टर्स का निर्माण बी बी आर एस ब्लाक-5, मुंबई में सी एस सं. 1936, क्वीन्स बैरेक एरिया की सरकारी भूमि।	जुलाई, 96	कार्रवाई चल रही है।
122.	नगर नियोजन स्कीम-4, महिम डिवीजन दादर, मुंबई के अंतिम भूखंड सं. 766 वाली संपदा का विकास, मैसर्स सूरज एस्टेट्स डेवलेपर्स प्रा.लि.	मई, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
123.	मैसर्स मिराज रिजर्ट्स प्रा. लि.मुंबई का नावा में रिजर्ट मनोरंजन उद्यान की स्थापना का प्रस्ताव।	जून, 95	वही
124.	रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र के श्री पीवी महत्रे के अनुरोध पर होलिडे रिजर्ट स्थापित करने के लिए कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन हेतु अंतरण की अनुमति।	जुलाई, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
125.	दक्षिण मुंबई और नवीन मुंबई के बीच यात्री जल परिवहन महाराष्ट्र नगर और औद्योगिक विकास निगम का प्रस्ताव	अगस्त, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
126.	कडवरी हाडस, भूडाभाई देसाई रोड, मुंबई में मौजूदा कायालय भवन के विकास (पुनर्निर्माण) की अनुमति।	अगस्त, 95	वही
127.	सी आर जेड अधिसूचना के तहत श्री नारायण भोजवानी द्वारा निम्नलिखित के लिए मांगी गई अनुमति- 1. अफरा कोआपरेटिव सोसायटी लि. के 7 फ्लैटों का निर्माण 2. बांद्रा पश्चिम में भूखण्ड सं.सी. 117 के मौजूदा भवन में 2/3 मंजिल और निर्माण करना।	अगस्त, 95	वही
128.	मेरीन ड्राइव के साथ-साथ में फूट एट फॅलाई ओवर ब्रिज से बस स्टैण्ड तक जी आर सी वाटर मेन डालने के लिए ग्रेटर मुंबई की नगर पालिका का प्रस्ताव	अगस्त, 95	वही

1	2	3	4
129.	आई वी पी कं. लि. द्वारा वादला/सेवरी मुंबई में पेट्रोलियम प्रतिस्थापन-सीआरजेड के तहत मंजूरी	सिंतबर, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
130.	धरमतार, महाराष्ट्र में एक शिपयार्ड की स्थापना के लिए मैसर्स वी एच पी इंजीनियर्स का प्रस्ताव	अक्तूबर, 95	जांच के अंतिम चरण में।
131.	मैसर्स पारसरामपुरिया पौधरोपण लि. का मुम्बई और मांडवा के बीच एक ब्रिज टनेल का निर्माण	दिसंबर, 95	कार्रवाई की जा रही है।
132.	मेरीन ड्राइव, प्रोमेंड्स, दक्षिण मुंबई का सौंदर्यीकरण	फरवरी, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
133.	मालावार हिल, मुंबई के सी एस संख्या 258 पर सहेदरी अतिथि गृह और सम्मेलन केन्द्र का निर्माण	अप्रैल, 96	जांच के अंतिम चरण में।
134.	पारसरामपुरिया रिसार्ट लि. का अलीबाग तालुका जिला-रायगढ़ के गांव किहिम में एक होलिड रिसाई का निर्माण।	मई, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
135.	शाही शिपिंग लि. का रायगढ़ जिले के अनुकूले में धरमतार में शुष्क डॉक और जहाज मरम्मत का निर्माण	मई, 96	कार्रवाई की जा रही है।
136.	दिघी तालुक श्री वर्धन में प्रस्तावित पोत मरम्मत यार्ड; जिला रायगढ़, महाराष्ट्र मझगांव डॉक लि.	सितंबर, 96	कार्रवाई की जा रही है।
137.	दहानु, थाणे जिला, महाराष्ट्र में बीएसईएस ताप विद्युत केन्द्र में कोयला उतराई बाग टर्मिनल का निर्माण	अक्तूबर, 96	कार्रवाई की जा रही है।
138.	मैसर्स क्रासलैंड्स अनुसंधान प्रयोगशाला लि. का कोलविहायर पुणे में औषद और फार्मास्यिूटीकल का विनिर्माण	अगस्त, 95	जांच के अंतिम चरण में।
139.	मैसर्स टेलको का तालुका मावल, पुणे की मावल फाउन्ड्री का आधुनिकीकरण एवं विस्तार	सिंतबर, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
140.	मैसर्स उषा इस्पात लि, का रेडो गांव में विद्यमान पिंग आयरन संयंत्र में सिन्दर प्लान्ट प्रोजेक्ट	नवम्बर, 95	जांच के अंतिम चरण में।
141.	मैट्रोपोलिटन एक्जिचैम प्रा.लि. का एम आई डी सी डाणे में डाई इन्टरमीडियट्स	जनवरी, 96	वही
142.	मैसर्स निप्पौन डैनरो इस्पात लि. का पेन, जिला रायगढ़ में 3.0 मिलि टीपीए समेकित इस्पात संयंत्र	मार्च, 96	वही

1	2	3	4
143.	मैसर्स विधि डाइस्टक मैन्युफैक्चरिंग लि. का जिला रायगढ़ महाराष्ट्र के कैमिकल जोन में खाद्य रंजक और इन्टरमीडिएट्स का विनिर्माण	मार्च, 96	कार्रवाई चल रही है।
144.	मैसर्स सुदर्शन कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज लि. का तहसील में रोना जिला में नए उत्पादों का विनिर्माण	अप्रैल, 96	जांच के अंतिम चरण में।
145.	मैसर्स गवारे पॉलिएस्टर लि. वाजुज औरंगाबाद में डीएमटी संयंत्र	मई, 96	वही
146.	राजाराम बापू पाटिल सहकारी सरकार कारखाना लि, में विद्यमान 75,000 एल पी डी यूनिट के लिए आधुनिकीकरण हेतु डिस्टोलरी यूनिट	जून, 96	कार्रवाई चल रही है।
147.	मैसर्स शामराक इन्डस्ट्रीयल कं.लि. का खोपाली जिला-रायगढ़ में फार्मास्यूटिकल एवं बल्क ड्रग्स	जून, 96	जांच के अंतिम चरण में।
148.	मैसर्स उषा इस्पात लि, का जिला सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र के गांव सतारदर में 0.6 एम टी पी एक का हाट मैटल संयंत्र	जुलाई, 96	कार्रवाई चल रही है।
149.	मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स का आर सी एफ घाल, रायगढ़ में अमोनिया यूरिया फार्मिक अम्ल और कार्बन	अगस्त, 96	जांच के अंतिम चरण में।
150.	मैसर्स एमीनेक्स केमिकल्स लि. का एम आई डी सी औद्योगिक क्षेत्र कुरकुंभ थाल डांड, जिला पुणे में कास्टिक सोडा यूनिट।	अगस्त, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
151.	मैसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. का बीपीसीएल, माहुल में डीजल हाइड्रो डिसल्फराइजेशन परियोजना।	सितंबर, 96	कार्रवाई चल रही है।
152.	मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि. का माहुल में एचपीसीएल हेतु डीजल हाइड्रो डिसल्फराइजेशन परियोजना।	सितंबर, 96	वही
153.	मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. का रासयासी रायगढ़ एम डी आई परियोजना	सितंबर, 96	वही
154.	प्रश्नुअम में डी-नोसिल पर क्लोर्फिफोस संयंत्र	सिंतबर, 96	वही
155.	मैसर्स-मर्धा केमिकल्स लि. का डोमविवली औद्योगिक क्षेत्र में कीटनाशकों/कृमिनाशक वेटरीनरी ड्रग्स और केमिकल्स पदार्थों का विनिर्माण	अगस्त, 96	वही

1	2	3	4
156.	मैसर्स पेट्रोकेमिकल लि. का तलोजा, रायगढ़ में आई जी पेट्रोकेमिकल्स का विस्तार	अक्तूबर, 96	कार्रवाई की जा रही है।
157.	मैसर्स इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड का तलोजा नवी मुंबई में लूब स्पेशिलिटी काम्पलेक्स	अक्तूबर, 96	वही
158.	मैसर्स गुडलैक्स नेरोलेक पेंट्स लिमिटेड का केमिकल्स ऑफ लोट परशुराम, तालुक खेड जिला रतनगिरि में पेंट्स रेजिन और वार्निश का विनिर्माण	अक्तूबर, 96	वही
159.	कुमार भूमिगत डब्ल्यू सी एल	जुलाई, 95	कार्रवाई की जा रही है।
160.	लोहारा ईस्टकोल माइनिंग प्रोजेक्टस, मैसर्स एसीसी लि.	जनवरी, 96	वही
161.	लोहारा वेस्ट कोल माइनिंग मै. निप्पोन डेनरो इस्पात	फरवरी, 96	कार्रवाई की जा रही है।
162.	मै. डब्ल्यू सी एल की धोरवाडा खुली खदान परियोजना	जुलाई, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
163.	मै. डब्ल्यू सी एल नीरगुडा ओपनकास्ट प्रोजेक्ट	अक्तूबर, 96	कार्रवाई की जा रही है।
164.	मै. रिलाइन्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा पातालगंगा में 820 मे.वा. गैस टर्बाइन सी सी पी पी	अप्रैल, 96	वही
165.	मै. इन्डोरामा सिंथेटिक्स इंडिया लि. द्वारा बूटीबोरी, नागपुर में 40.62 मे.वा. कैप्टिव पावर प्लान्ट	जून, 96	वही
	मिजोरम		
166.	लेंगपुई, मिजोरम में एक हवाई अड्डे के प्रस्तावित निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी	सितम्बर, 95	अतिक्ति सूचना की प्रतीक्षा है।
	मेघालय		
167.	उमियम I व II विद्युत स्टेशन का पुनरूद्धार और आधुनिकीकरण	मई, 96	कार्रवाई की जा रही है।
	उड़ीसा		
168.	मै. इन्डेक बोमलई ऊर्जा केन्द्र लि. द्वारा जिला संभलपुर में 2x250 मे.वा. बोमलई टीपीएस	अप्रैल, 95	जांच के अंतिम चरण में।
169.	पारादीप उड़ीसा में मै. एजिओ काउन्टर ट्रेड प्रा. लिमिटेड में टैंक फार्म प्रोजेक्ट	अगस्त, 95	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4
170.	मिड ईस्ट का 1.0 एमटीपीए समन्वित इस्पात तथा मै. मेस्को कलिंगा, जयपुर में 2.5 एमटीपीए इस्पात संयंत्र	फरवरी, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
171.	मै. टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि. का गोपालपुर में 1.5 मिलियन क्षमता का समेकित इस्पात संयंत्र	मई, 96	वही
172.	लार्सन और टुबरो लि. द्वारा कुशुमशिला में 1 एमएमटीपीए एल्यूमिनियम रिफायनरी	मई, 96	कार्रवाई की जा रही है।
173.	मै. जे के कारपोरेशन लि. द्वारा उड़ीसा के पास जेकेपुर में पल्प एंड पेपर मिल्स का विस्तार और नवीनीकरण	अक्तूबर, 96	वही
174.	मैसर्स स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया की बोनानी लौह अयस्क खान	सितंबर, 94	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
175.	मैसर्स स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया सेल, बारसुआ-कल्टा लौह अयस्क खान	दिसम्बर, 94	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
176.	मैसर्स एम.सी.एल. की वसुन्धरा वेस्ट ओपनकास्ट खान	जून, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
177.	मैसर्स रिफ्रक्टर लि.की. तालबस्ता फायर क्ले खान	दिसम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
178.	खौन्डबांड लौह एवं मैंगनीज खान, मैं टाटा स्टील	अप्रैल, 1996	वही
179.	मैसर्स महानदी कोलफील्ड्स लि., बेलपहाड़ ओपनकास्ट परियोजना	अप्रैल, 1996	वही
180.	मैसर्स महानदी कोलफील्ड की चेनाडीपाडा ओपनकास्ट खान	सितम्बर, 1995	वही
181.	मैसर्स महानदी कोलफील्ड्स लि., हिंगुला-आईओसीपी	जून, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
182.	मैसर्स बी.सी. मोहंती एंड संस प्रा.लि. की कामरदा क्रोमाइट खनन	जून, 1996	वही
183.	मैसर्स फिरो अलौय कार्पो. लि. कठपात क्रोमाइट खनन	जून, 1996	वही
184.	मैसर्स एम सी एल, भुवनेश्वरी ओसीपी	जनू, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
185.	उड़ीसा सरकार की रंगाली सिंचाई परियोजना चरण-II	जुलाई, 1996	वही
186.	मैसर्स एजियो काउंटियर ट्रेड प्रा.लि., पारादीप, उड़ीसा में प्रस्तावित टैंक फार्म परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति	अगस्त, 1995	वही

1	2	3	4
	पांडिचेरी		
187.	कराईकाल में उच्च भंडारण क्षमता वाले पम्प की स्थापना के लिए सी आर जेड के अन्तर्गत पर्यावरणीय मंजूरी	जुलाई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
188.	श्री राजेन्द्रन चिन्नाकलपेट, पांडिचेरी द्वारा सी आर जेड क्षेत्र में आर.एस. संख्या 149/92 पर एक मंजिले आवासीय भवन का निर्माण	अगस्त, 1995	वही
189.	मैसर्स बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड द्वारा ने ट्रापक्कम के पान्डेसोजहनलूर गांव में पेंट का विनिर्माण	फरवरी, 1996	वही
	पंजाब		
190.	लालरू, पंजाब में डाइ इंटरमीडियेट संयंत्र, मै. यथारू डाइ कैम इन्डस्ट्रीज	मार्च, 96	वही
191.	मैसर्स इण्ड-सिवफ्ट लैबोरेट्रीज लि. का डेराबस्सी में बल्क ड्रग	अप्रैल, 96	वही
192.	मैसर्स सियल लि., का तहसील राजपुरा जिला-पटियाला में 250 टीपीडी क्लोर अल्काली परियोजना	अगस्त, 96	वही
193.	मैसर्स रैनबैक्सी लिमि. कम्पनी का बल्क ड्रग्स इंटरमीडियेट्स केमिकल्स एस ए एस नागर जिला	सितंबर, 96	कार्रवाई की जा रही है।
	राजस्थान		
194.	मैसर्स ग्रेफाइट इंडिया लि.का निम्बाहेड़ा, राजस्थान में 1.4 एमटीपीए सीमेंट संयंत्र	जून, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
195.	मै. बलवेन्द्रा केमिकल्स लि. का कालाडेरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर राजस्थान में नाइट्रो एनिलिनो का विनिर्माण	जुलाई, 96	जांच के अंतिम चरण में।
196.	मैसर्स जयदी एग्रो केमिकल्स लि. का कालाडेरा रिको औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में चालोरो एनिलाइन 360 एमटी एवं मेटा फिनेलिक डाइमाइन सल्फोनिक एसिड का विनिर्माण	जुलाई, 96	वही
197.	मैसर्स डूगर फार्मास्यूटिकल्स (प्रा.) लि. का कालाडेरा रिको औद्योगिक क्षेत्र जयपुर राजस्थान में पैरासीटामोल (360 एमटी) तथा क्लोरो नाइट्रो एनिलाइन (120 एमटी) का विनिर्माण	जुलाई, 96	वही

1	2	3	4
198.	राजस्थान विद्युत बोर्ड द्वारा सूरतगढ़ में टीपीएस (चरण-2)	जुलाई, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
199.	मैसर्स ग्रासिम उद्योग लि. द्वारा कैप्टिव खंनन परियोजना	अप्रैल, 96	कार्रवाई की जा रही है।
200.	दयालपुरा चूनापत्थर खनन परियोजना, मैसर्स डीएलएफ सीमेंट लि.	जुलाई, 96	वही
201.	विसालपुर सिंचाई परियोजना	जनवरी, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	तमिलनाडु		
202.	मैसर्स लारेंस बिल्डर्स हार्डवेयर (प्रा.) लि.का चंगाई एम जी आर जिला में इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूनिट	फरवरी, 96	जांच के अंतिम चरण में है।
203.	मैसर्स कैमप्लांट एनमेर लि. का मथुरा में क्लोरोमीथेन्स (संयंत्र-3) का विस्तार	मार्च, 96	कार्य चल रहा है।
204.	मैसर्स कैम प्लांट सनमेर लि. का मैटूर में क्लोरोमीथेन्स संयंत्र पी वी सी का विस्तार	मार्च, 96	वही
205.	मैसर्स बालमेर लेटिन एंड कम्पनी लि. का मनाली में साथनफाडू गांव में सिनाटन में नया आओफा संयंत्र।	अप्रैल, 96	जांच के अंतिम चरण में है।
206.	मैसर्स अमेरिकन रेमेडीज का अल्कर में बल्क ड्रग परियोजना	अप्रैल, 96	वही
207.	मैसर्स विसाका इंडस्ट्रीज लि. का मडकान गांव जिला सालेम में एस्बेस्टोस यूनिट	जून, 96	वही
208.	मैसर्स नेलकास्ट लि. का मथनारम मथनारम गांव नोरेरी में डक्टाइल आइरन कास्टिंग आटो पार्ट्स का विनिर्माण	मई, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
209.	मैसर्स तूतीकोरिन अल्काली कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर का मद्रास के पास चेम्बरकम में बायो पेस्टिसाइड्स संयंत्र	मई, 96	जांच के अंतिम चरण में है।
210.	मैसर्स अम्बर कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि. का एमजीआर जिले में लो-वाल्यूम बल्क फार्मास्यूटिकल्स का विनिर्माण	जून, 96	वही
211.	मैसर्स बेता उद्योग लि. का कुडालोर में डाई एंड डाई इंटरमीडिएट	जुलाई, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
212.	मैसर्स नेचर कैम इंडिया लि. द्वारा धर्मपुरा, तमिलनाडु के सुलिगंटा गांव में बल्क ड्रग्स	जुलाई, 96	जांच के अंतिम चरण में है।

1	2	3	4
213.	मैसर्स कुमार कैमिकल्स इंड. लि. विशाखा इंडस्ट्रीज लि. का सिपोक्ट इंडस्ट्रीज काम्पलेक्स रानीपाल में बेता नाफथत तथा वन एसिड	जुलाई, 96	कार्रवाई चल रही है।
214.	मैसर्स ब्रेक्स इंडिया लि. का पोलमबाक्कम गांव में नं. 306 को पर्यावरणीय मंजूरी	सितंबर, 96	वही
215.	मैसर्स तिरूमलाई कैमिकल्स लि. का रानीपेट में रसायनिक संयंत्रों की परियोजना	अक्तूबर, 95	जांच के अंतिम चरण में है।
216.	मैसर्स फार्मा. कैमिकल्स का होसुर में बल्क ड्रग प्लांट	जुलाई, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
217.	मैसर्स मेकर कर्मेन्टाइल लि. का मद्रास अम्बासुर औद्योगिक एस्टेट में एक ग्लास यूनिट की स्थापना	अगस्त, 96	वही
218.	मैसर्स एलटेक इंजी. लि. का एजी आर जिला पादुरगांव में 450 लाख औद्योगिक सिलाई मशीन और सूइयां	अगस्त, 96	वही
219.	मैसर्स राबको इन्डस्ट्रीज लि. का आरकोनाक में एस्वेस्टेस संयंत्र का विस्तार	सितंबर, 96	जांच के अंतिम चरण में।
220.	मैसर्स कालसी टैक इंडिया प्रा.लि. का होसूर धरमपुदी में बल्क ड्रग्स कैलसियम ग्लूकोनेट कैल्सियम लेक्टेट का विस्तार	सितंबर, 96	वही
221.	इंडियन अर्थ लि. के स्टाफ सदस्यों के लिए मानवलाकुरीची, कन्याकुमारी में घरों का निर्माण सी आर जैड मानदण्डों में ढील	फरवरी, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
222.	काठीबक्कम गांव, सेदायेट तालुक, चेंगलपट्टी, एम जी आर जिला तमिलनाडु में वर्तमान ग्रेनाइट संयंत्र के लिए सी आर जेड के तहत पर्यावरणीय मंजूरी	सितंबर, 95	वही
223.	मैसर्स कुड्डालौर पावर कम्पनी लि. द्वारा 2x660 मे.वा. कुड्डालौर टीपीपी	मार्च, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
224.	मैसर्स जी वी के जेनरेशन लि. द्वारा कट्टापुलाई गांव में 1000 मे.वा. गैस टर्बाइन टीपीपी	अप्रैल, 96	वही
225.	मैसर्स इन्डियन पावर प्रोजेक्ट द्वारा गांव वामथार, जिला चिदम्बरम में 2000 मे.वा. गैस टर्बाइन विद्युत परियोजना	जून, 96	वही
226.	मैसर्स त्रिशक्ति एनर्जी लि. का 500 मे.वा. नार्थ मद्रास टी टी पी चरण-3	अगस्त, 96	वही

1	2	3	4
227.	मैसर्स जयाकोण्डम पावर कार्पो लि. का 3×500 मे.वा. जयाकोण्डम लिग्नाइट टीटीपी	अगस्त, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
228.	मैसर्स जयकोण्डम कं.लि. द्वारा जयमकोंडम लिग्नाइट खान	अप्रैल, 94	कार्रवाई की जा रही है।
229.	मैसर्स मदुराई सीमेंट प्रा. लि. की प्रस्तावित चूना पत्थर खान	जुलाई, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
230.	कुद्रेमोहरी परियोजना मैसर्स इंडियन रेयर अर्थ लि.	मार्च, 96	वही
	उत्तर प्रदेश		
231.	पिथौरागढ़ जिले में सुखीधाग माध्याबांग पुल का निर्माण	जुलाई, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
232.	बागेश्वर, जिला-अल्मोड़ा में काकोटे कोरमी मोटर मार्ग का निर्माण (8 कि.मी. से 19 कि.मी.)	अगस्त, 95	वही
233.	उत्तर प्रदेश के पिथोड़ागढ़ जिले में चौबटिया-कनालकोखेट-बामसुम मोटर मार्ग का निर्माण (8 से 16 कि.मी.)	सितंबर, 95	वही
234.	रनारीगांव से जोशियारा तक हल्के वाहन मार्ग का निर्माण	दिसंबर, 95	कार्रवाई की जा रही है।
235.	मैसर्स मालविका इस्पात लि.का जगदीशपुर में 0.45 एम टी पी एक कोक ओवर संयंत्र	सितंबर, 95	जांच के अंतिम चरण में है।
236.	मैसर्स सदाफ इन्टरप्राइनेज प्रा. लि. द्वारा उन्नाव में प्रतिदिन 1400 खालों का विनिर्माण और प्रतिदिन 1500 जूतों के निर्माण के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्टीग्रेटेड परियोजना	फरवरी, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
237.	मैसर्स उप्पल स्टील एंड एलाय (प्रा.) लि. का सूरजपुर इन्डस्ट्रियल क्षेत्र ग्रेटर नोएडा में एस एस इंगोट्स इन्स्टाल्ड क्षमता का विनिर्माण	मार्च, 96	जांच के अंतिम चरण में
238.	मैसर्स गैस आथरिटी आफ इंडिया का यूपीसीसी पट्टा का एल पी जी रिकवरी	अप्रैल, 96	वही
239.	मैसर्स भारतीय तेल निगम का मथुरा रिफाइनरी में डीजल हाइड्रोसल्फ्यूरिक स्टेशन यूनिट का निर्माण और प्रचालन	जून, 96	वही
240.	मैसर्स निधि स्टील लि. का गांव एंव डाकखाना जाडीह जिला मान में डिस्टिलरी इकाई	जून, 96	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4
241.	मैसर्स धामपुर सुगर लि. का बिजनौर में डिस्टिलरी इकाई	जून, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
242.	मैसर्स मिडि एक्ट्रसन के नोएडा में एल्युमीनियम एक्स्ट्रूजन संयंत्र	अक्तूबर, 96	कार्रवाई की जा रही है।
243.	मैसर्स हिंडालको इन्डस्ट्रीज लि. का प्रतिवर्ष 2,10,000 एम टी तथा प्रतिवर्ष 2,42,200 एम टी की एल्युमिनियम उत्पादन क्षमता का विस्तार	जून, 96	वही
244.	मैसर्स डंकन्स इंडिया लि. का पंकी, कानपुर में तीन स्ट्रीम संयंत्रों का विनिर्माण	अगस्त, 96	कार्रवाई की जा रही है।
245.	मैसर्स जगजीत इंडस्ट्रीज लि. का सिकन्दराबाद में शून्य बहिस्राव वाला ग्रेन बेस्ड डिस्टीलरी	सितंबर, 96	वही
246.	उत्तर प्रदेश पावर पेसिफिक विद्युत विकास निगम का जिला इटावा में जवाहरपुर टीपीपी (2x400 मे.वा.)	सिंतबर, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
247.	मैसर्स उ.प्र. इंडिया पावर पार्टनर्स (प्रा.लि.) द्वारा चन्दौसी में 100 मे.वा. लिक्विड ईंधन टीपीपी	अप्रैल, 96	कार्रवाई की जा रही है।
248.	मैसर्स हिंडालको इंडिया लि. द्वारा रेणुसागर विस्तार चरण-5 में 1x70 मे.वा. टीपीपी	जून, 96	कार्रवाई की जा रही है।
249.	गंगा बैराज परियोजना, कानपुर	मार्च, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
250.	आगरा बैराज परियोजना	अप्रैल, 96	वही
251.	बान सागर परियोजना	अप्रैल, 96	वही
	पश्चिम बंगाल		
252.	प्रस्तावित पी ओ एल टर्मिनल के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., सी आर जेड क्षेत्र वृंदावन, हल्दिया, मिदिनापुर, पश्चिम बंगाल में स्थित है।	अगस्त, 95	पूरा होने के अंतिम चरण में।
253.	प्रसतावित पी ओ टर्मिनल भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. सी आर जेड क्षेत्र हल्दिया, जिला-मिदनापुर में स्थित	सितंबर, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
254.	सुन्दरवन नेशनल वाटरवेज में अन्तर्राष्ट्रीय स्टीमर रूट आई डब्ल्यू ए आई का प्रस्ताव	अक्तूबर, 96	कार्रवाई चल रही है।

1	2	3	4
255.	मैसर्स दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि. का दुर्गापुर में 0.5 एमटीपीए स्टील प्रोडक्ट	सितंबर, 94	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रतीक्षा है।
256.	मैसर्स चटर्जी ग्रुप का हल्दिया में 6 एम एम पी टी एक रिफाइनरी	जनवरी, 96	जांच के अंतिम चरण में है।
257.	मैसर्स आई ओ सी का हल्दिया रिफाइनरी में 4.6 एमएमपीटीए के क्रूड प्रोसेसिंग स्तर पर डी एच डी ए	मई, 96	वही
258.	मैसर्स गौटीपोर पावर कम्पनी द्वारा 150 एम डब्ल्यू टी पी एम	फरवरी, 96	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
259.	मैसर्स बेटाकेम इंडिया लि. का हल्दिया मिदिनापुर में डाई इंटरमीडिएट एकक	अक्तूबर, 96	कार्रवाई चल रही है।
260.	मैसर्स सेन्चुरी आयरन एंड स्टील का खड़गपुर में पिग आयरन काम्पलैक्स	सितंबर, 96	वही

आन्ध्र प्रदेश का धोबी समुदाय

1576. श्री एस. रामचन्द्र रेड्डी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के धोबियों ने उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

अल्पसंख्यक समुदाय को शरणार्थी

1577. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में आये कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के शरणार्थियों को वापस भेजने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शरणार्थियों को, उनकी नागरिकता समाप्त किए जाने से पहले, नागरिकता अधिनियम, 1956 के अनुसार अपने मामलों का पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के पाक राष्ट्रिक, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से वैध यात्रा कागजातों पर यहां आते हैं, उनके वीसे की समयावधि उदारतापूर्वक बढ़ाई जाती है ताकि वे भारतीय नागरिकता के संबंध में अपने मामले को आगे बढ़ा सकें।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की सूची

1578. श्री पी. नामग्याल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को देखते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की एक व्यापक सूची तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). मंडल आयोग की रिपोर्ट केवल अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान से संबंधित है। अन्य पिछड़े वर्गों की एक व्यापक केन्द्रीय सूची तैयार की गई है और भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई है। इसमें मंडल आयोग की रिपोर्ट तथा राज्य सूचियों दोनों में जातियों और समुदाय समान रूप से शामिल है। सूची के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

विवरण

क्र.सं.	राज्यों के नाम	अधिसूचित जातियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	9
2.	असम	24
3.	बिहार	122
4.	गुजरात	79
5.	गोवा	3
6.	हरियाणा	60
7.	हिमाचल प्रदेश	48
8.	कर्नाटक	169
9.	मध्य प्रदेश	59
10.	महाराष्ट्र	215
11.	पंजाब	64
12.	तमिलनाडु	172
13.	उत्तर प्रदेश	53
14.	उड़ीसा	175
15.	राजस्थान	52
16.	त्रिपुरा	35
17.	पश्चिम बंगाल	14
18.	दादर व नगर हवेली	10
19.	दमन एवं दीव	19
20.	पॉडिचेरी	259
21.	जम्मू और कश्मीर	20
22.	मणिपुर	4
23.	सिक्किम	7
24.	दिल्ली	51
25.	केरल	73

यूरिया आयात अनुबंध

1579. श्री वीर सिंह महतो : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उर्वरक लि. तथा तुर्की की कंपनी करसन लि. के बीच यूरिया आयात के लिए हुआ अनुबंध रद्द हो गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भुगतान की गयी अग्रिम धनराशि को वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख). मै. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन एफ फल) ने मै. करसन लि. के साथ अपना अनुबन्ध समाप्त कर दिया है क्योंकि मै. करसन यूरिया की अनुबन्धित मात्रा की आपूर्ति करने में विफल रहा है।

(ग) 2 लाख मी.टन यूरिया की आपूर्ति हेतु मै. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन एफ एल) द्वारा हस्ताक्षरित अनुबन्ध से संबंधित मामले में अनियमितताओं की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। सी.बी.आई. भारत तथा विभिन्न अन्य देशों में भी जांच पड़ताल कर रही है। जिनेवा स्थित पिकटेट बैंक में मै. करसन लि. के खाते तथा अन्य संबंधित खातों में उपलब्ध धनराशि की निकासी पर रोक लगाने हेतु स्वीटजरलैण्ड सरकार से इस धनराशि को जब्त करके इसे भारत भेजने के लिए भी अनुरोध किया गया है।

हिरासत में मृत्यु

1580. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 नवम्बर, 1996 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "वेस्ट बंगाल टोप्स इन कस्टोडियन डेथ" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या एन एच आर सी ने विगत एक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में, हिरासत में हुई मृत्यु की सही संख्या का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी मृत्यु रोकने के लिए कोई नीति बनाने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्। सरकार ने 1.11.96 को "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "वेस्ट बंगाल टाप्स कस्टोडियल डैथ्स" नामक शीर्षक से छपा समाचार देखा है।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में हिरासत में हुई मौतों के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है परन्तु आयोग द्वारा दिसम्बर, 1993 में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसरण में आयोग को जिला मजिस्ट्रेटों/पुलिस अधीक्षकों से हिरासत में मौतों की घटनाओं के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होती रही हैं।

(घ) हालांकि "पुलिस" राज्य का विषय है, भारत सरकार ने हिरासत में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में राज्य सरकारों को निर्देश/दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जांच-पड़ताल के दौरान पुलिस द्वारा आपत्तिजनक एवं उत्पीड़नशील तरीकों के प्रयोग को रोकने के उपायों के बारे में राज्य सरकारों तथा

संघ शासित क्षेत्रों का समय-समय पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। कानूनी सुरक्षा-उपायों की ओर ध्यान आकर्षिक करते हुए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे, गिरफ्तारी करते समय संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करते समय या फिर पुलिस जांच अथवा जांच पड़ताल के किसी अन्य चरण के दौरान पुलिस द्वारा किए जाने वाले बल प्रयोग को रोकने अथवा प्रतिबंधित करने के संबंध में विभिन्न राज्यों के पुलिस मेनुअलों में सन्निहित निर्देशों को, पुलिस अधिकारियों के ध्यान में लाएं। इस बात पर बल दिया गया कि थर्ड डिग्री तरीके का प्रयोग करने के दोषी पाए गए पुलिस कार्मिक, दृष्टान्त योग्य दण्ड के भागी होंगे। इस बात पर भी जोर दिया गया कि वरिष्ठ अधिकारियों, का निरीक्षणों एवं बैठकों के दौरान जांच अधिकारियों को लगातार मार्ग-दर्शन देते रहना चाहिए और उन्हें, जांच के सही एवं निर्धारित तरीके अपनाने की आवश्यकता पर जोर देते रहना चाहिए। विशिष्ट दिशा निर्देशों के अलावा राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि आम जनता के प्रति पुलिस की सोच और व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन लाये जाने की जरूरत है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों हेतु अग्रणी प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद सहित अनेक पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में मानवाधिकारों को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारियों के लिए एक त्रि-स्तरीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया है और इसे लागू किए जाने हेतु राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों में परिचालित किया है।

उड़ीसा में कृषि विज्ञान केन्द्र

1581. श्री भक्त चरण दास : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कुल जिलों में से आधे से अधिक जिलों मे अब तक कोई भी कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस राज्य में 1994 के बाद से कोई कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं खोला गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्य के बाकी सभी जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हां। उड़ीसा के 30 जिलों में से 12 जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(ख) वे जिले जहां कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं हैं :-

1. मयूरभंज
2. बालांगिर
3. सुन्दरगढ़
4. गजपति
5. रायागढ़ा
6. मल्कानगिरि
7. नवरंगपुर
8. भद्रक
9. देवगढ़
10. झाडसुगदा
11. जयपुर
12. जगतसिंहपुर
13. खुर्द
14. नयागढ़
15. बाड़ागढ़
16. बौद्धा
17. नवपाड़ा
18. सोनपुर

(ग) और (घ). भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद धन (कोष) की कमी के कारण और कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित नहीं कर सकी।

(ङ) योजना आयोग से और अधिक विज्ञान केन्द्र खोलने के लिए अतिरिक्त धन के आबंटन के लिए कहा गया है।

प्याज और आलू की अतिरिक्त मात्रा

1582. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक में प्याज और आलू अतिरिक्त मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार ने किसानों से प्याज और आलू खरीदने के लिए कर्नाटक को कोई धनराशि जारी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) "नेफेड" और केन्द्रीय सरकार की अन्य एजेंसियों द्वारा कर्नाटक से कितनी मात्रा में प्याज और आलू खरीदा गया;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि हालांकि किसानों को प्याज और आलू को दी जा रही दरें कम हैं, जबकि बाजार में इनको बिक्री दरें ऊंची हैं; और

(च) यदि हां, तो किसानों और उपभोक्ताओं दोनों ही को ठग कर लाभ कमाने वाले बिचौलियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार ने खरीफ, 1996 के दौरान प्याज का उत्पादन 2,68,200 मी. टन होने का अनुमान लगाया है, जिसमें 1,25,000 मी. टन विपणनीय अधिशेष है तथा आलू का उत्पादन 3,50,000 मी. टन होने का अनुमान लगाया है, जिसमें 1,50,000 मी.टन. विपणनीय अधिशेष है।

(ख) और (ग). केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार को किसानों से प्याज और आलू की खरीद के लिए कोई धनराशि निर्मुक्त नहीं की है।

(घ) केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार के सहयोग से 15 अक्तूबर, 96 से 15 नवम्बर, 96 तक प्याज और आलू की खरीद के लिए मंडी हस्तक्षेप योजना कार्यान्वित की थी। मंडी हस्तक्षेप योजना के अधीन भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. ने एकल केन्द्रीय एजेंसी के रूप में 156 मी.टन प्याज की खरीद की है। मंडी हस्तक्षेप योजना के अधीन आलू की कोई खरीद नहीं की गई।

(ङ) कर्नाटक में नवम्बर, 1996 के दौरान अच्छे औसत किस्म के प्याज का थोक मूल्य 350 रुपये से 750 रुपये के बीच था तथा अच्छे औसत किस्म के आलू का मूल्य 355 रुपये से 550 रुपये प्रति क्विंटल के बीच था। कर्नाटक में प्याज की खुदरा दर 4.00 रु. से 7.00 रु. के बीच थी तथा आलू की खुदरा दर 4.50 रु. से 7.00 रु. किलो के बीच थी। इस प्रकार मंडी हस्तक्षेप योजना के अधीन निर्धारित मंडी हस्तक्षेप मूल्य की तुलना में प्याज और आलू दोनों की प्रचलित थोक दरें किसानों के लिए लाभप्रद है।

(च) परिवहन, मजदूरी छीजन आदि जैसे विभिन्न संभाल प्रभारों के कारण थोक दरों की तुलना में खराब होने वाली जिंसों का बिक्री मूल्य अधिक होता है। प्याज और आलू जैसी खराब होने वाली जिंसों के थोक मूल्यों की तुलना में किसानों के लिए प्रचलित थोक दर बिल्कुल अनुकूल है तथा उपभोक्ताओं के लिए बिक्री मूल्य भी उचित है। तथापि, जब कभी प्याज और आलू के मूल्य किफायती स्तर से नीचे आ जाते हैं और किसानों को संकटकालीन स्थिति में बिक्री करनी पड़ती है, तो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव देने पर केन्द्र सरकार मंडी हस्तक्षेप योजना लागू करती है तथा जब मंडी हस्तक्षेप योजना के अधीन किसी भी प्रकार की हानि होती है तो केन्द्र सरकार 50 प्रतिशत क्षति वहन करने के लिए तैयार रहती है।

[हिन्दी]

आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर

1583. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए हमारे कुछ पड़ोसी देशों में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). बताया जाता है कि पूर्वोत्तर के विद्रोही ग्रुपों के बंगला देश, भूटान और म्यांमार के क्षेत्रों में अनेक प्रशिक्षण शिविर/छिपने के स्थान हैं। बताया जाता है कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को सहायता देने और इन्हें भडकाने के उद्देश्य से पाकिस्तान में भी आतंकवादियों के शिविर हैं। रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि अनेक खालिस्तानी समर्थक तत्वों और कश्मीरी उग्रवादियों के नेपाल में शरणगाह हैं।

(ग) अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ शामिल हैं-संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बेलों की तैनाती में वृद्धि करना और आसूचना तंत्र को सुचारू बनाना, पड़ौसी देशों को यह सुनिश्चित करने के बारे में सुग्राही बनाना कि उग्रवादी/विद्रोही, भारत के खिलाफ लक्षित गतिविधियां चलाने के लिए उनके राज्य क्षेत्र से सामग्री, सहायता और सुविधाएं प्राप्त न कर पाएं, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन संबंद्ध एसोसिएशनों/ग्रुपों को गैर-कानूनी घोषित करना, समय-समय पर यथा-संशोधित "संशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958" के अंतर्गत प्रभावित क्षेत्रों को "अशांत क्षेत्र" घोषित करना, और हिंसक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के साथ कड़ाई से निपटना, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रेरित करना बशर्ते कि वे हिंसा का परित्याग कर दें और भारत के संविधान के अंतर्गत काम करने को तैयार हो जाएं।

[अनुवाद]

मत्स्यन पत्तन

1584. श्री एन. डेनिस : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

तमिलनाडु के पूर्वी तथा पश्चिमी तट पर मत्स्यन पत्तन और मछली दुलाई केन्द्र (फिसिंग लैंडिंग सेन्टर) खोले जाने के सम्बन्ध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : भारत सरकार ने मद्रास में बड़ी मात्स्यिकी बन्दरगाह के विकास के लिये शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी है और निम्नलिखित स्थानों पर स्थित छोटी मात्स्यिकी बन्दरगाहों के विकास के लिये 50 प्रतिशत सहायता दी हैं :-

1. तूतीकोरिन
2. मल्लीपट्टनम
3. कोडैकरै
4. पञ्चायार
5. थोंडी
6. वल्लीनोक्कम
7. चिन्नामुट्टम

साथ ही, मछली उतारने वाले निम्नलिखित केन्द्रों के लिये भी 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी गई है :-

1. कुड्डालोर
2. नागपट्टिनम्
3. रामेश्वरम्
4. पांक बे
5. कोट्टालपटनम
6. इरावै
7. मुट्टम
8. पूमपुहार
9. वलापल्लम
10. कोडिमुनै
11. वल्लावैलै

तमिलनाडु के पूर्वी और पश्चिमी समुद्रतट पर ये बन्दरगाह परियोजनाएं चिन्नमुट्टम छोड़कर जो पूरी होने ही वाली है, पूरी हो चुकी हैं तथा चल रही हैं।

भारत सरकार ने केन्द्रीय मात्स्यिकी समुद्रतटीय इंजीनियरिंग संस्थान बंगलौर को भी हिदायत दी है कि तमिलनाडु के पश्चिमी तट पर कन्याकुमारी जिले में कोलाचेल में तथा पूर्वी तट पर रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम् में छोटी मात्स्यिकी बन्दरगाह के विकास के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करें।

चीनी के मूल्य निर्धारण संबंधी नीति

1585. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान चीनी नीति की दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार चीनी उद्योग पर वर्तमान नीति के प्रतिकूल प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु एक समान नीति तैयार करने की आवश्यकता पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ). चीनी के वितरण के लिए दोहरे मूल्य तंत्र सहित आंशिक नियंत्रण की नीति के अधीन उत्पादित चीनी का एक भाग (इस समय 40 प्रतिशत) नियंत्रित मूल्यों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के लिए लेवी के रूप में लिया जाता है। इस समय देश भर में चीनी 9.05 रुपये प्रति किलोग्राम के एक समान मूल्य पर सार्वजनिक वितरण के जरिए सप्लाई की जाती है। शेष भाग अर्थात मुक्त बिक्री की चीनी विवेकपूर्ण ढंग से खुले बाजार में बिक्री के लिए प्रत्येक मास रिलीज की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खुले बाजार में मूल्य उचित स्तर पर बने रहें। आंशिक नियंत्रण की यह नीति प्रभावकारी पाई गई है और समय की कसौटी पर यह नीति सही उतरी है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय फार्म

1586. डा. बलिराम : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन राज्यों में केन्द्रीय कुक्कुट पालन केन्द्र, भेड़ पालन केन्द्र, बकरी पालन केन्द्र और सुअर पालन केन्द्र स्थापित करने का है जहां उक्त केन्द्र उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग). जी, नहीं। पशुपालन राज्य का विषय है। तथापि, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को केन्द्रीय रूप से प्रायोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता प्रदान कर रही है ताकि पशुधन क्षेत्र के तीव्र विकास के उनके प्रयासों को संपुष्टित किया जा सके। "एकीकृत सूअर विकास" नामक केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत राज्य सरकारों द्वारा नये सूअर फार्मों को स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

[अनुवाद]

फसल बीमा योजना

1587. श्री हरिन पाठक :

श्री नामदेव दिवाचे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य में उन जिलों के क्या नाम हैं जहां 1995-96 के दौरान फसल बीमा योजना शुरू की गई थी;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार, इस योजना के अंतर्गत कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ङ) विभिन्न राज्यों में राज्य-वार कृषि क्षेत्र कृषकों और फसलों के सन्दर्भ में योजना का वर्तमान दायरा कितना-कितना है; और

(च) चालू वर्ष तथा अगले तीन वर्षों के दौरान इस योजना का दायरा कहां तक बढाने का विचार है और इस उद्देश्य के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने वृहद फसल बीमा योजना की समीक्षा कराई है और खरीफ 1998 मौसम से इस योजना में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं:-

1. बीमा की राशि प्रति कृषक 10,000/- रुपये तक सीमित थी, चाहे किसान द्वारा लिये गये ऋण की रकम कुछ भी हो।
2. बीमित कुल धनराशि फसल ऋण के 100 प्रतिशत तक सीमित थी।

इसके अलावा, रबी 1988-89 से इन परिवर्तनों के अलावा विभिन्न फसलों की क्षतिपूर्ति के स्तर में भी फेरबदल किया गया जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

श्रेणी	उपज में भिन्नता	पूर्ति
कम	15% तक	90%
मध्यम	16.30%	80%
अधिक	30% से अधिक	60%

(ग) प्रत्येक राज्य के उन जिलों के नाम, जिनमें 1995-96 के दौरान फसल बीमा योजना क्रियान्वित की गयी थी, संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(घ) इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार धनराशि का कोई राज्यवार आबण्टन नहीं करती है। केन्द्र सरकार की राशि केन्द्रीय फसल बीमा कोष में जारी की जाती है जिसका रखरखाव और संचालन भारतीय साधारण बीमा निगम करता है।

विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा वर्षवार जारी की गयी धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार हैं:-

वर्ष	धनराशि
1993-94	61.40
1994-95	106.00
1995-96	36.30

(ङ.) क्षेत्र, कृषक और फसल की दृष्टि से इस योजना के वर्तमान कवरेज का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) इस योजना में संशोधन किये जाने के मुद्दे को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है ताकि इसके कवरेज का विस्तार किया जा सके और इसे व्यावहारिक बनाया जा सके।

विवरण-I

प्रत्येक राज्य के उन जिलों के नाम, जिनमें 1995-96 के दौरान फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किया गया था।

राज्य : आन्ध्र प्रदेश

1. पूर्वी गोदावरी
2. पश्चिमी गोदवरी
3. कृष्णा
4. गुन्टूर
5. श्रीकाकुलम
6. विजयानगरम्
7. विशाखापट्नम
8. नेल्लौर
9. प्रकाशम्
10. चित्तूर
11. आदिलाबाद
12. करीमनगर
13. निजामाबाद
14. मेडक
15. वारंगल
16. रंगारेड्डी
17. महबूबनगर
18. नालगोंडा
19. खम्मम
20. कुरनूल
21. अन्नतपुर
22. कुड्डपाह

राज्य : असम

1. सोनितपुर
2. लखीमपुर
3. धेमाजी
4. दरांग
5. डिब्रूगढ़
6. शिव सागर
7. जोरहाट
8. गोलाघाट
9. तीनसुकिया

10. नागांव
11. मोरो गांव
12. कामरूप
13. नलबाड़ी
14. बारपेटा
15. धुबड़ी
16. ग्वालपाड़ा
17. कोकराझाड़
18. बोंगई गांव
19. कछार
20. करीमगंज
21. हैलाखंडी
22. कारबी ऐंगलांग
23. उत्तरी कछार की पहाड़ियां

राज्य : बिहार

1. पूर्वी चम्पारण
2. पश्चिमी चम्पारण
3. गोपाल गंज
4. सीवान
5. सारण
6. सीतामढ़ी
7. मुंगेर
8. वैशाली
9. मधुबनी
10. दरभंगा
11. समस्तीपुर
12. मुजफ्फरपुर
13. गया
14. औरंगाबाद
15. रोहतास
16. भागलपुर
17. पटना
18. नालन्दा
19. नवादा
20. भोजपुर
21. बक्सर
22. जहानाबाद
23. बंका
24. भभना
25. जगानी
26. पूर्णिया
27. कटिहार
28. सहरसा
29. बेगुसराय
30. किशनगंज
31. अररिया
32. खगड़िया
33. मधेपुरा
34. सुपौल
35. हजारीबाग
36. गिरीडीह
37. धनबाद
38. दुमका
39. गोड्डा
40. साहेबगंज
41. देवगढ़
42. बोकारो
43. छत्रा
44. पलामू
45. लोहरदग्गा
46. गुमला
47. रांची
48. पूर्वी सिंहभूमि
49. पश्चिमी सिंहभूमि

राज्य : गोआ

1. उत्तरी गोआ
2. दक्षिणी गोआ

राज्य : गुजरात

1. बरौदा
2. भरूच
3. डैंग
4. पंचमहल
5. सूरत
6. वलसाद

7. अहमदाबाद
8. गांधीनगर
9. खेड़ा
10. मेहसाना
11. साबरकांठा
12. अमरेली
13. भावनगर
14. जामनगर
15. जूनागढ़
16. राजकोट
17. बनासकांठा
18. कच्छ
19. सुरेन्द्रनगर

राज्य : हिमाचल प्रदेश

1. बिलासपुर
2. चम्बा
3. हमीरपुर
4. कांगरा
5. किन्नौर
6. कुल्लू
7. लाहोल व स्पिति
8. मण्डी
9. शिमला
10. सिरमौर
11. सोलन
12. ऊना

राज्य : कर्नाटक

1. बंगलौर
2. बेलगाम
3. बेल्लारी
4. बीजापुर
5. चित्रदुर्गा
6. गुलबर्गा
7. कोलार
8. मन्दया
9. मैसूर
10. रायचूड़
11. टुमकुर
12. बीदार
13. हसन
14. शिमोगा
15. धारवाड़
16. चिकमंगलूर
17. कोडागू (कुर्ग)
18. उत्तर कन्नड़
19. दक्षिण कन्नड़

राज्य : केरल

1. त्रिवेन्द्रम
2. क्विलोन
3. पठनामथोट्टा
4. कोट्टायम
5. कासरगोड़
6. कालीकट
7. कुन्नूड़
8. पालक्कड़
9. मालापुरम
10. त्रिचूर
11. एलेप्पी
12. एर्नाकुलम
13. वायनाड़
14. इडुक्की

राज्य : महाराष्ट्र

1. रत्नागिरी
2. सिंधदुर्ग
3. मुम्बई
4. रायगढ़
5. थानेग
6. कोल्हापुर
7. पुणे
8. धुले
9. अहमदनगर
10. नासिक
11. उस्मानाबाद
12. सांग्ली
13. सतारा

14. शोलापुर
15. अकोला
16. अमरावती
17. औरंगाबाद
18. बीड़
19. बुलधाना
20. जलगांव
21. जालना
22. लातूर
23. नागपुर
24. नान्देड़
25. प्रभनी
26. वर्धा
27. योतमाल
28. भण्डारा
29. चन्दरपुर
30. गड़चिरौली

राज्य : मध्य प्रदेश

1. बालाघाट
2. बिलासपुर
3. दुर्ग
4. रायपुर
5. रायगढ़
6. राजनन्द गांव
7. बस्तर
8. माण्डला
9. शहडौल
10. सिधी
11. सुरगूजा
12. पन्ना
13. रेवा
14. सतना
15. सिवनी
16. होशंगाबाद
17. जबलपुर
18. नरसिंहपुर
19. भोपाल
20. दामोह
21. गुना
22. रायसेन
23. सागर
24. सेहोर
25. विदीषा
26. भिण्ड
27. ग्वालियर
28. मुरैना
29. शिवपुरी
30. छतरपुर
31. दतिया
32. टीकमगढ़
33. बेतूल
34. छिन्दवाड़ा
35. देवास
36. धर
37. इन्दौर
38. मन्दसौर
39. राजगिरिह
40. रतलाम
41. शाजापुर
42. उज्जैन
43. खण्डवा
44. खरगौन
45. झबुआ

राज्य : मेघालय

1. पूर्वी खासी हिल्स
2. भोई
3. पश्चिमी खासी हिल्स
4. जैन्तिया हिल्स
5. पूर्वी गारो हिल्स
6. पश्चिमी गारो हिल्स
7. दक्षिणी गारो हिल्स

राज्य : उड़ीसा

1. कटक
2. जयपुर

3. जगतसिंहपुर
4. केन्द्रपाड़ा
5. बालासोर
6. भद्रक
7. पुरी
8. नयागढ़
9. खुरधा
10. बोलानगीर
11. सोनपुर
12. सम्बलपुर
13. झरसुगुड़ा
14. देवगढ़
15. बारगढ़
16. कालाहाण्डी
17. नवापारा
18. गनजम
19. गजपति
20. कोरापुट
21. रायागाड़ा
22. नवरंगपुर
23. मालनावगिरी
24. फुलबनी
25. बण्धी
26. सुन्दरगढ़
27. क्योंझड़
28. ढ़ेकानाल
29. अंगुल
30. मयरभनी

राज्य : तमिलनाडु

1. टी.वी. मलाई
2. चेंगलपट्टूमार
3. उत्तरी आर्कट अम्बेडकर
4. विल्लूपुरम रामास्वामी
5. दक्षिणी आर्कट
6. धर्मापुरी
7. सलेम
8. पेरियार
9. कोयम्बटूर
10. तन्जौड़
11. नागापट्टीनम
12. त्रिचीरापल्ली
13. तिरूनेलवेल्ली
14. रामनाथपुरम
15. डिन्डीगुल अन्ना
16. वी.ओ. चिदम्बरम
17. कामराजर
18. मधुरई
19. पुडूकोट्टाई
20. पेसुनपोन मुथूरामालिंगम
21. कन्याकुमारी
22. नीलगिरी
23. परमबालूर तिरूवल्लूवार

राज्य : त्रिपुरा

1. उत्तरी त्रिपुरा
2. दक्षिणी त्रिपुरा

राज्य : पश्चिम बंगाल

1. पुरूलिया
2. बंकुरा
3. बीरभूम
4. मिदनापुर (पश्चिम)
5. नाडिया
6. मालदा
7. मुर्शिदाबाद
8. हुगली
9. हावड़ा
10. बरदवान
11. 24 परगना (उत्तरी)
12. मिदनापुर (पूर्वी)
13. 24 परगना (पूर्वी)
14. जलपाईगुड़ी
15. कूचबिहार
16. पश्चिमी दिनाजपुर
17. दार्जिलिंग

संघ शासित क्षेत्र : अण्डमान व निकोबार

1. अण्डमान
2. निकोबार

संघ शासित क्षेत्र : पाण्डिचेरी

1. पाण्डिचेरी
2. करैकल

विवरण–II

रबी 1995–96

राज्य/संघ शासित प्रदेश	फसल	किसानों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टयर में)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	धान	98243	157800
	ज्वार		
	मक्का		
	रागी		
	काला चना		
	जी. चना		
	एच. चना		
	मूंगफली		
	सीसमम		
	सूरजमुखी		
असम	ग्रीष्मधान	46	52.4
	गेहूं		
	चना		
	तोरिया व सरसों		
बिहार	गेहूं	72215	65698.48
	चना		
	तिल		
	अरहर		
	तोरिया व सरसों		
	हरा चना		
	धान		
गुजरात	गेहूं (I)	45420	49613
	गेहूं (यू.I)		
	एस. बाजरा		
	चना		
	एस. मूंगफली		
	तोरिया और सरसों		
गोआ	धान	55	100.51
हिमाचल प्रदेश	गेहूं	711	1153.83
कर्नाटक	धान	11502	20762.08
	गेहूं (आई.आर.आर.)		
	गेहूं (यू.एन.आई.आर.आर.)		
	ज्वार		
	बी. चना		
	कुसुम		
	सूरजमुखी		
	ग्रीष्म धान		
	रागी		
	मूंगफली		
केरल	डब्ल्यु. धान	17966	17278.19
महाराष्ट्र	गेहूं (I)	20180	16309.87
	गेहूं (यू.I)		
	ज्वार (I)		
	ज्वार (यू.I)		
	चना		
	कुसुम		
	अलसी		
	सीसेमम		
	सूरजमुखी		
मध्य प्रदेश	गेहूं	144201	363684
	चना		
	तोरिया और सरसों		
	अलसी		
मेघालय	तोरिया और सरसों	170	350
उड़ीसा	एस. धान	10318	10336.01
	मूंगफली		
पाण्डिचेरी	धान	987	1569.23
	धान		
तमिलनाडु	धान	34995	132463.69
	ज्वार		
	बाजरा		
	रागी		
	मूंगफली		
	जिंजली		
त्रिपुरा	बोरोधान	240	70
पश्चिम बंगाल	धान	6200	2739
	गेहूं		
	दलहन		
	सरसों		
	सीसेमम		

खरीफ 1995

राज्य/संघ शासित प्रदेश	फसल	किसानों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टयर में)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	कोबरा	879127	1560319
	धान		
	ज्वार		
	मक्का		
	बाजरा		
	रागी		
	मूंग		
	हरा चना		
	कुल्थी		
	मूंगफली		
	सेसामम		
	अरण्ड		
	अरहर		
अण्डमान व निकोबार	धान (एल वी)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
	धान (एच वाई वी)	21	
असम	ए.टी.एम. धान	210	157.91
	डब्ल्यू.टी.आर. धान		
बिहार	धान	61680	82228.66
	मक्का		
गुजरात	धान	808877	1622812
	मक्का		
	बाजरा		
	तुर		
	मूंगफली		
गोवा	रागी		
	धान	1348	3266.63
	दलहन		
	मूंगफली		
हिमाचल प्रदेश	धान	313	382.5
	मक्का		
कर्नाटक	धान	318765	522685.36
	मक्का		
	ज्वार		
	तुर		
कर्नाटक (जारी)	मूंगफली		
	सूरजमुखी		
	बाजरा		
	रागी		
केरल	धान	14963	16302.88
महाराष्ट्र	सेसमम	1022162	1264719.12
	धान		
	बाजरा		
	ज्वार		
	मूंगफली		
	तुर		
मध्य प्रदेश	मूंगफली	887946	1996139.0
	धान		
	ज्वार		
	बाजरा		
	मक्का		
	कोदुकुटकी		
	तुर		
	सोयाबीन		
	सेसामम		
मेघालय	एहू धान	957	1405.84
	साली धान		
उड़ीसा	धान	240514	179442.51
	मूंगफली		
पाण्डिचेरी	धान	471	781.05
तमिलनाडु	धान	36851	67972.56
	ज्वार		
	बाजरा		
	रागी		
	मूंगफली		
	गिनगली		
त्रिपुरा	अस धान	873	758
	अमन धान		
पश्चिम बंगाल	धान	349015	182783
	कुल:	46,24,072	75,02,156.02

[हिन्दी]

अखिल भारतीय समन्वयकारी अनुसंधान परियोजना

1588. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूजल का अधिकतम उपयोग किए जाने संबंधी अखिल भारतीय समन्वयकारी अनुसंधान परियोजना पहले कृषि अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत थी और कुछेक पूर्व वर्ष इसे मृदा सस्यविज्ञान और वानिकी विभाग के अन्तर्गत रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना से यह पता नहीं चलता है कि यह कृषि अभियंत्रण विभाग से अधिक सम्बद्ध है;

(ग) यदि हां, तो कृषि अभियंत्रण विभाग से इसे मृदा सस्य विज्ञान और वानिकी विभाग के अन्तर्गत कर दिए जाने का क्या कारण है; और

(घ) सम्बद्ध अनुसंधान केन्द्रों की देख-रेख करने वाले अधिकारियों की राय क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). वर्ष 1970 में इसके आरम्भ होने के समय से ही, मृदा, सस्य तथा अभियांत्रिकी प्रभाग के तहत भूजल के अधिकतम अपयोग पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना आरम्भ की गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत परिषद के मुख्यालय में एक नया अभियांत्रिकी प्रभाग बनाया गया था तथा उसमें कुछ योजनाओं को हस्तांतरित किया गया था।

(ग) आठवीं योजना के दौरान विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर परिषद के मुख्यालय में मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण तथा सभी जल प्रबंध से संबंधित अनुसंधान प्रायोजनाओं के लिए एक नया समाकलित जल प्रबंध प्रभाग बनाया गया था। इस प्रयत्न के अनुसरण में, भूजल के उपयोग पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना को बेहतर समन्वय तथा सम्पर्क के लिए आई.डब्ल्यू.एम. प्रभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था।

(घ) इस प्रायोजना के तहत कार्यरत वैज्ञानिक मौलिक रूप से जल प्रबन्ध विशेषज्ञ हैं जो विभिन्न शाखाओं जैसे अभियांत्रिकी, मृदा विज्ञान, भू-विज्ञान, जल विज्ञान आदि से संबंधित हैं।

[अनुवाद]

पर्यावरण संबंधी खतरों के विषय में अध्ययन

1589. श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक दल ने भारत में बड़े शहरों में पर्यावरण संबंधी खतरों के बारे में अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन दल की सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां। विश्व बैंक के दल ने "कास्ट आफ इनेक्शनः वैल्यूइंग दि इकानामी-वाइड कांस्ट आफ इन्वाइरनमेंटल डिग्रेशन इन इंडिया" शीर्षक से एक अध्ययन किया है;

(ख) अध्ययन ने विशेष सिफारिशें नही की हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यूरिया का अधिक मात्रा में उपयोग

1590. श्री सुरेश प्रभु : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फास्फोरस और पोटाशीय उर्वरकों की अनुपलब्धता के कारण किसानों द्वारा यूरिया का अधिक मात्रा में उपयोग किये जाने से भूमि की उर्वरक शक्ति में कितनी कमी आयी है; और

(ख) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) किसी राज्य कृषि विश्वविद्यालय/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। यूरिया की औसत राष्ट्रीय खपत केवल 50 कि.ग्राम प्रति हैक्टेयर है जबकि पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में यह क्रमशः 150 कि.ग्रा., 100 कि.ग्रा. तथा 77 कि.ग्रा. है। स्थाई उर्वरक परीक्षण (1971-87) के परिणामों से पता चलता है कि पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश की क्षार आदि रहित मृदा और क्षार मृदा में मृदा के फास्फेट में कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं दिखाई देता।

(ख) निम्नलिखित सुधारक उपाय किए जाते हैं/करने हेतु प्रस्तावित है :-

(1) सतत फसल उत्पादकता के लिए संतुलित नियोजन पोषण के साथ समेकित पोषण प्रबंध की सिफारिश की जा रही है। सरकार केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो योजनाएं कार्यान्वित कर रही है-

(i) उर्वरकों का संतुलित और समेकित उपयोग

(ii) कम खपत वाले तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय उर्वरक विकास परियोजना और बायो उर्वरकों के विकास और उपयोग पर राष्ट्रीय परियोजना और प्रौद्योगिकी मिशन की एक केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना।

2. अन्य विधियों में फोस्फो कम्पोस्ट (स्वदेशी चट्टान फास्फेट मिश्रित कम्पोस्ट) का उपयोग, फसल अवशेषों, का पुनः उपयोग फास्फेट को घोल सकने वाले जैव उर्वरकों का उपयोग।

3. उर्वरकों को संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों पर रियायत में काफी वृद्धि कर दी गई है।

विश्व बैंक के अध्यक्ष का दौरा

1591. श्री सनत मेहता : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष ने हाल ही में अपने दौरे के दौरान उनसे विचार-विमर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुख्य विषयों पर विचार-विमर्श हुआ;

(ग) क्या विचार-विमर्श के दौरान कृषि मद पर किसी नये क्षेत्र मे धन-राशि देने पर बातचीत हुई तथा उसे अंतिम रूप दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हां। विश्व बैंक के राष्ट्रपति ने कृषि मंत्री से 18.10.1996 को मुलाकात की थी।

(ख) मुख्य विषय जिन पर विचारा-विमर्श किया गया वे थे-

(1) हमारे 80 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत किसान हैं और छोटी और सीमांत जोतों की कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है और ऐसा केवल तभी संभव है जब कृषि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए।

(2) छोटे और सीमांत किसानों को ऋण देने से काफी समय तक कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने में मदद मिलती रहेगी।

(3) सिंचाई-किसानों को विशेषकर लघु सिंचाई संसाधनों जैसे कि कुएं, तालाब आदि को सुलभ कराना।

(4) विपणन अवसरंचना वाले क्षेत्र तैयार करना।

(5) कृषि विकास के लिए ग्रामीण विकास, गांवों में सड़कों का विकास, बाजारों की स्थापना और महिलाओं को शक्ति प्रदान की जानी चाहिये।

(6) कृषि को दी जाने वाली राजसहायता और इसके प्रति सरकार की वचनबद्धता का घटनावार संदर्भ देना।

(7) भारत के किसानों और गरीब लोगों के जीवन सुरक्षा हेतु समर्थन मूल्य में वृद्धि करना।

(ग) तथा (घ). विस्तपोषण किये जाने वाले विषय जिन पर विचार-विमर्श किया गया, इस प्रकार हैं:- किसानों को भूमि की उत्पादकता शक्ति में बढ़ोत्तरी करने के लिए ऋण की सुविधा तथा फसल प्रणाली के लिए आवश्यक अल्पकालिक ऋण प्रदान करना, पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने और मृदा की उर्वरता को बनाये रखने के लिए मृदाओं का परीक्षण करना, विस्तार सेवाओं में सुधार करना, किसानों को ऋण सुविधायें प्रदान करना, कृषि जिंसों, विशेषकर शीघ्र खराब हो जाने वाली वस्तुओं के लिए बुनियादी और विपणन सुविधाओं का विकास, सामाजिक क्षेत्र का विकास आदि।

इस सन्दर्भ में विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री जेम्स.डी. वोल्फेन्सन को दिनांक 19 अक्तूबर, 1996 को कृषि मंत्री द्वारा लिखे गये पत्र की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

चतुरानन मिश्र
कृषि मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली

प्रिय राष्ट्रपति वोल्फेशन,

कल भोजन के दौरान आप और आपके शिष्टमण्डल के कुछ सदस्यों ने छोटे और सीमांत किसानों, जो कि हमारे कृषक समुदाय का लगभग 80 प्रतिशत है, की आर्थिक स्थिति में सुधार करने से संबंधित उपायों पर हमारे विचार की तारीफ की थी। इससे उत्साहित होकर मैं कुछ प्रस्ताव रख रहा हूं जो कि विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश के रायल सीमा, जोकि मुख्यतया वर्षा सिंचित क्षेत्र हैं, के छोटे और सीमांत किसानों से संबंधित हैं जिनकी कुल जनसंख्या 26.1 मिलियन हैं। मैं विश्व बैंक से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इन क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं पर विचार करे जो कि छोटे और सीमांत किसानों से संबंधित हैं। इसमें निम्नलिखित सन्दर्भ आते हैं :-

(1) भूमि की उत्पादक क्षमता में वृद्धि करने के लिए ऋण और फसल प्रणाली के लिए जरूरी अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना,

(2) इन किसानों की मृदाओं का परीक्षण करना ताकि पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके और भूमि की शक्ति को बनाये रखा जा सके,

(3) कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण के माध्यम से वर्षासिंचित खेती की उन्नत प्रौद्योगिकी का अंतरण,

(4) विभिन्न कृषि सहायक क्रियाकलापों के माध्यम से घरेलू विशेषकर महिलाओं की आय के पूरक संसाधनों को बढ़ावा देना,

(5) ऐसे किसानों के लिए कुओं, तालाबों नलकूपों आदि जैसे लघु सिंचाई संसाधनों को उपलब्ध कराना,

(6) ग्रामीण संचार सुविधाओं का विकास करना ताकि कृषि जिंसों विशेषकर जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं का विपणन करना,

(7) कृषि श्रमिकों के स्वास्थ्य का बीमा शुरू करने के लिए प्रारम्भिक पूंजी/सुनिश्चित रोजगार योजना शुरू करने के बाद यह अंशदायी हो जायेगी।

इन उपायों का कारगर ढंग से क्रियान्वयन किये जाने के लिए धन सीधे ग्रामीण निकायों यथा पंचायतों को दी जानी चाहिये जो जिलाधीश की निगरानी में काम करा सकें। अपने कामकाज के लिए प्रतिष्ठित निजी क्षेत्रों और कई गैर-सरकारी संगठनों को इस काम में लगाया जायेगा क्योंकि ऐसा करना और अधिक कारगर साबित होगा।

यह गरीबी दूर करने का एक संयुक्त प्रयास होगा जो कि दान से न करके इस योजना के अंतर्गत कृषक समुदायों की जमीनों की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाकर किया जायेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमने अपने सीमित संसाधनों के द्वारा भी विभिन्न भागों के 15 सर्वाधिक गरीब, जनजातीय और सूखा प्रवण जिलों ने गरीबी से लड़ने के समन्वित और सामन्जस्यपूर्ण प्रयास किये हैं।

हम धन के सर्वोत्तम उपयोग के लिए कुछ सुझाव देंगे। इससे हमारी जनसंख्या के गरीब से गरीब तबकों की पारिवारिक आय में वृद्धि हो सकेगी और इससे खाद्य पर दी जाने वाली सब्सीडी को कम करने में भी मदद मिलेगी और वित्तीय और बजटीय घाटा कम हो सकेगा।

मैं अपने मन्त्रालय से इन मुद्दों पर ठोस योजनायें तैयार करने के लिए कह रहा हूं और अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इन परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए अपना दल भेजने का कष्ट करें।

सादर भवदीय,

(चतुरानन मिश्र)

श्री जेम्स.डी. वोल्फेनसन,
अध्यक्ष, विश्व बैंक,
कैम्प आफिस, नई दिल्ली

बंगलौर में केन्द्रीय पुलिस बलों की तैनाती

1592. श्री वी. धनन्जय कुमार : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता के दौरान केन्द्रीय पुलिस बलों की कितनी कम्पनियां तैनात की गई हैं;

(ख) इस संबंध में कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है;

(ग) किस प्राधिकरण द्वारा इसकी लागत वहन की जाएगी;

(घ) क्या तैनाती से पूर्व सुरक्षा संबंधी जोखिमों के संबंध में कोई उपयुक्त मूल्यांकन किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : *(क) विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता के दौरान कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर त्वरित कार्रवाई बल की 5 कंपनियां तथा महिला केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 2 कंपनियां बैंगलोर में तैनात की गई थी।*

(ख) और (ग). तैनाती की लागत, जो तैनाती की अवधि पर निर्भर करती है, कर्नाटक सरकार से निर्धारित दरों पर वसूल की जाएगी।

(घ) और (ङ). राज्य सरकार से लोक व्यवस्था बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है तथा राज्य प्रशासन की सहायतार्थ राज्य सरकारों के विशिष्ट अनुरोध पर केन्द्रीय पुलिस बल उपलब्ध कराए जाते हैं।

फास्फेट संयंत्र

1593. श्री जी. वेंकट स्वामी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में दो फास्फेट संयंत्र स्थापित करने की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हजीरा में कृभको की नाइट्रो-फास्फेट परियोजना को छोड़ देने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, नहीं। तथापि, आठवीं योजना के लिये उर्वरक संबंधी कार्यदल ने यह सिफारिश की थी कि आठवीं योजनावधि के दौरान पी2 ओ5 की कुल 0.45 मिलियन टन क्षमता वाले डी ए पी संयंत्रों तथा 0.15 मिलियन टन पी 2 ओ 5 की कुल क्षमता के नाइट्रो-फास्फेट संयंत्रों की स्थापना की जानी चाहिए।

(ख) फास्फेटिक उर्वरकों को 1994 में नियंत्रणमुक्त तथा डीकेनेलाइजेशन किये जाने के फलस्वरूप इनके फार्मगेट मूल्यों में अत्यधिक तेजी आई। इसके परिणामस्वरूप हुए मांग दबाव ने फास्फेटिक क्षेत्र में नये निवेश के प्रवाह को रोक दिया है।

(ग) से (ङ). कृभकों द्वारा परियोजना व्यवहार्यता के मानकों में प्रतिकूल परिवर्तनों तथा बेहतर वैकल्पिक निवेश अवसरों की उपलब्धता के कारण नाइट्रो-फास्फेट परियोजना पर पुनः विचार किया जा रहा है।

कंटीले तारों की बाड़ लगाना

1594. श्री बादल चौधरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के साथ लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों के साथ-साथ कांटेदार तार लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) त्रिपुरा-बंगलादेश की 494 कि.मी. सीमा पर बाड़ लगाने का प्रस्ताव है।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

खुले बाजार में गेहूं की बिक्री

1595. श्री गंगा चरण राजपूत : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने दिल्ली तथा चण्डीगढ़ में व्यापारियों को सितम्बर के बाद 4900 रुपए प्रति टन की दर से तथा सितम्बर से पहले 4550 रुपए की दर से गेहूं बेचा था जबकि खुले बाजार में गेहूं का मूल्य 6250 रुपए प्रति टन था;

(ख) यदि हां, तो वे क्या कारण थे जिसकी वजह से भारतीय खाद्य निगम ने खुली नीलामी अथवा निविदाएं आमंत्रित करके गेहूं को अधिकतम मूल्य पर नहीं बेचा है;

(ग) सस्ते दर की दुकानों पर गेहूं न देने के क्या कारण हैं जिससे कि आम आदमी को वही गेहूं का आटा जो सरकार द्वारा खुले बाजार में 4.50 रुपए प्रति किलो बेचा गया था 8 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदना पड़ा;

(घ) भारतीय खाद्य निगम ने खुले बाजार में कतना गेहूं बेचा था तथा इससे सरकार को कितना घाटा हुआ था;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). जी, हां। भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खुली बिक्री अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जोखिम में डाले बिना बाजार मूल्यों पर संतुलित प्रभाव डालने के लिए की जाती है। संगत/व्यावहारिक रूप से विचार करने के बाद सरकार ने केन्द्रीय निर्गम मूल्य से अधिक लेकिन भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत से कम मूल्य पर गेहूं की खुली बिक्री करने का निर्णय लिया है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खुली बिक्री विभिन्न डिपुओं/क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली/संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य कल्याण योजनाओं की आवश्कताओं से अधिक उपलब्ध स्टाक में से की जाती है। गेहूं की खुली बिक्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गेहूं की आपूर्ति को प्रभावित नहीं किया है।

(घ) वर्ष 1996-97 (अक्तूबर, 1996 तक) के दौरान बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम ने 16.55 लाख टन (अनन्तिम) गेहूं की बिक्री की है। भारतीय खाद्य निगम गेहूं की खुली बिक्री केन्द्रीय निर्गम मूल्य से अधिक किन्तु भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत से कम मूल्य पर करता है। गेहूं की खुली बिक्री से प्राप्त हुई यह राशि उस राशि से अधिक है जो इस मात्रा को केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर रिलीज करने पर प्राप्त हुई यह राशि उस राशि से अधिक है जो इस मात्रा को केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर रिलीज करने पर प्राप्त हुई होती। अतः कुछ सीमा तक सब्सिडि बी बचत हुई हैं।

(ङ) और (च). खुले बाजार में गेहूं की बिक्री करने के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार समय-समय पर खुले बाजार में गेहूं की बिक्री संबंधी नीति की समीक्षा करती है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

मक्का पर आधारित उद्योग

1596. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के बेगुसराय तथा खगरिया जिलों में मक्का पर आधारित कोई उद्योग है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उन क्षेत्रों में मक्का पर आधारित उद्योग स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) बिहार के बेगुसराय और खगडिया जिले में मक्का पर आधारित कोई उद्योग नहीं है।

(ख) से (घ). वर्तमान नीति के अनुसार मक्का प्रसंस्करण एकक विकेन्द्रीकृत है ओर ऐसी यूनिटों की स्थापना के लिए भारत सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त जिलों में मक्का आधारित उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इच्छुक गैर-सरकारी उद्यमियों द्वारा कोई भी मक्का आधारित उद्योग स्थापित किया जा सकता है।

[अनुवाद]

उर्वरकों पर राजसहायता

1597. श्री शरत पटनायक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सूखा प्रवण क्षेत्रों में उर्वरकों पर 75 प्रतिशत राजसहायता प्रदान करने हेतु विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग). भारत सरकार पहले ही 3320/- रुपये प्रति टन के समान मूल्य पर किसानों को राजसहायता युक्त यूरिया मुहैया कर रही है। इसके अलावा, विनियंत्रित फास्फैटिक और पोटाशिक उर्वरकों की बिक्री पर किसानों को रियायत दी जाती है। सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए उर्वरकों पर अलग से 75 प्रतिशत राजसहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आतंकवादी गतिविधियां

1580. श्री पिनाकी मिश्र :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के आदिवासी सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय तथाकथित "पीपुल्स वार ग्रुप" ने अपनी आतंकवादी गतिविधियों को पुनः आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले चार महीनों के दौरान उनके द्वारा की गई आतंकवादी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी आंतकवादी गतिविधियों को रोकने और समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). जी, हां, श्रीमान्। माह जुलाई से अक्तूबर, 1996 के दौरान पीपुल्स वार ग्रुप द्वारा की गई हिंसा की घटनाओं को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) "लोक व्यवस्था" तथा "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण यह संबंधित राज्य सरकारों का काम है कि वे इस संबंध में विभिन्नि उपाय निकालें और ठोस कदम उठाएं। केन्द्रीय स्तर पर, विभिन्न राज्यों द्वारा चलाए जा रहे उग्रवादी-विरोधी अभियानों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद देने तथा आतंकवादी/विद्रोही गतिविधियों पर काबू पाने के लिए राज्यों के बीच सूचना के आदन प्रदान हेतु कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को पुलिस का आधुनिकीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता, उन्नत किस्म के हथियारों की सप्लाई, अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती आदि के रूप में मदद दी जा रही है।

विवरण

पीपुल्स वार ग्रुप द्वारा की गई हिंसा की घटनाएं-1996

	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर
	1	2	3	4
कुल घटनाएं (मौतें)				
आंध्र प्रदेश	58(8)	54(5)	70(17)	40(20)
मध्य प्रदेश	5(3)	13(2)	4(1)	6(3)
महाराष्ट्र	6(4)	1(-)	-	-
उड़ीसा	1(-)	3(-)	1(-)	2(-)
पुलिस पर हमले (सुरंगों सहित) (मारे गए पुलिसवाले)				
आंध्र प्रदेश	4(1)	2(-)	4(3)	5(7)
मध्य प्रदेश	1(1)	-	1(-)	
महाराष्ट्र	-	-	-	-
उड़ीसा	-	-	-	-
सुरंगों सहित आई.ई.डी.एस. की घटनाएं				
आंध्र प्रदेश	5(-)	10(-)	11(2)	5(7)
मध्य प्रदेश	1(1)	1(-)	-	-
महाराष्ट्र	-	-	-	
उड़ीसा	-	-	-	
पुलिस मुखबिरों पर हमले (मौतें)				
आंध्र प्रदेश	15(4)	8(2)	13(8)	10(7)
मध्य प्रदेश	1(1)	2(1)	-	2(2)
महाराष्ट्र	3(2)	-	-	-
उड़ीसा	-	-	-	-
आगजनी की घटनाएं				
आंध्र प्रदेश	9	20	17	4
मध्य प्रदेश	1	-	-	1
महाराष्ट्र	-	1	-	
उड़ीसा	-	-	-	

आस्ट्रेलिया से सहायता

1599. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सामाजिक रूप से अयोग्य और पिछड़ों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करने की प्रणाली के विकास में सहयोग के लिए आस्ट्रेलिया जैसे किसी देश से सहायता/सहयोग प्राप्त करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विकास हेतु सहायता

1600. श्री मुरलीधर जैना : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और राज्य-वार कृषि विकास हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस प्रयोजनार्थ चालू वर्ष में अधिक सहायता मांगी है और इसके लिए कुछ प्रस्ताव भी भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महावीर एन्क्लेव में मकानों को गिराना

1601. श्री पीताम्बर पासवान : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में डाबड़ी क्षेत्र के महावीर एन्कलेव में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकान गिराये जाने के खिलाफ विरोध प्रकट करने वाले प्रदर्शनकारियों पर हाल ही में की गई पुलिस गोलीबारी में कुछ लोग मारे गये और कई घायल हुए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन परिस्थितयों, जिनके कारण पुलिस गोलीबारी की गई, की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। 14.10.96 को ग्राम नसीरपुर की ग्राम सभा की जमीन पर अनधिकृत रूप से बनी कुछ इमारतों को ढहाने की कार्रवाई की गई। चूंकि यह कार्रवाई उसी दिन पूरी नहीं हो सकी इसलिए शेष इमारतों को अगले दिन ढहाने का निर्णय लिया गया। तथापि, इससे पहले की ढहाने की कार्रवाई पुनः शुरू होती, आगे ढहाने की कार्रवाई करने के खिलाफ एक बड़ी भीड़ सुबह-सबेरे ही डाबरी थाने के निकट जमा हो गई। इस भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया, लेकिन वापस भागती हुई भीड़ में से कुछ शरारती तत्व आगजनी और हिंसा में संलिप्त हो गए। "विजय इन्कलेव" के पास पुलिस पार्टी को एक बड़ी भीड़ ने चारों ओर से घेर लिया। पुलिस पार्टी की संख्या अधिक होने के बावजूद भी वह हिंसा पर काबू नहीं पा सकी और उन्हें सीमित रूप से गोलीबारी का सहारा लेना पड़ा जिसमें दो व्यक्ति मारे गए तथा 14 अन्य घायल हुए।

(ग) से (ङ). दिल्ली के उप-राज्यपाल ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं।

अपशेष का आयात

1602. श्री तारीक अनवर : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों की आलोचना के बावजूद सरकार ने अपशेष के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). जी, नहीं। भारत सरकार ने 27 सितंबर, 1996 को केवल आर्सेनिक, साइनाइड और पारा वाले अपशिष्टों के आयातों के निषेध के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत एक प्रारूप अधिसूचना जारी की है। पूर्वोक्त निषेध लगाने के प्रति आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। इस अधिसूचना को प्रकाशन की तारीख से 90 दिनों की अवधि समाप्त होने पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

[हिन्दी]

पर्यावरण के संबंध में जागरूकता

1603. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूल स्तर पर पर्यावरण संबंधी शिक्षा लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसमें सरकार तथा पर्यावरण के संबंध में समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं छापने वाली गैर-सरकारी एजेंसियों का क्या योगदान है; और

(ग) देश में विशेषरूप से पर्यावरण की सुरक्षा हेतु कार्य करने वाली संस्थाओं तथा सरकार द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु की गई कार्यवाही के बारे में ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग). राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरणीय शिक्षा के सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों का अभिन्न अंग बनाया गया है। उपयुक्त रूप से पर्यावरणीय विषयों को शामिल करने वाले उपयुक्त पाठों के पुनरीक्षण और विकास में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सहायता की जाती है। विद्यालयों में स्थानीय पर्यावरणीय स्थितियों को शिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करने के ध्येय से प्रयोगात्मक सुधार कार्यक्रमों के संचालन के लिए गैर-सरकारी संगठनों के साथ-साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की भी सहायता की जाती है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय के उत्कृष्टता के केन्द्र तथा अन्य स्वायत्तशासी निकाय जागरूकता पैदा करने में मदद करते हैं और पर्यावरणीय मुद्दों पर अनुसंधान तथा प्रशिक्षण में अपना योगदान देते हैं। अधिसंख्या गैर-सरकारी संगठन जागरूकता पैदा करने और पर्यावरण संरक्षण में भी सक्रिय हैं। इन निकायों की सहायता संसाधन सामग्रियों और अनुदानों के जरिए की जाती है।

[अनुवाद]

सिक्किम में आई.सी.ए.आर. का क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र

1604. श्री भीम प्रसाद दाहाल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र कब से कार्यरत है;

(ख) क्या गंगटोक, सिक्किम स्थित आई.सी.ए.आर. केन्द्र द्वारा नई कृषि/बागवानी किस्में विकसित की गई हैं; और

(ग) सिक्किम में इतने वर्षों से कार्यरत इस संस्थान का क्या कुल योगदान रहा है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान काम्प्लैक्स, शिलांग के प्रशासनिक नियंत्रण में जुलाई, 1976 में भा.कृ.अ.प. ने सिक्किम में कृषि और पशु विज्ञान अनुसंधान केन्द्र के लिए एक प्रायोजना मंजूर की थी।

(ख) और (ग). कृषि/बागवानी में धान, मक्का, दलहन, बड़ी इलायची, अमरूद, केला, स्ट्राबरी, हल्दी और सब्जी की फसलों पर अनुसंधान कार्य चल रहा है। सिफारिश की गई किस्मों की सूची विवरण-I में दी गई है। इसके शुरू होने के समय से ही सिक्किम केन्द्र में पौध प्रजनन, सस्य विज्ञान, मृदा विज्ञान, बागवानी, पौध रोग विज्ञान, कीट विज्ञान और कृषि-वानिकी के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किया जा रहा था।

विवरण

(सिक्किम केन्द्र द्वारा सिफारिश की गई किस्में)

1. कृषि

- धान :

  उपराऊं : आई.आर.ए.टी.-144, आई.आर.ए.टी.-109, सी.एस.आर-80

  निचली भूमिः डी.आर.-92, गीजा-14, सी.एस.आर-80, आई.ई.टी-1444

- मक्का :

  एन.एल.डी. ह्वाइट

  पॉपकार्न : काम्पलैक्स पोप-1

- उड़द :

  टी.ए.यू.-2, टी.ए.यू.-1

- राजमा :

  अल्प अवधि : किन-1, किन-2

  बौनी किस्म, पोले टाइप : आर.सी.आर.-2, जे.के.-1, जे.के.-2

- मटर (फील्ड पी)

  जे.पी.-829, डी.डी.आर.-1, डी.एम.आर-7

- राइस बीन :

  आर.सी.आर-64, डी.डी. आर.सी.आर-66, आर.सी.आर-67

- बाकला :

  धौली-5, धौली-6, एस.बी.एस-2

- राई :

  डी.आई.आर-4128, रेड-3, आर.एस.एम.-105

- तौरिया :

  एन.डी.टी.-501-1, टी.डब्ल्यू-685-1, पी.टी.-854-1

- पीली सरसों :

  एस.एस-2, एस.एस-3, वाई.एस.पी.-843, एस.एस-1

- अलसी :

  जे.सी.के.-21, टी-397

बागवानी

- बड़ी इलायची की पौध तैयार करने की उन्नत तकनीक का मानकीकरण किया गया है। चिर्की महामारी वाले क्षेत्रों के लिए तथा -फरके महामारी वाले क्षेत्रों में "बेबो" के लिए

"जोंगू गोलसी" टीकाकरण सामग्री के रूप में इसकी रोपाई काफी सहिष्णु पाई गई। एक उच्च उपजशील किस्म **पिंक गोलसे** मध्य व उच्च अक्षांशों के लिए उपयुक्त पाई गई। हरी इलायची की किस्म (क्रोन-4) खाने और मिठाइयों में इस्तेमाल के लिए साबुत इलायची की विशेषताओं के रूप में बहुत आशाजनक पाई गई।

- हल्दी की किस्में **जी.एल.परम** तथा दागी काफी आशाजनक पाई गई।

- अमरूद की अन्दर से लाल गूदे वाली किस्में **एल-49** तथा **इलाहाबादी सफेदा** सिक्किम के मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त पाई गई।

केले की किस्म **नेपालीकेरा** मध्यवर्ती पहाड़ियों के लिए उपयुक्त पाई गई। केले के प्रत्येक गुच्छे में 500 ग्रा. यूरिया, 250 ग्रा. एस एस पी तथा 500 ग्रा. एम ओ पी का प्रयोग करने से बेहतर उपज प्राप्त की सकती है।

स्ट्राबरी की किस्में -**टियॉग, मैजेस्टिक, नार्थवेस्ट** और **फिनॉमिनेल** सिक्किम के मध्यवर्ती पहाड़ी इलाकों के लिए उपयुक्त पाई गई। स्ट्रांबरी की फ्रेंचबीन की किस्मों कान्टेन्डर तथा केन्टुबी वन्डर के साथ मिश्रित फसल क्रम में बोया जा सकता है।

सब्जियों की किस्में

फ्रेंचबीन

बौनी		पूसा, पार्वती, अर्काकोमल, मेटरपीस, कोन्टेन्डर
पोलो टाइप		सिंगटेम (स्थानीय) केन्टुकी वंडर
शिमला मिर्च	:	एच.सी.-291; के.टी-1
ओकरा		जैपनीज राउंड; पूसा सावनी, पंचधारी, परभनी क्रांति
मूली		जैपनीज व्हाइट, केलिम्पोंग रेड, पूसा हिमानी, पूसा चेतकी (अगेती)
मटर		आर्वेल, डेन्टम
कोलोकेशिया	:	कैन्डियम सी-7, त्रिवेन्द्रम-293
मोंगरा		(कली जैसी मूली) सिक्किम में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। अक्तूबर-नवम्बर की बुवाई सर्वोत्तम पाई गई।

टाडा मामलों के लिए पैनल बनाना

1605. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री काशीराम राणा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टाडा मामलों हेतु कोई पैनल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तालिका के कार्य क्या हैं;

(ग) इस तालिका द्वारा राज्य-वार कितने लम्बित टाडा मामलों की जांच की गई; और

(घ) टाडा के अंतर्गत दी गई शक्तियों के दुरूपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). उच्चतम न्यायालय के फरवरी, 1994 के निर्देश के अनुसार, केन्द्र सरकार तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के स्तर पर पुनरीक्षण समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों का कार्य पूर्व टाडा अधिनियम की धाराओं को समाप्त करने सहित टाडा के लम्बित मामलों की पुनरीक्षा करना तथा जहां कहीं आवश्यक समझा जाए, स्थिति में सुधार लाना है।

(ग) पुनरीक्षण समितियों द्वारा नवम्बर, 1996 तक जांच किए गए मामलों की राज्य-वार संख्या दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(घ) चूंकि टाडा अधिनियम, 1987, पहले ही 23 मई, 1995 को व्ययगत हो चुका है, तथा वर्तमान मामलों की पुनरीक्षा पहले ही की जा रही है, अतः टाडा के तहत शक्तियों का दुरूपयोग किए जाने का अब और प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	पुनरीक्षा किए गए और अथवा रद्द किए गए/वापस लिए गए, फाईल किए गए अथवा टाडा प्रावधानों को समाप्त करने के मामलों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश*	502
2.	अरुणाचल प्रदेश"	14
3.	असम*	1844
4.	बिहार**	59
5.	गुजरात**	1319
6.	गोवा	-
7.	हरियाणा"	111
8.	हिमाचल प्रदेश*	1
9.	जम्मू और कश्मीर*	4865
10.	कर्नाटक"	11
11.	केरल	-
12.	मणिपुर**	537
13.	मध्य प्रदेश"	79

1	2	3
14.	महाराष्ट्र*	339
15.	मेघालय"	9
16.	पंजाब*	422
17.	राजस्थान*	60
18.	तमिलनाडु*	16
19.	उत्तर प्रदेश*	201
20.	पश्चिम बंगाल*	-
21.	चंडीगढ़ प्रशासन"	5
22.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"	288
	जोड़	10676

* जनवरी, 96

" सितम्बर, 96

** अगस्त, 96

गन्ने की किस्म में सुधार

1606. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेहतर वसूली हेतु गन्ने की किस्म में सुधार लाने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दो संस्थान नामतः भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ तथा गन्ना उत्पादन संस्थान, कोयम्बटूर पहले से ही गन्ने की गुणवत्ता सुधारने के अनुसंधान कार्य में लगे हुए हैं। इसके अलावा राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय भी गन्ने की गुणवत्ता सुधारने में लगे हुए हैं। चीनी की मात्रा वाली कुछ उन्नत गन्ने की संकर किस्में हैं सी.ओ.जे-64 सी. ओ.सी.-671 सी.की.पन्त-84211 आदि। इन किस्मों के जारी होने के परिणामस्वरूप हरियाणा, पंजाब, गुजरात तथा तमिलनाडु राज्यों ने चीनी की प्राप्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

डिब्बा बंद वस्तुओं पर मूल्य

1607. श्री रामसागर : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब से डिब्बा बंद वस्तुओं पर "अधिकतम खुदरा मूल्य" के स्थान पर "फैक्टरी-बाह्य लागत, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, स्थानीय कर" अंकित करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब से लागू करने की सम्भावना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

चारा विकास

1608. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ चारा विकास योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या उड़ीसा में कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). देश में, आहार तथा चारा विकास से संबंधित निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :-

(1) क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र

(2) केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, हैस्सरघट्टा

(3) केन्द्रीय मिनिकिट प्रदर्शन कार्यक्रम

(ख) केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना-आहार एवं चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता

(1) राज्यों में चारा बीज फार्मों का सुदृढ़ीकरण।

(2) चारा बैंकों की स्थापना।

(3) पंजीकृत उत्पादकों के माध्यम से चारा बीज उत्पादन।

(4) भूसा/सेलुलालिक अपशिष्ट का संवर्धन।

(5) बायोमास उत्पादन के लिए सिल्वीपैस्चनर पद्धतियों की स्थापना।

(6) घास रिजर्व सहित चरागाह विकास।

(7) क्षेत्रीय उत्पादन का नमूना सर्वेक्षण तथा चारा फसलों की आवश्यकता।

आठवीं योजना के दौरान, चारा बीज मिनिकिट प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा राज्य को 5000, 4000, 3700, 11050 तथा 9300 चारा बीज मिनिकिट आपूर्ति किए गए। इसके अलावा उड़ीसा राज्य से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अंतर्गत उन्हें आठवीं योजना के दौरान, 77.55 लाख रुपये की राशि

जारी की गई जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	घटक का नाम	जारी की गई राशि
1993-94	घास रिजर्व सहित चरागाह विका	2.80
1994-95	भूसा/सेलूलासिक अपशिष्ट का संवर्धन	2.00
	बायोमास उत्पादन में वृद्धि हेतु सिल्वीपैस्चरल पद्धति की स्थापना	1.30
	कुल :	3.30
1995-95	राज्य में चारा बीज फार्म का सुदृढ़ीकरण	12.15
	चारा बैंक की स्थापना	40.50
	घास रिजर्व सहित चरागाह विकास	16.80
	क्षेत्रीय उत्पादन का नमूना सर्वेक्षण तथा चारा फसलों की आवश्यकता	2.00
	कुल	71.45
	सकल योग	77.35

यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा समर्थित परियोजना

1609. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से पशुप्लेग उन्मूलन हेतु एक राष्ट्रीय परियोजना शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा समर्थित परियोजना किन-किन राज्यों में शुरू की गई थी;

(ग) क्या देश से पशुप्लेग के उन्मूलन हेतु कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सभी राज्य तथा संघ शासित प्रदेश।

(ग) जी, हां।

(घ) मई, 1992 में प्रारंभ की गई पशुधन रोग नियंत्रण संबंधी पशुचिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ीकरण करने वाली परियोजना ए एल ए /89/04 के 31 मार्च, 1998 तक पूरा होने का कार्यक्रम है। पशुप्लेग उन्मूलन की निर्धारित तारीख 31 मार्च, 98 है परन्तु यह परियोजना अपने प्रयासों में पहले ही सफल हो चुकी है क्योंकि अक्तूबर, 95 से देश में पशुप्लेग की कोई घटना नहीं हुई है। ओ.आई.ई. के दिशा-निर्देशों का अनुकरण करते हुए, देश ने इस बात की पहले ही अंतरिम रूप से घोषणा कर दी है कि भारत के उत्तर पूर्वी तथा पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी तथा केन्द्रीय भाग मई,1994 से पशुप्लेग रोग से मुक्त हैं। अब केवल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा पांडिचेरी संघ क्षेत्र के दक्षिणी राज्य ही छूटे हुए हैं।

उपासना अधिनियम, 1991

1610. श्री मुख्तार अनीस : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपासना अधिनियम, 1991 के अंतर्गत 31 मार्च,1996 तक राज्य-वार जिन-जिन स्थलों पर पुनः उपासना करने की अनुमति दी गई है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) अप्रैल-सितम्बर, 1996 के बीच इस संबंध में दर्ज हुये मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 31 मार्च, 1996 तथा 30 सितम्बर, 1996 को राज्य-वार लम्बित मामलों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) उपासना स्थल (विशेष उपबन्ध) अधिनियम,1991, किसी उपासना स्थल के रूपान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाता है। इस अधिनियम में 15 अगस्त, 1947 के अनुसार किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने की व्यवस्था भी है, और इस अधिनियम के लागू होने पर या उसके बाद इस प्रकार के किसी मामले पर, किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण इत्यादि में कोई मुकदमा, अपील या अन्य वैधानिक कार्रवाई नहीं होगी। इस अधिनियम में, उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप की बहाली के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

अर्धसैनिक बलों में आतंकवादी

1611. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 नवम्बर, 1996 के "दैनिक पंजाब केसरी" में "रिक्रूटमेंट ऑफ सरन्डर्ड मिलिटेंट्स इन पैरा मिलिट्री फोर्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इन उग्रवादियों की नियुक्ति के बारे में सरकार की क्या नीति है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने पृथक रूप से कितनी धनराशि स्वीकृत की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ). सरकार ने अगले 4-5 वर्षों के दौरान अनुमानित 68.53 करोड़ रुपए की राशि व्यय करके जम्मू व कश्मीर घाटी में

आत्मसमर्पण कर चुके उग्रवादियों को पुनर्वासित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक-एक बटालियन खड़ी करने का अनुमोदन कर दिया है।

कुटियारकुट्टी परियोजना

1612. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** 30.7.96 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2074 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुटियार कुट्टी-कारापारा पन-विद्युत परियाजना के बारे में मांगी गई जानकारी केरल सरकार से प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी नहीं। केरल सरकार ने इस मंत्रालय को अपेक्षित सूचना अभी तक प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पशुपालन विकास

1513. प्रो. भितेन्द्र नाथ दास : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में पशुपालन के विकास की काफी संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). वर्ष 1996-97 के दौरान पश्चिम बंगाल में अनुसंधान केन्द्रों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मौजूदा केन्द्रीय फार्म पश्चिम बंगाल सहित राज्य सरकारों की अनुसंधान आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं।

[हिन्दी]

वृद्ध व्यक्तियों से सम्बन्धित राष्ट्रीय नीति

1614. श्री नारायण अठावले : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार वृद्ध व्यक्तियों/वरिष्ठ नागरिकों की अनुमति संख्या कितनी है तथा आगामी दस वर्षों में उनकी अनुमानित संख्या कितनी होगी; और

(ख) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु इस समय केन्द्रीय क्षेत्र की कितनी योजनायें लागू की जा रही हैं तथा योजना-वार इसके अन्तर्गत कवरेज हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गये हैं तथा क्या प्रावधान किए गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) भारत में वर्ष 1981 को हुई जनगणना के अनुसार देश में वयोवृद्ध/वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष तथा अधिक आयु के व्यक्तियों) की राज्य-वार अनुमानित संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

भारत के महापंजीकार की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा नियुक्त जनसंख्या प्रक्षेपण पर तकनीकी ग्रुप के द्वारा प्रक्षेपित वयोवृद्ध/वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष तथा अधिक आयु के व्यक्तियों) की वर्ष 1996-97 के लिए भारत तथा प्रमुख राज्यों के लिए अनुमानित संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं इस प्रकार हैं :—

(I) अन्य प्रोग्रामों के साथ-साथ राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम जो वर्ष 1995 में शुरू किया गया, वयोवृद्धों (65 वर्ष तथा अधिक) को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करता है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए लाभार्थियों को निर्धारित करने का मानदंड इस प्रकार है :-

(क) आवेदक (पुरूष या महिला) की आयु 65 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।

(ख) आवेदक इस आशय से निराश्रित होना चाहिए कि उसको अपने स्वयं के आय स्रोतों या उसके परिवार के सदस्यों के माध्यम से या अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता बहुत कम हो या जीविका के साधन नियमित न हों। निराश्रितिता निर्धारित करने के लिए यदि कोई मानदंड इस समय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों में लागू है तो उसका पालन भी किया जाना चाहिए। भारत सरकार के पास इन मानदंडों की समीक्षा का तथा संशोधित मानदंडों के उचित सुझावों का अधिकार रक्षित है।

(ग) केन्द्रीय सहायता के उद्देश्य के लिए प्रति माह वयोवृद्ध पेंशन की राशि 75/-रुपए होगी।

(घ) वर्ष 1996-97 के लिए वयोवृद्ध योजना हेतु 480.20 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

(II) वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना

इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को वृद्धों (60 वर्ष तथा इससे अधिक आयु) के लिए वयावृद्ध गृह, दिवसीय देखभाल केन्द्रों तथा सचल मेडीकेयर यूनिटों की स्थापना के लिए 90/. सहायता अनुदान (आदिवासी क्षेत्रों के लिए 95/.) प्रदान किया जाता है। वर्ष 1996-97 के लिए इस उद्देश्य के लिए 7 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

विवरण–I

आयु 60+ की कुल जनसंख्या

राज्य	पुरूष	महिला
1	2	3
भारत*	22,022,868	21,144,523
आंध्र प्रदेश	1,756,306	1,802,285
बिहार	2,434,073	2,321,565
गुजरात	969,639	1,058,938
हरियाणा	474,637	344,399
हिमाचल प्रदेश	180,528	140,914
जम्मू और कश्मीर	203,865	141,500
कर्नाटक	1,222,320	1,236,457
केरल	896,274	1,013,515
मध्य प्रदेश	1,637,216	1,726,473
महाराष्ट्र	1,996,718	2,1142,094
मणिपुर	42,149	41,317
मेघालय	32,261	26,909
नागालैंड	25,680	20,342
उड़ीसा	815,728	869,200
पंजाब	739,719	569,493
राजस्थान	1,032,308	1,032,790
सिक्किम	7,598	6,282
तमिलनाडु	1,596,692	1,507,962
त्रिपुरा	75,358	69,372
उत्तर प्रदेश	4,146,840	3,435,847
पश्चिम बंगाल	1,520,731	1,508,389
अ. व नि. द्वीपसमूह	3,153	2,286
अरुणाचल प्रदेश	16,264	13,828
चंडीगढ़	9,932	8,224
दादर व नगर हवेली	1,937	2,210
दिल्ली	151,456	127,406
गोवा, दमन व द्वीप	31,984	41,758
लक्षद्वीप	1,012	951
मिजोरम	11,270	11,563
पांडिचेरी	20,314	20,262

असम को छोड़कर सम्पूर्ण भारत

टिप्पणी : 60+ उम्र के योगों को पूर्ण करने के कारण सभी मामलों में अनुरूप नहीं हो सकते तथा कुछ सीमान्त अन्तर हो सकता है।

स्रोत : भारत में वर्ष 1981 में हुई जनगणना श्रृंखला-1 भार खंड तीन क(i) सामान्य आर्थिक सारणियां

विवरण–II

1996 से 2005 के लिए 60 वर्ष तथा अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित जनसंख्या ('000 में)

मुख्य राज्य	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
भारत	62,317	63,635	65,069	66,673	68,510	70,571	71,944	73,756	76,006	78,690
आंध्र प्रदेश	4,793	4,946	5,066	5,196	5,338	5,587	5,706	5,874	6,087	6,344
असम	1,291	1,310	1,333	1,359	1,391	1,428	1,452	1,487	1,532	1,587
बिहार	5,729	5,762	5,802	5,857	5,928	6,118	6,139	6,220	6,358	6,551
गुजरात	2,904	2,903	2,913	2,937	2,973	3,076	3,089	3,131	3,299	3,295
हरियाणा	1,421	1,408	1,399	1,395	1,399	1,415	1,409	1,414	1,439	1,455
कर्नाटक	3,392	3,452	3,517	3,591	3,680	3,783	3,847	3,940	4,060	4,207
केरल	2,726	2,803	2,883	2,969	3,061	3,162	3,234	3,314	3,403	3,499
मध्य प्रदेश	4,883	4,942	5,013	5,100	5,210	5,348	5,398	5,486	5,611	5,770
महाराष्ट्र	5,949	6,037	6,145	6,274	6,428	6,603	6,676	6,799	6,970	7,188
उड़ीसा	2,431	2,759	2,492	2,534	2,587	2,652	2,672	2,711	2,769	2,843
पंजाब	1,735	1,719	1,708	1,703	1,704	1,743	1,721	1,716	1,728	1,756
राजस्थान	3,051	3,122	3,184	3,250	3,320	3,457	3,515	3,597	3,703	3,833
तमिलनाडु	4,414	4,571	4,737	4,912	5,101	5,301	5,466	5,659	5,881	6,130
उत्तर प्रदेश	10,610	10,684	10,772	10,886	11,025	11,390	11,438	11,581	11,815	12,135
पश्चिम बंगाल	4,459	4,594	4,739	4,895	4,067	5,291	5,413	5,604	5,823	6,069

[अनुवाद]

उपभोक्ता मंचों पर कार्य भार

1615. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री विजय गोयल :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता मंचों के कार्यकरण की पद्धति क्या है;

(ख) विभिन्न उपभोक्ता मंचों के पास तक इस समय राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने मामले लिखित हैं;

(ग) क्या विभिन्न उपभोक्ता मंचों द्वारा इस समय निपटाये जाने वाले मामलों की संख्या और उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से उनकी उपयोगिता के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इन मंचों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों को शीघ्र निपटाया जा सके?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) उपभोक्ता मंच उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और उसके अधीन निर्मित नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर कार्य कर रहे हैं।

(ख) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य आयोगों और जिला मंचों में अनिर्णित मामलों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ग) से (ङ). केन्द्रीय सरकार उपभोक्ता मंचों के कार्य निष्पादन पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राष्ट्रीय आयोग) से परामर्श करके सतत निगरानी रखती है। विभिन्न उपभोक्ता मंचों में अभी भी बड़ी संख्या में मामले अनिर्णित हैं। उपभोक्ता मंचों में मामलों का अनिर्णित पड़ा होना अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, मंचों का बार-बार स्थगन तथा मंचों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति में देरी आदि-जैसे कारकों के कारण है। संबंधित राज्य सरकारों को अध्यक्षों/सदस्यों को ठीक समय पर नियुक्ति करके सुस्त पड़े मंचों को सक्रिय बनाने की सलाह दी गई है। उपभोक्ता मंचों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने और साथ ही उपभोक्ता मंचों में अनिर्णित मामलों में कमी लाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 61 करोड़ रुपए की एक बारगी वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक स्कीम शुरू की है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान की दो किश्तें रिलीज किए जाने के परिणामस्वरूप गत दो वर्षों के दौरान अनिर्णित मामलों की संख्या कम हुई है।

विवरण

	राज्य आयोग		जिला मंच
	अनिर्णित शिकायतों की संख्या	अनिर्णित अपीलों की संख्या	अनिर्णित शिकायतों की संख्या
आंध्र प्रदेश	715	723	12937
अरुणाचल प्रदेश	4	4	34
असम	210	176	826
बिहार	259	1268	10795
गोवा	42	45	607
गुजरात	421	367	16148
हरियाणा	96	1127	10149
हिमाचल प्रदेश	159	331	1077
जम्मू और कश्मीर	32	10	1045
कर्नाटक	267	1126	11419
केरल	233	1348	5675
मध्य प्रदेश	105	784	11510
महाराष्ट्र	755	1958	16654
मणिपुर	0	15	10
मेघालय	10	8	38
मिजोरम	0	2	12
नागालैंड	4	0	7
उड़ीसा	515	1722	2065
पंजाब	23	174	3039
राजस्थान	134	6264	10618
सिक्किम	0	1	7
तमिलनाडु	427	1123	5097
त्रिपुरा	9	9	85
उत्तर प्रदेश	850	6226	49821
पश्चिम बंगाल	2148	273	14330
अंडमान व निकोबार	0	1	12
चंडीगढ़	122	92	3527
दादर व नगर हवेली	0	0	10
दमन व द्वीव	0	0	16
दिल्ली	1077	1194	9680
लक्षद्वीप	0	2	2
पांडिचेरी	5	20	96
जोड़	8622	26393	197348

वानिकी कार्य योजना

1616. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना के अनुरूप एक मसौदा राज्य वानिकी कार्य योजना केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मसौदा राज्य कार्य योजना पर विचार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक अनुमोदित और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां। राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा विधिवत् अनुमोदित आंध्र प्रदेश की राज्य वानिकी कार्य कार्यक्रम प्राप्त हुआ है। यह राष्ट्रीय वानिकी कार्य कार्यक्रम से बहुत कुछ मिलता-जुलता है।

(ख) और (ग). आंध्र प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तुत योजना के साथ-साथ अन्य राज्यों के राज्य वानिकी कार्य कार्यक्रम को राष्ट्रीय वानिकी कार्य कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है।

(घ) राष्ट्रीय वानिकी कार्य कार्यक्रम 1997 में पूरा तथा अनुमोदित होने की संभावना है और उसके पश्चात् निधीयन के लिए उसे योजना आयोग और अन्य संदाता एजेंसियों के सक्षम रखा जाएगा।

[हिन्दी]

व्यापारियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना

1617. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान प्रति वर्ष दिल्ली को खाद्यान्न व्यापारियों को कितना गेहूं उपलब्ध कराया गया है;

(ख) क्या गेहूं दिल्ली स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उपलब्ध नहीं कराया गया था बल्कि दिल्ली के दूर-दराज के क्षेत्रों से उपलब्ध कराया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या खाद्यान्न व्यापारियों को गेहूं दिल्ली स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उपलब्ध कराने के लिए व्यापारी संघ से कतिपय सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में व्यापारियों सहित विभिन्न खरीदारों को बेचे गए गेहूं की मात्रा निम्नानुसार थी :-

	(आंकड़े लाख टन में)
1993-94 (अक्तूबर,1993 से)	0.13
1994-95	1.26
1995-96	1.44
1996-97 (अक्तूबर,1996 तक)	0.48

(ख) जुलाई, 1996 से अक्तूबर, 1996 तक की अवधि का छोड़कर उपर्युक्त सभी वर्षों में भारतीय खाद्य निगम के दिल्ली स्थित गोदामों से गेहूं उपलब्ध कराया गया था।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुली बिक्री विभिन्न डिपुओं/क्षत्रों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य कल्याण योजनाओं की आवश्यकताओं से अधिक उपलब्ध स्टाक से ही की जाती है। पिछले चार महीनों के दौरान दिल्ली के स्थानीय गोदामों में उपलब्ध गेहूं का स्टाक केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही पर्याप्त था। इस प्रकार, दिल्ली के खरीदारों को उनके आवंटन का उठान हरियाणा के डिपुओं से रोकने के निदेश दिए गए थे।

(घ) और (ङ). जी, हां। दिल्ली में खुली बिक्री के लिए गेहूं का पर्याप्त स्टाक रिलीज करने और व्यापारियों को गेहूं की आपूर्ति दिल्ली के गोदामों से करने जैसे कुछेक सुझाव/अनुरोध प्राप्त हुए थे।

(च) त्यौहार मौसम को ध्यान में रखते हुए, नवम्बर, 1996 में भारतीय खाद्य निगम ने दिल्ली में खुले बाजार में बिक्री की योजना के अंतर्गत 20,000 टन गेहूं का आवंटन किया है जिसमें से 15,000 टन गेहूं दिल्ली के स्थानीय गोदामों से रिलीज किया जाना है।

[अनुवाद]

पोलियस्टर स्टैपल फाइबर

1518. श्री सौम्य रंजन : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में "पोलियस्टर स्टैपल फाइबर" और "विसकोस स्टैपल फाइबर" का प्रतिमाह कितना उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या आयातित फाइबर के मूल्य को स्वदेशी फाइबर के मूल्यों के बराबर लाने के लिए विसकोस स्टैपल फाइबर के आयात की अनुमति देने के लिए मांग बढ़ रही है;

(ग) देश में "विसकोल स्टैपल फाइबर" उत्पादकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रंगे हुए विसकोस फाइबर के मूल्यों में हाल ही में बढ़ोत्तरी की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान पॉलीयस्टर स्टैपल फाइबर (पीएसएफ) और विसकोस स्टैपल फाइबर का औसत मासिक उत्पादन नीचे दिया जाता है :—

	1995-96 (टन में)	1996-97 (अप्रैल-सितम्बर)
पीएसएफ	19,281	22,054
वीएसएफ	16,195	13,673

(ख) वीएसएफ का आयात ओजीएल के अंतर्गत अनुमत्य है।

(ग) देश में वीएसएफ के निम्नलिखित दो निर्माता हैं। ग्रेसिम इंडस्ट्री लि. और साउथ इंडिया विसकोस लि. जिनकी स्थापित क्षमता क्रमशः 1,79,450 टन और 38,950 टन है।

(घ) विसकोस फाइबर तथा रंजित विसकोस फाइबर की कीमत में अप्रैल, 1995 से कोई वृद्धि की सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बंगलादेशी

1619. श्री सुशील चन्द्र : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सात राज्यों में कितने बंगलादेशी बसे;

(ख) सीमापार बंगलादेशियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन बंगलादेशियों को वापस भेजने के लिए क्या कार्रवाई की गई है तथा अब तक कितने बंगलादेशी वापस भेजे गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) बंगलादेशी घुसपैठियों की ठीक-ठीक संख्या का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि वे चोरी-छिपे प्रवेश करते हैं और जातीय एवं भाषायी समानताओं के कारण स्थानीय लोगों में आसानी से घुल-मिल जाते हैं।

(ख) और (ग). भारत में बंगलादेशी राष्ट्रिकों की घुसपैठ की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में, सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें बनाना, सीमा चौकियों के बीच की दूरी कम करना, भूमि तथा तटीय दोनों सीमाओं पर गश्त तेज करना, सीमा सड़कों तथा बाड़ का निर्माण करने के कार्यक्रम को तेज करना, सीमा-निगरानी बुर्जों की संख्या में वृद्धि करना, तथा निगरानी उपकरण उपलब्ध कराना, इत्यादि शामिल हैं। इस मामले को विभिन्न अवसरों पर बंगलादेश सरकार के साथ भी उठाया गया है। इन उपायों की प्रगति की समीक्षा विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप में की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा वापस भेजे गए बंगलादेशी राष्ट्रिकों की संख्या निम्न प्रकार है :-

1994	-	22,110
1995	-	12,486
1996 (अक्तूबर तक)	-	8,216

पाकिस्तान द्वारा व्यावसायिक जोन की स्थापना

1620. श्री राम नाईक : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान सीमा के ठीक सामने नागपुर-कार, बिरवाहा तथा बादिन के इर्दगिर्द व्यावसायिक जोन स्थापित कर रहा है;

(ख) पाकिस्तान द्वारा उक्त जोन की स्थापना का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) उस क्षेत्र में गस्त बढ़ाने तथा देश के हित की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने के विचार हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्। उपलब्ध सूचना के अनुसार पाकिस्तान ने कच्छ/बाड़मेर के उस पार के क्षेत्र में तेल, गैस, कोयला एवं अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की खोज की है और अब वे इसके दोहन की प्रक्रिया में हैं।

(ख) संभार तंत्र में वृद्धि के कारण सीमा पार से खतरे की संभावना बढ़ सकती है।

(ग) स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने और देश के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से 1994-95 के दौरान सी.सु.ब. की पांच अतिरिक्त बटालियनें खड़ी की गई थीं और इन्हें राजस्थान एवं गुजरात सीमा पर तैनात किया गया था। सी.सु.ब. की वाटर विंग तथा तट रक्षक एवं गुजरात पुलिस द्वारा तटवर्ती क्षेत्र की गश्त भी सुदृढ़ कर दी गई है और गुजरात सीमा पर बाड़/तेज रोशनी की व्यवस्था करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन भी शुरू किए गए हैं। सुरक्षा बल, इस सैक्टर में जोखिम-अवधारणा का आकलन अनवरत रूप से कर रहे हैं और समय-समय पर प्रतिकारी उपाय किए जाते हैं।

बाबरी मस्जिद संबंधी जांच आयोग

1621. श्री मुख्तार अनीस : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1992 में बाबरी मस्जिद गिराने संबंधी जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) कितने मामले न्यायाधीन हैं और कितने मामलों पर जांच हो रही है तथा मामलावार वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 6 दिसम्बर, 1992 को विवादित ढांचा गिराए जाने से संबंधित अपराधों आदि की स्वतंत्र रूप से की गई जांच पड़ताल के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने लखनऊ स्थित विशेष न्यायालय के समक्ष 49 व्यक्तियों के खिलाफ एक संयुक्त आरोप-पत्र दाखिल किया था। इन सभी मामलों को विचारणार्थ विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ की अदालत के सुपुर्द कर दिया गया है।

एक सींग वाले गेंडे

1622. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक सींग वाले गेंडे की प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इसकी वर्तमान संख्या कितनी है;

(ग) क्या गेंडों के लुप्त होने का एक मुख्य कारण इनका अवैध शिकार किया जाना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इनके अवैध दुर्लभ शिकार को रोकने और एक सींग वाले गेंडों जैसी प्रजातियों के संरक्षण हेतु अन्य कानूनों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). जी, नहीं। यद्यपि, गेंडा एक संकटापन्न प्रजाति है लेकिन यह विलुप्त होने के कगार पर नहीं है क्योंकि असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के राज्यों में इसकी आबादी काफी है। पिछले तीन वर्षों की तुलना में गेंडों की अनुमानित वर्तमान आबादी निम्नलिखित है :

वर्ष	1989	1991	1993	1995
आबादी	1591	1567	1498	1566

(ग) 1992 और 1993 में चोरी-छिपे शिकार की अधिक घटनाओं के कारण इस अवधि में गेंडों की आबादी में कमी होने का मुख्य कारण है जिसे पिछले दो वर्षों के दौरान काफी हद तक रोक दिया गया है।

(घ) सरकार द्वारा गेंडों और अन्य दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :—

1. गेंडे को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में रखा गया है। इस प्रकार शिकार और वाणिज्यिक दोहन के विरूद्ध इसे उच्च स्तर की सुरक्षा मिल रही है।
2. भारत वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन (साइटस) का एक पक्षकार देश है और पशुओं की संकटापन्न प्रजातियों और उससे बनी वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विनियमों द्वारा इसका पालन करता है। कन्वेंशन के उपबंधों के तहत गैंडा साइटस के परिशिष्ट-I में है जिसके अनुसार प्रजातियों, उत्पादों और उनसे बनी वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निषिद्ध है।
3. आवश्यकता पड़ने पर शिकार चोरों और अवैध व्यापारियों को पकड़ने में पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, राजस्व का सूचना निदेशालय, सीमा-शुल्क, सेना और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों का भी सहयोग लिया जाता है।
4. गेंडों के लिए वैकल्पिक आवास और उन्हें उनके पूर्व वासस्थल में पुनः बसाने के लिए उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और कटाननीघाट वन्यजीव अभयारण्य में "गैंडों का पुनर्वास" के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है।
5. प्रजातियों और इसके वास-स्थलों के संरक्षण के लिए 5 वन्यजीव अभयारण्यों और 4 राष्ट्रीय उद्यापनों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।
6. सूचना देने वालों को पुरस्कार देने की एक स्कीम है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के बारे में आसूचना प्राप्त होने में मदद मिलती है।
7. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I से 4 में शामिल किए गए वन्यजीवों के शिकार पर कानून द्वारा प्रतिबंध है।
8. वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात के संरक्षण के लिए 448 वन्यजीव अभयारण्यों और 80 राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है जिसमें 1,48,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र शामिल है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों के अनुरोध पर उन्हें राष्ट्रीय उद्यानों और

अभयारण्यों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

9. वन्यजीवों के अवैध व्यापार की सूचना मिलने पर वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

1623. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को दी जा रही वर्तमान छात्रवृत्ति सहायता पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राजस्थान को गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार मेट्रिक-पूर्व और मेट्रिक-पश्चात् छात्रवत्ति योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के छात्रो के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(घ) 1996-97 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मुक्त शिक्षा और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों को ऐसी ही छात्रवृत्तियां देने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). 1.10.1995 से व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को संबंधित छात्रों को केन्द्रीय प्रायोजित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले रखरखाव, भत्ते की दरों में लगभग 50 प्रतिशत तथा गैर-तकनीकी तथा गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को केन्द्रीय प्रायोजित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :-

वर्ष	राशि (लाख रु. में)
1993-94	348.02
1994-95	311.68
1995-96	665.40

अन्नय रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना नहीं है। तथापि, अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत लोगों के बच्चों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पात्र छात्र भी शामिल होते हैं। इस योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य सरकार को जारी की गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि (लाख रु. में)
1993-94	30.087
1994-95	37.77.4
1995-96	63.82

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित छात्रों को केन्द्रीय प्रायोजित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य सरकार को वर्ष 1996-97 के दौरान 934.75 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए कम साक्षरता पाकेटों में शैक्षिक परिसर की केन्द्रीय योजना के अतर्गत वर्ष 1996-97 के दौरान राजस्थान में दो स्वैच्छिक संगठनों को 1,88,528 रुपए का सहायता अनुदान प्रदान किया गया तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता योजना के अंतर्गत राजस्थान में अनुसूचित जातियों के लिए गैर-आवासीय स्कूल के रखरखाव के लिए एक अन्य स्वैच्छिक संगठन को 1,95,000 रुपए का सहायता अनुदान प्रदान किया गया।

(ङ) और (च). इस समय अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना नहीं है। तथापि, ऐसी योजना पर आरंभिक रूप से विचार किया गया है।

पर्यावरण संबंधी मामलों का निपटान

1624. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों द्वारा पर्यावरण संबंधी नियमों के अनुपालन न करने संबंधी मामलों के निपटान की समय-सीमा निर्धारित न करने के कारण उन्हें निपटाने में वर्षों लग जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कानूनी कार्यवाही में अधिक समय लगने के कारण ये उद्योग पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन समस्याओं को दूर करने के लिए कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (घ). प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख उद्योगों को निर्धारित मानकों का अनुपालन करने के लिए एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित की गई थी।

अनेक औद्योगिक इकाइयों ने इन मानकों का पालन करने के प्रयोजन से प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं। कुछ वास्तविक मामलों में जहां उद्योगों ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपाय करने प्रारम्भ किए हैं वहां उनके लिए समय-सीमा बढ़ा दी गई थी ताकि वे इस कार्य को पूरा कर सकें। दोषी इकाइयों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। न्यायालय के विचाराधीन कुछ मामलों में न्यायालय के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है।

खारे पानी में जलजीव पालन

1625. श्री एन.जे. राठवा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अभी भी खारे पानी में मछली पालन होता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मछली उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्तर्देशीय मछली पालन पर प्रतिबंध लगा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). जी, हां। सूरत, वल्साड और भड़ौच में तीन खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसियां कार्य कर रही हैं। गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष गुजरात राज्य में झींगा मछली का उत्पादन इस प्रकार था :-

वर्ष	झींगा मछली उत्पादन (मी.टन)
1993-94	500
1994-95	700
1995-96	546

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्न भंडार वितरण

1626. श्री के.डी. सुल्तानपुरी :
श्री दाऊ दयाल जोशी :
श्री मुख्तार अनीस :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1.4.1996 तक केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का कितना भंडार था तथा अप्रैल-नवम्बर, 1996 के दौरान खाद्यान्न-वार इसमें कितनी वृद्धि हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को खाद्यान्न-वार कितनी मात्रा में खाद्यान्न जारी किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान क्षय और चोरी के कारण यदि कुछ हानि हुई है तो कितनी; और

(घ) केन्द्रीय भंडार के लिए माह-वार औसतन कुल कितने खाद्यान्न की खरीद की जाती है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) 1.4.96 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में चावल और गेहूं का स्टाक क्रमशः 13.97 मिलियन टन (अनंतिम) और 8.7 मिलियन टन (अनंतिम) होने का अनुमान लगाया गया था। अप्रैल से 26 नवम्बर, 1996 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए 6.18 मिलियन टन चावल और 8.18 मिलियन टन गेहूं की वसूली की गई है।

(ख) अप्रैल से नवम्बर, 1996 की अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को आवंटित किए गए चावल और गेहूं की मात्रा को बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) इस अवधि के दौरान उठाईगीरी/चोरी के कारण 5.70 क्विंटल (लगभग) चावल का नुकसान हुआ था।

(घ) अप्रैल से अक्तूबर, 1996 की अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रक्षा सेवाओं आदि के लिए केन्द्रीय पूल से किया गया चावल और गेहूं का औसत मासिक उठान क्रमशः 9.26 लाख टन और 6.42 लाख टन है। इसी अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खुली बिक्री सहित अन्य कल्याण योजनाओं के लिए कुल उठान औसतन 10.37 लाख टन चावल और 8.84 लाख टन गेहूं प्रति माह रहा है।

विवरण

अप्रैल, 1996 से नवम्बर, 1996 के दौरान केन्द्रीय पूल से चावल और गेहूं का आवंटन बताने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1680.00	120.00	1800.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	70.80	4.80	75.60
3.	असम	421.40	238.50	659.90
4.	बिहार	255.60	469.20	724.80
5.	दिल्ली	160.00	450.00	610.00
6.	गोवा	60.00	24.80	84.80

1	2	3	4	5
7.	गुजरात	236.00	428.00	664.00
8.	हरियाणा	40.00	132.48	172.48
9.	हिमाचल प्रदेश	77.20	94.00	171.20
10.	जम्मू और कश्मीर	352.00	240.00	592.00
11.	कर्नाटक	964.08	238.00	1202.08
12.	केरल	1215.00	405.00	1620.00
13.	मध्य प्रदेश	370.34	380.62	750.96
14.	महाराष्ट्र	572.00	640.00	1212.00
15.	मणिपुर	80.00	21.60	101.60
16.	मेघालय	122.50	19.50	142.00
17.	मिजोरम	60.01	15.90	75.91
18.	नागालैंड	54.20	5,80	60.00
19.	उड़ीसा	602.00	278.00	880.00
20.	पंजाब	12.00	64.00	76.00
21.	राजस्थान	40.00	862.37	902.37
22.	सिक्किम	38.90	8.30	47.20
23.	तमिलनाडु	1250.80	198.00	1448.80
24.	त्रिपुरा	129.60	14.40	144.00
25.	उत्तर प्रदेश	366.40	734.00	1100.40
26.	पश्चिम बंगाल	540.00	656.00	1196.00
27.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	30.00	9.00	39.00
28.	चंडीगढ़	2.40	14.40	16.80
29.	दादर व नगर हवेली	4.00	2.00	6.00
30.	दमन और दीव	4.80	1.60	6.40
31.	लक्षद्वीप	6.30	0.50	6.80
32.	पांडिचेरी	16.00	6.00	22.00
	जोड़	9834.33	6776.77	16611.10
	के.रि.पु./सी.सु.ब.	12.00	20.00	32.00
	रक्षा	112.50	135.00	247.50
	भूटान	14.80	13.60	23.40
	सकल जोड़ (अखिल भारत)	9973.63	6945.37	16919.00

(अ.) = अनंतिम (नगण्य) = 50 टन से कम

[अनुवाद]

मंगलौर फर्टिलाइजर और रसायन परियोजना

1627. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर फर्टिलाइजर तथा रसायन परियोजना को पूरा करने के लिए कुल कितनी राशि की आवश्यकता है;

(ख) केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) मंगलौर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. निजी क्षेत्र की एक उर्वरक निर्माता एकक है। परियोजना के सफलतापूर्वक आरम्भण के पश्चात इसने 1976 में उत्पादन आरम्भ किया। अतः मंगलौर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स परियोजना को पूरा करने के लिए और धन की आवश्यकता नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

राशन की आपूर्ति

1628. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विशेषकर कानपुर में राशन वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं को राशन की आपूर्ति में कई अनियमितताएं बरती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) भविष्य में ऐसी गतिविधियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ). सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की संचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि यह कहना सही नहीं है कि उचित दर दुकानों के डीलरों द्वारा की गई अनियमितताओं की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तथापि, कभी-कभार अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें की जाती हैं और उनकी जांच के आधार पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि गत तीन महीनों दौरान जांच तथा अकस्मात निरीक्षण के आधार पर राज्य में 142 प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज की गई हैं और 42 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, 494 लाइसेंसों को

निलम्बित किया गया है और 1,57,200/- रुपए की जमानत की राशि को जब्त किया गया है।

गत तीन महीनों के दौरान अकेले कानपुर जिले में 40 उचित दर दुकानों को निलम्बित किया गया है और 40,250/- रुपए की जमानत की राशि जब्त की गई है। इसके अलावा कानपुर में 7 प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज की गई हैं, आवश्यक वस्तुओं का उपयुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

[हिन्दी]

थोक और खुदरा विपणन प्रणाली

1629. श्री सत्यदेव सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में थोक और खुदरा विपणन प्रणाली को आधुनिक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग

1630. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दी को लोकप्रिय बनाने हेतु क्षेत्रीय/राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हिन्दी को कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा देकर इस संबंध में की गई प्रगति के बारे में व्यापक समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हिन्दी का दर्जा बढ़ाने तथा गैर-हिन्दी राज्यों और केन्द्रीय सरकार के संगठनों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने हेतु क्या नई पहल की गई है/किये जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देने की मांग करने हेतु नई पहल की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क),(ख) और (ङ) भारत के संविधान में हिन्दी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान में उल्लिखित भाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963 राजभाषा नियम, 1976 तथा इनके अंतर्गत समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों इत्यादि में राजभाषा हिन्दी का प्रचार-प्रसार, प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्भावना की नीति से किया जा रहा है। गैर हिन्दी प्रदेशों में हिन्दी का प्रयोग बढाने के लिए संघ सरकार हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति व हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए महाविद्यालयों को खोलने व सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को व हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी दो योजनाएं चला रही है।

(ग) और (घ). कई वर्षों से हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिकृत भाषा के रूप में अपनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। किसी भी नई भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के रूप में अपनाने के लिए सदस्य राष्ट्रों का बहुमत अपेक्षित है। इस संबंध में किए गए प्रयत्न अभी तक उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की कीमतें

1631. जस्टिस गुमान मल लोढा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है लेकिन इसके बिक्री मूल्य में भी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवधि के दौरान खाद्यान्न-वार कृषि उत्पादन की लागत, उसके उत्पादन और बिक्री मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(घ) इस वृद्धि के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) फसल वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन निम्नानुसार हुआ है :-

(मिलियन टन में)

1993-94	1994-95	1995-96
184.26	191.10	185 (अनंतिम

खुले बाजार में खाद्यान्नों के मूल्य विभिन्न समय पर मांग और आपूर्ति पर निर्भर करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रत्येक फसल मौसम से पहले कृषि मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और इनमें पिछले तीन मौसमों के दौरान वृद्धि हुई है।

(ख) खाद्यान्नों की उत्पादन लागत में वृद्धि के संबंध में उपलब्ध अद्यतन आंकड़े संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

धान, गेहूं और मोटे अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में हुई वृद्धि और चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में हुई वृद्धि संलग्न विवरण-II में दर्शाई गई है।

(ग) कृषि संबंधी विभिन्न आदानों की लागत में सामान्य वृद्धि होने के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों की उत्पादन लागत बढ़ जाती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग उत्पादन लागत में हुई वृद्धि को हिसाब में लेने के पश्चात न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि होने से खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में संशोधन करना आवश्यक हो जाता है।

विवरण-I

महत्वपूर्ण राज्यों में अनाज के लिए 1990-91 के मुकाबले 1992-93 में उत्पादन लागत

(रुपये प्रति क्विंटल)

राज्य/फसल	उत्पादन लागत			1990-91 के मुकाबले 1992-93 में % अन्तर	
	1990-91	1991-92	1992-93		
धान					
हरियाणा	212.89	241.09	300.49	(+)	41.15
मध्य प्रदेश	230.54	328.93	295.41	(+)	28.14
पंजाब	194.69	206.77	224.38	(+)	15.25
उड़ीसा	173.57	186.46	213.06	(+)	22.75
गेहूं					
हरियाणा	155.44	168.41	217.52	(+)	39.94
मध्य प्रदेश	255.86	317.17	343.69	(+)	34.33
पंजाब	190.79	210.41	250.72	(+)	31.41
ज्वार					
मध्य प्रदेश	-	341.25	285.33	(-)	16.39*
बाजरा					
हरियाणा	228.26	313.51	263.77	(+)	15.56
मक्का					
मध्य प्रदेश	206.83	308.43	253.24	(+)	22.44
उत्तर प्रदेश	267.43	353.72	351.01	(+)	31.26

* 1991-92 तुलना में

विवरण-II

धान, गेहूं और मोटे अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में की गई वृद्धियां और चावल, गेहूं तथा मोटे अनाजों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में की गई वृद्धियां बताने वाला विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धियां

(रुपये प्रति क्विंटल)

वर्ष	धान			गेहूं	मोटे अनाज		
	साधारण	बढ़िया	उत्तम		ज्वार, बाजरा व रागी	मक्का	जो
1994-95	340	360	380	350	280	290	275
1995-96	360	375	395	360	300	310	285
1996-97	380	395	415	380	310	320	295
	(11.8)	(9.7)	(9.2)	(8.6)	(10.7)	(10.3)	(7.3)

टिप्पणी-कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े 1994-95 से प्रतिशत दर्शाते हैं।

केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में वृद्धियां

1994-95	537	617	648	402	199	199	199

(1.2.94 प्रभावी)

[अनुवाद]

आत्म-निर्णय के लिए विरोध रैली

1632. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में मणिपुर के लोगों द्वारा एक विरोध रैली आयोजित की गई थी जिसे आल मणिपुर स्टूडेन्टस यूनियन द्वारा मणिपुर राज्य के 1949 में भारत में विलय के विरोध में आयोजित किया गया और आत्म निर्णय की मांग की गई; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) मणिपुर के भारत संघ में विलय के तयशुदा मामले को गुमराह तत्वों द्वारा फिर से खोलने के प्रयासों के प्रति सरकार चिंतित है।

दोषी इकाइयों को 'कारण बताओ' नोटिस

1633. श्री डी.पी. यादव : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित न करने और उपस्थापन मानदण्डों का पालन न करने के लिए 159 दोषी इकाइयों को 'कारण बताओं' नोटिस जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनका उत्तर प्राप्त करने के बाद कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दोषी इकाइयों द्वारा दायर की गई आपत्तियों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। सरकार को हाल ही में इस समिति की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। इस समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई की जायेगी।

स्वतंत्रता आंदोलन

1634. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल की किसी किसान क्रांति/संघर्ष को स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में घोषित करने का इरादा है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). केरल में कायय्यूर, मोरझा और पुन्नपर-वयलूर आन्दोलनों में भाग लेने का स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा मानने के मामले पर केरल राज्य सरकार के साथ परामर्श करके पुनर्विचार किया जा रहा है।

प्लास्टिक पुनः प्रयोज्य उद्योग

1635. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गैर जैव-उपक्रमित प्लास्टिक बैगों का उत्पादन करने वाले प्लास्टिक पुनः प्रोज्य उद्योगों के अनियंत्रित विकास से पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

कार्बाइड संयंत्र

1636. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अक्तूबर, 1996 के "स्टैट्समैन" में प्रकाशित समाचार "वाईटल एवीडेन्स विइंग डेस्ट्रायड ऐट कार्बाइड प्लांट" की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एवरेड्डी इन्डस्ट्रीज इंडिया लि. के नए प्रबन्धक उसके ढांचे से विखंडित करने और संयंत्र आहाते में कुछ मशीनों को भी हटाने के प्रयास कर रहे हैं;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनी के ऐसे कदमों से भोपाल गैस पीड़ितों के लिए कठिनाई उत्पन्न होने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ). जी, हां। सी.बी.आई. और मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोर्ट के दिनांक 28.10.96 के आदेश द्वारा तोड़फोड़ सम्बन्धी कार्य पर रोक लगा दी गई है। यह मामला न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

इंदौर में पक्षी अभ्यारण्य

1637. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंदौर में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, नहीं। वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकार को अभयारण्य स्थापित करने का अधिकार दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बूचड़खाने का स्थानान्तरण

1638. श्री छत्रपाल सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में ईदगाह के समीप बूचड़खाने को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी में स्थानान्तरित करने का विचार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे उस क्षेत्र का पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा तथा पक्षियों से वायुयानों को टकराने का खतरा उत्पन्न नहीं होगा;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बूचड़खाने को बंद करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रदूषण रोकने तथा वायुयान दुर्घटनाओं को टालने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत दिल्ली में ईदगाह के समीप स्थित बूचड़खाने को उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले के गुलावटी रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र मसूरी में स्थानान्तरित करने का विचार है।

(ग) से (घ). बूचड़खाने की प्रस्तावित जगह के बिल्कुल आस-पास कोई भी हवाई अड्डा नहीं है, इसलिए बूचड़खाने की वजह से पक्षियों के वायुयानों से टकराने की कोई समस्या नहीं होगी। प्रस्तावित बूचड़खाना आधुनिक तरीकों पर चलाया जाएगा और इनमें पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित मानदण्डों का अनुपालन होगा।

वेतनमान में वृद्धि

1639. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री नीतीश कुमार :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में "हिन्दुस्तान उर्वरक निगम" और "भारतीय उर्वरक निगम" के लगभग 16,000 कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि करने संबंधी मामला अभी भी लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त संस्थानों के कर्मचारी अपनी मांग के समर्थन में दबाव डालने के लिए हड़ताल पर गए थे;

(ग) यदि हां, तो क्या ये संस्थाएं हड़ताल के कारण वित्तीय घाटे में चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण हुए अनुमानित घाटे का ब्यौरा व हैं; और

(ङ) इन कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच एफ सी) तथा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ सी आई) के कर्मचारियों ने अपनी मांगों पर जोर देने के लिए एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की है। इन कम्पनियों ने हड़ताल के कारण किसी वित्तीय अथवा उत्पादन हानि की सूचना नहीं दी है। एफ सी आई के रामागुण्डम एकक के कर्मचारियों ने भी 16.10.96 से 20.10.96 तक सामूहिक भूख हड़ताल की थी। तथापि, इस कार्यवाही से रामागुण्डम एकक में औद्योगिक उत्पादों/यूरिया के सामान्य प्रेषण को प्रभावित किया, किन्तु इससे कोई उत्पादन हानि नहीं हुई।

(ङ) एच एफ सी तथा एफ सी आई को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा रूग्ण कम्पनियां घोषित किया गया है। एच एफ सी तथा एफ सी आई कामगारों का मजदूरी संशोधन कार्यान्वित करने में असमर्थ हैं क्योंकि वे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में मजदूरी वार्ता के पांचवे दौरे हेतु वर्तमान सरकारी निर्देशों के तहत निर्धारित की गई शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। एक बार बी आई एफ आर इनके पुनरूद्धार पैकेज को अनुमोदित कर देती है तो अन्य कर्मचारियों के वेतन संशोधन के संबंध में विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सहकारिता विकास परिषद का कार्य-निष्पादन

1640. श्री संदीपान थोरात : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में सहकारिता क्षेत्र में कृषि आधारित परियोजनाओं के संवर्द्धन के संबंध में गत पांच वर्षों से राष्ट्रीय सहकारिता विकास परिषद के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य-वार राष्ट्रीय सहकारिता विकास परिषद के पास लम्बित परियोजनाओं/प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास परिषद, महाराष्ट्र में चीनी, कुक्कुट तथा कताई की सहकारी क्षेत्र में रूग्ण इकाइयों के पुनरूद्धार हेतु वित्तीय सहायता का पैकेज बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). जी, हां। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कार्यकलापों के वार्षिक कार्यक्रम का अनुमोदन करते समय भारत सरकार इसके कार्य निष्पादन की समीक्षा करती है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने वर्ष 1995-96 तक देश के विभिन्न राज्यों को कृषि प्रसंस्करण कार्यकलापों के लिए 1842.05 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है। इसमें से 1003.96 करोड़ रुपये की सहायता पिछले पांच वर्ष में दी गई। ब्यौरा संलग्न विवरण I(i) और I(ii) में दिया गया है।

(ग) लम्बित परियोजनाओं/प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा तथा उसकी स्थिति संलग्न विवरण II(i) से II(xi) में दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लागू नहीं।

विवरण-I(i)

1991-92 से 1995-96 तक कृषि प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा की गई निर्मुक्तियों की कार्यकलाप-वार स्थिति

(लाख रुपये में)

कार्यकला	वितरित सहायता				
	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
कृषि-प्रसंस्करण					
(क) चीनी	7478.330	11730.240	12004.458	16432.234	11693.240
(ख) कताई मिलें	9206.413	2599.983	1593.397	624.639	120.770
(ग) तिलहन प्रसंस्करण	5787.145	6782.458	3271.131	1945.046	0.000
(घ) अन्य प्रसंस्करण	835.247	746.925	586.886	3835.264	3116.273
कुल	23307.135	21859.606	17455.873	22837.183	14936.283

कुल योग : 100396.08

विवरण-I(ii)

1992 से 1995-96 तक कृषि प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा की गई निर्मुक्तियों की राज्य-वार तथा कार्यकलाप-वार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ शासित	कार्यकलाप प्रसंस्करण				
	चीनी फैक्ट्री	कताई मिलें	तेल मिलें	अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठान	कुल
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	865.400	5868.430	252.318	1660.076	8646.224
असम	216.975	1204.875	2330.075	550.338	4310.263
बिहार	25.000	896.007	112.790	318.211	1352.808
गुजरात	2268.200	4030.300	757.779	452.125	3519.404
हरियाणा	1781.605	71.000	74.140	210.144	2136.389
हिमाचल प्रदेश	0.000	0.000	0.000	556.965	556.965
जम्मू और कश्मीर	0.000	0.000	248.360	300.060	549.220
कर्नाटक	6283.800	5855.020	1974.000	1600.549	15802.249

1	2	3	4	5	6
केरल	115.440	439.400	6642.174	762.152	7949.166
मध्य प्रदेश	270.475	467.250	11243.640	3631.793	15613.158
महाराष्ट्र	36590.093	11010.125	518.745	4397.053	52516.016
मणिपुर	0.000	0.000	0.000	43.363	43.363
मेघालय	0.000	0.000	0.000	76.836	76.836
नागालैंड	0.000	0.000	0.000	25.636	25.636
उड़ीसा	2566.572	2333.070	376.771	677.205	5953.618
पंजाब	4418.300	3734.378	1300.406	837.118	10370.202
राजस्थान	15.200	2816.452	455.915	1728.350	17015.917
सिक्किम	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
तमिलनाडु	14149.435	1156.240	302.236	994.023	16601.934
त्रिपुरा	0.000	0.000	0.000	29.942	29.942
उत्तर प्रदेश	15345.040	959.770	682.001	978.954	18605.405
पश्चिम बंगाल	0.000	929.355	16.160	601.543	1547.058
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
अरुणाचल प्रदेश	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
मिजोरम	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
अन्य संघ शा. प्रदेश	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
संस्थाएं	35.570	300.027	101.400	96.516	613.513
कुल :	94947.105	39162.499	39477.790	20617.897	184205.292

विवरण–II(i)

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पास लम्बित परियोजनाओं/प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र.सं.	सोसायटी का नाम	ब्लाक की लागत (रु. लाख में)	प्रस्ताव की स्थिति
1	2	3	4
ग्रामीण उपभोक्ता योजना			
1.	उपभोक्ता सहकारी भण्डार, पोर्टब्लेयर, अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	27.61 (5 परिवहन वाहन)	प्रस्ताव की जांच कर ली गई है। दिनांक 22.10.96 के पत्र के हवाले से संघ शासित प्रदेश की सरकार/ सोसायटी से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।
2.	केरल राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, (कॉन्स्फेड), थिरूवनन्तपुरम, केरल	30.29 (अंगामलाई तथा केशवदास पुरम में स्थित दो शाखाओं के लिए मार्जिन राशि, फर्नीचर एवं परिवहन वाहन)	प्रस्ताव की जांच कर ली गई है। मांगी गई अतिरिक्त सूचना नवम्बर, 96 के तीसरे सप्ताह में प्राप्त की गई और इसकी जांच की जा रही है।

1	2	3	4
	जनजातीय सहकारी समितियां		
1.	चामानु लैम्प्स लिमिटेड, जिला-धलाई, त्रिपुरा	5.00 (परिवहन वाहन)	जांच की जा रही है।
	टेक्सटाइल्स		
1.	अमरावती,कोल्हापुर, सांगली और शोलापुर महाराष्ट्र	795.00 (2 पूर्व-परिसंस्करण सुविधा केन्द्र तथा 4 पावरलूम कारखाने)	तदैव
2.	संजय सहकारी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड हुबली, जिला-धारबाड़, कर्नाटक	(जी.एवं.पी. इकाइयां)	तदैव

विवरण-II(ii)

(रुपये लाख में)

विपणन एवं आदान

क्र.सं.	योजना	इकाइयों की संख्या	सम्मिलित राशि	प्राप्त करने की तारीख	स्थिति
1)	**एम.सी. से पी.सी.एम.एस.**				
	त्रिपुरा	2	2.00	23.4.96	1995-96 का वास्तविक व्यापार तथा 1996-97 के लक्ष्य प्रतीक्षित।
	त्रिपुरा	3	6.00	25.10.96	जांच की जा रही है।
	उड़ीसा	8	93.00	6.9.96	आर.सी.एस. से विशेष स्पष्टीकरण मांगा गया है।
	महाराष्ट्र	1	15.00	17.9.96	आर.डी. पुणे से विशेष स्पष्टीकरण मांगा गया है।
2)	कृषि यन्त्रों का भाड़ा/मरम्मत (त्रिपुरा)	1	15.38	18.10.96	अतिरिक्त सूचना का स्पष्टीकरण मांगा गया है।
	मणिपुर	6	29.01	3.11.96	जांच की जा रही है।
3)	नैफेड को मार्जिन राशि	1	4901.72	5.6.96	विचाराधीन है।
4)	राजफेड को मार्जिन राशि	1	500.00	2.10.96	विचाराधीन है।
5)	किसान सेवा समितियां (पंजाब)	11	4.00	25.10.96	जांच की जा रही है।
6)	परिवहन वाहन की खरीद (त्रिपुरा)	3	22.30	18.11.96	जांच की जा रही है।

विवरण-II(iii)

(रुपये लाख में)

नारियल जटा

27.11.96 के अनुसार सी.जे.टी. से संबंधित लम्बित प्रस्तावों की सूची

क्र.सं.	सोसायटी का नाम	ब्लाक लागत	राष्ट्रीय सहकारी विकास का शेयर	राज्य सरकार की सिफारिशें	प्रस्ताव की स्थिति
राज्य : **कर्नाटक**					
1.	समेकित नारियल जटा विकास परियोजना	3135.22	1778.00	अप्रैल, 1996 में प्राप्त किए गए	प्रस्ताव की जांच की गई। 24.7.96 को मांगी गई अतिरिक्त सूचना का कुछ हिस्सा प्राप्त हुआ। 6.9.96 को संयुक्त सचिव (एस.एस.आई.-ए.आर.आई) द्वारा इसकी समीक्षा की गई। अतिरिक्त निदेशक(उद्योग एवं वाणिज्य) कर्नाटक ने 13.9.96 तक बाकी सूचना भेजने का वचन दिया था। यह मिल गई है। (18-11 से 22.11.96 तक) आयोजित मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
राज्य : **केरल**					
1.	320 के.वाई.ए. डी.जी. सेट-क्वायरफेड	19.00	12.675	अप्रैल 1996 में प्राप्त किए गए	प्रस्ताव की जांच की गई। 8.7.96 को सूचना। स्पष्टीकरण मांगा गया था। हाल ही में प्राप्त की गई सूचना की फाइल पर जांच की जा रही है।
प्राप्त किए गए प्रस्ताव					
राज्य : **उड़ीसा**					
	95-2000 तक की संदर्श योजना (कटक, गंजम तथा बालासौर) के अनुसार 12 क्वायर परिसंस्करण इकाइयां	59.16	44.37	सितम्बर 1996 में प्राप्त किए गए	यह प्रस्ताव अगस्त, 1995 में उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए पहले प्रस्ताव के क्रम में है। यह एक प्राथमिक प्रस्ताव है। फाइल पर इसकी जांच की गई है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्वायर बोर्ड की राजसहायता के उपलब्ध होने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा।

टिप्पणी :- उड़ीसा सरकार ने अगस्त, 1995 में 600.00 लाख रुपये की लागत से 67 क्वायर परिसंस्करण इकाइयों के लिए संदर्श योजना 1995-2000 (कटक, गंजम तथा बालासौर) की रूपरेखा प्रस्तुत की। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने उड़ीसा को, समितियों की पहचान करने तथा विशिष्ट प्रस्तावों का प्रतिपादन करने की सिफारिश की।

विवरण–II(iv)

तिलहन

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	सोसायटी का नाम	कार्य-कलाप	प्रस्तावित ब्लाक	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की प्रस्तावित सहायता	राज्य सरकार की आई.आर. स. एवं. तारीख	टिप्पणी
						उन पर की गई/ की जा रही कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना						
1.	**जम्मू व कश्मीर**					
	जम्मू और कश्मीर भू.पू. सैनिक सहकारी भण्डार लिमिटेड, जम्मू	उपकरणों का आधुनिकीकरण एवं विस्तार तथा संतुलित करना तथा वनस्पति परियोजना के लिए मार्जिन धनराशि	86.44	86.44	सरकारी/ वाहन/ 11/90/5 दिनांक 28.4.95	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किया गया है। हालांकि फिलहाल इस परियोजना को सहायता न देने का निर्णय लिया गया है क्योंकि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को देय राशि का पूर्णतया चुकौती/भुगतान नहीं किया है।
2.	**मध्य प्रदेश**					
	आयलफेड मध्य प्रदेश	सतना में एस.ई.पी. की स्थापना	2822.00	8334.45	सं.3/7/ 95/15/2 दिनांक 5.5.95	राज्य सरकार/मध्य प्रदेश आयलफेड को परामर्श दिया गया है कि आयलफेड प्रथमतः अपने वित्तीय निष्पादन में सधार करे तथा इसके बाद विस्तार आदि के लिए विचार करे।
निगम द्वारा प्रायोजित योजना अन्य परिसंस्करण कार्यक्रम						
4.	**महाराष्ट्र**					
(क)	नीलकमल स्टाल्कप्लाई सहकारी सोसायटी लिमिटेड	जलगांव में पार्टीकल बोर्ड संयंत्र की स्थापना	2900.00	2300.00	प्रक्रिया 1092/ 132627/ 795/9-सी दिनांक 7.11.92	प्रबन्ध निदेशक ने हाल ही में महाराष्ट्र की आर. एवं आई. की बैठक में उल्लेख किया कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, पूर्व स्वीकृत इकाइयों के शीघ्र ही अधिकृत करने तथा अपने कार्यों को स्थिर करने तक निकट भविष्य में किसी नई पार्टीकल बोर्ड इकाई पर विचार नहीं करेगा।

1	2	3	4	5	6	7
(ख)	प्रिंस पार्टीकल बोर्ड कारखाना लिमिटेड, अहमद नगर जिला जालना	अहमद नगर में पार्टीकल बोर्ड संयंत्र की स्थापना	29.00	23.00	प्रक्रिया 1193/ 13548/ सी.आर-138/9-सी दिनांक 30.6.93 दि. 6.7.93	प्रबन्ध निदेशक ने हाल ही में महाराष्ट्र की आर. एवं आई. की बैठक में उल्लेख किया कि राष्ट्रपति सहकारी विकास निगम, पूर्व स्वीकृत इकाइयों के शीघ्र ही अधिकृत करने तथा अपने कार्यों को स्थिर करने तक निकट भविष्य में किसी नई पार्टीकल बोर्ड इकाई पर विचार नहीं करेगा।
(ग)	त्रिमूर्ति स्टाल्कप्लाई सहकारी सोसायटी लिमिटेड, बासमत नगर, जिला: प्रभानी	पार्टीकल बोर्ड संयंत्र (लागत बढ़ाना) स्थापित करना	1433.09	1146.47	जुलाई, 1996 में संस्तुत किया गया	मौके पर मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन दल का गठन किया गया है जो शीघ्र ही इस परियोजना का निरीक्षण करेगा।
(घ)	श्री गुरूदेव पेपर उत्पादन एवं प्रोफेशनल सोसायटी लिमिटेड	क्राफ्ट पेपर उत्पादन यूनिट जिला उस्मानाबाद की स्थापना	414.79	269.61	सितम्बर, 93 में संस्तुत किया गया	परियोजना का मौके पर मूल्यांकन करने के मूल्यांकन लिए दल का गठन किया गया है। समिति से अद्यतन लागत अनुसार तथा नये वित्तीय एवं आर्थिक विश्लेषण की सूचना मांगी गई है।

विवरण-II(v)

चीनी

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	सोसायटी का नाम	परियोजना	परियोजना लागत	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का अंश	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र					
1.	वसन्तदादा एस.एस. के.लि., जिला	विद्युत का सहसृजन	7000.00	4200.00	प्रक्रिया चल रही है। शेयर पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र बिजली बोर्ड तथा सोसायटी से कुछ अतिरिक्त विवरण की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5	6
2.	कृष्णा एस.एस.के. लि., जिला सतना	विद्युत का सहसृजन	5119.00	2514.00	सोसायटी, किसी विदेशी फर्म के साथ एक संयुक्त उद्यम कम्पनी का निर्माण करने की संभावना का पता लगा रही है। इस परियोजना को सोसायटी से अगला संकेत मिलने तक आस्थगित रखा गया है। तदनुसार 18.10.96 को राज्य सरकार को सूचित किया गया है।
उत्तर प्रदेश					
3.	के.एस.सी.एम. नदेही जिला नैनीताल	2000 टी.सी.डी से 5000 टी.सी.डी.तक का आधुनिकीकरण/विस्तार	4200.00	2610.00	उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की विशाल चूक के कारण उत्तर प्रदेश में नई मंजूरी पर रोक को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों को
4.	के.एस.सी.एम. बदायूं, जिला बदायूं	1250टी.सी.डी से 2500 टी.सी.डी. का विस्तार	1650.00	825.00	आस्थागित रखा गया है। फिर भी, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक का ऋण चुक्तौती का कार्यक्रम
5.	के.एस.सी.एम. सम्पूर्नानगर जिला-लखीपुरखेडी	2500 टी.सी.डी. से 5000 टी.सी.डी. का विस्तार	4100.00	2665.00	निश्चित किए जाने के बाद सहायता की मंजूरी में देरी न हो, इसके लिए मूल्यांकन हेतु प्रस्ताव शुरू किए जा रहे हैं।
कर्नाटक					
6.	मालाप्रभा एम.एस. के. लिमिटेड, एम.के. हुबली, जिला बेलगांव	3500 टी.सी.डी.से 5000 टी.सी.डी. का आधुनिकीकरण/विस्तार	7386.00	4349.25	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की आन्तरिक स्क्रीनिंग समिति द्वारा इस प्रस्ताव की निकासी कर दी गई। 11.12.96 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को उनके विचारार्थ रखा जा रहा है।

विवरण-II(vi)

फल और सब्जियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	समिति का नाम	राज्य	जिस उद्देश्य के के लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है	वित्तीय राजसहायता की धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	जोयंगा एमपीसीएस लिमि. जिला वोखा	नागालैंड	फल विपणन (अंश पूंजी)	4.000	प्रस्ताव हाल ही में 21.11.96 को प्राप्त हुआ और जांच के अधीन है।
2.	क्वालिटी एमजीसीएस लिमि. कोहिमा	नागालैंड	फल विपणन (परिवहन साधन/गोदाम)	4.700	तदेव

1	2	3	4	5	6
3.	दौखिग्यातूई एफ एण्ड वी जी आर एम सी एस लिमि. जिला तुयेनसांग	नागालैंड	फल विपणन (अंशपूंजी/गोदाम)	4.500	प्रस्ताव हाल ही में 21.11.96 को प्राप्त हुआ और जांच के अधीन है।
4.	कोरी डांग हिल टी-4 एग्रिल एलाइड मार्केटिंग सी एस लिमि. जिला माकक चुंग	नागालैंड	फल विपणन (परिवहन साधन) और अंशपूजी)	5.710	तदेव
5.	शिमेण्ट एग्रिल एलाइड एफसीएस लिमि. जिला माकक चुंग	नागालैंड	फल विपणन (परिवहन साधन गोदाम अंशपूंजी)	11.645	तदेव
6.	उसाऊ एम पी सी एस जिला कोहिमा	नागालैंड	फल विपणन (अंश-पूंजी परिवहन साधन गोदाम)	11.900	तदेव
7.	लैमबेग फल और सब्जी विपणन सीएस लिमि. दीमापुर	नागालैंड	फल विपणन (अंश पूंजी परिवहन साधन)	5.830	तदेव
8.	ओलासुंग एग्रिम एलाइड एफसीएस लिमि. जिला माकक चुंग	नागालैंड	फल विपणन (अशंपूंजी परिवहन साधन)	6.845	तदेव
9.	सेवन सिस्टर एमपीसीएस चोबागिया विलेज जिला फेक	नागालैंड	फल विपणन (अंशपूजी परिवहन)	4.200	तदेव
10.	नोई प्लाण्टेशन एम पी.सी.एस. लिमि.	नागालैंड	फल विपणन (गोदाम अंशपूंजी)	8.500	अपेक्षित सूचना/स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
11.	एस सी/एस टी कवक, विकास सहकारी समिति लि., केरल स्टेट फेडरेशन	केरल	आयुर्वेदिक एकक की स्थापना	110.700	सम्भाव्यता रिपोर्ट पर राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना की प्रतीक्षा है।
12.	प्राइमरी होर्टीकल्चर ग्रोअर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि. (12 शक्तियां)	उत्तर पद्रेश	फल विपणन (कटाई उपरांत प्रबन्ध)	35.020	उ.प्र. राज्य के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि राज्य एनसीडीसी की सहायता के भुगतान का दोषी है।
13.	एच ओ पी सी बी एन एच (चार मण्डलीय प्राइमरी होपकोम्स)	कर्नाटक	समेकित फल और सब्जी विपणन और निर्यात परियोजना	3192.225 (एनसीडीसी मूल्यांकन दर द्वारा मूल्यांकित)	मण्डलीय एच ओ पी सी ओ एन एस पर राज्य सरकार से मांगी गई अपेक्षित सूचना की प्रतीक्षा है।
14.	केमिवी एम पी सी एस लिमि.	नागालैंड	फल विपणन (गोदाम वहन)	9.175	आरडीएनसीडी सी गुवाहाटी से टिप्पणी की मांग।

1	2	3	4	5	6
15.	लोंगयांग राजू एमपीसीएस लि.	नागालैंड	फल विपणन वहन	6.190	निर्धारित प्रपत्र पर सूचना की प्रतीक्षा है।
16.	छिंगचिप एफसीएस लिमि.	मिजोरम	फल विपणन वहन	3.785	2.12.96 को स्क्रीनिंग समिति के सामने प्रस्तुत की जा रही है।
17.	रौतलांग एफसीएस	मिजोरम	फल विपणन वहन	3.570	2.12.96 को स्क्रीनिंग समिति के सामने प्रस्तुत की जा रही है।
18.	रीथा एमपीसीएस लिमि.	नागालैंड	फल विपणन (वहन, गोदाम, अंशपूंजी, रिटेल काउन्टर, प्लास्टिक क्रेट्स)	14.000	अपेक्षित सूचना/ स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
19.	प्रोग्रेसिव प्राइमरी मल्टीपरपज कोआपरेटिव	मेघालय	फल विपणन परिवहन	3.700	हाल ही में प्राप्त किया गया प्रस्ताव परीक्षण के अधीन हे।
20.	मागसू होमा कोऑप. फ्रूट ब्रोमर्स मार्केटिंग सोसाइटी लिमि.	हि.प्र.	परिवहन	6.000	डीआरडी, एनडी सीडीसी, शिमला से टिप्पणी मांगी गई हैं।

विवरण–II(vii)

बशी गृह

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम		समिति का नाम और पता	प्रस्तावित खण्ड लागत	की गई कार्यवाही
	1	2	3	4
पश्चिम बंगाल				
1.	शीत गृह 5000 मी.टन	कृषक कल्याण समावय हिमघर लि. मंगल कोट ब्लाक के नीचे, बर्द्धवान-II रेंज	179.00	स्क्रीनिंग समिति द्वारा प्रस्ताव पहले ही क्लीयर कर दिया गया तब बोर्ड को अनुमोदन बाकी है।
मध्य प्रदेश				
2.	शीत गृह 5000 मी.टन	श्री अम्बिका आलू उत्पादक विपणन एवं प्रक्रिया सह. समिति लि. ग्वाली पलसिया तहसील-महू	32.12	राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोवीजन सहित मूल्य वृद्धि प्रस्ताव को सिफ़ारिश की जानी है।
3.	शीत गृह 6000 मी.टन	जनकेश्वर सहकारी शीत गृह सोसायटी लि., गांव यशवंतनगर तहसील-महू, जिला इन्दौर	196.00	फील्ड मूल्यांकन किया जा रहा है।

	1	2	3	4
4.	शीतगृह 6000 मी.टन	मार्कफेड, एफ.पी. इन्दौर	75.00	अतिरिक्त मूल्य सरकार की सिफारिश की भी प्रतीक्षा है।
उड़ीसा				
5.	शीत गृह 5000 मी.टन.	केवनझार कोआपरेटिव कोल्ड स्टोरिंग लि.पी.ओ. केवनझार सब डिवीजन सदर जिला केवनझार	165.00	राज्य सरकार/सोसाइटी को बार-बार रिमाइन्डर भेजने के बावजूद सूचना की प्रतीक्षा है।
6.	शीत गृह 5000 मी.टन	निमपाडा मल्टी-कमोडिटी स्टोरिंग एम सो एस लि; निमपाड़ा जिला, पुरी	165.00	तदेव
7.	शीत गृह 5000 मी.टन	बारीपाडा मल्टी परपज कोआपरेटिव कोल्ड स्टोरेज बारीपाडा जिला मयूरभंज (ट्राइबल जिला)	165.00	तदेव

विवरण-II(viii)

मात्स्यिकी

क्र.सं.	राज्य	विचाराधीन प्रस्ताव	उद्देश्य	खंड लागत (लाख रु. में)	की जा रही/गई कार्यवाही	
					मांगी गई अतिरिक्त सूचना	परीक्षण के अधीन
1.	कर्नाटक	1	ऑयल टैंकर	6.00	–	1
2.	केरल	1	जाल बनाने की इकाई	1150.00	1	–
3.	महाराष्ट्र	3	आई.आर.एफ.डी.पी.*	953.29	3	–
4.	महाराष्ट्र	11	यन्त्रीकृत नौकाएं	149.65	–	11
5.	मणिपुर	13	मछली पालन	113.54	13	–
6.	नागालैण्ड	65	मछली पालन	246.00	6	59
7.	पश्चिम बंगाल	1	आई.आर.एफ.डी.पी.*	975.00	–	1
8.	पश्चिम बंगाल	1	मत्स्य विपणन	290.14	1	–
		96		3883.62	24	72

* समेकित जलाशय मात्स्यिकी विकास परियोजना

विवरण–II(ix)

सरकारी भण्डारण

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पास भम्बित प्रस्ताव तथा उनकी वर्तमान स्थिति (27.11.1996 के अनुसार) का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	सोसायटी का नाम	गोदामों की सं.	सोसायटी	क्षमता (मी.टन में)	ब्लाक लागत	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का शेयर	वर्तमान स्थिति
1.	हरियाणा	1	हैपेड (वेयर हाउसिंग)	4000	125.00	93.75	संशोधित प्रस्तावों तथा सरकार की सिफारिश की प्रतीक्षा है।
2.	हिमाचल प्रदेश	74 पी.ए.सी.एम. (रैन)	हिमफेड	–	94.69	85.22	जांच की जा रही है।
3.	मध्य प्रदेश	39–एम.पी. फेडरेशन	आदिवासी क्षेत्र	–	821.54	739.39	मार्कफेड को आवश्यकता
		114–एम.पी फेडरेशन	सामान्य क्षेत्र	–	2244.28	2019.89	तथा वित्तीय व्यवहार्यता का औचित्य सिद्ध करने को कहा गया।
4.	महाराष्ट्र	55 महा.	टीडीसीसी	13750	248.05	223.25	मूल्यांकन किया जा रहा है।
5.	मिजोरम	2(रैन)	तान्हरिल निसापुरी	रैन	3.00	2.70	निरीक्षण किया जा रहा है।
6.	उड़ीसा	रैन(4)	पीएसीएस/ पीएमएस	–	4.06	3.65	निरीक्षण किया जा रहा है।
7.	पंजाब	रैन(4)	बेतला सीएसएम	–	9.42	8.48	निरीक्षण के अधीन
			1 जगराव सीएमएस	1400	110.00	82.50	फील्ड मूल्यांकन
			रैन(11) जीएसीएस	–	14.18	12.75	प्रस्तावित डिवीजनल स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुमोदित।
8.	पश्चिम बंगाल	1 गंगाराम पुर सी एम एस		250	5.10	3.83	आर सी बी से टिप्पणी की मांग
9.	अण्डमान एवं निकोबार	1 कंज्यूमर सी 6 स्टोर		7500 एलपीजी सिलेन्डर	20.05	18.05	गारंटी हेतु केन्द्र सरकार का सहयोग चाहां गया है।
		229		32500	3736.87	3273.42	

विवरण–II(x)

समेकित अनाज विकास कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिलों की संख्या	जिले का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
1.	बिहार	2	सिंहभूम व रांची	497.05
			रांची	688.26
2.	हिमाचल प्रदेश	2	चम्बा व	538.14
			कुल्लू	484.29
3.	कर्नाटक	1	चित्रदुर्ग	1191.37
4.	मध्य प्रदेश	2	गुना व	965.79
			सिधी	853.25
5.	उत्तर प्रदेश	3	गोरखपुर,	उ.न.
			रायबरेली व	1315.88
			मथुरा	उ.न.
6.	मिजोरम	1	लंगलेई	836.70

* इन प्रस्तावों पर नवीं पंचवर्षीय योजना में विचार किया जाना है, ये नवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखे जाने हैं।

विवरण–II(xi)

खाद्यान्न

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	कार्यकलाप	समिति का नाम और पता	सरकारी संस्तुति पत्र की संख्या और तारीख	प्रस्तावित खण्ड लागत	प्रस्तावित सहायता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	**गुजरात** चावल	गणदेवी तल अनुसूचित जाति विकास सह. मण्डी लिमि.	जी सी एस–1092–1520/ (60)–सी एच तारीख 3.5.95	33.8.00	219.70	राज्य सरकार से चूक प्रत्याभूति की प्रतीक्षा है।
2.	**कर्नाटक** चावल मिल	सोराब टी ए पी सी एम एस लिमि. शिमोगा	सी.एम. डब्ल्यू 212–पी एम सी–8 तारीख 28.2.96	4.85	4.85	राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	चावल मिल	हरिहर टीएपी सीएमएस लिमि. चित्रदुर्ग	सीएमडब्ल्यू–201 पीएमसी–96 तारीख 1.3.96	– 7.19	– 6.00	पत्र संख्या के तहत
			*1. एनसीडीसी 16.2/96 एफजी तारीख 30.9.96 तथा 2. एनसीडीसी 16–3/96–एफजी तारीख 4.10.96			

1	2	3	4	5	6	7
3.	**मध्य प्रदेश** मेज स्टार्च	कोण्डा गांव सी एम एस लिमि. जिला बस्तर	एफ-3/119/95/15-2 तारीख 10.1.96	900.00	697.50	तदेव
4.	**महाराष्ट्र** मेज स्टार्च	राधानगरी तोल एम के वी एस लिमि. कोल्हापुर	प्रक्रिया-1492/सीआर 756/96 तारीख 18.6.96	6000.00	120	लैमिडंग इंस्टीट्यूट कोल्हापुर सीसीबी से मूल्य निर्धारण रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और विचाराधीन है।
5.	**उड़ीसा** दाल मिल	ओ सी सी एफ उड़ीसा		23.68	18.95	राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। (एनसीडीसी के अर्द्ध शासकीय पत्र सं. 13-1/95-एफजी तारीख 7.11.96 के तहत)

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में उर्वरक इकाई

1641. श्री दत्ता मेघे : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में विगत दो वर्षों में स्थापित की गयी ऐसी उर्वरक इकाइयों की संख्या क्या है जिनमें उत्पादन शुरू हो गया है; और

(ख) ऐसी इकाइयों की संख्या क्या है जिनमें चालू वित्त वर्ष के दौरान उत्पादन शुरू हो जाने की सम्भावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कोई नया प्रमुख उर्वरक एकक स्थापित अथवा प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान ऐसे किसी एकक द्वारा उत्पादन प्रारम्भ किये जाने की आशा नहीं है।

बिहार में भंडागार

1642. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडागार निगम के भंडागारों की भंडारण क्षमता, स्थल-वार सहित संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का उपर्युक्त राज्य में भंडागारों की संख्या को बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) बिहार में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम की स्थानवार भण्डारण क्षमता के ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

(ख) से (घ). भारतीय खाद्य निगम ने बिहार में 65000 टन क्षमता का निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार निर्माण करने का अनंतिम प्रस्ताव किया है :-

केन्द्र	क्षमता (टन)
कटिहार	25,000
गुमला	5,000
हतिया	25,000
गोड्डा	5,000
बोकारो	5,000
	65,000 टन

तथापि वास्तविक निर्माण भूमि और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

केन्द्रीय भण्डारण निगम का प्रस्ताव है कि बिहार में निम्नलिखित केन्द्रों पर 14,500 टन क्षमता का निर्माण किया जाए :—

केन्द्र	क्षमता (टन)
डेहरी-ओन-सोन	10,000
फतवा	4,500
	14,5000 टन

निगम द्वारा उपर्युक्त केन्द्रों के लिए भूमि कब्जे में ली जा रही है।

विवरण-I

1.11.1996 को स्थिति के अनुसार बिहार राज्य में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता (अपनी और किराये की) बताने वाला विवरण

(आंकडे हजार टन में)

जिला का नाम	केन्द्र का नाम	भण्डारण क्षमता		
		अपनी	किराये की	जोड़
1	2	3	4	5
भोजपुर	बक्सर	25.00	–	25.00
	आरा	–	3.00	3.00
पटना	दीघाघाट	32.44	–	32.44
	मोकमिह	42.25	5.00	47.25
	फुलवारीशरीफ	50.05	–	50.05
	बिहटा	–	0.50	0.50
नालन्दा	बिहार शरीफ	–	4.00	4.00
धनबाद	धनबाद	15.21	–	15.21
हजारीबाग	कोडरमा	–	3.00	3.00
	हजारीबाग	–	7.61	7.61
गिरिडीह	सीरिया	–	4.10	4.10
पलामू	डाल्टनगंज	15.98	–	15.98
सिंहभूम	जमशेदपुर	10.84	6.50	17.34
	चक्रधरपुर	–	2.00	2.00
रांची	तितीसिलवल	–	15.00	15.00
	रांची	11.67	–	11.67
गढ़वा	गढ़वा	–	2.00	2.00
लोहारडंगा	लोहारडंगा	–	3.00	3.00
छपरा	छपरा	–	5.00	5.00
वैशाली	हाजीपुर	–	5.00	5.00
सहरसा	सहरसा	12.64	–	12.64
	राघोपुर	–	5.00	5.00
सापौलपुर	माधोपुर	–	5.00	5.00
अररिया	फारबेसगंग	–	5.00	5.00
देवघर	जसीडीह	12.50	–	12.50
भोगपुर	भोगपुर	–	17.29	17.29
साहिबगंज	साहिबगंज	–	3.20	3.20
	जाम्मुई	–	2.80	2.80
मुंगेर	मुंगेर	–	3.17	3.17
	लखीसराय	–	2.50	2.50
दरभंगा	दरभंगा	5.74	0.25	5.99
मधुबनी	जयनगर	9.67	–	9.67
गया	गया	96.72	–	96.72
नवधा	वरलीगंज	–	2.90	2.90
रोहतास	सासाराम	–	6.00	6.00
चनपतिया	चनपतिया	6.28	–	6.28
मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	7.60	–	7.60
	नारायणपुर अनन्त	36.37	–	36.37
चम्पारन	चकिया	–	2.50	2.50
सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	–	4.17	4.17
पुरनिया	बेलौरी	8.98	–	8.98
कटिहार	कटिहार	10.84	–	10.84
किशनगंज	किशनगंज	–	6.72	6.72
बेगूसराय	बगूसराय	–	2.50	2.50
	बेगूसराय रोड	–	5.00	5.00
	तिलरथ	–	5.00	5.00
समस्तीपुर	समस्तीपुर	–	9.84	9.84
	जोड़ :	411.08	154.57	565.65

विवरण–II

बिहार में केन्द्रीय भण्डारण निगम के पास उपलब्ध केन्द्रवार भण्डारण क्षमता बताने वाला विवरण

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	क्षमता टन में		
		अपनी	किराये की	जोड़
1.	मोहानिया	3750	–	3750
2.	दरभंगा	7500	–	7500
3.	जमशेदपुर	4000	3391	7391
4.	हजारीबाग रोड	–	2756	2756
5.	हजारीबाग रोड	15300	–	15300
6.	कटिहार	8000	4263	12263
7.	किशनगंज	12000	–	12000
8.	मुंगेर	8000	–	8000
9.	पताही	–	9964	9964
10.	मोकामाह	5000	–	5000
11.	मुसल्लापुर	7487	–	7487
12.	पटना	6500	12270	18770
13.	रांची	14650	1500	16150
14.	रोहतास (देहरियांसोनी)	–	6592	6592
15.	नोखा	4300	–	4300
16.	समस्तीपुर	7650	1587	9237
	जोड़ :	104137	42323	146460

[अनुवाद]

पुष्पोत्पादन

1643. श्री पी.सी. थामस : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में वाणिज्यिक पुष्पोत्पादन के विकास हेतु एक विस्तृत परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस उद्देश्य हेतु दी गई अथवा दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता राशि कितनी है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) 39.53 करोड़ रुपये की कुल लागत पर शुरू की जाने वाली परियोजना में टिशू कल्चर प्रयोगशालाएं पादप घरों जैसी आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन तथा साथ ही उत्पादकों के बीच पुष्पोत्पादन के प्रबंधन हेतु योजना लागू करने पर विचार किया गया है।

(ग) जिस रूप में यह योजना तैयार की गई थी, उसके सभी ब्यौरे पूर्ण नहीं थे। राज्य सरकार को प्रस्ताव फिर से तैयार करने की सलाह दी गई थी।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

मूर्तियों की चोरी

1644. श्री आई.डी. स्वामी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 सितम्बर, 1996 के "दैनिक जागरण" में "मन्दिर से मूर्तियां लूटने वाले सात बंगलादेशी पकड़े गये" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बंगलादेशी अवैध घुसपैठिए हैं;

(ग) उन्हें वापस भेजने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) कब तक बंगलादेश के सभी अवैध घुसपैठियों को वापस भेज दिया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). इस मामले में गिरफ्तार किए गए सभी सातों व्यक्ति अवैध अप्रवासी हैं। तथापि उनमें से किसी को भी अभी तक वापिस नहीं भेजा गया क्योंकि वे इस समय न्यायिक हिरासत में हैं और उन पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है।

(घ) अवैध अप्रवासियों की शिनाख्त करना/प्रत्यावर्तित करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

यूरिया का आयात

1645. श्री कचरु भाऊ राउत : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कथित यूरिया घोटाले में शामिल कर्सन कंपनी ने हाल ही में घटिया किस्म की यूरिया की एक खेप भेजी थी जिसे अस्वीकार कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग). मै. करसन लि. द्वारा मै. एन एफ एल के साथ अनुबन्धित मात्रा की तुलना में प्रेषित 9006 मी. टन यूरिया लेकर "इजमाइल" नामक एक पोत 17.9.96 को भावनगर पहुंचा था। चूंकि मै. करसन द्वारा भेजी गई गुणवत्ता जांच रिपोर्ट से पता लगा कि इस पोत में भेजी गई सामग्री अनुबन्धित गुणवत्ता विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है और मै. एन एफ एल ने इस प्रेषण को अस्वीकार कर दिया। मै. करसन द्वारा यूरिया की अनुबन्धित मात्रा की आपूर्ति किये जाने में असमर्थता के कारण अनुबंध के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए मै. एन एफ एल ने 6.10.96 को अनुबंध समाप्त कर दिया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी बी आई) भारत तथा विभिन्न अन्य देशों में भी इस मामले की जांच कर रही है। स्वीटजरलैण्ड सरकार से अनुरोध किया गया है कि मै. करसन लि. तथा इनसे संबंधित अन्य खातों में उपलब्ध धनराशि की निकासी पर रोक लगाये। स्वीटजरलैण्ड, सरकार से यह अनुरोध भी किया गया है कि इन धनराशियों को जब्त कर उसे भारत को सौंपे।

[अनुवाद]

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव

1646. श्री बसुदेव आचार्य :

श्री हाराधन राय :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव (इफको) पश्चिम बंगाल में यूरिया संयंत्र स्थापित करने का विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख). इस समय, पश्चिम बगाल राज्य में अमोनिया-यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए इफको का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इफको की कार्पोरेट योजना में यह परिकल्पना की गई है कि इसका अगला उर्वरक संयंत्र पूर्वी क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा तथा यह परियोजना प्रस्ताव आन्ध्र प्रदेश में इफको की नेल्लोर परियोजना के कार्यान्वयन में ठोस प्रगति किये जाने के पश्चात ही शुरू किया जाएगा।

गेहूं की दुलाई और भंडारण

1647. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडारण निगम को आयातित गेहूं सहित गेहूं की दुलाई और भंडारण की जिम्मेदारी सौंपी गई है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम से यह जिम्मेदारी लेने का क्या कारण है; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम की तुलना में केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा गेहूं की दुलाई और भंडारण विशेष रूप से आयातित गेहूं पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग). केन्द्रीय भण्डारण निगम भारतीय खाद्य निगम सहित थोक जमाकर्ताओं के अनुरोध पर खाद्यान्नों के स्टाक की हैंडलिंग और दुलाई का प्रबन्ध करता है और इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय भण्डारण निगम हैंडलिंग और दुलाई ठेकेदार नियुक्त करता है।

अगसत, 1992 से जुलाई 1993 के बीच केन्द्रीय भण्डारण निगम ने भारतीय खाद्य निगम की ओर से आयातित गेहूं की आंशिक हैंडलिंग की थी और केवल जवाहर लाल नेहरू पत्त, नई मुम्बई के जरिए आन्तरिक दुलाई की थी।

"न्यू कैसल" रोग पर नियंत्रण

1648. श्री भक्त चरण दास : क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुर्गियों में "न्यू कैसल" रोग पर नियंत्रण पाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने "टीका" विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस रोग के व्यापक रूप से फैलने के बारे में प्रचार के लिए किसी परियोजना हेतु धनराशि दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह टीका भारतीय वैज्ञानिकों ने वर्ष 1942 में "न्यू केसल" विषाणु रोग के मुतेश्वर स्ट्रेन का प्रयोग करके विकसित किया था। यह एक जीवन्त सूक्ष्म टीका है जो आमतौर पर आर डी-आर जेड बी अथवा आर डी मुक्तेश्वर टीका स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। यह टीका टीकाकृत पक्षियों में लम्बी अवधि तक बचाव के लिए एक ठोस उपाय है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम

1649. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम से विभिन्न कल्याण योजनाएं आरम्भ करने के लिये सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि की मांग की गई है और उस सहायता राशि से क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी हां।

(ख) 1992-93 से 26-11-1996 तक लक्ष्य समूह के लिए विकास योजनाओं हेतु राज्य निगम को कुल 25.14 करोड़ रु. की राशि, राज्य माध्यम एजेन्सियों को ऋण की मंजूरी और संवितरण के लिए अपेक्षित एवं आवश्यक शर्तों को पूरा करने पर प्रदान की गई है। योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

कर्नाटक पिछड़ा वर्ग विकास निगम को 1992-93 से 26.11.1996 तक मंजूर किए गए आवधिक/सीमान्त ऋण को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभग्राहियों की संख्या	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का ऋण शेयर
1	2	3	4
1.	हेयर कटिंग सैलून (समूह क) दुकानें	140*	15.75
2.	दर्जी की दुकानें	280*	12.25
3.	हेयर कटिंग सैलून की (समूह ग) दुकानें	50	2.45
4.	बैलगाड़ी	280*	14.00
5.	बीज एवं कीटनाशक औषधियों की दुकानें	140*	14.00
6.	सिले सिलाए वस्त्रों की दुकानें	280*	24.50
7.	कृषि औजारों की दुकानें	140*	17.50
8.	फल एवं सब्जी विक्रेता	500	21.00
9.	परिवर्तित धोबी, लौंड्री	500	21.00
10.	किराना की दुकान	280*	21.00
11.	विद्युत सामग्री की दुकान	280*	24.50
12.	इलेक्ट्रिक वाइन्डिंग शॉप	280*	14.00
13.	कपड़े की दुकान	280*	24.50
14.	लेखन सामग्री की दुकान	280*	21.00
15.	कार्यशाला	280*	21.00
16.	आटो शिक्शा	250	25.00
17.	सिल्क रिलिंग	50	5.00
18.	हथकरघा बुनकर	1000	20.00
19.	सिंचाई बोर कूप (फेज-I)	250	25.00
20.	भूमि खरीद और सिंचाई योजना	100	37.00

1	2	3	4
21.	सिंचाई बोर कूप (फेज-2)	150	15.00
22.	आधुनिक हथकरघा बुनकर	200	15.40
23.	आधुनिक हथकरघा सूती बुनकर	200	9.80
24.	आधुनिक पॉलिस्टर बुनाई	200	12.60
25.	डेयरी फार्मिंग	556*	25.00
	कुल	6996	458.25

* 1993-94 के दौरान संशोधित

1993-94

1.	सिंचाई बोर कूप का वित्त पोषण	500	60.00
2.	ऑटो रिक्शा का वित्त पोषण	250	31.25
3.	रोजगारोन्मुखी मुद्रण प्रेस	50	6.00
4.	आटा मिल	200	20.00
5.	सिले सिलाए वस्त्र	500	45.75
6.	साईकिल हायरिंग तथा सेवा केन्द्र की स्थापना	700	35.00
7.	बर्तन निर्माण	350	32.37
8.	ऑटो मरम्मत सेवा	525	21.00
9.	धोबी एकक	350	14.875
10.	सामान्य इंजीनियरिंग यूनिट	200	17.50
11.	दो पशु डेयरी यूनिट	500	22.50
12.	सिल्क बुनाई यूनिट	300	23.085
13.	फोटो कापी की मशीन	50	13.75
14.	ड्राई क्लीनिंग	50	2.75
15.	पॉलिस्टर बुनाई यूनिट	300	18.89
16.	हेयर कटिंग सैलून (श्रेणी ग)	800	47.60
17.	सूती बुनाई यूनिट	800	39.204
18.	बढ़ई यूनिट	875	74.37
19.	रत्न कटाई और चमकाना	500	87.50
20.	ऑटो रिक्शा	400	50.00
21.	रत्न कटाई और चमकाना	850	148.75
	कुल	9050	810.144

1	2	3	4
1994–95			
1.	लुहार यूनिट	2000	98.000
2.	सिल्क बुनाई यूनिट	300	23.100
3.	ऑटो रिक्शा यूनिट	500	62.500
4.	सिल्क रिलिंग यूनिट	50	5.750
5.	ऑटो रिक्शा	750	93.750
6.	मिनी बस	25	24.697
7.	मैटाडोर	25	24.697
8.	गाय डेयरी यूनिट	3250	438.750
9.	रेशम कीटपालन यूनिट	250	72.500
10.	सिल्क कीटपालन गृह	750	157.500
11.	मैटाडोर पीकअप वैन	50	45.400
12.	एम्बैसडर डीजल टैक्सी	50	49.765
	कुल	8000	1096.409

*सत्र--

1995–96			
1.	डेयरी फार्मिंग	285	20.520
2.	बैलगाड़ी	380	30.400
	कुल	665	50.920
1996–97			
1.	सामान्य स्टोर	492	50.040
2.	ऑटो रिक्शा यूनिट	1395	279.000
3.	गाय डेयरी	6750	1032.750
4.	डेयरी फार्मिंग	261	18.729
5.	सिंचाई बोर कूप	100	19.200
6.	ऑटोरिक्शा	282	56.400
7.	बैलगाड़ी	220	17.600
8.	विद्युत ड्राई क्लीनिंग	230	109.480
9.	लिफ्ट सिंचाई	500	250.000
10.	हथकरघा बुनकर	500	90.302
11.	मिनी डेयरी डेयरी फार्म	2000	1445.000
	कुल	12730	3377.564

कृषि आधुनिकीकरण संबंधी अध्ययन

1650. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि के आधुनिकीकरण संबंधी चालू चरण के बारे में हाल ही में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकार द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं करवाया गया है।

(ख) से (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

आन्ध्र प्रदेश में पिछड़े वर्गों को आर्थिक सहायता

1651. श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्ति और होस्टल संबंधी सुविधाओं के रूप में शैक्षणिक लाभ प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस राज्य के लिए किनती धनराशि को मंजूरी दी है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग). जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश में पिछड़े वर्गों के शैक्षिक लाभ आदि के संबंध केन्द्रीय सहायता मांगी है। केन्द्र सरकार के पास इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके तहत राज्य सरकार को इस संबंध में सहायता प्रदान की जा सकें।

उर्वरकों की खपत

1652. डा. कृपासिन्धु भोई :
श्री ललित उरांव :
श्री थावर चन्द गेहलोत :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1996-97 हेतु देश में उर्वरक की खपत संबंधी रूझान की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उर्वरक की खपत में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो आने वाले वर्षों में उर्वरक की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु क्या कदम उठाया गया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग). 1996-97 के दौरान उर्वरक पोषक तत्वों की खपत 164.22 लाख मीटरी टन होने की संभावना है जबकि वर्ष 1995-96 में यह खपत 138.77 लाख मीटरी टन की थी।

(घ) देश में उर्वरकों की खपत और उत्पादन के बीच रहने वाले अन्तर को आयात करके पूरा किया जाता है। वर्तमान संयंत्रों को फिर से ठीक ठाक और सुधार करके उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिये और निवेश करके नाइट्रोजन और फास्फेटयुक्त उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन का संवर्द्धन किया जाता है ताकि आयात पर निर्भरता कम किया जा सके।

सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का अंशदान

1653. श्री नीतीश कुमार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के योगदान में लगातार कमी आ रही है;

(ख) यदि हो, तो 1990-51, 1980-81 तथा 1994-95 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत था; और

(ग) सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के योगदान के प्रतिशत में लगातार कमी आने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के अंशदान का प्रतिशत घटता जा रहा है। वर्ष 1950-51 में कृषि का अंशदान 55.4 प्रतिशत था, जो वर्ष 1980-81 में घटकर 38.1 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 1994-95 में यह घटकर 29.4 प्रतिशत हो गया।

(ग) सकल घरेलू उत्पाद में कृषि द्वारा किए गए अंशदन के प्रतिशत में गिरावट का मुख्य कारण अर्थ व्यवस्था के निर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि होना है।

[हिन्दी]

डेयरी उत्पाद

1654. श्री शिवराज सिंह : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश डेयरी उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भर है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के डेयरी एकक डेयरी उत्पादों का देर लग जाने से समस्याओं का सामाना कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। देश डेयरी उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भर हैं। यह इस बात से स्पष्ट है कि जिन

प्रमुख डेयरी उत्पादों का आयात किया जाता है, उनकी मात्रा नगण्य है। यद्यपि डेयरी उत्पादों के आयातों को ओ.जी.एल. के अंतर्गत रखा गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित प्रमुख डेयरी उत्पादों का विवरण निम्न प्रकार है :-

उत्पाद का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
			(मीट्रिक टन में)
1. स्किम्ड दूध पाउडर	2198.67	215.12	1102.99
2. शिशु दुग्ध आहार	58.50	9.13	8.27

(ग) और (घ). सरकार के ध्यान में हाल ही में ऐसे कोई मामले नहीं आए हैं जिनमें सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्रों के डेयरी एकक डेरी उत्पादों के जमा हो जाने की वजह से किसी समस्या का सामना कर रहे हों।

[अनुवाद]

चीनी का वितरण

1655. **श्री हरिन पाठक :**
श्री गंगा चरण राजपूत :
श्री विजय पटेल :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण निवासी को केवल 425 ग्राम चीनी प्रतिमाह दी जाती है जबकि शहरी निवासी को एक किलों चीनी प्रतिमाह दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस भेदभाव को समाप्त करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का चीनी के उत्पादन में वृद्धि को मद्देनजर रखते हुए सार्वजनिक वितरण के लिए चीनी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण क्या हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ). राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 1.1.1996 से लेवी चीनी का आबंटन, 1991 की जनगणना के अनुसार प्रति व्यक्ति, प्रति महीना 425 ग्राम की उपलभ्यता सुनिश्चित करने के एक समान मानदंडों पर किया जाता है। केंद्रीय सरकार इस संबंध में ग्रामीण तथा शहरी आबादी के बीच कोई भेद नहीं करती है।

(ङ) से (च). 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान अधिक उत्पादन होने के कारण चीनी की अधिक उपलभ्यता को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने प्रंचांग वर्ष 1996 के लिए त्यौहार के कोटे को दोगुना कर दिया है। इसके अलावा, सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के दिसम्बर, 1996 के लेवी कोटे में भी 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है।

बी.एस.एफ. विमानों से यात्रा

1656. **श्री अशोक प्रधान** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री तथा कुछ अन्य केन्द्रीय मंत्रियों ने केन्द्रीय बलों विशेषकर सीमा सुरक्षा बलों के विमानों से यात्रायें की थी;

(ख) यदि हां, तो 1 जुलाई, 1996 से आगे इनके द्वारा की गयी यात्राओं का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) कया उनमें से कुछ गैर सरकारी यात्राएं भी थीं;

(घ) यदि हां, तो उन यात्राओं का ब्यौरा क्या है और उन पर इन गैर-आधिकारिक यात्राओं का कुल कितना किराया देय है;

(ङ) क्या सीमा सुरक्षा बलों के विमानों को किराये पर लेने के कारण कुछ पूर्व प्रधान मंत्रियों तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों पर भी राशि बकाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा उन पर अलग-अलग किस तारीख से पैसा बकाया है; और

(छ) गैर-सरकारी यात्राओं के लिए इन सब पर बकाया राशि उगाहने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है या की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). गृह मंत्रालय के मंत्रियों के अलावा, वित्त मंत्री ने भी अक्तूबर, 1996 में सरकारी प्रयोजनार्थ सीमा सुरक्षा बल के विमान से यात्रा की थी। इस यात्रा का बिल वित्त मंत्रालय को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने सीमा सुरक्षा बल के विमान द्वारा अभी तक यात्रा नहीं की है।.

(ङ) से (छ). विगत में सीमा सुरक्षा बल के विमान, सरकारी प्रयोजनार्थ तत्कालीन केन्द्रीय मंत्रियों को उपलब्ध कराए गए थे। वर्ष 1995-96 और 1996-97 के लिए इस प्रकार की यात्राओं के बिल, विमानों के आपरेशन की लागत को अंतिम रूप देने के बाद, संबंधित मंत्रालयों/विभागों को दिए जाएंगे।

ओजोन परत का क्षरण

1657. **श्री पिनाकी मिश्र :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए और औद्योगिक तथा आर्थिक एंव सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में

पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए मॉट्रियल कन्वेंशन की सिफारिशों के अनुपालन हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों के अनुसरण में आगे क्या कदम उठाए गए हैं, क्या कार्यक्रम बनाए गए हैं तथा क्या प्रचार शुरू किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) मॉट्रियल प्रोटोकाल का अनुपालन करने के लिए ओजोन क्षीणकारी पदार्थों को समाप्त करने हेतु व्यापक चहुंमुखी विचार विमर्श के पश्चात् एक कन्ट्री कार्यक्रम तैयार किया गया था। उद्योग को तकनीकी सहायता तथा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके मॉट्रियल प्रोटोकाल के अन्तर्गत सृजित बहुपक्षीय कोष के माध्यम से परियोजनाओं का वित्त पोषण करके ओजोन क्षीणकारी पदार्थों को समाप्त करने हेतु कदम उठाए गए हैं।

(ग) साथ ही निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:-

1. कार्यशालाओं, फिल्मों और समाचार-पत्रों के माध्यम से जागरूकता अभियान संचालित किए गए हैं।
2. पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नियम बनाने के लिए कार्यवाही शुरू की गई है।
3. अहंक गैर ओजोन क्षीणकारी पदार्थों और कतिपय चुनिंदा उपभोक्ता उत्पादों पर इको-मार्क लगाने के लिए मानकों के क्रियान्वयन के जरिए पारिस्थितिकी के अनुकूल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाता है।

जेलों में विचाराधीन कैदी

1658. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या देश की विभिन्न जेलों में अनेक विचाराधीन महिला कैदी वर्षों से बिना सुनवाई के दिन काट रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न जेलों, सुधार गृहों और नारी निकेतन आदि मे छः माह, एक वर्ष और तीन वर्ष से अधिक से कुल कितनी महिलाऐं और लड़कियां हैं;

(घ) एक विचाराधीन कैदी को जेल में अधिकतम कितने वर्ष हो गए हैं; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं तथा शीघ्र सुनवाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) प्रश्न में अनुमानतः राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष/सदस्याओं द्वारा किए गए जेल-दौरों की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है, "भारतीय जेलों में महिला कैदी" शीर्षक नाम इस रिपोर्ट पर हाल ही में हुए राज्य जेल प्राधिकारियों तथा अन्यों के सम्मेलन में विस्तार से चर्चा हुई।

(ख) और (ग). खेलों में विचाराधीन महिला कैदियों के बारे में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ). एक विचारणाधीन कैदी किस अवधि तक जेल में रहता है इसका फैसला संबंधित न्यायालय द्वारा प्रत्येक मामले के आधार पर तय किया जाता है। यद्यपि जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में न्याय का प्रशासन संबंधित राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आता है तथापि, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों पर इस बात के लिए जोर देती रही है कि वे, न्यायालयों द्वारा मामलों के त्वरित विचारण के लिए आपराधिक न्यायिक प्रणाली से संबंधित अपनी मूलभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करें।

विवरण

30.6.1996 की स्थिति के अनुसार विचाराधीन महिला कैदियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	विचाराधीन कैदियों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	392
2.	बिहार	568
3.	गोवा	1
4.	गुजरात	121
5.	हरियाणा	136
6.	हिमाचल प्रदेश	8
7.	जम्मू और कश्मीर	5
8.	कर्नाटक	148
9.	केरल	94
10.	मध्य प्रदेश	385
11.	महाराष्ट्र	471
12.	उड़ीसा	139
13.	पंजाब	232
14.	राजस्थान	119
15.	तमिलनाडु	279
16.	उत्तर प्रदेश	464
17.	पश्चिम बंगाल	416
18.	अरुणाचल प्रदेश	2
19.	असम	74
20.	मणिपुर	19

1	2	3
21.	मेघालय	2
22.	मिजोरम	45
23.	नागालैंड	6
24.	सिक्किम	1
25.	त्रिपुरा	9
26.	दिल्ली	315
27.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2
28.	चंडीगढ़	9
29.	दादरा और नगर हवेली	-
30.	दमन व द्वीव	-
31.	लक्षद्वीप	-
32.	पांडिचेरी	2
	जोड़	4464

नोट : विभिन्न जेलों, रिमांड होम तथा नारी निकेतन इत्यादि में महिलाओं तथा बालिकाओं की कैद की अवधि से संबंधित आंकड़ें केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

हथियारों की तस्करी

1659. श्री तारीक अनवर : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य हवाला कारोबार के माध्यम से चार महानगरों में गुप्त हथियार बाजार पनप रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पड़ोसी देशों से प्रतिदिन हथियार और गोला बारूद तस्करी द्वारा लाए जा रहे हैं; और

(घ) हथियारों की तस्करी को रोकने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). इस संबंध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) इस सूचना की कोई पुष्टि नहीं है कि प्रतिदिन तस्करी करके शस्त्र और गोला बारूद देश में लाया जाता है। तथापि, सुरक्षा एजेंन्सियों द्वारा समय-समय पर शस्त्र और गोला-बारूद की तस्करी की घटनाओं का पता लगाया जाता है।

(घ) अधिक सुदृढ़ चौकसी के लिए सभी कार्रवाइयां समन्वित करने हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए राज्य सरकारों से कहा गया है। अन्य उपायों में, आसूचना तन्त्र को सक्रिय बनाना, मौजूदा विनियमों को कड़ाई से लागू करना तथा संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेंन्सियों के बीच निकट समन्वय शामिल हैं। सीमा सुरक्षा बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को सीमा के साथ-साथ, समय-समय पर, समुचित निवारात्मक उपाय करने के लिए सुग्राही बनाया जा रहा है।

रेगिस्तानी क्षेत्रों में कृषि

1660. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि न होने के कारणों का पता लगाया है;

(ख) क्या सरकार का राजस्थान के रेगिस्थानी क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देने हेतु इजराइल की सहायता लेने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए है; और

(घ) राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में कृषि को विकसित करने लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राजस्थान में कृषि अधीन क्षेत्र में स्थिरता नहीं है। बोया जाने वाला कुल क्षेत्र 1960-61 के 131.12 लाख है. से बढ़कर 1992-93 में 169.38 लाख है. हो गया है। इसी अवधि के दौरान कुल सिंचित क्षेत्र 17.52 लाख है. से बढ़कर 44.71 लाख हैक्टेयर हो गया है तथा वर्षा सिंचित क्षेत्र 113.00 लाख है. से बढ़कर 124.67 लाख हैक्टेयर हो गया है। साथ ही, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान द्वारा की गई सूचना के अनुसार राजस्थान के मरू क्षेत्रों में महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में कोई स्थिरता नहीं आयी है, जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। वैसे, कुछ फसलों के मामले में उतार-चढ़ाव आया है जिसका मुख्य कारण फसलों की वृद्धि के समय की मौसमी स्थितियां हैं।

(ख) और (ग). राजस्थान के मरू क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए इजराइल की सहायता लेने का इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ने रेत के टीलों के स्थिरिकरण, आश्रय-श्रेणी बागान, वन-चारागाह विकास, शुष्क बागवानी विकास, कृषि वानिकी, समेकित फार्मिंग प्रणाली आदि की प्रौद्योगिकी को विकसित करके पूर्णतया कुशल बना लिया है। पिछले कुछ वर्षों में फलों के तहत क्षेत्र, विशेषकर बेर और अनार के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। जहां सिंचाई की सुविधाएं सुलभ हैं वहां सब्जियों और मसालों के तहत क्षेत्र में भी वृद्धि हुई हैं। राजस्थान के मरू क्षेत्रों में विभिन्न जिलों में फैले हुए करीब 25 गांवों में इस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा प्रौद्योगिकी अंतरण परियोजनाओं अर्थात संस्थान ग्राम संपर्क कार्यक्रम, कृषि विज्ञान केन्द्र, संचालनात्मक अनुसांधन परियोजनाएं तथा मरू विकास कार्यक्रम आदि, के अधीन इन परियोजनाओं को परखा जा रहा है। इस संस्थान के अतिरिक्त, राज्य सरकार की एजेन्सियां भी उपभोक्ता ऐजेन्सियों को प्रौद्योगिकी अन्तरित करने में जुटी हुई हैं।

विवरण

1988-89 से 1993-94 के बीच शुष्क क्षेत्रों में मुख्य फसलों का क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता

फसल का नाम		88-89	89-90	90-91	91-92	93-94
बाजरा	क्षेत्र	4576	4020	3842	3736	4074
	उत्पादन	1608	1069	1604	619	2039
	उत्पादकता	351	266	417	166	500
खरीफ	क्षेत्र	1318	1419	1602	2162	1589
दालें	उत्पादन	486	296	497	143	456
	उत्पादकता	369	209	310	66	287
तेल का क्षेत्र	क्षेत्र	227	296	372	485	314
	उत्पादन	38	84	118	85	69
	उत्पादकता	167	384	317	175	220
गेहूं का क्षेत्र	क्षेत्र	536	503	611	557	768
	उत्पादन	1317	1064	1444	1387	1686
	उत्पादकता	2457	2115	2363	2490	2195
तोरिया का क्षेत्र	क्षेत्र	488	502	687	751	785
सरसों का क्षेत्र	उत्पादन	472	460	505	826	606
	उत्पादकता	967	916	735	1100	772

क्षेत्र हजार हैक्टेयर

उत्पादन हजार मी.टन में

उत्पादकता कि.ग्रा. प्रति है. में।

[हिन्दी]

घटिया सीमेंट की आपूर्ति

1661. डा. अरविन्द शर्मा : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान जे.के. उदयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा घटिया सीमेंट की आपूर्ति के संबंध में सरकार द्वारा कितनी शिकायतें प्राप्त की गई हैं;

(ख) क्या इस संबंध में सरकारी एजेंसियां (आई.एस.आई. आदि) ने अपने दायित्वों को निभाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बाजार में घटिया सीमेंट को लाने के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है/किये जाने का विचार है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) भारतीय मानक ब्यूरो के रिकार्ड के अनुसार मेसर्स जे.के. उदयपुर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा बैच नम्बर 49/95 के तहत घटिया किस्म के सीमेन्ट की सप्लाई के सम्बन्ध में वर्ष 1996-97 में अब तक केवल एक शिकायत प्राप्त हुई है। तथापि, 1995-96 में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

(ख) से (घ). सीमेन्ट, उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी सीमेन्ट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 1995 के तहत अनिवार्य प्रमाणन के अधीन है। आदेश को लागू करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी राज्य सरकारें हैं। भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्माताओं को निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो मानक चिह्न अर्थात आई एस आई चिह्न के प्रयोग हेतु लाइसेंस प्रदान करता है।

भाग (क) में उल्लिखित शिकायत के प्राप्त होने पर भारतीय मानक ब्यूरो ने निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार शिकायत की जांच की। भारतीय मानक ब्यूरो की जयपुर शाखा के अधिकारियों द्वारा

शिकायतकर्ता के साथ विस्तृत बातचीत की गई। विनिर्माता के रिकार्डों की जांच से पता चला कि बैच नम्बर 42/95 से 50/95 तक भारतीय मानकों की अपेक्षाओं के अनुकूल थे। यह ज्ञात हुआ कि शिकायतकर्ता भी अप्रैल/मई 1996 में विनिर्माता से मिला था और शिकायतकर्ता की मौजूदगी में विनिर्माता द्वारा बैच नम्बर 49/95 से एक नमूने की जांच की गई थी। भारतीय मानक ब्यूरो को उपलब्ध कराए गए रिकार्डों से यह पता चला कि शिकायतकर्ता और विनिर्माता दोनों इस बात पर सहमत थे कि - बैच नम्बर 49/95, जिनके नमूने की विनिर्माता द्वारा शिकायतकर्ता की मौजूदगी में जांच की गई थी, भारतीय मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप था।

[अनुवाद]

डेरी विकास परियोजनाएं

1662. श्री के.पी. सिंह देव : क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में भारत-स्विटजरलैंड की संयुक्त डेरी विकास परियोजनाएं लगाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो स्विटजरलैंड द्वारा इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अब तक मंजूर की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत-स्विटजरलैंड डेरी परियोजनाएं उड़ीसा के जिन क्षेत्रों में लगाई जा रही हैं उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). उड़ीसा में पशुपालन, डेयरी और सतत भू प्रयोग के लिए स्विस सहायता से एक परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना के लिए सहमत 6.2 करोड़ रुपये की कुल स्विस सहायता में से, 5.8 करोड़ रुपये की राशि इस्तेमाल की जा चुकी है। यह परियोजना गंजम जिले में नौ खण्डों तथा गजपति जिले के चार खण्डों में क्रियान्वित की गई है। इस परियोजना की अब तक की मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं :-

1. कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को समर्थन।
2. डेयरी सहकारी समितियों का विकास।
3. चारा विकास कार्यक्रम।
4. भंजनगर में पशुधन प्रजनन तथा डेयरी फार्म का सुदृढ़ीकरण।
5. प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन।

मंडल आयोग की सिफारिशें

1663. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मंडल आयोग की सिफारिशों को पुनः कार्यान्वित करने के लिये एक आयोग गठित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस आयोग की स्थापना कब तक कर दी जाएगी?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). इन्दिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में सूचियों में नागरिकों के किसी वर्ग को पिछड़े वर्ग के रूप में शामिल करने सम्बन्धी अनुरोधों की जांच करने तथा ऐसी सूचियों में अधिक शामिल किए जाने। किसी पिछड़े वर्ग को न शामिल किए जाने सम्बन्धी शिकायतों की सुनवाई करने और केन्द्र सरकार को उपर्युक्त सलाह देने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नामक एक स्थायी आयोग की स्थापना 1993 में पहले ही की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय के निर्देश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण सम्बन्धी मंडल आयोग की सिफारिशों को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 8 सितम्बर, 1993 से 27 प्रतिशत आरक्षण किया है जो "क्रीमीलेयर" के रूप में समझे जाने वाले सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों को अलग रखे जाने के अध्यधीन है।

मान्यता प्राप्त मजदूर संघ

1664. श्री सुरेश प्रभु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मान्यता प्राप्त मजदूर संघों के पदाधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाएगी तथा उस पर कितनी राशि खर्च की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जिन व्यक्तियों को "खतरा होता है", उन्हें प्रत्येक मामले में खतरे की गंभीरता के आधार पर सुरक्षा मुहैया कराई जाती है।

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों में विनिवेश

1665. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों में अपने शेयरों का विनिवेश करने का एक प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख). उर्वरक क्षेत्र के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी साम्य के अनिवेश का इस समय कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस तरह के तीन उद्यमों नामतः फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन एफ एल) तथा मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एम एफ एल) को सरकार द्वारा अनिवेश आयोग को भेजी गई सूची में आयोग की शर्तों के अंतर्गत विचारार्थ शामिल किया गया है।

वाहनों का चालान

1666. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में यातायात पुलिस, ट्रक, रेडलाइन/ब्लू लाइन/चार्टर्ड बसों को यातायात के नियम तथा मोटर यान अधिनियम का उल्लंघन करने वालों का चालान नहीं कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों में कितने ट्रकों/ब्लू लाइन तथा चार्टर्ड बसों का चालान किया गया है; और

(ग) न्यायालयों में कितने चालान लम्बित हैं तथा इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). जी नहीं, श्रीमान्। पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा चालान किए गए ट्रकों इत्यादि की संख्या निम्न प्रकार है :-

वर्ष	ट्रक	रेड लाईन बसें	ब्लू लाईन और प्राईवेट बसें
1993	4,46,871	93,822	41,104
1994	3,48,006	86,617	62,611
1995	4,02,282	84,027	63,427
1996 (31.10.96 तक)	5,15,584	1,11,509	64,254

(ग) न्यायालयों में लम्बित पड़े चालानों की संख्या निम्न प्रकार है:-

वर्ष	न्यायालयों में लम्बित पड़े चालान
1993	1,70,611
1994	2,20,723
1995	1,88,209
1996(31.10.96 तक)	99,462

चालानों के निपटाने में विलम्ब के मुख्य कारण अभियुक्त व्यक्तियों को सम्मान की तामील न होने तथा विशेष तौर से दिल्ली से बाहर रहने वाले अभियुक्त व्यक्तियों के न्यायालय में हाजिर न होना है।

रिक्त आरक्षित पद

1667. श्री अनंत कुमार : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कर्नाटक में भारतीय खाद्य निगम तथा केन्द्रीय भांडागार निगम की स्थान-वार कितनी शाखायें हैं;

(ख) इन शाखाओं में आज तक कितने आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम की कर्नाटक राज्य में स्थित शाखाओं के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) केन्द्रीय भंडारण निगम की कर्नाटक स्थित शाखाओं में कोई भी आरक्षित पद रिक्त नहीं है। जहां तक भारतीय खाद्य निगम का संबंध है, कर्नाटक क्षेत्र की गणना केवल श्रेणी-3 और 4 की रिक्तियों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए की जाती है। 30.9.96 की स्थिति के अनुसार रिक्त पड़े आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है:—

शाखा	श्रेणी-3		श्रेणी-4	
	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
मैसूर	-	1	-	5
रायचूर	-	1	-	10
हुबली	-	-	-	3

(ग) रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान 1996 शुरू किया जा चुका है।

(घ) अनुसूची के अनुसार इन रिक्तियों के मार्च, 1997 तक भर लिए जाने की संभावना है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम की कर्नाटक राज्य में स्थित शाखाओं के ब्यौरे

भारतीय खाद्य निगम	केन्द्रीय भण्डारण निगम
क्षेत्रीय कार्यालय	1. दवनगीर
1. बंगलौर	2. गडग
जिला कार्यालय	3. मंगलौर-1 (आर)
1. बंगलौर	4. गुलबर्गा
2. मैसूर	5. बेलगाम
3. शिमोगा	6. शिकारीपुर
4. रायचूर	7. बंगलौर-1
5. मंगलौर	8. के.आर.के. नगर
6. हुबली	9. सोनकट्टी
	10. सोदाम
	11. मंगलौर-2
	12. बाईहोंगल
	13. होशोल्ली
	14. मैसूर-1(बंगलौर)
	15. तुमकुर
	16. बंगलौर-5 (हीराहल्ली)
	17. शिव मोनी स्टील ट्यूब्स लि.,
	18. एन.जी.एफ. बंगलौर-18
	19. बंगलौर-10
	20. व्हाइट फील्ड
	21. गुलबर्गा-2
	22. तेरेनागल्लु (कुरुकुप्या)
	23. बंगलौर (निर्माण प्रकोष्ठ)

रसायन और पेट्रो-रसायन क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय

1068. श्री सौम्य रंजन : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसायन और पेट्रो-रसायन क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लाइसेंस मुक्त की जाने वाली इकाइयों की संख्या कितनी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग). सरकार द्वारा जुलाई, 1991 में घोषित उदारीकृत औद्योगिक नीति के भाग के रूप में अब रसायन और पेट्रो-रसायन क्षेत्र में 21 उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता है। इन उद्योगों में से कसी उद्योग के लाइसेंस समाप्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

समुद्री जल का तापमान

1669. श्री सुशील चन्द्र : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरणविदों के अनुसार समुद्री जल का तापमान तथा जलस्तर बढ़ रहा है;

(ख) क्या पर्यावरण के तापमान में वृद्धि के कारण समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी तथा अनेक पत्तन शहर जलमग्न हो जाएंगे;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). पर्यावरणविदों की समुद्र एवं जल स्तर के तापमान में वृद्धि की चिंता विश्व माध्य सतही तापमान और वातावरण में बढ़ते ग्रीन हाऊस गैसों के कारण आनुषंगिक प्रभावों में परिकल्पित वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में हैं। प्रतिरूपण परिदृश्यों से निचले और घने बसे हुए क्षेत्रों की संवेदनशीलता बढ़ती हैं।

(ग) और (घ). सरकारी महासागर विकास विभाग माध्य समुद्र स्तर का निर्धारण करने के लिए ज्वार का ठीक-ठाक माप करने हेतु आधुनिक ज्वार मापक स्थापित करने की कार्रवाई कर रहा है। ज्वार मापक मुबंई, गोवा, कोच्चिं, तुतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पोर्ट ब्लेयर, मिनिकांय, कावारत्ती, पोरबंदर, नंकौरी के पत्तनों में लगाए जाने हैं। इस परियोजना का कार्य-निष्पादन भारतीय सर्वेक्षण कर रहा है।

[अनुवाद]

नशीले पदार्थों की तस्करी

1670. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाक सीमा पर, करोड़ों रुपये मूल्य के नशीले पदार्थों के बड़े भण्डार इकट्ठे किये जा रहे हैं;

(ख) भारत में इसके प्रवेश को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसके विरुद्ध पाकिस्तान से कोई विरोध व्यक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ). इस बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं है कि भारत-पाक सीमा पर करोड़ों रुपये मूल्य के नशीले पदार्थों के बड़े भण्डार इकट्ठे किए हुए हैं। तथापि, पाक आसूचना एजेन्सियां, भारत में शस्त्रों और उग्रवादियों की घुसपैठ कराने का हमेशा प्रयास कर रही है और इस उद्देश्य हेतु पाक-नारकोटिक तस्करों का भी नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार की पाकिस्तानी गतिविधियों को रोकने और भारत-पाक सीमा पर सतर्कता को सुदृढ़ करने के लिए, अनेक कदम (जैसे, टुकड़ियों की तैनाती, सुरक्षा बलों द्वारा गश्त में बढ़ोत्तरी, अकस्मात घात लगाना और नशीले पदार्थों की तसकरी के बारे में आसचूना एकत्र करना) उठाए गए हैं जिसके कारण हमारे सुरक्षा बलों ने नशीले पदार्थ पकड़े हैं। परिणामस्वरूप पिछले वर्षों की तुलना में, नशीले पदार्थों की तस्करी कम हुई है। चूंकि नशीले पदार्थों की जब्ती तस्करों से की जाती है अतः पाकिस्तान सरकार के साथ सरकारी स्तर पर कोई विरोध प्रकट नहीं किया जाता है। लेकिन दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच, तिमाही/अर्ध-वार्षिक बैठकों के दौरान, भारतीय सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा पाकिस्तान में अपने समकक्ष एजेन्सियों के साथ सूचना का आदान-प्रदान किया जा रहा है।

जैन आयोग की जांच

1671. श्री डी.पी. यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांच वर्ष से कार्यरत जैन आयोग की शक्तियों को कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार ने आयोग के विशेष जांच दल द्वारा की गई जांच को आयोग के कार्य क्षेत्र से निकालने के लिए आयोग के कार्य की शर्तों में संशोधन करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). सरकार ने जैन जांच आयोग के विचारणीय विषयों में संशोधन करने के बारे में अभी तक निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

दिल्ली सरकार को और अधिक शक्तियां

1672. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को दिल्ली सरकार से दिल्ली के उपायुक्तों/एस.डी.एम. को और अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय वाटर शेड विकास परियोजना

1673. श्री दत्ता मेघे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में विगत तीन वर्षों के दौरान वर्षा सिंचित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय वाटर शेड विकास परियोजना के अंतर्गत कितने क्षेत्र शामिल किये गये हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र में इस परियोजना पर कुल कितना धन व्यय किया गया है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष में इस उद्देश्य के लिए कितना धन रखा गया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1991-92 से 1995-96 तक वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र में उपचारित क्षेत्र संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) महाराष्ट्र में इस परियोजना पर हुआ वर्षवार खर्च इस प्रकार है :-

	(रु. लाखों में)
1993-94	2301.23
1994-95	4709.09
1995-96	3906.43

(ग) महाराष्ट्र के लिये इस योजना के अन्तर्गत 1996-97 के दौरान 3300.00 लाख रुपये की एक धनराशि नियत की गई है जिसमें से अब तक 2354.00 लाख रुपये निर्मुक्त किए जा चुके हैं।

विवरण

वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के तहत 1991-92 से 1995-96 तक महाराष्ट्र में उपचारित क्षेत्र

क्र.सं.	जिले का नाम	1991-92 से 1995-96 तक उपचारित क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1.	थाणे	17222
2.	रायगढ़	34179
3.	रत्नागिरी	18957
4.	सिंधुदुर्ग	18241
5.	नासिक	46125
6.	धुले	28122
7.	जलगांव	22443
8.	अहमद नगर	22498
9.	पुणे	33674
10.	शोलापुर	31842
11.	सतारा	38800
12.	सांगली	31144
13.	कोल्हापुर	36383
14.	औरंगाबाद	13483
15.	जालना	9506
16.	बीड़	15451
17.	लाटूर	14283
18.	उस्मानाबाद	16793
19.	नान्देड़	19947
20.	परभणी	22233
21.	बुलढाना	30342
22.	अकोला	32442
23.	अमरावती	32844
24.	यवतमाल	30738
25.	वर्धा	25434
26.	नागपुर	35189
27.	भंडारा	14419
28.	चंद्रपुर	15956
29.	गढचिरौली	24678
	योग	733368

[अनुवाद]

भूतपूर्व राज्यपाल को सुरक्षा

1674. श्री आई.डी. स्वामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व राज्यपालों ने अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों और अन्य व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई सुनियोजित नीति अथवा दिशा-निर्देशों के न होने के खिलाफ सरकार पर आरोप लगाते हुए न्यायालय में एक मामला दायर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या न्यायालय ने इस मामले में कोई निर्देश दिए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). श्री भीष्म नारायण सिंह, भूतपूर्व राज्यपाल ने अपनी सुरक्षा को बढ़ाने की प्रार्थना करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। मामला न्यायाधीन है।

सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार किसी अन्य भूतपूर्व राज्यपाल ने इस मामले में न्यायालय में कोई याचिका दायर नहीं की है।

[हिन्दी]

विशिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामले

1675. श्री कचरु भाऊ राउत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन विशिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्तियों के क्या नाम हैं जिन पर इस समय आपराधिक मामलों के लिए मुकदमें चल रहे हैं; और

(ख) उनके मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है।

पर्यावरण संबंधी परियोजनाएं

1676. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई केन्द्रीय सहायता प्राप्त पर्यावरण संबंधी परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत कितनी सहायता दी गई; और

(ग) राज्य में निकट भविष्य में शुरू की जाने वाली ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान आरंभ की गई केन्द्रीय सहायता प्राप्त पर्यावरणीय परियोजनाओं के साथ-साथ उनकी भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त सभी चालू परियाजनाओं/स्कीमों का भविष्य में जारी रहने की सम्भावना है।

विवरण

(लाख रुपए)

क्र.सं.	स्कीम/परियोजना का नाम	संक्षिप्त उद्देश्य	भारत सरकार द्वारा निधीयन की सीमा	अवस्थिति	गत तीन वर्षों -1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान उपलब्धि	
					वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7
1.	भोज नमभूमि का सरंक्षण और प्रबंधन	नमभूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त नीतियां अपनाना	100%	चालू	115.23	वित्तीय घटन में लक्ष्य निर्धारित
2.	पर्यावरण वाहिनी स्कीम	जनता की सक्रिय भागीदारी से पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना	100%	चालू	22.42	45 जिलों में गठित की गई है।
3.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	खान, क्षिप्रा, ताप्ती, बेतवा, नर्मदा, वेनगंगा और चंबल नदियों का प्रदूषण उपशमन	50%	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में खान, क्षिप्रा, ताप्ती, बेतवा, नर्मदा, वेनगंगा और चंबल नदियों को शामिल किया गया है। अभी तक 337.40 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है।		
4.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना- विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त।	मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सुदृढ़ करना।	100%	विश्व बैंक परियोजना के दूसरे चरण के तहत मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चार राज्य बोर्डों मे से एक है। जिन्हें प्रदूषण नियंत्रण के ध्येय से सुदृढ़ किया जा रहा है। राज्य विशिष्ट को आबंटन नहीं किया गया है। विश्व बैंक-II परियोजना की कुल लागत 330 मिलियन अमरीकी डालर है।		

सीमा पर बाड़ लगाना

1677. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के सीमा क्षेत्रों में बाड़ लगाने तथा भारत-पाक सीमा पर रहने वाले निवासियों को परिचय-पत्र जारी करने संबंधी कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) पाकिस्तान में आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनों को ध्यान में रखकर उक्त क्षेत्र में घुसपैठ को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) इन क्षेत्रों में घुसपैठ, तस्करी, लूट-मार तथा हत्या की कितनी घटनायें हुई हैं; और

(घ) इनमें से कितने मामलों में गिरफ्तार व्यक्तियों को दंडित किया गया है और अब तक कितने मामले लम्बित पड़े हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) राजस्थान सैक्टर में 1035 कि.मी लम्बी कुल सीमा में से 720 कि.मी. में बाड़ लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा 131 कि.मी. लम्बी सीमा पर यह कार्य जारी है। 145 कि.मी. पट्टी पर वर्ष 1997-98 के दौरान कार्य शुरू किया जाएगा तथा शेष पट्टी में बाड़ लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

जहां तक पहचान पत्र जारी करने के मुद्दे का प्रश्न है, 70 प्रतिशत से अधिक कार्य राजस्थान सरकार द्वारा पूरा कर लिया गया है तथा उन्हें पायलट योजना के तहत भी पहचान पत्र जारी करने का काम शुरू करने तथा शीघ्रता-शीघ्र पूरा करने की सलाह दी गई है। गुजरात में 68,000 पहचान पत्र जारी करने का कार्य पूरा कर लिया गया है परन्तु

पंजाब में, पहले कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति होने के कारण इस कार्य को शुरू नहीं किया जा सका।

(ख) आवश्यक सतर्कता रखी जा रही है। गश्त बढ़ा दी गई है। सैनिकों को आधुनिक युक्तियां उपलब्ध कराई गई हैं तथा आसूचना तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है। संपूर्ण सीमा पर शीघ्रतिशीघ्र बाड़ लगाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ). सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ, तस्करी, लूटपाट और हत्या की घटनाओं से संबंधित सूचना का संग्रहण और रखरखाव, अनेक राज्य सरकारों और केन्द्रीय ऐजेन्सियों की जिम्मेदारी है तथा यह सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

1678. श्री भक्त चरण दास : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम और सेंट्रल वेअर हाउसिंग कारपोरेशन के उड़ीसा में स्थित गोदामों की क्षमता तथा ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन गोदामों की वर्तमान क्षमता आवश्यकता के अनुरूप है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान गोदामों की अनुपलब्धता के कारण खराब हो गए अनाज की अनुमानित मात्रा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम के गोदामों के स्थित होने के स्थान और इनकी भण्डारण क्षमता क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण-II पर दी गई है।

(ख) जी, हां। मैक्रो स्तर पर वर्तमान भण्डारण क्षमता के उपलब्ध स्टाक का भण्डारण करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान गोदाम उपलब्ध न होने के कारण, उड़ीसा में किसी भी स्टाक को क्षति नहीं पहुंची थी।

विवरण-I

1.10.96 को स्थिति के अनुसार उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध जिला-वार/केन्द्र-वार भंडारण क्षमता

(आंकड़े हजार टन में)

राजस्व जिले का नाम	केन्द्र का नाम	भंडारण क्षमता		
		अपनी	किराए की	जोड़
1	2	3	4	5
खुर्द	भुवनेश्वर	8.23	–	8.23
	खुर्द रोड	17.00	–	17.00
गंजम	जगन्नाथपुर	14.42	5.00	19.42
	बरहामपुर	–	40.00	40.00
गाजापट्टी	परलेखामंडी	–	2.20	2.20
कंधमाल	फुलबनी	5.00	–	5.00
भद्रक	रानीताल	20.00	–	20.00
बालासोर	रूपसा	10.00	–	10.00
	जलेश्वर	5.00	–	5.00
कोंझार	कोंझार	5.00	–	5.00
	बारबिल	5.00	–	5.00
मायूरभंज	बादाम पडाड़	10.00	–	10.00
कटक	कटक	–	12.50	12.50
	जगतपुर	–	22.00	22.00

1	2	3	4	5
जाजपुर	जे.के. रोड	–	0.40	0.40
धेनकनाल	धेनकनाल	10.00	–	10.00
अंगुल	अंगुल	5.00	–	5.00
बोलांगिर	बोलांगिर	–	8.50	8.50
	तितलागढ़	–	2.50	2.50
	कांताबंजी	–	4.00	4.00
कालाहांडी	केसिंगा	13.34	6.50	19.84
	भवानीपटना	–	1.00	1.00
नोवापाड़	खरीयर रोड	–	9.70	9.70
सोनपुर	डुंगरापल्ली	15.00	–	15.00
संबलपुर	हीराकुंड	20.00	–	20.00
	दुर्गापल्ली	–	7.00	7.00
बारागढ़	अट्टाबीरा	8.34	7.00	15.34
	बारेपल्ली	–	3.00	3.00
	बारगढ़	–	22.00	22.00
	नागेनपल्ली	–	12.50	12.50
झरसुगुडा	झरसुगुडा	35.00	–	35.00
राउरकेला	राउरकेला	12.50	–	12.50
जैपोर	उमेरी	17.50	–	17.50
	जैपोर	–	4.00	4.00
नवरंगपुर	नवरंगपुर	7.50	–	7.50
रायगढ़	रायगढ़	10.00	3.00	13.00
	गुंपुर	–	3.50	3.50
मल्कागिरी	मल्कागिरी	–	1.00	1.00
	जोड़	253.83	177.30	431.13

विवरण–II

उड़ीसा में केन्द्रीय भंडारण निगम के केन्द्रों/गोदामों के उनकी क्षमता सहित ब्यौरे

(हजार टन में)

स्थान का नाम	अपनी	किराए की	जोड़
1	2	3	4
बारगढ़	10.10	–	10.10
बरहामपुर	5.00	1.02	6.02
जैपोर	10.00	2.01	12.01
संबलपुर	7.00	–	7.00
जाजपुर रोड	7.50	–	7.50
कटक	16.40	–	16.40
पारादीप पत्तन	30.00	–	30.00
बरहामपुर बेस डिपु	40.00	–	40.00
भुवनेश्वर	–	0.21	0.21
रायगढ़	2.50	–	2.50
जोड़	128.50	3.24	131.74

चल उचित दर की दुकान

1679. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री दिनशा पटेल :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों का संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा चल उचित दर की दुकानों के वाहनों की खरीद हेतु मांगी गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने कितनी सहायता राशि की मांग की है;

(ख) क्या सभी प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यह राशि कब तक स्वीकृत कर दी जाएगी?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ङ). 29.11.96 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 126 मोबाइल वैनों/ट्रकों की खरीद के लिए प्राप्त तीन प्रस्ताव, जिसमें 1008 लाख रुपए की वित्तीय सहायता अन्तर्निहित है। इन प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है। इन प्रस्तावों पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के आधार पर तथा धन की उपलब्धता को देखते हुए स्थायी वित्त समिति की बैठकों में समय-समय पर विचार किया जाता है और स्वीकृति दी जाती है।

चालू वर्ष के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत 660 लाख रुपए का बजट आबंटन है और स्थाई वित्त समिति ने 11.10.96 को सम्पन्न अपनी बैठक में पहले ही 326.70 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता रिलीज करने हेतु स्वीकृति दे दी है, जिससे चालू वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों और लंबित पड़े अनुरोधों दोनों के लिए रिलीज करने हेतु 333.30 लाख रुपए की राशि शेष रहती है।

विवरण

29.11.96 की स्थिति के अनुसार मोबाइल वैनों/ट्रकों की खरीद के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए लम्बित पड़े प्रस्तावों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	पत्र संख्या और तारीख	प्रस्तावों का ब्यौरा		अभ्युक्ति
			वाहनों की संख्या	राशि लाख रु. में	
1.	आन्ध्र प्रदेश	पी 4/657/95 दिनांक 28.9.95	115	920	इसमें 1996-97 के दौरान 16 वैनों/ट्रकों की खरीद के लिए मंजूर 128 लाख रु. की राशि शामिल नहीं है।
2.	राजस्थान	एफ 96/लेखा/नीति/96-97 दिनांक 22.10.96	5	40	1993-94 और 1994-95 के दौरान मंजूर की गई राशि के संबंध में राजस्थान सरकार से उपयोग प्रमाण-पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।
3.	तमिलनाडु	19255/एफ-1/95-10 दिनांक 18.10.96	6	48	1992-93 वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता के संबंध में तमिलनाडु सरकार से अभी तक उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
			126	1008	

उर्वरकों की कीमतें

1680. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उर्वरकों पर घोषित राजसहायता का लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुतः किसानों तक नहीं पहुंच रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या खुले बाजार में उर्वरकों की कीमतों में अन्तर हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). सारे भारत में यूरिया 3320/-रुपये को प्रति टन के समान मूल्य पर बेचा जाता है। फास्फेटिक और पोराशिक उर्वरकों

के मूल्यों से नियंत्रण हटा लिया गया है और भारत सरकार का इनके मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है चूंकि राज्य सरकारें आपूर्तिकारों के साथ मूल्य सम्बन्धी समझौता करती हैं और किसानों के लिए अधिक लाभकारी मूल्य निर्धारित करते हैं, अतः प्रत्येक राज्य में कीमतों में भिन्नता होती है।

कृषि ऋण

1681. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय और राज्य स्तर पर कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि (एग्रीकल्चरल क्रेडिट स्टेबिलाइजेशन फण्ड) का सृजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस निधि का सृजन कब से किया गया है और इसका क्या उद्देश्य है;

(ग) क्या सरकार ने इस निधि के उपयोग की निगरानी की है; और

(घ) यदि हां, तो सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ). अखिल भारतीय ऋण सर्वेक्षण समिति, 1954 द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में राज्य सहकारी बैंक और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में स्थिरीकरण निधियों की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि 30.6.56 को भारतीय रिजर्व बैंक में स्थापित की गई थी। इसके बाद 1982 में राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि का अंश तैयार करने के लिए इस निधि को नाबार्ड को हस्तांतरित कर दिया गया। इन निधियों को स्थापित करने का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल की क्षति को हाल में लघुआवधिक ऋण को मध्यावधिक ऋण में बदलना था ताकि आने वाले मौसम में किसान फिर से लघुआवधिक फसल ऋण दे सकें। नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को स्वीकृत ऋण मध्यावधिक अंतरण/फिर से पुनः अनुसूचिबद्धता की राज्यवार स्थिति तथा 1985-86 से 1995-96 के दौरान उन पर आहरण दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। केन्द्रीय प्रयोजित योजना अर्थात कृषि ऋण स्थिरीकरण योजना के अधीन निधियों के स्थिरीकरण के लिए राष्ट्रीय सहकारी बैंकों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है। उनकी उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर योजना के अधीन निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता की मॉनिटरिंग की जाती है। सातवीं और आठवीं योजना के दौरान निर्मुक्त निधियों और उनकी उपयोगिता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण–I

नाबार्ड अधिनियम 1981 की धारा 22 के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंकों को स्वीकृत मीडियम वर्म कन्वर्चन (रिफेसमेण्ट) रिसेड्यूलमेण्ट ऋण और वर्ष 1985–86 से 1995–96 के दौरान उनके आहरण को दर्शाने वाला वितरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	1985–86		1986–87		1987–88		1988–89		1989–90		1990–91		1991–92		1992–93	
		स्वीकृत सीमा	आहरण	स्वीकृत सीमा	आहरण	स्वीकृत सीमा	आहरण	स्वीकृत सीमा	आहरण	स्वीकृत सीमा	आहरण	स्वीकृत सीमा	आहरण	स्वीकृत सीमा	आहरण	स्वीकृत सीमा	आहरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	5.39	9.37*	24.27	20.94	21.98	1.44	15.75	28.32*	14.10	10.19	112.62	100.76	33.47	39.11	–	8.44#
2.	बिहार	–	–	–	–	–	–	38.34	31.15	15.36	–	–	34.97*	–	–	–	–
3.	गुजरात	13.83	0.93	47.13	8.75	46.79	49.41*	49.94	32.97	–	–	5.84	2.50	40.37	20.14	124.43	45.94
4.	हरियाणा	2.16	–	7.11	5.11	9.84	7.45	7.27	0.22	4.56	–	–	3.98*	–	–	–	–
5.	जम्मू और कश्मीर	0.08	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	कर्नाटक	13.20	–	6.70	14.27*	0.63	0.61	2.59	0.36	14.27	11.25	4.82	4.62	0.15	–	–	–
7.	केरल	–	–	5.11	5.11	1.74	1.74	–	–	5.50	–	0.74	5.49*	–	–	–	–
8.	मध्य प्रदेश	10.55	12.16*	25.07	22.66	34.42	32.70	17.17	9.69	7.02	6.72	1.82	–	–	–	9.57	9.41
9.	महाराष्ट्र	3.44	–	4.90	–	34.32	20.01	6.21	2.97	20.15	–	0.43	0.93	–	–	91.73	41.23
10.	उड़ीसा	–	8.19#	0.77	0.76	10.89	8.91	–	0.40	0.15	–	–	–	–	–	–	–
11.	पांडिचेरी	–	0.13#	–	–	0.25	0.25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	पंजाब	–	–	–	–	13.94	13.86	12.14	12.01	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	राजस्थान	35.23	42.13*	55.26	40.23	77.26	62.66	1.58	–	42.20	16.15	23.09	14.65	–	–	18.74	10.71
14.	तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	–	–	14.12	3.15	–	–	–	–	–	–
15.	उत्तर प्रदेश	16.90	15.47	15.38	2.57	83.31	81.07	5.41	1.11	8.67	5.75	12.10	4.18	–	–	–	–
	जोड़	101.18	88.38	191.70	120.40	335.37	280.11	156.40	125.20	146.70	53.81	161.46	152.08	73.99	59.25	244.47	115.73

* पिछले वर्ष की स्वीकृत ऋण सीमा पर हुए आहरण सहित

\# पिछले वर्ष की सीमा पर आहरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1993-94		1994-95		1995-96	
		स्वीकृत सीमा	आहरण	स्वीकृत सीमा	आहरण	स्वीकृत सीमा	आहरण
1	2	19	20	21	22	23	24
1.	आंध्र प्रदेश	3.74	–	–	1.46@	3.61	3.61
2.	बिहार	–	7.96@	–	–	–	–
3.	गुजरात	–	–	83.63	40.79	–	–
4.	हरियाणा	15.47	3.63	–	–	51.63	23.45
5.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	–	–
6.	कर्नाटक	7.03	6.50	–	–	0.10	–
7.	केरल	–	–	7.75	–	–	–
8.	मध्य प्रदेश	7.77	7.77	–	1.40@	7.93	7.89
9.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–
10.	उड़ीसा	1.86	0.30	–	–	–	–
11.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–
12.	पंजाब	–	–	–	–	–	–
13.	राजस्थान	–	–	44.53	12.99	–	–
14.	तमिलनाडु	–	–	11.82	11.79	–	–
15.	उत्तर प्रदेश	3.16	1.02	2.75	2.35	0.32	–
	जोड़	39.03	27.18	150.48	70.78	63.59	34.95

विवरण–II

योजना का नाम: कृषि स्थिरीकरण निधि

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	सातवीं योजना		1990–91 और 1991–92		आठवीं योजना	
		निर्मुक्त धनराशि	उपयोग की गई धनराशि	निर्मुक्त धनराशि	उपयोग की गई धनराशि	निर्मुक्त धनराशि	उपयोग की गई धनराशि
1.	आंध्र प्रदेश	110	110	60	60	–	–
2.	बिहार	25	25	40	40	170	90
3.	गुजरात	75	75	80	80	10	–
4.	हरियाणा	35	35	40	40	330	320
5.	हिमाचल प्रदेश	40	40	50	50	–	–
6.	कर्नाटक	90	90	43	43	130	50
7.	केरल	10	10	20	20	5	5
8.	मध्य प्रदेश	160	160	70	70	100	100
9.	महाराष्ट्र	25	25	–	–	–	–
10.	मणिपुर	5	5	20	20	–	–
11.	मेघालय	25	25	10	10	–	–
12.	उड़ीसा	75	75	50	50	70	50
13.	पंजाब	135	135	70	70	440	440
14.	राजस्थान	65	65	100	100	140	90
15.	त्रिपुरा	35	35	20	20	–	–
16.	उत्तर प्रदेश	205	205	80	80	215	140
17.	पश्चिम बंगाल	45	45	–	–	–	–
		1160	1160	753	753	1600	1285

एफ.सी.आई. द्वारा भुगतानों का स्वीकार करना

1682. श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने देशभर में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को यह निदेश दिया है कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ कोई भी लेन-देन चाहे वह बैंक गारंटी, मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) और बैंक द्वारा जारी की गई सभी प्राप्तियों के प्रति जमा राशि सहित सशुल्क जमा राशि को स्वीकार करने के रूप में हो, अगले आदेश होने तक नहीं किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के पक्ष में बैंक गारंटी स्वीकार करना बंद कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इससे भारतीय खाद्य निगम के भंडार केन्द्रों से कमी वाले राज्यों में चावल तथा गेहूं के अतिरिक्त भंडार को बढ़ाने में बाधा पैदा हो गई है; और

(च) यदि हां, तो अनाज की कमी वाले राज्यों में निर्धारित समय में अतिरिक्त स्टाक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) निगम ने यह निर्णय अपने वित्तीय हित की रक्षा करने के लिए लिया था क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक उन बैंक गारंटियों को "आनर" करने से मना करता रहा है जो उसने स्वयं जारी की थीं।

(ग) और (घ). पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के पक्ष में जारी कुछ बैंक गारंटियों के संबंध में कोई न कोई कारण बताकर इन गारंटियों को आनर करने से मना कर दिया है। ये कारण हैं - बैंक प्रबंधक का गारंटी स्वीकार करने के लिए सक्षम न होना और भारतीय खाद्य निगम द्वारा बैंक गारंटियों की वैधता अवधि समाप्त हो जाने पर प्रस्तुत करना।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग प्रकोष्ठ

1683. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के कल्याण एवं उनकी भर्ती हेतु अलग से कोई प्रकोष्ठ स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शीरा

1584. श्री नारायण अठावले : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों में शीरे का अत्यधिक स्टाक जमा हो जाने से वहां गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है;

(ख) यदि हां, तो अत्यधिक शीरे के जमा होने के संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सर्वोत्तम संभव विकल्प सहित विभिन्न विकल्पों में शीरे के उपयोग के बारे में क्या रणनीति तैयार की गई है; और

(घ) शीरे की वर्तमान मात्रा कितनी है तथा आने वाले तीन वर्षों में इसकी कितनी मात्रा जमा हो जाने का अनुमान है तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार उन शीरों का किस प्रकार उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ). चीनी मौसम 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान उच्च उत्पादन स्तर के कारण इन मौसमों के दौरान शीरे के उत्पादन में संगत रूप से वृद्धि हुई है। शीरे के स्टॉक का राज्यवार वितरण नहीं रखा जाता है। तथापि पिछले पांच वर्षों के दौरान चीनी तथा शीरे का उत्पादन निम्न प्रकार है :-

मौसम	चीनी	शीरा
1991-92	134.11	60.20
1992-93	106.09	43.50
1993-94	98.24	42.20
1994-95	146.43	64.96
1995-96	164.29 (अनंतिम)	73.93 (अनुमानित)

शीरे का उपयोग मुख्यतः अल्कोहल बनाने में होता है। कुछ मात्रा का उपयोग पशुचारे, ढलाई कारखाने आदि में बाईंडिंग सामग्री के रूप में किया जाता है। आगे, शीरे के मूल्य एवं वितरण पर जून, 1993 में नियंत्रण वापस ले लिया गया है।

[हिन्दी]

आतंकवाद से निपटने हेतु सहायता

1685. श्री हरिन पाठक : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य ने आतंकवाद से निपटने के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की; और

(ख) केन्द्र सरकार ने अब तक राज्यवार कितनी सहायता उपलब्ध कराई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). चालू वर्ष के दौरान, विशिष्ट रूप से आतंकवाद से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत विभिन्न राज्यों को चालू वित्त वर्ष के दौरान अभी तक 38.23 करोड़ रु. की राशि दी गयी है।

तिलहन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र

1686. श्री एन.जे. राठवा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात में तिलहन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने का विचार है; -

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तिलहन की खेती के लिए निर्धारित लक्ष्यों/उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) गुजरात राज्य के लिए अपनाई गई क्षेत्र वृद्धि कार्यनीति में क्रमिक फसलन अन्तर्फसलन, समस्याग्रस्त स्थितियों में कम लाने वाले फसलों के प्रति स्थापन तथा सिंचाई स्थितियों में बहुफसलन के जरिए विभिन्न तिलहन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार करना है।

(ग) क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। तथापि आठवीं योजना के दौरान गुजरात में क्षेत्र कवरेज इस प्रकार है :-

1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
29.21	30.16	30.42	29.1

दुग्ध उत्पादों की चोरी

1687. श्री अशोक प्रधान : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के संयंत्रों से गत तीन वर्षों के दौरान काफी मात्रा में दुग्ध उत्पादों की चोरी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कुछ संसद सदस्यों द्वारा भी इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में अब तक कितने व्यक्तियों/कर्मचारियों को पकड़ा गया है तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) भविष्य में चोरी के मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने के प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (घ). दिल्ली दुग्ध योजना से दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की चोरी के लिए कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। इसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	कर्मचारियों की संख्या जिनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी।
1994	186
1995	143
1996	137

(ख) और (ग). दिल्ली दुग्ध योजना की दुग्ध आपूर्ति में गिरावट तथा दूध की चोरी के बारे में एक संसद सदस्य से पत्र प्राप्त हुआ था।

(ङ) अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधिक अचानक निरीक्षण तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की लदाई का पर्यवेक्षण जैसे विभिन्न उपाय शुरू किए गए हैं।

[अनुवाद]

खाद्यान्न का उत्पादन

1688. श्री के.एच. मुनियप्पा :
श्री वी. धनन्जय कुमार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू खरीफ मौसम के अग्रिम अनुमानों के अनुसार कर्नाटक राज्य में पांच प्रमुख फसलों अर्थात् धान, रागी, ज्वार, मक्का और बाजरा का उत्पादन लगभग 56 लाख टन होने की आशा है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान देश में खाद्यान्नों का खाद्यान्नवार और राज्यवार कुल कितना उत्पादन होने का अनुमान है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार कर्नाटक राज्य में खरीफ, 1996-97 के दौरान पांच प्रमुख फसलों, नामतः चावल, रागी, ज्वार, मक्का और बाजरा का उत्पादन लगभग 59 लाख मी.टन होने की संभावना है।

(ख) खरीफ, 1996-97 के खाद्यान्नों के उत्पादन का राज्यवार/फसलवार अग्रिम अनुमान देने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

खरीफ, 1996-97 के खाद्यान्न उत्पादन के राज्यवार अग्रिम अनुमान

(हजार टन)

राज्य	खरीफ चावल	खरीफ ज्वार	बाजरा	मक्का	रागी	छोटे कदन्न	कुल खरीफ मोटे अनाज	कुल खरीफ अनाज	तूर	अन्य खरीफ दालें	कुल खरीफ दालें	कुल खरीफ खाद्यान्न
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	6476	360	98	544	95	62	1159	7635	163	201	364	7999
असम	3110			14			14	3124	6	10	16	3140
बिहार	6800	10	6	700	80	44	840	7640	75	110	185	7825
गुजरात	1000	222	1346	391	14	7	1980	2980	339	264	603	3583
हरियाणा	2350	30	750	50			830	3180	62	8	70	3250
हिमाचल प्रदेश	140			730	5	11	746	886		20	20	906
जम्मू और कश्मीर	620		6	570		8	584	1204		18	18	1222
कर्नाटक	2382	563	232	1118	1604	40	3557	5939	215	287	502	6441
केरल	855	3			1	2	6	861		14	14	875
मध्य प्रदेश	6061	934	136	1072	5	251	2398	8459	409	262	671	9130
महाराष्ट्र	2489	3548	1566	356	187	28	5685	8174	686	634	1320	9494
उड़ीसा	4900	10	3	47	42	28	130	5030	112	268	380	5410
पंजाब	7160		14	324			338	7498	10	55	65	7563
राजस्थान	164	303	1900	916		10	3129	3293	23	574	597	3890
तमिलनाडु	6273	339	482	46	328	47	1242	7515	82	107	189	7704
उत्तर प्रदेश	10400	400	1050	1510	200	150	3310	13710	600	190	790	14500
पश्चिम बंगाल	8595			107	14	14	135	8730	12	37	49	8779
अन्य	1500	5	5	167	12	39	228	1728	5	19	24	1752
समस्त भारत	71275	6727	7594	8662	2587	741	26311	97586	2799	3078	5877	103463

काजिरंगा राष्ट्रीय उद्यान

1689. श्री पिनाकी मिश्र : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जून, 1996 के "पायनीयर" में "काजिरंगा शार्ट आफ इन्फ्रास्ट्रक्चर, वेट्स फ्लड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उक्त राष्ट्रीय उद्यान के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ग) अभी गैंडों की अनुमानित संख्या कितनी है तथा 1991 की तुलना में इसकी क्या स्थिति है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). असम राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी है कि 1992-93 में "असम में गैंडों का संरक्षण" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का इसके संसाधनों सहित राज्य को अंतरित किए जाने के पश्चात् राज्य सरकार काजिरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अनुरक्षण में गम्भीर वित्तीय समस्या का सामना कर रही है। अतः उन्होंने इस स्कीम को केन्द्रीय क्षेत्र में संचालित किए जाने के लिए अनुरोध किया है जिसे योजना आयोग ने नवीं योजना में विचार करने के लिए मंजूर कर लिया है। इस दौरान काजिरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विकास के लिए एक दूसरी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत राज्य को सहायता प्रदान की गई है परन्तु 1993-94 में उन्हें जारी की गई 88.58 लाख रुपए की राशि में से अभी 47.80 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं। इस धनराशि को 1996-97 में उपयोग करने के लिए पुनर्वैधिकृत किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार को काजिरंगा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पारि-विकास के लिए 1993-94 के दौरान 3.85 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई थी। भारत सरकार द्वारा 1993-94 में जारी की गई निधि का पूर्ण उपयोग न होने के कारण 1994-95 तथा 1995-96 में कोई नया बंटन नहीं किया जा सका।

(ग) 1995 की गणना के अनुसार देश में गैंडों की आबादी 1566 है जबकि 1991 की गणना में इनकी अनुमानित आबादी 167 थी।

दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर अपराध

1690. श्री तारीक अनवर : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर हत्याएं/लूटपाट के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सितम्बर, 1996 से तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किस अपराध के कितने मामले सुलझा लिए गए हैं;

(घ) क्या दोनों राज्यों की पुलिस अपराधियों का पता लगाने में असफल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जाली कारखानों द्वारा औषधियों का उत्पादन

1691. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जाली कारखाने औषधियों का उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले छह महीनों के दौरान ऐसे कितने कारखाने प्रकाश में आए;

(ग) इन जाली कारखानों को बंद करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पिछले छह महीनों के दौरान ऐसे जाली कारखानों के विरूद्ध कितने मामले दर्ज किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नगरों में प्रदूषण

1692. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के सबसे ज्यादा प्रदूशित शहर क्रमानुसार कौन-कौन से हैं तथा विश्व के प्रदूषित शहरों में इनका क्या स्थान है;

(ख) प्रत्येक नगर में प्रदूषण का वर्तमान स्तर क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा नगरों में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई "ग्लोबल पोल्यूशन एण्ड हैल्थ" (विश्व प्रदूषण और स्वास्थ्य) रिपोर्ट से पता चलता है कि जहां तक परिवेशी वायु में निलम्बित कणिकीय पदार्थों के स्तर का संबंध है दिल्ली, कलकत्ता तथा मुम्बई विश्व के 41 शहरों

में क्रमशः चौथे, छठे और तेरहवें स्थान पर आते हैं। जहां तक सल्फर डायाक्साइड के स्तर का संबंध है विश्व के 54 शहरों में दिल्ली 27वें, मुम्बई 18वें तथा कलकत्ता 37 वें स्थान पर आता है।

(ख) से (घ). केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 290 मानीटरन केन्द्रों के माध्यम से देश के 92 शहरों में राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानीटरन कार्यक्रम के तहत वायु में प्रमुख प्रदूषकों के स्तर का मानीटरन कर रहा है। देश के मुख्य शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषकों के वार्षिक औसत जमाव के संबंध में मानीटरन आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

शहर	निलम्बित कणिकीय पदार्थ		सल्फर	डाइऑइड	नाइट्रोजन	डाइऑइड
	औ.	आवा.	औ.	आवा.	औ.	आवा
दिल्ली	उच्च	अत्यधिक	निम्न	सामान्य	निम्न	उच्च
मुम्बई	सामान्य	अत्यधिक	सामान्य	निम्न	सामान्य	सामान्य
कलकत्ता	निम्न	अत्यधिक	निम्न	अत्यधिक	अत्यधिक	अत्यधिक
चेन्नई	सामान्य	सामान्य	सामान्य	निम्न	निम्न	निम्न
हैदराबाद	सामान्य	उच्च	निम्न	निम्न	निम्न	सामान्य
अहमदाबाद	सामान्य	अत्यधिक	निम्न	उच्च	निम्न	निम्न
कोचीन	निम्न	सामान्य	निम्न	निम्न	निम्न	निम्न
नागपुर	निम्न	उत्यधिक	निम्न	निम्न	निम्न	निम्न
पुणे	सामान्य	उच्च	निम्न	निम्न	निम्न	सामान्य
लखनऊ	उच्च		निम्न		निम्न	
कानुपर		अत्यधिक	निम्न	निम्न	निम्न	निम्न

टिप्पणी : औ. = औद्योगिक, आवा. = आवासीय,

(ङ) शहरों में प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जाने वाले उपाय निम्न प्रकार हैं :

(i) औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता तथा शोर के स्तर के लिए मानक अधिसूचित किए जा चुके हैं। विभिन्न प्रयोगों के लिए सतही जल के लिए जल गुणवत्ता निर्धारित की गई है।

(ii) वायु प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक श्रेणियों से निकलने वाले उत्सर्जनों और बहिस्रावों के लिए मानक अधिसूचित किए गए हैं। उद्योगों को निर्देश दिया गया है कि वे एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित मानकों का पालन करें।

(iii) प्रमुख औद्योगिक और अन्य कार्यकलापों के लिए स्थल चयन करने से पूर्व प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों पर आधारित पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी अनिवार्य कर दी गई है।

खाद्य तेल

1693. श्री सौम्य रंजन : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में सरसों और अन्य खाद्य तेलों का कितना-कितना उत्पादन हुआ;

(ख) यदि उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किन-किन राज्यों में तेल का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है; और

(घ) सरकार द्वारा खाद्य तेलों के उत्पादन में और वृद्धि करने के लिए किन-किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) सरसों के तेल सहित सभी खाद्य तेलों के कुल उत्पादन का आंकलन तिलहनों के कुल उत्पादन के आधार पर किया गया है। खाद्य तेलों की श्रेणी और राज्यवार उत्पादन का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। गत तीन वर्षों के दौरान सरसों के तेल सहित सभी खाद्य तेलों की अनुमानित उपलब्धता निम्नवत है :-

(लाख मी.टन)

	सभी खाद्य तेलों की अनुमानित निवल उपलब्धता*	सरसों का तेल
1993-94	61.70	16.52
1994-95	62.54	18.23
1995-96	65.70	19.65

* इसमें मूंगफली, एरंड, तिल, नाइजरसोड, रेपसीड और सरसों, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी, चावल की भूसी, सोयाबीन आदि के तेल शामिल हैं।

(ख) उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है।

(ग) जिन राज्यों में तेल का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, वे हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि।

(घ) खाने योग्य तिलहनों/खाद्य तेलों के उत्पादन में और अधिक वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे/विचारित उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के क्रियान्वयन, अनुवर्ती खेती के जरिए क्षेत्र विस्तार, अन्तरवर्ती खेती के प्रयासों को तेज करना।

(2) कम आर्थिक लागत वाली फसलों को अपनाना।

(3) विभिन्न सेवा निवेशों का प्रावधान करके उत्पादकता में वृद्धि करना।

(4) उत्पादन हेतु सहायता और बीजों का वितरण।

(5) खाने योग्य तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मिनी किटों, स्प्रिंकलर सैटों, उन्नत कृषि औजारों और रसायनों आदि का वितरण। इसके अतिरिक्त उत्पादन संबंधी प्रौद्योगिकी के अन्तरण हेतु किसानों के खेतों पर फ्रन्ट लाइन और सामान्य प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

(6) तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप आवश्यक संसाधन और बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाएं स्थापित करना।

दिल्ली के बम विस्फोट

1694. श्री डी.पी. यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन महीने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बम विस्फोट की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इनमें शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की है; और

(ग) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). जी नहीं, श्रीमान्। पिछले तीन महीनों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ऐसी केवल एक घटना घटी है। भा.द. संहिता की धारा 302/307/120-ख और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4/5 के अधीन थाना श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली, में जांच-पड़ताल हेतु एक मामला दर्ज किया गया था। इस विस्फोट के सिलसिले में अभी तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है।

भंडारण सुविधाएं

1695. श्री आई.डी. स्वामी :
डा. कृपासिन्धु भोई :
श्री सुरेश प्रभु :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 में अब तक राज्यवार/संघराज्य क्षेत्र-वार सार्वजनिक वितरण हेतु विभिन्न राज्यों से गेहूं तथा चावल की कुल कितनी मात्रा खरीदी गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान खाद्यान्नों के असंतोषजनक भंडारण तथा इनकी चोरी के कारण राज्य-वार कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार खाद्यान्नों के बढ़े उत्पादन के अनुरूप इनके भंडारण क्षमता में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाले विवरण I(i) और I(ii) संलग्न हैं।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि खाद्यान्नों का भंडारण वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। अतः अनुपयुक्त तरीके से भंडारण करने के कारण किसी प्रकार की हानि होने का प्रश्न नहीं उठता।

1993-94 से 1996-97 तक खाद्यान्नों की चोरी और उठाईगीरी से हुई हानियों को बताने वाला विवरण II और III संलग्न है।

(ग) और (घ). 1.8.1996 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगमों की उपलब्धता क्षमता निम्नानुसार है :-

(लाख टन में)

एजेंसी	ढकी हुई	कैप	जोड़
भारतीय खाद्य निगम	202.74	46.51	249.25
केन्द्रीय भंडारण निगम	64.58	6.06	69.64
राज्य भंडारण निगम	113.29	4.40	117.69

मैक्रो स्तर पर खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए वर्तमान भंडारण क्षमता फिलहाल उपलब्ध स्टाक का भंडारण करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है। तथापि, भारी वसूली वाले क्षेत्रों में कठिनाइयां होती हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा महत्वपूर्ण स्थानों पर 6.65 लाख टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण करने का लक्ष्य है। निम्नलिखित स्थानों पर 1996-97 वर्ष में 0.33 लाख टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करने का प्रस्ताव है :-

		(टन)
1.	कुल्लु (हिमाचल प्रदेश)	1,670
2.	श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)	1,670
3.	उदीपी (कर्नाटक)	10,000
4.	धमोरा (उत्तर प्रदेश)	10,000
5.	रोजा (उत्तर प्रदेश)	10,000
		33,340

विवरण-I-(i)

चावल की वसूली बताने वाला विवरण

(लाख टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97 (29.11.96)
1	2	3	4	5
क. केन्द्रीय पूल में अंशदान देने वाले :				
आंध्र प्रदेश	39.87	40.24	36.24	1.38
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–
असम	0.05	0.01	0.02	–
बिहार	0.03	0.01	नगण्य	–
हरियाणा	12.48	14.25	6.88	6.48
हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–
कर्नाटक	1.34	0.44	0.78	–
मध्य प्रदेश	8.04	7.59	6.87	0.19
महाराष्ट्र	0.86	0.66	0.37	0.06
उड़ीसा	3.88	3.27	4.56	0.33
पंजाब	54.86	58.26	34.56	37.04
राजस्थान	0.21	0.25	0.02	–
उत्तर प्रदेश	12.95	7.27	7.20	1.51
पश्चिम बंगाल	1.61	1.51	1.30	0.01
चंडीगढ़	0.26	0.23	–	–
दिल्ली	0.05	0.04	–	–
पांडिचेरी	0.02	–	–	–
जोड़ (क) :	136.51	134.03	98.80	47.00

1	2	3	4	5
ख. केन्द्रीय पूल में अंशदान न देने वाले :				
गुजरात	0.20	0.11	–	–
जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–
तमिलनाडु	5.89	2.91	0.97	0.67
जोड़ (ख) :	6.09	3.02	0.97	0.67
जोड़ (क) + (ख)	142.60	137.05	99.77	47.67

विवरण–I–(ii)

गेहूं की वसूली बताने वाला विवरण

(लाख टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993–94	1994–95	1995–96	1996–97 (29.11.96)
बिहार	–	नगण्य	नगण्य	
गुजरात	नगण्य	–	1	
हरियाणा	34.54	30.47	31.02	20.60
हिमाचल प्रदेश	0.01	नगण्य	–	–
जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	2.42	0.66	1.69	0.05
पंजाब	64.94	72.85	72.99	56.28
राजस्थान	4.96	0.65	4.54	2.29
उत्तर प्रदेश	21.28	14.06	13.02	2.61
चंडीगढ़	नगण्य	–	–	–
दिल्ली	0.20	–	नगण्य	–
अखिल भारतीय जोड़ :	128.35	118.69	123.27	81.83

नगण्यः 500 टन से कम

विवरण–II

वर्ष 1993–94, 1994–95, 1995–96 और 1996–97 के दौरान खाद्यान्नों की चोरी/उठाईगीरी मामलों का सारांश

क्र.सं.	जोन/क्षेत्र का नाम	1993–94		1994–95	
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1	2	3	4	5	6
उत्तरी जोन					
1.	पंजाब	5	5,69,493.00	2	2,31,048.00*
2.	उत्तर प्रदेश	1	6,665.00	7	1,40,434.00 (19,711.00)*

1	2	3	4	5	6
3.	राजस्थान	5	16,715.00 (1,790.00)*	8	52,481.00 (5,347.00)*
पश्चिम जोन					
4.	महाराष्ट्र	8	50,956,.00 (1,615.00)*	16	50,419.00
5.	मध्य प्रदेश	8	18,033.00	4	7,507.00
दक्षिण जोन					
6.	कर्नाटक	1	15,552.00	–	-
7.	आन्ध्र प्रदेश	–	–	–	–
8.	केरल	1	4,231.00	–	
9.	जे.एम.(पी.ओ.) विभाग	–	–	–	-
पूर्वी जोन					
10.	उड़ीसा	–	–	–	–
11.	पश्चिम बंगाल	9	7,04,436.00	3	20,407.00
12.	बिहार	–	–	2	49,120.00
13.	जे.एम. (पी.ओ.) कलकत्ता	59	6,99,184.00	24	10,12,344.00
उत्तर-पूर्वी जोन					
14.	गुवाहाटी	1	22,625.00	1	57,015.00
		98	21,07,890.00	67	16,20,775.00
*पहले ही प्राप्त राशि			3,405.00		2,56,106.00
		98	21,04,485.00	67	13,64,699.00

विवरण–III

क्र.सं.	1995–96		1996–97 (सितम्बर'96 तक)		जोड़	
	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
	7	8	9	10	11	12
1.	1	2,50,000.00	–	–	8	10,50,541.00
2.	2	1,11,480.00	–	–	10	2,58,579.00
3.	1	2,412.00	–	–	14	71,608.00
4.	7	61,044.00 (2,291.00)*	1	3,694.00	32	1,66,113.00
5.	–	–	–	–	12	25,540.00
6.	–	–	–	–	1	15,552.00
7.	1	10,686.00	–	–	1	10,686.00
8.	–	–	–	–	1	4,231.00

	7	8	9	10	11	12
9.	1	11,524.00	-	-	1	11,524.00
10.	2	9,050.00*	-	-	2	9,050.00
11.	1	1,623.00	-	-	13	7,26,466.00
12.	-	-	2	6,335.00	4	55,455.00
13.	2	1,24,950.00	-	-	85	18,36,478.00
14.	-	-	-	-	2	79,640.00
	18	5,82,769.00 11,341.00	3	10,029.00	186	43,21,463.00 2,70,852.00
	18	5,71,428.00	3	10,029.00	186	40,50,611.00

[हिन्दी]

विकलांगों को तकनीकी शिक्षा

1696. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेत्रहीनों और विकलांग लोगों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए राजस्थान में कोई विशेष योजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के लिए आबंटित की गई जिला-वार राशि क्या है;

(ग) अभी तक योजना द्वारा लाभान्वित हुए व्यक्तियों की श्रेणी-वार और जिला-वार संख्या क्या है;

(घ) इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किये जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले कुछ समय से उदयपुर के नेत्रहीन स्कूल के अध्यापकों और कर्मचारियों को वेतन न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(च) उन्हें कब तक वेतन दिये जायेंगे?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (घ). राजस्थान के लिए अनन्य रूप से कोई योजना शुरू नहीं की गई है। विकलांगों के लिए संगठनों को सहायता की योजना, जो राजस्थान सहित देशभर के गैर-सरकारी संगठनों के लिए खुली है, के अंतर्गत कल्याण मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को विकलांगों के कल्याण के लिए तकनीकी शिक्षा के प्रावधान सहित विभिन्न कार्यकलाप शुरू करने के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में कार्यरत विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की गई सहायता अनुदान की धनराशि और लाभार्थियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान समय पर प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कार्यकलाप सुचारू रूप से चल सकें। इसके अतिरिक्त, अनुदानों के किस्तों की निर्मुक्ति तभी की जाती है जब संबंधित राज्य सरकार संगठन के वास्तविक निरीक्षण पर आधारित अनुकूल सिफारिशें प्रस्तुत कर देती है।

(ङ) और (च). सूचना राजस्थान सरकार से एकत्र की जा रही है।

विवरण

विकलांग व्यक्तियों को तकनीकी शिक्षा के बारे में 3.12.1996 को उत्तर के लिए प्रो. रासा सिंह रावत द्वारा पूछा गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1696 के उत्तर में संदर्भित विवरण

योजना का नाम	वर्ष					
	1993-94		1994-95		1995-96	
	निर्मुक्त धनराशि	लाभार्थी	निर्मुक्त धनराशि	लाभार्थी	निर्मुक्त धनराशि	लाभार्थी
विकलांगों के लिए स्वयंसेवी संगठनों की सहायता	22.74	586	34.05	820	38.57	670

[अनुवाद]

कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर

1697. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत पांच वर्षों के दौरान देश के कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षा और शोध के गिरते स्तर की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कृषि विश्वविद्यालयों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है और मूल्यांकन का क्या प्रभाव हुआ है; और

(घ) कृषि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से सभी संकायों में शिक्षा और शोध के स्तर के उन्नयन के लिए तैयार की गई विस्तृत कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं। कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षा और अनुसंधान के स्तर में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कृषि शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा निम्नप्रकार है :-

(रु. लाख में)

1) कृषि विश्वविद्यालयों का विकास और उसका सुदृढ़ीकरण।	7,500
2) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की कृषि शिक्षा का विकास और उसका सुदृढ़ीकरण।	390
3) डीम्ड कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा का सुदृढ़ीकरण।	400
4) उत्तर-पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना।	4,100
5) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में प्रोन्नत अध्ययन केन्द्रों की स्थापना।	1,474
6) गृह विज्ञान पर अखिल भा.स.अ. प्रायोजना।	200

कृषि शिक्षा के सुधार के लिए पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता के प्रभाव का 8वीं योजना के अन्त में मूल्यांकन किया जाएगा।

(घ) कृषि और अनुसंधान की गुणवत्ता और स्तर में और आगे सुधार के लिए एक कृषि मानव संसाधन विकास प्रायोजना हाल ही में आरंभ की गई है, जिसे विश्व बैंक से सहायता प्राप्त होगी। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :-

1) प्रत्यापन बोर्ड की स्थापना।

2) अवर स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतर्गत राज्य कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय परीक्षा आरंभ करना।

3) देश और विदेशों में प्रशिक्षण देकर संकाय में सुधार लाना।

4) ढांचागत और संचार सुविधाओं में सुधार।

मौजूदा समय में कृषि मानव संसाधन विकास के प्रथम चरण में चार राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को शामिल किया जाएगा -जैसे - आ.प्र.कृ.वि., हैदराबाद; सी.सी.एस.एच.ए.यू., हिसार; टी.एन.ए.यू., कोयम्बटूर और टी.एन.वी.ए.एस.यू., मद्रास। इसके अतिरिक्त, नवीं योजना में अनेक नई योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है जैसे-ग्रामीण जागरूकता कार्य अनुभव कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति, कृषि शिक्षा मीडिया अनुसंधान केन्द्र, राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, राष्ट्रीय कृषि सूचना एवं लाइब्रेरी नेटवर्क, राज्य कृषि विश्वविद्यालय से जो कालेज संबंधित नहीं हैं उन्हें सहायता प्रदान करना, सार्क और अन्य विकासशील देशों से डायरेक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने से पहले की शिक्षावृत्ति और पीएच डी पाठ्यक्रमों में भारत में शिक्षावृत्ति प्रदान करना और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए कैचअप ग्रान्ट देना आदि। इन योजनाओं के परिणामस्वरूप हमारे देश में कृषि मानव संसाधन का विकास होगा जिसका कृषि उत्पादन और उत्पादकता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

दिल्ली में तिपहिया चालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन

1698. श्री विजय गोयल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस ने पिछले तीन वर्षों के दौरान माहवार दिल्ली में यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले कितने तिपहिया चालकों का चालान किया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान यातायात के नियमों का उल्लंघन करने के अपराध में कितने तिपहिए जब्त किए गए;

(ग) पैदल चलने वालों, पुरूषों, महिलाओं और बच्चों सहित यात्रियों और अन्य व्यक्तियों की मौत का कारण बनने के कारण कितने तिपहिया चालकों को सजा दी गई; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान माहवार दोषी तिपहिया चालकों से जुर्माने के रूप में कितनी राशि एकत्र की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). गत् तीन वर्षों के दौरान, दिल्ली में यातायात नियमों का

उल्लंघन करने के कारण दिल्ली पुलिस द्वारा दण्डित किए गए तथा जब्त किए गए तिपहियों की संख्या तथा गलती करने वाली तिपहिया चालकों से कम्पाऊन्डिग जुर्माने के रूप में एकत्र की गयी कुल राशि, माह-वार संलग्न विवरण I, II, और III में दी गई है।

दो तिपहिया चालकों को एक को 1993 तथा दूसरे को 1994 में, सड़क दुर्घटना में मौत के लिए जिम्मेवार के आरोप में दोषसिद्ध पाया गया।

विवरण-I

गत् तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा दण्डित किए गए तिपहियों की माह-वार संख्या

महीने	1993	1994	1995
जनवरी	5692	8305	9237
फरवरी	6942	6575	7794
मार्च	8082	8064	11030
अप्रैल	6642	10072	8161
मई	11888	9598	6829
जून	6033	8496	9274
जुलाई	9415	8022	8714
अगस्त	8375	22597	6205
सितम्बर	8647	14650	6901
अक्टूबर	7928	4451	5663
नवम्बर	7933	9642	5826
दिसम्बर	8004	7101	7860
जोड़ :	95581	117573	93494

विवरण-II

गत् तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त किए गए तिपहियों के माह-वार ब्यौरे

महीने	1993	1994	1995
1	2	3	4
जनवरी	8	10	8
फरवरी	16	5	11
मार्च	16	9	4
अप्रैल	8	37	10
मई	16	34	10
जून	11	21	10
जुलाई	8	6	10
अगस्त	13	7	4
सितम्बर	10	4	13
अक्टूबर	6	7	13
नवम्बर	6	4	14
दिसम्बर	4	3	12
जोड़ :	122	147	119

विवरण-III

गत् तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा गलती करने वाले तिपहिया चालकों से कम्पाऊंडिंग जुर्माने के रूप में इकट्ठी राशि माह-वार

महीने	1993	1994	1995
जनवरी	रु. 230950/-	रु. 248500/-	रु. 178800/-
फरवरी	रु. 223000/-	रु. 229750/-	रु. 178900/-
मार्च	रु. 257850/-	रु. 229750/-	रु. 178900/-
अप्रैल	रु. 273800/-	रु. 286150/-	रु. 271550/-
मई	रु. 192600/-	रु. 307400/-	रु. 250600/-
जून	रु. 253150/-	रु. 251100/-	रु. 299500/-
जुलाई	रु. 273400/-	रु. 243900/-	रु. 277100/-
अगस्त	रु. 226850/-	रु. 267100/-	रु. 218300/-
सितम्बर	रु. 221250/-	रु. 298200/-	रु. 263400/-
अक्टूबर	रु. 277100/-	रु. 266700/-	रु. 277100/-
नवम्बर	रु. 256300/-	रु. 176500/-	रु. 265300/-
दिसम्बर	रु. 247450/-	रु. 167400/-	रु. 305600/-
जोड़ :	रु. 2933700/-	रु. 2972450/-	रु. 2965050/-

पर्यावरणीय स्वीकृति

1699. श्री नारायण अठावले : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत, सिंचाई, खनन क्षेत्र तथा प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं के मामले में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की शर्त को लागू करने संबंधी वचनबद्धता की स्थिति की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हों ने सशर्त स्वीकृति को प्राप्त करते समय पर्यावरणीय वचनबद्धता को पूरा

नहीं किया है तथा इस प्रकार के उल्लंघन के लिए उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं कि क्षेत्र में प्रस्तावित भारी निवेश/विदेशी प्रत्यक्ष निवेश/विद्युत, खनन और औद्योगिक क्षेत्र में संयुक्त उद्यम के कारण औद्योगिक विकास संबंधी उदारीकरण नीति के कार्यान्वयन का पर्यावरण पर प्रतिकूल असर न पड़े; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (घ). पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरण निकासी पर्यावरण बचाव की शर्तों पर कार्यान्वित की जाती है। इन शर्तों को जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पी.एल.आई. एक्ट 1991 के संशोधन तथा नियमों के साथ ही लागू किया जाता है। जिन शर्तों पर पर्यावरण निकासी जारी की जाती है उसके संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड को भी सूचित किया जाता है।

राज्य सरकारें उल्लंघन के मामलों में दोषी लोगों के विरूद्ध वायु अधिनियम तथा जल अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई कर रही है। राज्य सरकारों को भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा के उपायों के अन्तर्गत कार्य न करने के विरूद्ध कार्रवाई करने का भी अधिकार दिया गया है। कड़ी निगरानी करने की दृष्टि से राज्य-प्रदूषण बोर्डों द्वारा अधिकांश राज्यों में जिला स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। किसी इकाई द्वारा उत्पादन शुरू करने के पूर्व संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सहमति प्राप्त करनी जरूरी होती है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रशिक्षित श्रम शक्ति एवं प्रयोगशाला सुविधाओं से युक्त क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं। हाल में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत अधिकार दिए गए हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण मामलों के साथ ही पर्यावरण प्रबंध एवं प्रदूषण नियंत्रण को देखने के लिए देश में 6 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की है।

मध्यम एवं बड़े क्षेत्र की 17 श्रेणियों में अधिनिर्धारित किए गए 1551 प्रदूषणकारी उद्योगों में से 1232 इकाइयों के पास निर्धारण मानकों के अनुपालन हेतु पर्याप्त सुविधाएं हैं तथा 110 इकाइयों के बन्द होने का पता चला है, शेष 209 इकाइयों में पर्यावरण नियंत्रण उपायों को स्थापित करने का कार्य अन्तिम चरण में है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने निम्नलिखित 8 उद्योगों को बन्द करने का आदेश जारी किया है :—

1. मेसर्स सोम डिस्टिलरीज प्रा. लि., सेहतगंज, जिला-रायसेन मध्य प्रदेश
2. मेसर्स भोपाल डिस्टिलरी, भिल्खोरिया, जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश
3. मेसर्स मेक्प्रो हैवी इंजीनियरिंग लि., गांव-राजोकरी, नई दिल्ली-110038
4. मेसर्स अमर डाइंग वर्क्स (रजि.), 66 वीर नगर, नई दिल्ली
5. मेसर्स मिडलैंड फ्रूट एंड वेजीटेबलस (इंडिया) प्रा. लि. नई दिल्ली
6. मेसर्स पानीपत कोआपरेटिव शुगर मिल्स (डिस्टिलरी यूनिट), पानीपत, हरियाणा
7. मेसर्स सिम्भोली शुगर मिल्स, सिम्भोली, गाजियाबाद
8. मेसर्स सिम्भोली शुगर मिल्स (डिस्टिलरी) सिम्भोली, गाजियाबाद

[हिन्दी]

तेन्दू पत्ता श्रमिकों को स्वामित्व संबंधी अधिकार

1700. श्री एन.जे. राठवा : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों के लोगों, जो जंगलों में तेन्दू पत्ता एकत्र करने और अन्य लघु वन-उत्पाद कार्यों में लगे हुए हैं, को स्वामित्व संबंधी अधिकार प्रदान करने के लिए राज्यों को कोई निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों से किसी प्रकार की टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (घ). कल्याण मंत्रालय ने जंगलों में तेन्दू पत्ते तथा अन्य लघु वन उत्पाद एकत्रित करने में लगे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों पिछड़े वर्गों तथा समाज के कमजोर वर्गों को मालिकाना अधिकारों के बारे में राज्य सरकार को कोई निर्देश जारी नहीं किया है। दलित घोषणा पत्र के साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर कार्रवाई के अनुसरण में यह मामला राज्य सरकारों के परामर्श से परीक्षण के अधीन है।

फास्फेटयुक्त उर्वरकों की कीमत में वृद्धि

1701. श्री अशोक प्रधान : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को फास्फेटयुक्त उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि होने के कारण रबी फसलों की बुवाई के समय काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) सरकार द्वारा किसानों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाये जाने हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर)(श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग). अगस्त, 1992 में फॉस्फेट युक्त और पोटाश युक्त उर्वरकों पर से नियंत्रण हटा लेने के परिणामस्वरूप इन उर्वरकों की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। नियंत्रण रहित करने के तत्काल बाद मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिये डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. पर 1000/- रुपये प्रति मी.टन, एस.एस. पी. पर 340/- रु. प्रति मी.टन और विभिन्न श्रेणियों के योगों पर 435-999/- रुपये प्रति मी. टन की रियायत लागू की गई थी। इस बात को स्वीकार करते हुए कि यह रियायत पर्याप्त नहीं है सरकार ने 6 जुलाई, 1996 से रियायत में वृद्धि करके इसे डी.ए.पी. के लिये 1000/- रु. से बढ़ाकर 3000/- रु. प्रति मी.टन, एम.ओ.पी. के लिए 1000/- रु. से बढ़ाकर 3000/- रु. प्रति मी. टन, एम.ओ.पी. के लिए 1000/-रु. से बढ़ाकर 1500/- रु. प्रति मी.टन, विभिन्न श्रेणियों के योगों के लिये 435-999/- रु. से बढ़ाकर 1304-2633/- रु. तथा एस. एस.पी. के लिये 340/- रु. से बढ़ाकर 500/- रु. मी.टन कर दिया है। साथ ही, आयातित डी.ए.पी. पर 1500/- रुपये की रियायत भी दी गई है।

[अनुवाद]

आतंकवाद

1702. श्री पिनाकी मिश्र : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में विदेशों के कट्टरवादी और उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे संगठनों के संचालन को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। ऐसे दलों को मोटे तौर पर सिख उग्रवादी, कश्मीरी उग्रवादी, श्रीलंकाई तमिल आतंकवादी तथा इस्लामिक कट्टरवादियों के रूप वर्गीकृत किया जा सकता है।

(ग) विदेशों द्वारा प्रायोजित सभी कट्टरवादी/आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों का गहराई से प्रबोधन करने, उनके आक्रमणों को नाकाम करने तथा विदेशों द्वारा प्रेरित शरारत को रोकने के लिए राज्य पुलिस प्राधिकारियों और अन्य सुरक्षा एजेन्सियों को सुग्राही बनाया जाता है। उपलब्ध सभी आसूचना का संबंद्ध राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ आदान-प्रदान किया जाता है ताकि आतंकवाद विरोधी उपायों को कारगर बनाया जा सके। इस प्रयोजनार्थ, आतंकवाद से प्रभावित राज्यों के आसूचना अधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं।

बिहार में चावल उत्पादन योजना

1703. श्री तारीक अनवर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के उन जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें विशेष चावल उत्पादन योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है;

(ख) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत किसानों को कोई विशेष सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग). बिहार में विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक प्रचालन में थी। विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार सरकार को 27.28 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए थे। योजना के अंतर्गत कुल 30 जिले कवर किए, ये हैं- पटना, नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, गया, नवादा, औरंगाबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, सिंहभूमि, पलामू, रांची, सारन, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, चम्पारण (पूर्वी), चम्पारण (पश्चिमी), दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सहरसा, मधुपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, संथाल परगना। तथापि, इस समय राज्य में भारत सरकार और राज्य के बीच 75:25 के वित्तपोषण के प्रतिमान के आधार पर चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें किसानों को फील्ड प्रदर्शन और किसानों को प्रशिक्षण के जरिये प्रौद्योगिकी के अंतरण व बीज, फार्म उपकरण आदि जैसे महत्वपूर्ण आदानों के लिए प्रोत्साहन के लिए सहायता दी जाती है।

उपभोक्ताओं के अधिकार

1704. श्री भक्त चरण दास :
प्रो. पी.जे. कुरियन :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार आम आदमी के लाभार्थ उपभोक्ता आन्दोलन को जन-व्यापी बनाने के लिए कोई ठोस योजना चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई; और

(ङ) उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग). सरकार ने देश में उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किये हैं। ऐसे उपायों में उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रचार के लिए, उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में श्रव्य-दृश्य सामग्री तैयार करना, पुस्तिकाओं, विवरणिकाओं, इश्तहारों आदि के रूप में मुद्रित सामग्री तैयार करना शामिल है। यह एक मासिक पत्रिका "उपभोक्ता जागरण" भी प्रकाशित कर रही है, जो उपभोक्ताओं में, उपभोक्ता जागरूकता के बारे में उपयोगी सूचना का प्रसार करती है। मुद्रित सामग्री तथा साथ ही पत्रिका भी निःशुल्क वितरित की जाती है। इसके अलावा, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों आदि को उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में काम करने तथा निचले स्तर पर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु उपभोक्ता कल्याण निधि स्थापित की गयी है।

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 में क्रमशः लगभग 99 लाख रु., 136 लाख रु. तथा 191 लाख रु. की राशि व्यय की गई।

(ङ) उपभोक्ता शिकायतों को तेजी से प्रतितोष करने और साथ ही उपभोक्ता मंच में अनिर्णीत मामलों की संख्या कम करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने उपभोक्ता मंच के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 61 करोड़ रुपए की एक बारगी वित्तीय सहायता की एक स्कीम शुरू की है।

[हिन्दी]

मल-जल उपचार संयंत्र

1705. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में यमुना नदी पर वजीराबाद के समीप बाहरी रिंग रोड़ पर मल-जल उपचार संयंत्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा संयंत्र पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या उक्त संयंत्र कार्य नहीं कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, इसके साथ-साथ उक्त संयंत्र को चालू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग). सत्तर के दशक के शुरू में तिमारपुर के पास रिंग रोड पर वजीराबाद पुल के निकट आक्सीकरण तालाब पर आधारित एक सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित किया गया था। इस उपचार संयंत्र में 16 आक्सीकरण तालाब शामिल थे जिसकी उपचार क्षमता 12 मिलियन गैलन प्रतिदिन थी। यह संयंत्र काम कर रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस संयंत्र के प्रचालन एवं रख-रखाव पर अब तक 14.50 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वृद्धों के लिए पेंशन

1706. श्री डी.पी. यादव :
श्री छात्रपाल सिंह :
श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चदा" :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 1996-97 के दौरान कितने वृद्धों के इस योजना से लाभान्वित होने की आशा है; राज्यवार ब्यौरा दें;

(ख) वृद्धावस्था पेंशन के लिए किन दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना है;

(ग) 1991 की जनगणना के अनुसार देश में कुल वृद्धों की संख्या कितनी है, राज्य-वार बतायें;

(घ) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में सभी वृद्धों को पेंशन देने का विचार रखती है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) इस योजना से 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 में लाभान्वित लोगों की संख्या क्या है; और

(छ) चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए कितना धन आवंटित किया गया है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) राज्य-वार, 1996-97 के दौरान वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत उन व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है जिनके लाभान्वित होने की आशा है।

(ख) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए मानदंड इस प्रकार है :-

(1) आवेदनकर्ता की उम्र (पुरूष अथवा महिला) 65 वर्ष अथवा अधिक होनी चाहिए।

(2) आवेदनकर्ता को इस आशय से एक निराश्रित होना चाहिए कि उसका अपने स्वयं के आय के स्रोतों से अथवा परिवार के सदस्यों से वित्तीय सहायता या अन्य स्रोतों के माध्यम से जीवन निर्वाह का साधन कम है अथवा कोई नियमित साधन नहीं है। निराश्रितों का निर्धारण करने के लिए, वर्तमान में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों में लागू मानदंड, यदि कोई हो, तो उनका भी अनुसरण किया जाए। इन मानदंडों की समीक्षा करने तथा उपयुक्त संशोधित मानदंडों का सुझाव देने का अधिकार भारत सरकार के पास सुरक्षित है।

(3) केन्द्रीय सहायता का दावा करने के प्रयोजन के लिए वृद्धावस्था पेंशन की राशि 75 रुपए प्रतिमाह है।

(ग) 1991 की जनगणना के अनुसार आयु संबंधी आंकड़े भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा अभी जारी किए जाने हैं। तथापि, 1981 की जनगणना के अनुसार 60+ उम्र की कुल जनसंख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) और (ङ). उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभग्राहियों को कवरेज राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अंतर्गत यह माना जाता है कि 65 वर्ष तथा अधिक के आयु वर्ग के गरीबी की रेखा से नीचे जनसंख्या का 50 प्रतिशत दिए गए निराश्रित मानदंडों के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता प्राप्त करेगा। तद्नुसार संख्यात्मक सीमा गरीबी के अनुपात जैसे कुछ पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए निकाली गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम केवल 15 अगस्त, 1995 से प्रभाव में आया।

(छ) आंकड़े संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 1996-97 के दौरान एन ओ ए पी एस के अंतर्गत लाभग्राहियों की संख्या की योजनावार सीमा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एन ओ ए पी एस के लाभग्राहियों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	4,66,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,700
3.	असम	70,100
4.	बिहार	7,74,400
5.	गोवा	2,200
6.	गुजरात	1,60,100
7.	हरियाणा	37,700
8.	हिमाचल प्रदेश	11,600
9.	जम्मू और कश्मीर	26,60
10.	कर्नाटक	3,16,200
11.	केरल	1,44,500
12.	मध्य प्रदेश	4,89,800
13.	महाराष्ट्र	5,01,700
14.	मणिपुर	3,500
15.	मेघालय	3,400
16.	मिजोरम	1,400
17.	नागालैंड	2,400
18.	उड़ीसा	2,83,400
19.	पंजाब	36,500
20.	राजस्थान	2,00,000
21.	सिक्किम	800
22.	तमिलनाडु	3,91,900
23.	त्रिपुरा	5,300
24.	उत्तर प्रदेश	10,27,500
25.	पश्चिम बंगाल	3,53,900
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	600
27.	चंडीगढ़	1,300
28.	दादर और नगर हवेली	300
29.	दमन और दीव	200
30.	दिल्ली	19,000
31.	लक्षद्वीप	100
32.	पांडिचेरी	1,500
	कुल	53,35,600

विवरण-II

60+ वयोवृद्ध व्यक्तियों की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरूष	महिलाएं
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,77,56,306	1,80,2,285
2.	गुजरात	9,69,639	1,05,8,938
3.	बिहार	2,434,073	2,321,565
4.	हरियाणा	474,637	344,390
5.	हिमाचल प्रदेश	180,228	140,914
6.	जम्मू और कश्मीर	203,065	141,500
7.	कर्नाटक	1,222,328	1,236,457
8.	केरल	896,274	1,013,515
9.	मध्य प्रदेश	1,637,216	1,726,473
10.	महाराष्ट्र	1,966,718	2,042,094
11.	मणिपुर	42,149	41,317
12.	मेघालय	22,261	26,909
13.	नागालैंड	25,680	20,342
14.	उड़ीसा	815,728	869,200

1	2	3	4
15.	पंजाब	739,719	569,493
16.	राजस्थान	1,032,308	1,032,790
17.	सिक्किम	7,598	6,282
18.	तमिलनाडु	1,596,692	1,507,962
19.	त्रिपुरा	75,358	69,372
20.	उत्तर प्रदेश	4,416,840	3,435,847
21.	पश्चिम बंगाल	1,520,731	1,508,389
22.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3,153	2,286
23.	अरूणाचल प्रदेश	16,264	13,289
24.	चंडीगढ़	9,932	8,224
25.	दादर और नगर हवेली	1,937	2,210
26.	दिल्ली	151,456	127,406
27.	गोवा, दमन और दीव	31,984	41,758
28.	लक्षद्वीप	1,012	951
29.	मिजोरम	11,270	11,563
30.	पांडिचेरी	20,314	20,262

विवरण–III

वर्ष 1996–97 के दौरान एन ओ ए पी एस के अंतर्गत आवंटन का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	4,194.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.30
3.	असम	630.90
4.	बिहार	6,969.60
5.	गोवा	19.80
6.	गुजरात	1,440.90
7.	हरियाणा	339.30
8.	हिमाचल प्रदेश	104.40
9.	जम्मू और कश्मीर	239.40
10.	कर्नाटक	2,845.80
11.	केरल	1,300.50
12.	मध्य प्रदेश	4,408.20
13.	महाराष्ट्र	4,515.30
14.	मणिपुर	31.50
15.	मेघालय	30.60
16.	मिजोरम	12.60
17.	नागालैंड	21.60
18.	उड़ीसा	2,550.60
19.	पंजाब	328.50
20.	राजस्थान	1,800.00
21.	सिक्किम	7.20
22.	तमिलनाडु	3,527.10
23.	त्रिपुरा	47.70
24.	उत्तर प्रदेश	9,247.50
25.	पश्चिम बंगाल	3,185.10
26.	अंडमान और निकोबाद द्वीप समूह	5.40
27.	चंडीगढ़	11.70
28.	दादर और नगर हवेली	2.70
29.	दमन और दीव	1.80
30.	दिल्ली	171.00
31.	लक्षद्वीप	0.90
32.	पांडिचेरी	13.50
	कुल	48,020.40

[अनुवाद]

वन क्षेत्र

1707. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयोजित राज्य वन मंत्रियों के सम्मेलन में 1995 की वन क्षेत्र रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या वन क्षेत्र में पूर्व आकलन के पश्चात् 507 कि.मी. की कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा प्रकाशित 'स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1995' के अनुसार विस्तृत विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(1) क्षेत्रीय	क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत
सघन वन (40 प्रति. तथा उससे अधिक क्राउन सघन वन)	385,756	11.73
खुला वन (10 प्रति. से कम वाले क्राउन सघन वन)	249,311	7.58
कच्छ वनस्पति	4533	0.14
झाड़ी क्षेत्र (10 प्रति. क्राउन सघनता से कम वृक्ष भूमि)	60558	1.84
वनेतर	2587135	68.71
कुल	32,87,263	100.00

(2) देश के 1995 के वन क्षेत्र का मूल्यांकन अनुमानित 639.600 वर्ग कि.मी. है जोकि भौगोलिक क्षेत्र का 19. 46 प्रति. है।

(3) देश के 1995 वन क्षेत्रों के मूल्यांकन को 1993 के मूल्यांकन से तुलना करते हुए देश के वास्तविक वन क्षेत्र में 507 वर्ग कि.मी. की कमी आई है।

(4) पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन आवरण में 783 वर्ग कि.मी. की कमी हुई है जबकि शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 276 वर्ग कि. मी. की वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप दो वर्षों की अवधि में 507 वर्ग कि.मी. की समग्र कमी हुई है।

(घ) देश में वन क्षेत्र में कमी होने के मुख्य कारण ईंधन, चारा और छोटी-मोटी इमारती लकड़ी की मांग और आपूर्ति में अंतराल होने से बताया गया है जिसके फलस्वरूप झूम खेती, दावानल, चराई तथा वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाए जाने के कारण भी अवधारणीय निकासी, क्षति हुई है।

[हिन्दी]

छोटा उदयपुर के गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

1708. श्री एन.जे. राठवा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में छोटा उदयपुर के आदिवासियों के कल्याण के लिए कुछेक सामाजिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त सहायता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त वित्तीय सहायता का दुरूपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों के कल्याण के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का उचित उपयोग करने के लिए, सामाजिक संगठनों को क्या निर्देश जारी करने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए "स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" की योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान की मंजूरी इस योजना की शर्तों तथा समय-समय पर यथा संशोधित सामान्य वित्तीय नियम 1963 के प्रावधानों के द्वारा नियंत्रित की जाती है ताकि इसका समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के निरीक्षण सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग। मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा कराए जाते हैं। तथापि, इन योजनाओं में शामिल दिशा निर्देशों के अतिरिक्त आगे कोई दिशा निर्देश जारी करने के बारे में इस समय विचार नहीं किया जा रहा है।

भारतीय खाद्य निगम में रिक्त पद

1709. श्री अशोक प्रधान : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों के से भारतीय खाद्य निगम में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो रिक्त पद किस श्रेणी के हैं और कौन सी तारीख से रिक्त हैं और उन रिक्त पदों में से कितने पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं और इन पदों की श्रेणीवार स्वीकृत संख्या कितनी है;

(ग) इन पदों को कब तक भर लिए जाने की आशा है और इन्हें भरने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) संघ सरकार द्वारा विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कारगर कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

सुपर बाजार में दरों में संशोधन

1710. **श्री आई.डी. स्वामी :**

श्री रामसागर :

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** दरों में संशोधन के बारे में 29 अगस्त, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3447 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरों में संशोधन हेतु प्राप्त किए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा मंजूर किए गए/अस्वीकृत किए गए/लंबित प्रस्ताव क्या हैं;

(ख) क्या इन प्रस्तावों को समय पर अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सुपर बाजार टॉर्च, बैट्रियां, लैम्प तथा लोकप्रिय मार्क की ट्यूबलाइटें उपभोक्ताओं तथा सरकारी कार्यालयों को उपलब्ध कराने के लंबे समय से कतरा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार को इस संबंध में संसद सदस्यों तथा जनसामान्य से पत्र प्राप्त हुए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा उपरोक्त वस्तुओं को तुरन्त उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग). सुपर बाजार द्वारा यह सूचित किया गया है कि वे हजारों प्रकार की मदें बेचते हैं। दरों में संशोधन हेतु लगभग 155 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से 119 के संबंध में पहले ही अंतिम निर्णय लिए जा चुके हैं तथा शेष प्रस्ताव संबंधित पार्टियों/सप्लायरों से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण विचाराधीन हैं। विभिन्न मदों की दरों में संशोधन करना एक सतत प्रक्रिया है। सुपर बाजार तदनुसार दरों में संशोधन पर विचार करता है।

(घ) जी, नहीं। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि वे फिलिप्स, सिल्वैनिया, मैसूर, जी.ई, क्रॉम्पटन लैम्प्स तथा जीप और निप्पों के ट्यूब लाइट्स और टार्चों, इत्यादि जैसे ख्याति प्राप्त ब्रांडों की शीघ्रता से बिकने वाली मदों की बिक्री कर रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) से (ज). सरकार को इस संबंध में संसद सदस्यों से तीन पत्र प्राप्त हुए हैं। तथापि, आम जनता से इस बारे में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय संसद सदस्यों के पत्र सुपर बाजार को उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेज दिए गए हैं। सुपर बाजार ने सभी तीनों संसद सदस्यों को 20 नवम्बर, 1996 को जवाब भेज दिया है।

सुपर बाजार एक स्वैच्छिक सहकारी समिति है और भारत सरकार इसके व्यापार सहित इसके दैनिक क्रियाकलापों में दखलंदाजी नहीं करती है।

राशन कोटे में कमी

1711. **श्री राम नाईक :** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्व बैंक से राजसहायताओं में कमी किए जाने की शर्त के फलस्वरूप राशन काडों पर खाद्यान्नों के कोटे में कमी करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) राशन काडों पर खाद्यान्नों का कोटा कम करने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी आपूर्ति का अन्यत्र उपयोग

1712. **श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका :** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें एक ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन कर रही हैं जिसके अनुसार आवंटितों को खाद्यान्नों और राजसहायता प्राप्त गेहूं से तैयार किए गए उत्पादों को इस आधार पर खुले बाजार में बिक्री करने की अनुमति दी जाती है कि इन उत्पादों की सार्वजनिक प्रणाली में अथवा अन्यथा कोई मांग नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन वस्तुओं को अनुवर्ती माह के आवंटन में समायोजित किया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार खुले बाजार में इन मदों के बिक्री से सृजित लाभ में से राजसहायता की राशि राज्य सरकार अथवा आवंटितों से वसूल करती है;

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1994-95 के दौरान और 1995-96 में अब तक कितनी धनराशि वसूल की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा करने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा केवल नियत मूल्यों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण हेतु मैदा/सूजी/आटा आदि बनाने के लिए रोलर फ्लोर मिलों द्वारा कस्टम मोलिंग हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं के कुछ भाग को उपयोग में लाने की राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुमति दे दी है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को कस्टम मोलिंग की स्कीम के कार्यान्वयन में कोई लाभ नहीं कमाना है। यदि ऐसे उत्पाद आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिन्हें बर्बादी आदि को रोकने की दृष्टि से खुले बाजार में बेचना पड़ता है तो उनके नियंत्रण मूल्य तथा खुले बाजार से प्राप्त मूल्य के बीच अन्तर की राशि को केन्द्रीय सरकार के पास जमा कराना होगा।

(ग) से (च). मैदा/सूजी/आटा आदि बनाने के लिए गेहूं के उपयोग की अनुमति केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित सामान्य मासिक कौटे में से ही दी जाती है और इस प्रयोजन के लिए अलग से कोई कोटा नहीं दिया जाता है। तथापि, वसूल की गई राशि का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। 1.11.1996 से स्कीम को एक वर्ष के लिए बढ़ाते समय उसकी समीक्षा की गई थी और इस संबंध में संशोधित शर्तें जारी की गई हैं, जिसमें केन्द्रीय सरकार के पास जमा की गई कुल राशि के ब्यौरे सहित मासिक विवरणियां प्रस्तुत करना शामिल हैं।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की आपूर्ति

1713. श्री विजय अन्नाजी मुडे :
श्री मुरलीधर जेना :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न खाद्यान्नों-खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, साफ्ट कोयला तथा चीनी की औसतन मासिक आवश्यकता/जारी की गई लदान संबंधी मात्रा कितनी है;

(ख) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इन वस्तुओं के कोटा में वृद्धि किये जाने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 1995-96 के लिए गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्य तेल और साफ्ट कोक के औसत मासिक आवंटन और उठान संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) से (घ). जी, हां। राज्यों से अतिरिक्त कोटे के लिए प्राप्त आवेदनों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आवंटन करने वाली अन्तर्मंत्रालयीय समिति की मासिक बैठक में विचार किया जाता है और स्टाक की उपलब्धता, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर मांग, वस्तुओं की बाजार उपलब्धता, मौसमी घटक, विगत में किए गए आवंटनों के प्रति उठान स्थिति, आदि को हिसाब में लेकर अतिरिक्त आवंटन किए जाते हैं।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए गए गेहूं, चावल, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, चीनी और साफ्ट कोक के औसत मासिक आवंटन और उठान

आंकड़े हजार टन में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं		चावल		चीनी	खाद्य तेल		मिट्टी का तेल साफ्ट कोक	
	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	16.00	8.56	218.33	179.94	26.78	5.55	3.32	51.29	51.11	0.00
अरुणाचल प्रदेश	0.60	0.43	8.56	7.55	0.35	0.00	0.00	0.80	0.79	0.10
असम	30.00	29.32	47.33	36.36	10.03	0.10	0.06	21.19	21.43	1.00
बिहार	58.80	18.93	31.80	1.96	35.57	0.02	0.00	50.58	50.51	60.00
गोवा	3.53	1.78	6.50	3.73	0.52	0.33	0.26	2.28	2.33	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
गुजरात	69.63	35.41	34.08	17.38	17.18	4.08	3.84	67.19	67.54	2.00
हरियाणा	17.46	5.21	4.46	0.70	6.80	0.02	0.02	13.04	13.12	0.00
हिमाचल प्रदेश	12.00	8.18	10.92	3.77	2.06	0.13	0.10	3.52	3.56	2.50
जम्मू और कश्मीर	30.00	9.67	44.00	20.77	2.93	0.06	0.03	7.17	7.52	2.50
कर्नाटक	30.00	18.29	120.26	78.58	18.80	0.92	0.55	39.74	40.53	0.00
केरल	48.75	46.44	150.00	97.54	12.37	0.00	0.02	23.65	24.21	0.00
मध्य प्रदेश	48.66	11.39	48.35	17.02	26.81	0.21	0.00	39.73	40.32	4.58
महाराष्ट्र	91.67	50.88	71.50	29.96	31.99	2.50	1.26	127.30	126.77	2.00
मणिपुर	2.70	2.65	10.00	2.75	0.78	0.07	0.03	1.77	1.85	0.10
मेघालय	2.33	2.31	14.33	13.68	0.72	0.02	0.00	0.34	1.34	0.10
मिजोरम	2.00	1.95	7.83	7.80	0.31	0.11	0.03	0.53	0.53	0.25
नागालैंड	1.52	1.67	6.04	5.90	0.49	0.34	0.25	0.89	0.96	1.00
उड़ीसा	35.00	19.88	65.83	30.48	13.14	1.00	0.29	17.62	17.61	1.80
पंजाब	12.92	0.63	1.39	0.15	8.42	0.00	0.00	27.41	27.49	0.00
राजस्थान	121.16	38.27	4.33	0.76	18.09	0.03	0.00	27.28	27.02	0.00
सिक्किम	1.02	0.84	4.80	3.65	0.17	0.07	0.05	0.69	0.67	1.00
तमिलनाडु	25.83	13.53	132.50	132.33	23.50	0.67	0.42	56.27	56.25	0.00
त्रिपुरा	1.80	0.80	16.20	12.38	1.11	0.06	0.00	1.93	1.91	0.50
उत्तर प्रदेश	98.80	18.82	45.80	17.46	56.49	0.00	0.00	90.62	90.23	20.00
पश्चिम बंगाल	91.55	70.18	71.33	38.09	27.78	1.42	1.24	63.00	63.31	65.00
अंडमान तथा निकोबार	0.75	0.00	2.50	0.00	0.27	0.01	0.00	0.39	0.38	0.00
[illegible]	1.80	0.07	0.30	0.09	0.42	0.01	0.00	3.03	1.64	0.00
दादर तथा नगर हवेली	0.23	0.04	0.50	0.10	0.06	0.05	0.04	0.16	0.26	0.00
दमन और दीव	0.18	0.00	0.56	0.08	0.04	0.07	0.04	0.25	0.22	0.00
दिल्ली	70.00	12.78	20.00	2.20	10.86	0.28	0.22	20.08	20.17	9.00
लक्षद्वीप	0.04	0.00	0.53	0.39	0.08	0.02	0.02	0.07	0.02	0.00
पांडिचेरी	0.75	0.00	2.00	0.16	0.37	0.36	0.25	1.25	1.20	0.00

लेवी चीनी और साफ्ट कोक का उठान आवटंन का 100% माना जाता है।

[अनुवाद]

हथियार के लिए जाली लाइसेंस जारी करना

1714. श्री तारीक अनवर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995 के बाद बिहार में बड़ी संख्या में हथियारों के लिए जाली लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गई है;

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) अपराधियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (च). बिहार सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वानिकी परियोजनाएं

1715. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक बिहार, आंध्र प्रदेश तथा विभिन्न अन्य स्थानों पर विभिन्न परियोजनाओं को चलाने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में उन वानिकी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें विश्व बैंक की सहायता मिल रही है;

(ग) अब तक इन परियोजनाओं को विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि की सहायता दी गई है;

(घ) क्या वानिकी परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा जनता की भागीदारी के साथ लागू करने की अनुमति देने के केन्द्र सरकार के हाल के निर्णय को लागू कर दिया गया है;

(ङ) क्या वित्त मंत्रालय द्वारा धनराशि को जारी करने पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण करीब 2000 समितियां कार्य नहीं कर पाई हैं; और

(च) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा राज्य में वानिकी परियोजनाओं के विकास हेतु कब तक धनराशि जारी कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) विश्व बैंक पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में वानिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। विश्व बैंक ने बिहार में वानिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई है।

(ख) विश्व बैंक की सहायता से चल रही वानिकी परियोजनाओं के ब्यौरे का विवरण संलग्न है।

(ग) 340.4 मिलियन अमरीकी डालर के कुल प्रतिबद्ध ऋण में से 30.9.96 तक इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 84.74 मिलियन अमरीकी डालर की धनराशि का इस्तेमाल किया गया है।

(घ) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मुख्य जोर विभिन्न क्रियाकलापों में जन सहभागिता पर दिया गया है। योजना, कार्यान्वयन, संरक्षण और लाभ की साझेदारी की प्रक्रिया में सहभागिता के लिए ग्राम वन समितियां गठित की गई हैं।

(ङ) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधि को जारी करने के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा कोई वित्तीय रोक नहीं लगाई गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

परियोजना का नाम	कुल लागत (करोड रु. में)	परियोजना अवधि	शामिल किए जाने वाले कुल क्षेत्र (000में क्षेत्र)
वानिकी विकास परियोजना, पं. बंगाल	114.70	1992-93 से 1996-97	228
वानिकी क्षेत्र परियोजना महाराष्ट्र	431.51	1992-93 से 1997-98	369
आंध्र प्रदेश वानिकी परियोजना	353.92	1994-95 से 1999-2000	355
मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना	245.44	1995-96 से 1998-1999	235

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचना

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : महोदय, मैं भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 की धारा 39 के अन्तर्गत, भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें) (संशोधन) विनियम, 1996 जो 20 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 368(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 675/96]

[हिन्दी]

स्टेट फार्म कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड तथा कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री चतुरानन मिश्र की ओर से स्टेट फार्म्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड तथा कृषि और

सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 196-97 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 686/96]

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड और जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन आदि।

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड और जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 687/96]

(2) वाटर एंड पावर कंस्लटेन्सी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड और जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 688/96]

हिन्दुस्तान आर्गनिक कैमीकल्स लि. रसायनी के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा उसका वार्षिक प्रतिवेदन और फर्टिलाइजर एण्ड कैमीकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड आदि और उर्वरक विभाग के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन आदि।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) हिन्दुस्तान आर्गनिक कैमीकल्स लिमिटेड, रसायनी के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान आर्गनिक कैमीकल्स लिमिटेड, रसायनी का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 689/96]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) फर्टिलाइजर एण्ड कैमीकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड उद्योगमंडल और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 690/96]

(दो) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड और रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 691/96]

(तीन) कर्नाटक एन्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 692/96]

(चार) राष्ट्रीय कैमीकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 693/96]

(पांच) पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमीकल्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 694/96]

(छह) मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 695/96]

वालंटरी हेल्थ सर्विसेज, मद्रास का वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा आदि तथा हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड और परिवार कल्याण विभाग के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री सलीम इकबाल शेरवानी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) वालंटरी हेल्थ सर्विसेज, मद्रास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वालंटरी हेल्थ सर्विसेज, मद्रास के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 696/96]

(3) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 697/96]

(4) (एक) केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 698/96]

(6) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कारण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 699/96]

(7) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, वडोदरा के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, वडोदरा के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 700/96]

(8) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, चण्डीगढ़ के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, चण्डीगढ़ के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 701/96]

(9) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, धारवाड़ के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, धारवाड़ के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 702/96]

(10) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 703/96]

(11) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गांधीग्राम के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गांधीग्राम के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 704/96]

(12) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 705/96]

(13) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पटना के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पटना के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 706/96]

(14) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पुणे के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पुणे के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 707/96]

(15) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, तिरूअनंतपुरम के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, तिरूअनंतपुरम के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 708/96]

(16) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, उदयपुर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, उदयपुर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 709/96]

(17) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, विशाखापत्तनम के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, विशाखापत्तनम के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 710/96]

(18) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, श्रीनगर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, श्रीनगर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 711/96]

(19) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र, चण्डीगढ़ के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनंसख्या अनुसंधान केन्द्र, ग्रामीण और ओद्योगिक विकास अनुंसधान केन्द्र, चण्डीगढ़ के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 712/96]

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, अधिनियम, 1949 तथा राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत ज्ञापन

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : महोदय, मैं निम्ननिलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (चिकित्सा अधिकारी कॉडर) नियम, 1996 जो 21 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 392 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 713/96]

(2) राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 की धारा 139 की

उपधारा (3) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) राष्ट्रीय सुरक्षक (श्रेणी-"घ" पद) भर्ती नियम, 1996 जो 6 अप्रैल, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 162 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षक श्रेणी-"ग" पद भर्ती नियम, 1996 जो 24 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 348 में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 714/96]

श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ तथा राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरूपति आदि के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षात प्रतिवेदन।

(तीन) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 715/96]

(3) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 716/96]

(5) (एक) योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 717/96]

(7) (एक) असम प्राथमिक शिक्षा अचानी परिषद, गुवाहाटी के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) असम प्राथमिक शिक्षा अचानी परिषद, गुवाहाटी के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 718/96]

(9) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 719/96]

(11) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 720/96]

(13) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 721/96]

(15) (एक) मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 722/96]

(17) (एक) संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, संगरूर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक संस्थान, संगरूर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 723/96]

(19) (एक) मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 724/96]

(21) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 725/96]

(23) (एक) मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 726/96]

(25) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 40 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 246, जो 27 मई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा निवेशकों के बारे में परिनियम 4 के खंड (1) में कतिपय संशोधन किये गए हैं।

(दो) सा.का.नि. 281, जो 20 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुख्यालयों में दीक्षांत समारोह से संबंधित विनियमों में कतिपय संशोधन किये गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 727/96]

कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिये समझौता ज्ञापन

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : महोदय, मैं कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 728/96]

मजगांव डाक लिमिटेड, मुम्बई तथा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड आदि के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : महोदय, मैं श्री एन.वी.एस. सोमू की ओर से सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :-

(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) मजगांव डाक लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मजगांव डाक लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 729/96]

(ख) (एक) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 730/96]

(ग) (एक) गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 731/96]

(घ) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 732/96]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 733/96]

(दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 734/96]

(तीन) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 735/96]

(चार) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 736/96]

(पांच) मजगांव डाक लिमिटेड और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 737/96]

अपराह्न 12.01 बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

तीसरा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं रेलवे में सुरक्षापायों और आस्तियों का अनुरक्षण" संबंधी समिति के 19 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्टि सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (1996-97) का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और समिति की तत्संबंधी बैठक का कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

उनचासवां, पचासवां और इक्यावनवां प्रतिवेदन

श्रीमती कृष्णा बोस (जारनपुर) : महोदय, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के कार्यकरण के बारे में उनचासवां प्रतिवेदन;

(2) नेताजी भवन, कलकत्ता के बारे में पचासवां प्रतिवेदन; और

(3) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता के कार्यकरण के बारे में इक्यावनवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय

श्री सुखराम, संसद सदस्य के कथित अवचार की जांच करने हेतु सभा की एक विशेष समिति का गठन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक विनिर्णय देना है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : क्या आप सुखराम जी के बारे में रूलिंग दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : हां, वहीं दे रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि पिछले सत्र के दौरान, 26 अगस्त, 1996 को संसद सदस्य श्री राम नाईक, संसद सदस्य और पूर्व मंत्री श्री सुखराम के कथित अवचार की जांच करने हेतु सभा की एक विशेष समिति गठित किए जाने के प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैंने अपने 12 सितम्बर, 1996 के विनिर्णय द्वारा इस मामले को लम्बित रखने का निर्णय किया था क्योंकि श्री सुखराम ने, जो उस समय विदेश में उपचार करवा रहे थे, मुझसे यह अनुरोध किया था कि

उन्हें श्री राम नाईक की सूचना पर अपनी टिप्पणी देने के लिए कुछ समय दिया जाये।

इस बीच मुझे श्री सुखराम की टिप्पणियां प्राप्त हो चुकी हैं।

यदि संक्षेप में दोहराया जाये तो कहना होगा कि श्री राम नाईक द्वारा दी गई सूचना मोटे तौर पर दो बातों पर आधारित है, अर्थात् (एक) कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने श्री सुखराम के निवास पर मारे गये छापों में भारी मात्रा में नकदी बरामद की थी (जो श्री राम नाईक के अनुसार संभवतः लेखाबाह्य धन है); और (दो) कि श्री सुखराम ने अपनी विदेश यात्रा के बारे में लोक सभा सचिवालय को कोई सूचना नहीं दी।

श्री राम नाईक ने कहा है कि यह मामला श्री सुखराम द्वारा अवचार किए जाने की कोटि में आता है। तदनुसार, उन्होंने अनुरोध किया है कि सदस्य के उक्त अवचार की जांच करने हेतु सभा की एक विशेष समिति गठित की जाये।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस बात की पुष्टि की है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न उपबंधों के अधीन श्री सुखराम के विरूद्ध दो आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और इनकी जांच की जा रही है।

श्री सुखराम ने अपनी टिप्पणियों में उन आपातिक परिस्थितियों को स्पष्ट किया है जिनके अन्तर्गत उन्हें अल्प सूचना पर विदेश का दौरा करना पड़ा और जिस कारण वह लोक सभा सचिवालय को औपचारिक सूचना नहीं भेज सके।

जहां तक उनकी अनुपस्थिति में उनके आवास से भारी मात्रा में धन बरामद होने का आरोप है, श्री सुखराम ने कहा है कि इस मामले की अभी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है और उन्हें अन्ततः अपने बचाव के लिए न्यायालय में बुलाया जा सकता है। श्री सुखराम का मानना है कि उनके निवास से नकदी बरामद होने के आरोप के संबंध में इस समय उनके द्वारा कोई टिप्पणी किए जाने से उनके बचाव पर असर पड़ सकता है अथवा यह विफल हो सकता है। अतः उन्होंने यह निर्णय लिया है कि वह इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।

मैं सबसे पहले श्री राम नाईक की सूचना के दूसरे आधार का निपटान करना चाहूंगा।

श्री सुखराम ने अपने अचानक विदेशी दौरे के पीछे जिन परिस्थितियों और अत्यावश्यकता के बारे में स्पष्टीकरण दिया है, उससे मैं संतुष्ट हूं। इसके अलावा जहां तक इस अपेक्षा का प्रश्न है कि सदस्यों को विदेश यात्रा पर जाने से पूर्व लोक सभा सचिवालय को सूचित करना चाहिए, यह अपेक्षा पूरी तरह से केवल यात्रियों की अपनी सुविधा के लिए है ताकि सचिवालय सदस्यों को उनके विदेश में ठहरने के दौरान सहायता आदि उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सके। अतः सदस्यों के लिए यह बाध्यकारी नहीं है कि विदेश यात्रा पर जाने से पूर्व लोक सभा सचिवालय को सूचित करें।

अतः मेरी राय है कि इस आधार पर श्री सुखराम के विरूद्ध कोई अवचार का मामला नहीं बनता है।

श्री राम नाईक की सूचना के पहले आधार पर फिर से आते हुए मैं यह महसूस करता हूं कि समूचे मामले को व्यापक परिपेक्ष्य में देखा जाना चाहिए और श्री सुखराम के विरूद्ध एक संसद सदस्य के अशोभनीय आचरण के आरोप और उनके विरूद्ध दांडिक अपराध के मामलों में लिप्त होने के आरोप के बीच स्पष्ट अंतर करना होगा।

श्री राम नाईक द्वारा दी गई सूचना में यह बताया गया है कि श्री सुखराम के निवास से भारी मात्रा में बरामद धनराशि श्री सुखराम के अवचार के आरोप की जांच करने के लिए सभा की विशेष समिति का गठन किए जाने के लिए पर्याप्त आधार है। इन्हीं तथ्यों के कारण केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पहले से ही अलग जांच की जा रही है।

इस प्रकार किसी संसद सदस्य के अशोभनीय आचरण का यह आरोप बेबुनियाद है। यह आपराधिक मामलों में लिप्त होने के आरोप पर आधारित है। यदि आपराधिक मामलों में लिप्त होने का यह आरोप अंततः सिद्ध हो जाता है तो अवचार का आरोप स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा परन्तु यदि आपराधिक मामलों में लिप्त होने का आरोप साबित नहीं होता है, तो अवचार के आरोप का आधार ही समाप्त हो जाएगा।

इन परिस्थितियों में यदि सभा की कोई समिति गठित की जाती है तो उसे सदस्य के अवचार के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दांडिक अपराधों की जांच करनी होगी और ऐसे अपराध किए जाने को सिद्ध करना होगा। सदस्य पर न्यायालय में अभियोजन की आशंका को देखते हुए मैं सुखराम को इस बात के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता कि उन्हें इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

मेरा यह दृढ़ मत है कि दांडिक प्रकृति के अपराधों की जांच पूर्णतः जांच एजेन्सियों के कार्य क्षेत्र में आती है और दांडिक मामलों में किसी अभियुक्त को दोषी या निर्दोष साबित करने के लिए न्यायालय ही समुचित स्थान है। अतः यह उचित नहीं होगा कि संसद जांच एजेन्सियों या न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में अधिकार जताए। हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने विवेकानुसार राज्य के तीनों अंगों-अर्थात् विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट रूप से निर्धारण कर दिया था। इन तीनों अंगों में से प्रत्येक को एक दूसरे के कार्यक्षेत्र और अधिकारिता में हस्तक्षेप किए जाने तथा एक दूसरे को उचित सम्मान देकर हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए।

इन परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि इस समय श्री सुखराम के आचरण की जांच करने के लिए सभा की एक विशेष समिति गठित करना उपयुक्त नहीं होगा।

चूंकि मैं श्री राम नाईक की सूचना को गुण-दोष के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता हूं अतः मेरा विचार इस मामलों को श्री सुखराम के विरूद्ध दायर आपराधिक मामलों में न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय दिए जाने तक लम्बित रखने का है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी रूलिंग के बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन श्री सुखराम बाहर बोल रहे हैं कि यह पार्टी का पैसा है। उन्होंने सारे अखबारों को यह बताया है, सबको बताया है कि यह पार्टी का पैसा है और आपको इन्फॉर्म नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो रीजन दिया था उसके बेसिस पर मैंने रूलिंग दी है।

[अनुवाद]

मैं दूसरे पहलुआ ।। नहीं जाना चाहता हूं।

अपराह्न 12.10 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र—जारी

[अनुवाद]

महापत्तन न्यास अधिनियम इत्यादि के तहत अधिसूचनाएं

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 452(अ) जो 3 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास डॉक (संशोधन) विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 398(अ) जो 2 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास (जलयानों का करस्थम् या बंदी बनाना और बिक्री) (संशोधन) विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 258(अ) जो 27 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन कर्मचारी (मकानों आदि के निर्माण के लिए अग्रिम प्रदान करना) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा.का.नि. 361(अ) जो 13 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (गृह निर्माण अग्रिम) विशेष परिवार प्रसुविधा निधि विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा.का.नि. 362(अ) जो 13 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् अंशदायी बाह्य एवं अंतरंग चिकित्सा प्रसुविधा) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा.का.नि. 367(अ) जो 19 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास पेंशन भोगी (पेंशन के बकाया का भुगतान) (नामांकन) विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा.का.नि. 376(अ) जो 22 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (परिवार सुरक्षा निधि) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(आठ) सा.का.नि. 377(अ) जो 22 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी (आवासों का आवंटन और अधिभोग) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(नौ) सा.का.नि. 378(अ) जो 22 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 1996 का अनमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 676/96]

(2) (एक) मारमोगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मारमोगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 677/96]

(3) महापत्तन अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) मारमोगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मारमोगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 1995-96 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 678/96]

(ख) (एक) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 679/96]

(ग) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 680/96]

(4) डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 5ङ के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) एक्स बाम्बे डॉक लेबर बोर्ड का 1 अप्रेल, 1994 से 31 मार्च, 1995 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्स बाम्बे डॉक लेबर बोर्ड का 1 अप्रैल, 1994 से 31 मार्च, 1995 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 681/96]

(6) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड तथा जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 682/96]

(7) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 683/96]

(8) (एक) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 684/96]

(9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापतनम के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 685/96]

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, श्री सुखराम को पुनः गिरफ्तार किया जा चुका है, परन्तु इसका समाचार भाग-II में कोई उल्लेख नहीं है। हमको इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : हम शून्य काल की कार्यवाही प्रारम्भ करते हैं। हमारे पास 50 मिनट का समय शेष है। श्री गोपाल टंडेल, कृपया संक्षेप में बोलिये ताकि प्रत्येक सदस्य को 50 मिनट में ही बोलने का अवसर मिल जाए।

श्री गोपाल टंडेल (दमन और दीव) : महोदय, वर्ष 1994 में पाकिस्तान सरकार ने 31 पोत और 193 लोगों को अपने कब्जे में ले लिया था। ये लोग पाकिस्तानी जेलों में बन्द हैं और उनके परिवार वाले भुखमरी का सामना कर रहे हैं। ये लोग ही अपने-अपने परिवारों की रोजी-रोटी का एकमात्र साधन थे। भारत सरकार को तुरन्त इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाना चाहिये और पाकिस्तानी कब्जे में पोतों और लोगों की रिहाई करवानी चाहिये। सरकार द्वारा इस संबंध में समुचित कदम न उठाने के कारण लोगों में काफी असंतोष व्याप्त है।

अपराह्न 12.12 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर) : महोदय, क्या आप सरकार को इस मामले में छानबीन करने का आदेश देंगे? दो वर्ष पूर्व गुजरात के तट से इन लोगों को उनकी नौकाओं सहित पकड़कर पाकिस्तान में बन्दी बना लिया गया था। हम दो वर्षों से अनुरोध कर रहे हैं परन्तु कुछ नहीं हुआ है। मेरे मित्र और गुजरात में सभी इस बारे में चिन्तित हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : सरकार को कोई वक्तव्य जरूर देना चाहिये। पाकिस्तान द्वारा बन्दी बनाए गए सभी मछुआरों का अता-पता नहीं है। यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जब जवाब देना होगा तो वे दे देंगे।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : माननीय गृह मंत्री को खड़े होकर कह देना चाहिये कि सरकार छानबीन कर रही है। वे ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, माननीय गृह मंत्री, वित्त मंत्री और सभा के नेता बिलकुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वे सिर्फ आपस में बातचीत कर रहे हैं।

[हिन्दी]

इतना गंभीर मामला है। फिशमैन को पाकिस्तान के लोगों ने पकड़कर रखा है। इसके बारे में आप कुछ नहीं करेंगे। ...**(व्यवधान)**

मध्याह्न 12.14 बजे

इस समय श्री गोपाल टंडेल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपा करके अपने स्थान पर जाइये। मैंने उनको उत्तर देने के लिये कह दिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी उत्तर देने वाले हैं। कृपा करके अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइये। आप अगर उत्तर चाहते हैं तो अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले अपने स्थान पर वापस जाइये तभी माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे। मंत्री उत्तर देने वाले हैं। कृपया अपने स्थान पर जाइये।

(व्यवधान)

मध्याह्न 12.15 बजे

इस समय श्री गोपाल टंडेल और कुछ माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आप अगर अपने-अपने स्थानों पर वापस नहीं जायेंगे तो मैं माननीय मंत्री को उत्तर देने की अनुमति नहीं दूंगा। कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइये।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : कांग्रेस ने दो साल तक काम नहीं किया, यह सरकार भी वैसा ही कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे जवाब देने जा रहे हैं।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : यह चिंता का विषय है। सरकार रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय से बात करके इसको देखेगी। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिये। माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौडगढ़) **:** मैं एक अलग मामला उठाना चाहता हूं। मैं आपसे और आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि सम्बद्ध मंत्रालयों से फैक्ट्स लेकर बताएंगे, लगता है आपने सुना नहीं, बगैर फैक्ट्स के वे क्या कहेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर) **:** कोई भी कारण बताने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मछुआरों को वापस लाने का प्रश्न है। हम जानना चाहते हैं कि 7 अक्तूबर, 1990 के पश्चात क्या कदम लिये गए हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : आप माननीय मंत्री जी से वक्तव्य देने के लिये सभा में उपस्थित रहने के लिये कहिये।

श्री गोपाल टंडेल : किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए ...**(व्यवधान)** यह कोई नई बात नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : मैं गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से जानकारी एकत्रित करके सभा पटल पर रख दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कह रहे हैं कि यह मामला गृह मंत्रालय से सम्बंधित है। इसलिये, रक्षा मंत्री बाद में उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

उन्होंने कहा है कि वे सम्बद्ध मंत्रालयों से फैक्ट्स लेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सत महाजन (कांगड़ा) **:** यह कोई उत्तर नहीं है। यह गलत है। सभा की गरिमा को इस प्रकार कम नहीं किया जाना चाहिये। माननीय गृह मंत्री उत्तर दे सकते हैं। उनको इस विषय पर वक्तव्य देना चाहये। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। माननीय मंत्री और क्या कह सकते हैं?

[हिन्दी]

वे कह रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित मामला है। गुप्त जी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहें।

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : होम मिनिस्टर दो साल पहले यहां बैठा नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो आप हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जो मामला यहां उठाया गया, इसके बारे में खबर लेनी पड़ेगी, फिर हम बयान देंगे। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री ने कह दिया है कि वे स्टेटमेंट देंगे, अब आप बैठ जाएं।

श्री जसवंत सिंह (चितौड़गढ़) **:** मैं आपसे तथा समस्त सभा से एक अनुरोध करना चाहता हूं। 3 दिसम्बर, 1971 को अर्थात 25 वर्ष पूर्व शाम को लगभग 5.30 बजे एक घटना प्रारम्भ हुई, जिसके परिणामस्वरूप न केवल बाद में एक स्वतन्त्र संप्रभुता सम्पन्न राज्य बंगलादेश का जन्म हुआ, बल्कि मेरे विचार से, और उनके विचार से जिन्हें इस घटना की याद है, यह घटना स्वतन्त्र भारत के इतिहास में सेना का एक अत्यंत उल्लेखनीय और गौरवशाली अध्याय है। आज एस घटना की 25वीं वर्षगांठ है। मैं 1971 के युद्ध का संदर्भ दे रहा हूं। कई महान भारतीयों ने पूर्वी तथा पश्चिमी, दोनों क्षेत्रों में अपने जीवन का बलिदान दिया था। कई महिनों तक लगभग 90000 पाकिस्तानी भारतीय भूमि पर कैदी रहे थे। इसके परिणामस्वरूप शिमला समझौता हुआ। मैं अब इस इतिहास में नहीं जाना चाहता। मैं आप से तथा समस्त सभा से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि स्वतन्त्र भारत की सेना की यह महान उपलब्धि का इसकी 25वीं वर्षगांठ पर उल्लेख नहीं किया जायेगा, तो निश्चित रूप से इस सभा की यह एक भूल होगी। इसलिए, यह मेरा आपसे अनुरोध है चाह आप किसी भी ढंग से इसे उचित पायें कि हम 1971 के नायकों को अवश्य याद करें, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया और जो जीवित हैं। यही मेरा आपसे अनुरोध है। यह आपको निर्णय करना है कि यह कैसे किया जाना है। यह निर्णय आपने करना है कि यह कैसे किया जाना है। ...**(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट (दौसा) **:** महोदय, उस दिन, सरकार इस बात से सहमत हुई थी कि प्रधानमंत्री उन सभी लोगों का जिला मुख्यालयों

पर एक सामूहिक समारोह आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्रियों को लिखेंगे, जिन्होंने उस युद्ध में भाग लिया था अथवा जो भूतपूर्व सैनिक हैं। यदि आपको स्मरण हो तो आप उस समय पीठासीन थे और श्री राम विलास पासवान यहां थे। प्रधानमंत्री थोड़ी देर से आये थे। लेकिन जब उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से वहां बुलाया तो उन्होंने कहा था कि वे सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखकर यह अनुरोध करेंगे अथवा कहेंगे कि वे जिला मुख्यालयों पर एक स्वागत समारोह का आयोजन करें ताकि भूतपूर्व सैनिक आकर जिला प्रशासन के साथ जल-पान करें। वे ऐसा उन लोगों की याद में करेंगे जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। अब, माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं। वह यह बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है अथवा नहीं। वह इसकी पुष्टि कर सकते हैं। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में जो मामला जसवंत सिंह जी ने उठाया है, मैंने उस बारे में कल स्पीकर महोदय से अनुरोध किया था और मैंने कहा था कि सदन की बैठक आरम्भ होते समय अगर वह इस घटना का उल्लेख करेंगे कि बहादुर जवानों ने किस तरह से बलिदान देकर अपने पड़ौसी देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया है, तो यह उन शहीदों के प्रति भी श्रद्धांजलि होगी और इससे जवानों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मैं नहीं जानता कि उसका क्या हुआ लेकिन इस सदन में इसके बारे में जरूर कुछ कहा जाना चाहिए और केवल एक मेम्बर द्वारा नहीं बल्कि सारे सदन के द्वारा कहा जाना चाहिए, मिलकर कहा जाना चाहिए।...**(व्यवधान)** आप यह कमी पूरी कर सकते हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, 16 दिसम्बर को इसका विजय दिवस है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : भारत का विरोध भी किया गया था। हमें याद करना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरीका बंगलादेश को सहायता करने के हमारे प्रयास में बाधा डालने का प्रयास कर रहा था। इसके साथ-साथ मेरे विचार से हमें पाकिस्तान के शासन से बंगलादेश की आजादी के 25 वें वर्ष को भी मानना चाहिए। हमें उसमें यह भी शामिल करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, जो युद्ध तीन तारीख को शुरू हुआ, वह 16 तारीख को विजय दिवस के रूप में बनाया गया था। 16 दिसम्बर को विजय हुई थी, इसलिए जो कमी रह गई है, यह सरकार भूल गई, राष्ट्र नायकों को भी बिल्कुल भूल गई तो कम से कम उस कमी को तो अगले 12 दिन में पूरा किया जा सकता है और 16 दिसम्बर को तो कोई एक ऐसा कार्यक्रम किया जा सकता है जहां हम उन भूले हुए राष्ट्र नायकों का सम्मान कर सकें। 16 दिसम्बर के लिए तो कोई कार्यक्रम नहीं है, सरकार बना सकती है। ...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, राजेश पायलट जी ने उस दिन इस सवाल को उठाया था लेकिन उस समय प्रधान मंत्री जी मौजूद नहीं थे। जब प्रधान मंत्री जी आए तो मैंने उनको बतलाया था कि इन मुद्दों को उठाया गया है और राजेश पायलट जी को उन्होंने बुलाया भी था और वह आए भी थे तथा उनको आश्वासन भी दिया था। अभी प्रधान मंत्री जी आते हैं तो मैं उनकी नॉलेज में इस बात को लाऊंगा। ...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : आज तक क्या हुआ?

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : आज मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में उपलब्ध हैं। मेरे विचार से माननीय मंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ इसे उठा सकते हैं। वह यह तुरन्त कर देंगे। सभी उनका सम्मान करते हैं। यह केवल केन्द्र सरकार अथवा गृह मंत्री की ओर से पहल का प्रश्न है।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद) : प्रधान मंत्री जी आश्वासन देते हैं या भूल जाते हैं? ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : केन्द्र सरकार की ओर से, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है। हम अवश्य ही उनसे अनुरोध करेंगे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री आई.डी. स्वामी (करनाल) : जो चिट्ठी का वादा किया था, वह चिट्ठी भी शायद मिनिस्टर साहब को नहीं दी है क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक हरियाणा के किसी जिले में भी यह इंफॉर्मेशन नहीं है। ...**(व्यवधान)**

लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : उपाध्यक्ष जी, सन् 1971 की लड़ाई में बंगलादेश में मुझ को सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि बंगलादेश की उस लड़ाई में मैं रहूं और 16 दिसम्बर को 92000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाकर हम यहां पर ले आए

थे। यह अद्वितीय घटना है कि 13 दिन में बंगलादेश को आजाद कर दिया गया और 92000 सैनिकों को पकड़कर हम हिन्दुस्तान में ले आए, ऐसी घटना भारतीय इहितास में आपको नहीं मिलेगी। इसलिए भव्य तरीके से संसद अपने को इससे जोड़े और 16 तारीख को या 17 तारीख को, जैसा भी आप लोग ठीक समझें, एक भव्य आयोजन होना चाहिए जिसके जरिए भारतीय जनता के पास यह संदेश पहुंचे कि हम जवानों के साथ हैं, हम उन बहादुर जवानों के साथ हैं जिन्होंने इतना सुन्दर काम करके हमारे देश का नाम रोशन किया है।

इसके साथ-साथ देश की जनता का भी मनोबल इस बात से बढ़ेगा। हम लोग यहां पर पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत के हर आदमी को इस सुन्दर ऐतिहासिक घटना से जोड़ना चाहिए और इसके लिए आप लोग कोई आयोजन तय करें।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : मुझे भी अपनी मातृभूमि की 1971 में रक्षा करने का विशेषाधिकार मिला था, मेरे सहयोगी श्री राजेश पायलट को भी यह विशेषाधिकार मिला था। फील्ड मार्शल करियप्पा, प्रथम मुख्य सेना अध्यक्ष ने कहा था " युद्ध के अवसर पर हम भगवान तथा सैनिक को याद करते हैं। जब युद्ध समाप्त हो जाता है, तो भगवान को भूल जाते हैं और सैनिक को छोड़ दिया जाता है।" यह मेजर सोमनाथ शर्मा का भी पचासवां वर्ष होगा जिन्होंने स्वतन्त्र भारत का प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त किया था। अतः, सरकार को इसे गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया था तथा जो मातृभूमि के लिए लड़े थे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे भी एक छोटा सा इंसीडेंट याद है। 1971 की वार (युद्ध) के बाद होली का त्यौहार आया। जो जख्मी फौजी थे, उनको मैं अम्बाला हास्पिटल में देखने के लिए चला गया। कुछ पैकेट्स जख्मी जवानों को दिए जा रहे थे। वहां मैंने एक जवान से पूछा—जवान, तुम्हें कहां चोट लगी है? उसने बड़े सख्त लहजे में कहा-मुझे कोई चोट नहीं लगी है। मैंने पूछा-क्या तकलीफ है, जवान? उसने कहा-मुझे कोई तकलीफ नहीं है। यह बात उसने बड़े सख्त लहजे में कही। मैंने कहा-फिर भी तुम हास्पिटल में हो, कुछ तो कारण है? वह मुझे जानता नहीं था। उसने कहा-बाबू, तुम देखना चाहते हो, तो यह लाल कम्बल उठाओ। मैं लाल कम्बल उठाता गया, मुझे कुछ नजर नहीं आया। जब नजर आया, तो यह नजर आया कि उसकी दोनों टांगें नहीं थीं। लेकिन उस जवान ने कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरी ये दोनों टांगें शक्करगढ़ के इलाके में कटी है। यह इलाका जम्मू के पास है। उसने कहा-वह शक्करगढ़ का इलाका आज हमारे पास है, इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है, दोनों टांगे जाने का। लेकिन कुछ दिनों के बाद वह सारा इलाका दे दिया गया। तब मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि उस जवान के मन पर क्या बीती होगी, जो कहता था कि मेरी टांगें जाया नहीं गई, शक्करगढ़ इलाका हमारे पास है।

मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, सदन के सैन्टीमैंट्स को ध्यान में रखते हुए, लीडर्स बैठे हैं, बी.ए.सी. की कमेटी बैठायें या जैसे भी तय करें, सैन्ट्रल हॉल या यहां, एप्रोप्रिएट फंग्शन मनाया जाए और उन शहीदों को याद किया जाए या जिन्होंने खून बहाया हैं, उनके लिए कुछ किया जाए।

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, कल प्रातः अम्बाला स्टेशन पर जो घटना हुई है, मैं उस दुखद घटना की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कल प्रातः दो या ढ़ाई बजे के बीच झेलम एक्सप्रैस, अम्बाला के बाद जम्मू की ओर जाने वाली थी, तब एक कोच में बम विस्फोट हुआ और फिर थोड़ी देर के बार एक और बम विस्फोट हुआ। सरकारी तौर पर बताया गया है कि 12 लोग मरे हैं और 30 लोग घायल हुए हैं, लेकिन हमने अपने साधनों से जो जानकारी प्राप्त की है, उसके हिसाब से जो लोग मरे हैं, उनकी संख्या 25 है और जो घायल हुए हैं, उनकी संख्या 50 से ज्यादा है। यह घटना जो हुई है, वह विस्फोटक आर.डी.एक्स की वजह से हुई है। एक रेलगाड़ी जो जम्मू जा रही थी, उसमें यह घटना हुई। यह इतनी गम्भीर घटना है और सरकार को स्वयं अपने तौर पर सदन में वक्तव्य देना चाहिए और यहां सदन में सब कुछ बताना चाहिए।

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : मैंने पहले ही माननीय अध्यक्ष महोदय को सुबह 10 बजे नोटिस दिया है कि मैं आज सदन में एक वयक्तव्य दूंगा।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मैं उसका स्वागत करता हूं और यह हमारे नोटिस में भी आना चाहिए। लेकिन मैं जो बात गम्भीरता से आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, वह यह है कि दो घटनाओं की चर्चा है- एक, आज यह खबर है कि पंजाब में एक भूतपूर्व एम.एल.ए. की हत्या कर दी गई है और दूसरा, अम्बाला में यह दुर्घटना हुई है। पंजाब की यह घटना इस बात की ओर संकेत कर रही है कि क्या फिर से कहीं कोई पुरानी बातें दोहराने का कोई वायुमण्डल तो नहीं बन रहा है?

क्या कोई आतंकवाद है या टेरेरिज्म के बारे में फिर से रिग्रुपिंग हो रही हैं। फिर से लोग किसी और षड्यंत्र पर आमादा हैं? इसके बारे में कोई जानकारी, कोई जांच और सरकार की तरफ से क्या कोई वक्तव्य है, यह पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जो लोग मरे हैं, जो घायल हुए हैं उनको जो मुआवंजा देना चाहिए वह तुरंत मिलना चाहिए और सरकार इसके बारे में अपना वक्तव्य देकर यह स्पष्टीकरण करे कि इसके पीछे कोई ऐसे सेबोटेज की आशंका है या

क्या कारण है, क्यों हुआ है। अब तक की जो जानकारी है उस पर सरकार को वक्तव्य देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर घटना है, बहुत दिनों के बाद फिर से हमारे मन में एक चिन्ता जागृत हो रही है और पूरे सदन को इस चिन्ता में सम्मिलित होना चाहिए कि अम्बाला में और पंजाब में फिर से जो घटनाएं घटी हैं यह कहीं फिर से पंजाब और इस क्षेत्र को पुरानी परिस्थिति में न ले जाएं। इस पर सरकार तत्काल कदम उठाए और अम्बाला की घटना के बारे में पूरी जानकारी वक्तय के द्वारा इस सदन को दें, यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : इसी विषय में दो सदस्यों के और नाम मेरे पास हैं। जिनके इसमें नाम हैं पहले मैं उनका नाम लेता हूं।

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दो विषय दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले केवल इसी पर बोलिए।

(व्यवधान)

श्री विजय गोयल : मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अमरनाथ यात्रा पर बोलूं क्योंकि कृष्ण लाल जी ने इस मामले को रखा है। ... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर आप बाद में बोल लीजिए।

श्री विजय गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, अम्बाला के पास जो घटना हुई उसको मैं इस वक्तव्य में जोड़ना चाहता हूं। जिस प्रकार से इंटेलीजेंस विभाग की जो रिपोर्ट आई थी कि इस प्रकार का हादसा दिसम्बर के पहले सप्ताह में हो सकता है उसके बावजूद सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए और आने वाले दिसम्बर में लुधियाना के पास पहले सप्ताह में इस हादसे की चेतावनी दी गई थी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस चेतावनी पर क्यों नहीं अमल किया गया? इसके अलावा जो भाजपा और अकाली दल की संयुक्त रैली हुई थी उसमें भी इस बात की इंटेलीजेंस विभाग ने खबर की थी कि वहां पर ये हादसे हो सकते हैं। उसके बारे में भी सरकार ने क्या किया? आज न केवल अम्बाला के अंदर बल्कि इससे पहले दिल्ली के अंदर और दूसरी जगहों पर भी जो विस्फोट हुए हैं, जिसके अंदर आज सरकार भी इस बात पर विचार कर रही है, दूसरी एजेंसीस की रिपोर्ट में आया है कि उसके अंदर आर.डी.एक्स. होने की भी पूरी उम्मीद हो सकती है, उस पर सरकार ने क्या किया है? मेरा मुख्य विषय यही है कि इंटेलीजेंस की रिपोर्ट आने के बाद सरकार इस बात पर वक्तव्य दे कि सुरक्षा के उपाय क्यों नहीं किए गए और आगे जान-माल की रक्षा के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

महोदय, मैं एक और बात की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक तरफ तो कुछ वी.आई.पीज के ऊपर एक-एक साल के अंदर एक-एक करोड़ रुपया सुरक्षा के नाम पर खर्च किया जा रहा है और दूसरी तरफ आम जनता के लिए सरकार कोई प्रबन्ध नहीं कर रही है, यह बहुत चिन्ता का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप इसी विषय पर बोलना चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, हां। यह जो घटना कल रात को घटी है। ...**(व्यवधान)** मिनिस्टर तो स्टेटमेंट देंगे। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

महोदय, यह अकेली घटना नहीं है। हाल ही में, पंजाब और हरियाणा में ऐसी कई घटनाएं घटित हुई हैं। जिनसे यह सिद्ध हुआ है कि उग्रवादी गतिविधियों में वृद्धि हो रही है। हम सदन में कई बार पंजाब समस्या के समाधान की मांग करते रहे हैं। इस संबंध में 'राजीव लोंगोवाल समझौता' भी हुआ था। लेकिन उस समझौते को क्रियान्वित नहीं किया गया है। पंजाब में एक निर्वाचित सरकार है। उन्हें पूरा केन्द्रीय हिस्सा प्रदान किया गया है और उन्हें इस समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। इस समझौते को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने पर्याप्त समय भी लिया, लेकिन पंजाब समस्या का समाधान नहीं हो पाया है और उसके कारण इन गतिविधियों में वृद्धि हो रही हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यह देखे कि पंजाब समस्या का समाधान किया जाये और राजीव-लोंगोंबाल समझोते को पूर्णतया क्रियान्वित किया जाये ताकि ये उग्रवादी गतिविधियां न हों।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कल मैं एक इन्सीडेंट देखकर आया हूं। बहुत सी चीजें तो प्रेस में आ गयी हैं। अगर वह ट्रेन 20 मिनट लेट नहीं होती तो यह ब्लास्ट पंजाब के इलाके में होता। इससे कुछ इंडीकेशन मिलता है कि यह पंजाब के लिए था। अगर वह ट्रेन मूव कर रही होती तो बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती थी। पता नहीं वह कहां होता, गांव में होता या कहीं और होता। अंबाला में तो डाक्टर आ गये, फायर-ब्रिगेड आ गयी, सहायता आ गयी। लेकिन अगर रास्ते में होता तो यह सब सहायता बहुत मुश्किल होती। माननीय रेल मंत्री तीन बजे अपना वक्तव्य देंगे। मैं चाहूंगा कि अम्बाला और दिल्ली रेलवे डिवीजन में स्क्रीनिंग सजगता से शुरू की जाए जो पंजाब और जम्मू-कश्मीर से रिलेटिड है। जैसे हवाई जहाज और ट्रेनों में अन-लिफ्टेड सामान के बारे में चेतावनी देते हैं, उसको शुरू किया जाए। जो कुछ उन्होंने कहना है वह तो कहना ही है।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान और सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित

करना चाहता हूं कि बिहार में फास्फेटिक और पोटाशियम खाद की भारी किल्लत है। कालाबाजार में जो डी.ए.पी. और दूसरी खाद बिक रही हैं उनकी जो उत्पादक कंपनियां हैं वे पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं पहुंचा रही हैं जिससे रबी की फसल को भारी नुकसान होने की संभावना है। जब बिहार सरकार के मंत्री से हमने इस बारे में बात की तो हमें जानकारी मिली कि राज्य सरकार को जो दाम तय करना था वह तो तय कर दिया है लेकिन जो उर्वरक कंपनियां हैं वह खाद नहीं पहुंचा रही हैं। इसका सीधा संबंध केन्द्र सरकार की नीति से है। इसलिए मैं इस बात को यहां उठा रहा हूं। जब से खाद का डी-कंट्रोल किया गया है तब से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। केन्द्र सरकार का नियंत्रण न तो खाद के वितरण पर है कि किस राज्य को कितना खाद दिया जाए और न ही दाम पर किसी प्रकार का नियंत्रण है। केन्द्र सरकार कहती है कि राज्य सरकारें अपने स्तर पर खाद की कंपनियों के साथ नैगोसिएट करें। यही कारण है कि किसी राज्य में खाद के कम दाम हैं तो किसी राज्य में उसके जयादा दाम हैं। अभी राजस्थान में 50 किला. डी.ए.पी. का दाम 475 रुपये तय किया गया है जबकि बिहार में इसका दाम 410 रुपये तय किया गया है जो स्थानीय टैक्सों को मिलाकर 435 रुपये होता है। इसलिए कंपनियां बिहार में उर्वरक नहीं भेज रही हैं। डी-कंट्रोल की जो पॉलिसी लागू की गयी थी उससे पहले खाद 190 रुपये प्रति बैग पर बिक रहा था ओर आज स्थिति यह है कि 500-500 रुपये प्रति बैग मुश्किल से उपलब्ध हो रहा है। खरीफ सांजन में भारत सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई और तीन हजार रुपये प्रति टन की सब्सिडी दी जिसका नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में 495 रुपये से घटकर 395 रुपये दाम हो गया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में दाम तय कर दिया 458 रुपये प्रति बोरी, जिसका नतीजा यह हुआ कि जो सब्सिडी केन्द्र सरकार की तरफ से दी गयी उसका कोई लाभ किसान को नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यह डी-कंट्रोल किसके फायेद के लिए किया गया है। केन्द्र सरकार कहती है कि सब्सिडी हमने किसानों की सुविधा के लिए बढ़ाई है लेकिन किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है और जो सब्सिडी से पहले खाद का दाम था वह वहीं पहुंच रहा है।

जबकि सरकार को अरबों रुपए की सब्सिडी देनी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में हम आपसे यह मांग करना चाहते हैं कि केन्द्र सरकार ने जो डी-कंट्रोल की पॉलिसी लागू की है, उस पर वह पुनर्विचार करे और सरकार खाद फैक्ट्री गेट पर या उसकी एजेंसी कम्पनियों के गेट पर चाहे वह इफ्को हो या दूसरी कोई हो, वहीं इसके दाम तय करे। खाद के दाम अलग-अलग राज्य सरकारें अलग-अलग तय करती हैं जिससे 1500 रुपए प्रति टन का अन्तर हो जाता है। राजस्थान और पांडिचेरी में खाद के दामों में 1500 रुपए प्रति टन का अन्तर है। जहां इसके कम दाम हैं, वहां वह पहुंच नहीं रही है। इससे रबी की फसल मारी जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी कृषि मंत्री रह चुके हैं, भले ही 13 दिन के लिए रहे हों। आपको इस समस्या की जानकारी होगी और आपको अपने इलाके से यह सब जानकारी मिल रही होगी। केन्द्र सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और इसके दाम फैक्ट्री गेट पर, राज्य सरकारों को नहीं, केन्द्र सरकार को निर्धारित करने चाहिए ताकि राज्यों की मांग के अनुसार उसकी आपूर्ति हो सके। पहले जिस प्रकार कृषि मंत्रालय की तरफ से एलोकेशन निर्धारित किया जाता था, उसी प्रकार का एलोकेशन फिर निर्धारित किया जाए तभी सभी राज्यों के साथ न्याय हो सकेगा। आज बिहार जैसे राज्य के साथ अन्याय हो रहा है हम चाहेंगे कि सरकार इसे गम्भीरता से ले और इस पर उचित निर्णय ले।

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) (बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में किसानों को खाद नहीं मिल रही है। वहां खाद की कमी को दूर करने के लिए सरकार को यहां कुछ करना चाहिए।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : यह एक ज्वलन्त समस्या है। इस पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए ...**(व्यवधान)**

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस पर कुछ कहेगी या नहीं?

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ने आपकी बात सुन ली है।

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : सदन की भावना को समझना चाहिए। तभी सदस्य इस पर अपनी चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ने आपकी बात सुन ली है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइएं। मंत्री जी इस पर कुछ कहने जा रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी को खुद मालूम नहीं था कि यह एलोकेशन डी-कंट्रोल के बाद हमारे हाथ से निकल गया है। इसलिए सवाल वह नहीं है। यह गम्भीर मामला है। हम सब आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप सरकार को निर्देश दें कि इस पर फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बात करें और वह इस बारे में एक कॉम्प्रीहैंसिव स्टेटमैंट लाए। मंत्री जी ऐसे ही खड़े होकर रिस्पौंड करेंगे तो बात नहीं बनेगी। इन्हें सारी बातों की जानकारी नहीं है।

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने खाद के अभाव और खाद की ब्लैक मार्किटिंग के बारे में जो चिन्ता जाहिर की है, हम उसके सम्बन्ध में सम्यक रूप से विचार करके ऐसी कोशिश करेंगे कि किसानों को समय पर, उचित दाम पर और पर्याप्त खाद मिल जाए जिससे रबी की खेती में कोई कमी न आए।

माननीय सदस्य श्री नीतीश कुमार जी ने सुझाव दिया है कि फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों बैठ कर इस पर विचार

करें जिससे किसानों को किसी हालत में कठिनाई न हो, खाद का अभाव न हो, खाद की ब्लैक मार्किटिंग न हो और खाद समय पर पहुंच जाए, सरकार इसको पूरा करने की कोशिश करेगी।

श्री आई.डी. स्वामी (करनाल) : उपाध्यक्ष महोदय, जो इस बारे में प्रतिक्रिया आई है, उसके बारे में मैंने डी.ओ. लैटर मंत्री महोदय को लिखा था। मुझे उसका यह जवाब आया कि आपका डी.ओ. लैटर चीफ मिनिस्टर को भेज दिया गया है। यह प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से मुझे पर्सनल तौर पर मिली है। मंत्री महोदय इस बारे में कितने चिंतित और सीरियस हैं, यह इस बात से पता चलता है।

श्री राजेश पायलट : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से प्रार्थना है। हो सकता है खाद की कमी न हो लेकिन कभी-कभी मार्किट में शोर मचता है। आज बाजार में गेहूं का आटा 10 रुपये किलो बिक रहा है। मैं कल मेरठ से एक शादी में से आ रहा था तो कई जगह पर पूछा तो शोर मचा हुआ था कि सरकार गेहूं बाहर भेज रही है। सारा गेहूं एक्पोर्ट हो गया और ट्रेडर्स ने कीमतें बढ़ा दी हैं। अगर सरकार सही वक्त पर बयान दे देती कि गेहूं की कमी नहीं है और हम स्टोर से रिलीज करेंगे तो ट्रेडर्स फायदा नहीं उठाते। जबकि यहां पर गेहूं की कोई कमी नहीं है और काफी अनाज भंडारण में हैं, कोई कमी नहीं है और अगर सरकार यह बयान दे दे कि एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और अगर कर रहे हैं तो ज्यादा नहीं कर रहे हैं। नहीं तो कीमतें बढ़ती रहेंगी। ऐसा ही विश्वास जनता में खाद के बारे में बना हुआ है।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, डी-कंट्रोल की पॉलिसी फॉल्टी है और इसलिये यह स्थिति उत्पन्न हुई है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। यह इन्हीं लोगों का किया हुआ है। श्री पायलट जी ने जो कहा है, वही इन्हीं लोगों का किया हुआ है। कांग्रेसियों ने डी-कंट्रोल किया, तभी यह स्थिति आयी है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री रूप चन्द पाल को बोलने के लिए कहा है।

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको पता है, पटसन उद्योग हमारे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है जो कई लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इस समय यह उद्योग अभूतपूर्व मांग मंदी, विशेषकर घरेलू बाजार में, से प्रभावित है। इस वर्ष नवम्बर से भारत सरकार बी ट्विल बैगों की कोई खरीददारी नहीं कर रही है।

दूसरी ओर, सीमेंट और उर्वरक उद्योग अनिवार्य आदेश का उल्लघंन जारी हैं। मेरा कहने का अर्थ भारत सरकार का संशोधित अनिवार्य आदेश, 1995 है।

महोदय, पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकेजिंग वस्तुओं का अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 जिसे संसद द्वारा निर्विरोध पारित किया गया था, उसका अनुपालन से अधिक उल्लंघन होता है, विशेषकर सीमेंट तथा उर्वरक उद्योगों द्वारा।

चीनी उद्योग भी कई अन्य कारणों से पटसन बैग नहीं खरीद रहा है। इन कारकों के परिणामस्वरूप पटसन उद्योग को कारोबार के अधिकारिक हिस्से की अत्यधिक हानि हो रही है विशेषकर घरेलू बाजार में। मैं इस सरकार का इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सीमेंट उद्योग निरन्तर सरकार के अनिवार्य आदेश का उल्लंघन कर रहा है।

विगत में भी कई बार सरकार का ध्यान इन उद्योगों द्वारा नियमों के उल्लंघन किए जाने की ओर आकृष्ट किया गया था। इस समय, हम यह कहते हैं कि भारत सरकार ने बी ट्विल बैग अपने नवम्बर लेखा से खरीदने बन्द कर दिए हैं जिससे पटसन उद्योग के समक्ष उत्पन्न मंदी की प्रक्रिया में योगदान ही किया है।

मैं चाहता हूं कि सरकार इस अत्यावश्यक तथा गंभीर मसले पर ध्यान दे ...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, पटसन को पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद समझा जाता है।

[हिन्दी]

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मण्डला) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मध्य प्रदेश के मंडला जिले में 337 गांवों में हैंड पम्प इसलिए बंद कर दिये गये हैं क्योंकि फ्लोराईड की शिकायत आयी है, इस ओर आपका और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पानी न मिलने से लोगों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस समस्या के समाधान के लिए क्या योजना बनायी गयी है। अभी तक इस कार्य के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से केन्द्रीय सरकार को एक योजना भेजी गयी है और यह 10 करोड़ रुपये की योजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन 337 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये कोई योजना बनाकर ग्रामीणों को राहत दी जाये। मैं इसके बारे में पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि ग्रामीणों को शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराया जाये और आज फिर से एक बार इस सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये निवेदन कर रहा हूं कि धनराशि उपलब्ध करायें ताकि पेय जल मिल सके।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में अपने हित की बात करना चाहता हूं। संसद सदस्यों के हित के लिए यह प्रश्न कोई नहीं उठाता है। सदस्य इसलिए प्रश्न नहीं उठाते कि कल समाचार-पत्रों में यह आएगा और मीडिया वाले इस

बात को कहेंगे और क्षेत्र की जनता हमको कहेगी कि इनको गरीबों की चिन्ता नहीं है। इनको अपने पेट की चिन्ता हो गई है और इन्होंने लोक सभा में अपने वेतन संबंधी बात को रखा। लेकिन मैं सच्चाई कहना चाहता हूं। 1500 रुपए वेतन है संसद सदस्यों का। लोक सभा में सदस्यों का जो प्रोटोकोल है 21वें नंबर पर है। उसके अंतर्गत हम भारत के नागरिक हैं और जब 21वें नंबर पर हम आते हैं तो हमारा वेतन सबसे नीचे के स्तर पर क्यों हैं? भ्रष्टाचार की यह मूल जड़ है। जब तक वेतन में संशोधन नहीं होगा और जरूरत के मुताबिक तथा संसद सदस्यों की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वेतन में वृद्धि नहीं होगी तब तक यह समस्या बनी रहेगी। इसलिए वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। हम क्षेत्र में जाते हैं। हमारे क्षेत्र की जनता हमारे पास आती है। कोई 1000 किलोमीटर से चलकर आता है और कोई 2000 किलोमीटर से चलकर आता है और उसको एक कप चाय भी हम नहीं पिला पाते। हमारे क्षेत्र में जो डी.एम. होते हैं, आई.ए.एस. अधिकारी होते हैं, उनको गाड़ी मुहैया रहती है, उनके पास पी.ए. रहता है और उनको स्टैनो मिलता है। इसके विपरीत जो देश की सर्वोच्च संस्था है, उसके सदस्य को न स्टैनो है, न गाड़ी की सुविधा है और न टाइपराइटर की सुविधा है। हम जांए तो कहां जाएं और किन समस्याओं को देखें? इन सारी चीजों को गंभीरतापूर्वक सोचा जाना चाहिए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हवाला घोटाला की बात यहां सदस्य करते हैं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. चन्दूमाजरा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र कुमार, कृपया बैठ जाइए। मैंने एक अन्य माननीय सदस्य का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : बोलने का क्या फायदा है? आपकी बात रेकार्ड पर नहीं जा रही है।

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री चन्दूमाजरा जी का नाम लिया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, क्या आप कृपया बैठेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पंजाब में धान के मूल्यों के ऊपर अन्य राज्यों के मुकाबले में बहुत ज्यादा डिसक्रिमिनेशन हुआ। 20 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य पिछले दो वर्षों में कम दिया गया और इस साल भी जहां कृषि मंत्री जी ने हाउस में विश्वास दिलाया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी विश्वास दिलाया कि पंजाब के किसानों के साथ डिसक्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन इस साल भी यह डिसक्रिमिनेशन हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने दो आइटम्स दी हुई हैं एक नियम 377 के अधीन चली गई है। अब "डिसक्रीमेशन अमेनस्ट पंजाब फामार्न आफ प्राइम पैड्डी"

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : मैं उसी मामले में बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सारे देश में धान की पी.आर.-186 क्वालिटी है, उसको सुपर फाइन माना जाता है। लेकिन पंजाब में उसको फाइन माना जाता है और मजे की बात यह है कि जो पी.आर.-106 का चावल है वह जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो वह सुपर फाइन माना जाता है। मेरे लिखित प्रश्न का जवाब खाद्य मंत्री जी ने दिया, उन्होंने 27 तारीख को माना कि पी.आर. 106 सुपर फाइन क्वालिटी में मानी जाती है। उन्होंने जवाब दिया कि पंजाब में माइस्चर ज्यादा है, जब कि हरियाणा के साथ हमारे खेत लगते हैं यह आप भी जानते हैं और हरियाणा में उसको सुपर फाइन माना गया, पंजाब में उसको फाइन माना गया और 20 रुपये प्रति क्विंटल कम देकर 40 करोड़ रुपये इस साल और 40 करोड़ रुपये पिछले साल और 40 करोड़ रुपये उससे

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पिछले साल कम दिये गये। इस प्रकार पंजाब के किसानों को लूटा गया। हम चाहते हैं कि पंजाब के किसानों को बोनस दिया जाए। कृषि मंत्री जी ने जो पिछले सेशन में विश्वास दिलाया था कि अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, पूरे पैसे मिलेंगे, उसको पूरा नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा था वह भी पूरा नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बोनस देने के लिए तैयार है। ऐसा ही गेहूं के मामले में पंजाब के किसानों को 380 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दिया गया और आज वहीं गेहूं आठ सौ, नौ सौ रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिक रहा है। ऐसा ही कपास के मामले में किया जाता है। 15 सौ रुपये प्रति क्विंटल से अधिक भाव पंजाब के किसानों को कपास का नहीं दिया जाता है। यहां पर खाद्य मंत्री जी ने झूठा आंकड़ा दिया। वहां किसान आज धरना मारकर नरमा कपास का मूल्य लेने के लिए बैठे हैं। उसके लिए भी सरकार कुछ नहीं करना चाहती। मेरा सरकार से निवेदन है कि पंजाब के किसानों से ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो किसान सैंट्रल पूल में 70 परसैंट खाद्य देता है, गेहूं, चावल देता है, उसको एनकरेज करना चाहिए लेकिन उसको डिसकरेज किया जाता है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उनको बोनस देने के लिए तैयार है?

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न उठाना चाहता हूं। गत कई दिनों से इस राष्ट्र में यह चर्चा चल रही थी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को सुपरसीड किया जायेगा। लेकिन एक टी.वी. चैनल के ऊपर हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने यह स्टेटमैंट दिया कि सुपरसैशन नहीं होगा और जस्टिस जे.एस. वर्मा को मुख्य न्यायाधीश श्री अहमदी के रिटायर होने के तुरंत बाद बना दिया जायेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्टेटमैंट सदन में दिया जाना चाहिए क्योंकि इस समय सदन चल रहा है और यह एक नीतिगत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे भारत की जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित हो रहा है तो मैं लॉ मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि वह सदन में इस बात को स्पष्ट कर दें कि जो प्राइवेट चैनल पर कहा कि जैसे ही वर्तमान न्यायाधीश जस्टिस अहमदी रिटायर होंगे वैसे ही उनसे दूसरे जो वरयता के अंदर सबसे श्रेष्ठ हैं, जस्टिस जे.एल. वर्मा को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की घोषणा कर दी जायेगी, क्योंकि पहले ही ऐसा होता रहा है कि जब-जब मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए समय आया, उसके पहले ही एक आर्डर जारी कर दिया गया है ताकि इसके बारे में सब प्रकार का स्पेकुलेशन समाप्त हो जाए। मैं इसके लिए लॉ मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक प्राइवेट टी.वी. चैनल पर इसका स्पष्टीकरण कर दिया है। लेकिन मैं यह चाहूंगा कि इसको औथंटीकेट करने के लिए क्या उन्होंने प्राइवेट टी. वी. चैनल पर यह स्पष्टीकरण किया है और क्या जस्टिस जे.एस. वर्मा को मुख्य न्यायाधीश बनाया जायेगा, ऐसा सरकार का निर्णय हो गया है?

अपराह्न 1.00 बजे

मैं चाहता हूं कि वही वक्तव्य उन्हें सदन में भी देना चाहिए ताकि सभी प्रकार की शंकाएं समाप्त हो सकें। इससे न्यायपालिका में पूर्ण इंडीपैन्डैंस के साथ कार्य होगा और भारत की 90 करोड़ जनता को भी विश्वास मिलेगा। मैं चाहता हूं कि लॉ मिनिस्टर इसी समय सदन में टी.वी. चैनल पर दिए स्टेटमैंट को दोहरा दें, स्पष्टीकरण कर दें, औथेन्टिक कर दें। यदि वे ऐसा करते हैं तो मैं उन्हें बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। लॉ मिनिस्टर सदन में मौजूद हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु है और उन्हें सारे भारत के लिए इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री संतोष मोहन देव।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : यदि मंत्री जी ऐसा नहीं कहते हैं तो इसके विरोध में हमें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड प्रोप्राइटी का विषय लाना पड़ेगा। उन्हें यहां स्पष्टीकरण देना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

जस्टिस गुमान मल लोढा : उनका वक्तव्य अखबारों में आ चुका है, जो उन्होंने टी.वी. चैनल पर दिया था ...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : जब सदन चल रहा है तो कम से कम उन्हें यहां स्पष्टीकरण देना चाहिए अन्यथा सदन के बाहर इस प्रकार का स्टेटमेंट देना, सदन को अंधेरे में रखना, यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह कोई नीति संबंधी वक्तव्य नहीं है । ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने की अनुमति प्रदान कीजिए। अब श्री संतोष मोहन देव।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : फिर सभी कुछ सदन के पास आयेगा। ...**(व्यवधान)** उसकी भी सदन में घोषणा की जायेगी। यह नीतिगत निर्णय नहीं है।

जस्टिस गुमान मल लोढा : माननीय विधि मंत्री यहां हैं। समस्त देश यह जानना चाहता है कि क्या वे इसकी पुष्टि करते हैं अथवा नहीं। उन्होंने यह एक निजी चैनल पर दिया है। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया श्री संतोष मोहन देव को बोलने दीजिए। मैंने पहले ही उनको बुलाया है।

जस्टिस गुमान मल लोढा : मेरा प्रश्न यह है।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (उधमपुर) : जब सदन चल रहा है तो क्या इम्पोर्टेंट विषय के बारे में सदन के बाहर स्टेटमैंट दी जानी चाहिए या सदन में पहले स्टेटमैंट देनी चाहिए, हम इस बारे में आपकी रूलिंग चाहते हैं ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यू पाइंट आ गया, अब आप बैठिए।

[अनुवाद]

जस्टिस गुमान मल लोढा : भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा प्रधानमंत्री की बैठक हुई थी ...**(व्यवधान)** अनुमान तथा संदेह किए गए है। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए। लोढा जी आप बैठिए।

जस्टिस गुमान मल लोढा : यदि वह कुछ नहीं बोलते हैं, तो इससे गलत संकेत मिलता है कि उन्होंने जो कुछ टी.वी. चैनल पर कहा है, वह प्रामाणिक नहीं है ...**(व्यवधान)** आप सदन के संरक्षक हैं।

श्री अब्दुल रहमान अंतुले (कुलाबा) : महोदय, विनम्रता पूर्वक, मुझे संसदीय प्रक्रिया तथा व्यवहार का जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, उससे मैं विश्वास करता हूं और मैं इससे सहमत हूं और इसलिए यह कह सकता हूं और कहता हूं कि यदि मंत्री जो कहता है वह उसके विपरीत है जो माननीय मंत्री ने कहा बताया गया है, तो इसे फिर केवल एक नीति वक्तव्य ही समझा गया होता। लेकिन जो कुछ क्रियान्वयन के द्वारा जारी है वह नीतिगत मामला नहीं है।

माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है, वह स्पष्ट है। यह व्यवहार रहा है। यह दशकों से चल रहा है अर्थात मुख्य न्यायधीश के रूप में वरिष्ठतम न्यायधीश की नियुक्ति। हमें याद होगा कि जब प्रतिस्थापन हुआ था और वरिष्ठतम न्यायधीश की नियुक्ति नहीं करके न्यायाधीश रे की नियुक्ति की गई थी, तो वह व्यवहार अथवा नीति से हटकार किया गया था; और इस तरह यह परिवर्तन था। जब ऐसा हुआ था तो बहुत शोर मचाया गया था। काफी शोर किया गया था। इसलिए, माननीय मंत्री ने अब जो कुछ कहा है, वह नीतिगत मामला बिल्कुल नहीं है। जब सदन का सत्र चल रहा हो, तो सदन के बाहर नीति संबंधी वक्तव्य देना विशेषाधिकार हनन हो सकता है। लेकिन यह वक्तव्य नीति संबंधी वक्तव्य नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : उपाध्यक्ष महोदय, 29 नवम्बर, 1996 को पूर्वाह्न 5.00 बजे नालबरी जिले के उलेबारी गांव में बिजुली घाट नामक स्थान पर दो विस्फोट हुए थे। असम रिफाइनरी से बोंगाईगांव तथा बरौनी तक जाने वाली 1400 कि.मी. पाइप लाइन उखड़ गई थी।

'उल्फा' आंतकवादियों ने इसके लिये जिम्मेदारी स्वीकार की है। उन्होंने यह भी बताया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। इसी दिन असम में सेना द्वारा पहली बार 'उल्फा' के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी।

उनका कहना है कि ऐसा उन्होंने भारत सरकार द्वारा किए जा रहे राज्य के संसाधनों का गलत ढंग से दोहन करने के विरोध में किया है। 'इंडियन आयल' और 'ऑयल इंडिया' के सशस्त्र बल केन्द्र और राज्य सरकार की सशस्त्र टुकड़ियों के साथ-साथ 1400 किलोमीटर लम्बी तेल पाईपलाइन के इस भाग की सुरक्षा करते हैं। मैं यहां किसी के भी ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहता। कई माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है कि पंजाब में आतंकवाद की घटनाओं की तरह की घटनाएं देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल रही हैं और वे लोग कानून और व्यवस्था की समस्या खड़ी करना चाहते हैं। लोगों में आतंक फैलाना चाहते हैं।

तेल शोधक कारखाने की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाना अति खतरनाक है। गुवाहाटी में भारत सरकार के प्रवक्ता के अनुसार कल तक विस्फोट और आग के कारण 20 करोड़ रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हो चुका था। इसके अलावा, वे यह भी कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार के अन्य प्रतिष्ठानों को भी उड़ा दिया जायेगा। सभा में, अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारणा) अधिनियम, आई.एम.डी.टी. अधिनियम के ऊपर चर्चा के दौरान मैंने कहा था कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। मैं सभा में उपस्थित माननीय गृह मंत्री और सभा के नेता से अनुरोध करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को यहां बुलाकर उनके साथ इन दुर्घटनाओं की पुनरावृति को रोकने संबंधी निश्चित उपायों पर विचार करें। अगर आंतकवादी ऐसी घटनाओं के पश्चात भी पकड़े नहीं जाते हैं तो अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं जैसे रेल यातायात में बाधा पड़ना आदि। वर्तमान सरकार के गठन के तश्चात रेल यातायात अवरूद्ध होने की कोई घटना नहीं हुई है। परन्तु आज के समाचारों के अनुसार वे रेल यातायात में बाधा पहुंचाने की योजना बना रहे हैं।

असम के मुख्यमंत्री ने समाचार पत्रों के सम्पादकों की एक बैठक में उनसे सहयोग करने का अनुरोध किया था। तत्पश्चात, सम्पादकों ने अपने सम्पादकीयों में असम सरकार की कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में गैर-जिम्मेदाराना रवैये की निन्दा की थी। उनका कहना था कि लगातार प्रदर्शनों के कारण असम राज्य पहले ही लगभग 30 वर्ष पीछे धकेला जा चुका है। उन्होंने 'उल्फा' आतकंवादियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी भारत-विरोधी गतिविधियों को छोड़ दें। माननीय प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के दौरे के दौरान युवकों से अनुरोध किया था कि वे बातचीत के लिये आगे आएं और बिना किसी पूर्व शर्त के अपनी मांगों पर विचार-विमर्श करें। उनको यह स्वीकार कर लेना चाहिये। मैं सभा में उपस्थित माननीय गृह मंत्री और सभा के नेता

से अनुरोध करना चाहता हूं कि पाइपलाइन को पुनः चालू करने के कार्य को तत्काल आरम्भ किया जाए और ऐसी घटनाओं की पुनवृत्ति को रोकने के लिये सम्पूर्ण पूर्वोत्तोर क्षेत्र में प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के समुचित उपाए किये जाएं। इसके साथ-साथ सभी खामियों को भी समाप्त किया जाना चाहिये। मैं यह निवेदन माननीय प्रधान मंत्री, श्री राम विलास पासवान जी और श्री इन्द्रजीत गुप्त जी से करना चाहता हूं।

मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि माननीय गृह मंत्री ने कुछ कार्यवाही की है। परन्तु, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस पर आगे कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने स्वयं आज एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा है कि अर्ध सैनिक बलों की कमी है। मेरे विचार में बजाए इसके कि सभी स्थानों पर भारत सरकार अपने बलों को तैनात करे 'आयल इंडिया' के स्वयं के सुरक्षा तंत्र का प्रस्ताव काफी अच्छा है। उनको पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करनी चाहिये। मैं उनके विचारों से पूर्णतः सहमत हूं कि 'आयल इंडिया लिमिटेड' को चाय बागानों की तरह स्वयं की सुरक्षा व्यवस्था बनानी चाहिये। वर्तमान में चाय बागानों में इस प्रकार की घटनाएं काफी कम हो रही हैं। इसका कारण यह है कि चाय बागानों को केन्द्र सरकार ने सुरक्षा प्रदान की हुई है। इसलिये, मैं उनसे इस सम्बंध में तत्काल कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री जी, क्या आप इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता और विचारों से सहमत हूं। यह किसी राज्य विशेष का मामला नहीं है। इन लोगों के कार्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये खतरा हैं। हम 'आयल इंडिया' तथा असम सरकार से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुये हैं। हम सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.10 बजे तक के लिये स्थगित होती है।

अपराह्न 1.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये अपराह्न 2.10 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अपराह्न 2.17 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.17 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले उठाए जाएंगे।

अपराह्न 2.17 $^{1}/_{2}$ बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) कार-निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में और अधिक भूमि का अधिग्रहण करने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : उपाध्यक्ष महोदय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दो प्रशासनिक जिले-अंडमान और निकोबार-हैं। निकोबार जिले में निकोबारी आदिवासी रहते हैं जोकि शान्ति प्रिय और अनुशासित लोग हैं। निकोबार जिले का मुख्यालय कार-निकोबार है जिसका क्षेत्रफल काफी कम है और वहां पर आदिवासी लोग काफी अधिक रहते हैं। समय-समय पर कार-निकोबार से इन परिवारों को लिटिल अंडमान में बसाने की मांग की जाती रही है और लगभग 300 परिवारों को लिटिल अंडमान में बसाया भी जा चुका है। निकोबारी आदिवासियों की आजीविका नारियल की खेती पर निर्भर है और वे बागवानी पर जीवित रहते है। दुर्भाग्यवश, बार-बार अनुरोध करने पर भी सरकार ने निकोबारी लोगों को, जो कि पहले ही कार-निकोबार से ले जाकर लिटिल अंडमान में बसाए जा चुके हैं, वायदे के अनुसार भूमि का कोटा आवंटित नहीं किया है। समय-समय पर सरकार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कार-निकोबार में भूमि का अधिग्रहण करती रहती है और अब भविष्य के लिये अन्य प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहण हेतु नहीं बची है। वायु सेना ने कार-निकोबार में हवाई-पट्टी के लिये काफी अधिक भूमि अधिग्रहीत की है। आदिवासी क्षेत्रों में गैर-आदिवासी लोग भी अधिग्रहीत भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। मुझे जनजातीय नेताओं ने सूचित किया है कि वायु सेना और अधिक भूमि के अधिग्रहण हेतु दबाव डाल रहे है जिससे शान्ति प्रिय छोटे द्वीप में गम्भीर स्थिति पैदा हो जाएगी।

इसलिये, मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे देश के छोटे द्वीपों की समस्याओं विशेषतः निकोबारी आदिवासियों की तरफ ध्यान दिया जाए और सम्बद्ध विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करें कि वे निकोबार जिले के आदिवासियों के लिये गम्भीर, उत्तेजनात्मक स्थिति पैदा न होने दें।

(दो) देवगढ़ के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर एक बाई-पास तथा उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-23 के निर्माण कार्य को पूरा करने को नौवीं योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में देवगढ़ के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-6 पर एक बाई-पास का

निर्माण किये जाने और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-23 के शेष बचे हुए निर्माण कार्य को पूरा किये जाने की तत्काल आवश्यकता है। ये दोनों परियोजनाएं पहले ही काफी विलम्ब से चल रही हैं। इसलिये, इनको प्राथमिकता के आधार पर तत्काल पूरा करने के लिये नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाना चाहिये।

मैं केन्द्र सरकार से इस हेतु कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(तीन) बिहार में बरूण सोन नगर जी.टी. रोड पर सोननगर बरवा डीह रेलवे क्रासिंग पर एक ऊपरि पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : महोदय, राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-2 जिसे शेरशाह सूरी पथ कहा जाता है, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण पथ है, पर औरंगाबाद एवं डिहरी के बीच माह में लगभग पन्द्रह दिन सड़क यातायात ठप्प हो जाता है। यातायात ठप्प होने से लाखें की क्षति होती है, बीमारों को मौत का मुह देखना पड़ता है, यात्रियों और चालकों को समय बरबादी के अलावा भूखे-प्यासे रहना पड़ता है। कभी-कभी तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि गाड़ियों की लम्बी कतार सोन नगर जी.टी. रोड रेलवे क्रासिंग के दोनों तरफ पचास-पचास किलोमीटर तक लग जाती है और यह लम्बी कतार दो-तीन दिन तक जस की तस बनी रहती है।

यह यातायात इसलिए ठप्प होता है क्योंकि सोन नगर जी.टी. रोड़ रेलवे क्रासिंग पर लगातार रेलगाड़ियां चलती है और क्रासिंग का फाटक प्रायः बंद रहता है। इतने व्यस्त सड़क पर फाटक बंद होने से रेलवे क्रासिंग का दोनों तरफ कुछ ही देर में गाड़ियों की लम्बी कतार लग जाती है और इस तरह सड़क जाम हो जाता है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि सोन नगर-बरवा डीह रेलवे लाइन (पूर्व रेलवे) क्रासिंग पर बारून सोन नगर जी.टी. रोड पर ओवर ब्रिज बनाया जाये अन्यथा बारूत-नवीनगर-अम्बा रोड को राष्ट्रीय उच्च पथ में शामिल कर सड़क का दोहरीकरण किया जाये।

[अनुवाद]

(चार) महाराष्ट्र को गेहूं और अन्य खाद्यानों का बढ़ा हुआ कोटा जारी किये जाने की आवश्यकता

श्री नारायण अठावले (मुम्बई उत्तर मध्य) : पिछले माह गेहूं की कीमतों में अचानक वृद्धि के कारण महराष्ट्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लगभग 30 प्रतिशत अधिक गेहूं की बिक्री हुई है क्योंकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों पर गेहूं और अन्य खाद्यान्नों की कीमतों में अचानक वृद्धि के कारण विपरीत प्रभाव पड़ा है।

इसलिये, महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से महाराष्ट्र को गेहूं और अन्य खाद्यान्नों को अधिक कोटा जारी करने का अनुरोध किया है ताकि शहरी और ग्रामीण गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

इस मामले के सार्वजनिक महत्व को देखते हुए मैं माननीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र को गेहूं का अधिक कोटा जारी किया जाए ताकि इस कठिनाई से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

(पांच) उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की कोल-मयैया जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री रामसजीवन (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का बांदा जिला मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ है। बांदा जिला में रहने वाली कोल-मयैया जातियों की जनसंख्या कई हजार है। ये लोग वनों-पहाड़ों की दूर-दूर बस्तियों में रहते हैं और वनवासी-आदिवासी कहलाते हैं। इनकी शैक्षणिक, सामाजिक तथा आर्थिक हालत बहुत खराब हैं। ये लोग अत्यन्त गरीबी, शोषण, उत्पीड़न, कुपोषण के शिकार हैं तथा प्रत्येक मापदंड से अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं परन्तु इन्हें केन्द्र सरकार की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया जिस कारण ये जातियां सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं।

बांदा जिला को छोड़ कर मध्य प्रदेश सहित सम्पूर्ण भारत में इन जातियों की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करके सुविधाएं दी जा रही हैं। बांदा जिला की इन जातियों की रिश्तेदारियां मध्य प्रदेश तक फैली हैं और दोनों प्रदेशों में इन जातियों की शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक हालत एक समान खराब है। ऐसी स्थिति में बांदा जिला की इन जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल न किया जाना न्यायसंगत नहीं है। इसी कारण इन जातियों में घोर निराशा, रोष व असन्तोष व्याप्त है।

अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इन जातियों को केन्द्र सरकार की अनुसूचित जनजाति की सूची में शीघ्र शामिल करने की घोषणा की जाये।

(छह) उत्तर प्रदेश के जलेसर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

प्रो. ओमपाल सिंह "निडर" (जलेसर) : मेरे संसदीय क्षेत्र जलेसर, उ.प्र. जिसका निर्माण 4 जिलों फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, एटा से मिल कर हुआ है। यह संसदीय क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है, यहां पर सम्पर्क मार्गों का नितांत अभाव है। हजारों गांव आज भी ऐसे हैं, जहां पर किसी प्रकार का कोई सही सम्पर्क मार्ग नहीं है। सैकड़ों गांव आज भी ऐसे हैं कि वर्षा के समय जिनका सम्पर्क कई-कई महीनों तक नजदीकी गांवों तथा बाजारों से नहीं हो पाता है।

अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जलेसर संसदीय क्षेत्र में विशेष ध्यान देते हुए अविलम्ब सम्पर्क मार्गों एंव सड़कों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करने के आदेश पारित करें।

(सात) मेरठ, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : मेरठ में पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को सुलभ एवं सस्ता न्याय दिलाने हेतु 1980 में तत्कालीन बनारसीदास जी की सरकार तथा इससे पूर्व श्री नरायण दत्त तिवारी एवं श्री सम्पूर्णानन्द सरकार ने मेरठ में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार की संस्तुति की थी। इसके बाद 4.9.1991 को गठित श्री जसवंत सिंह आयोग ने अप्रैल 1985 में अपनी रिपोर्ट में पश्चिम उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की आवश्यकता बताई थी। राज्य सभा में 21.7.86 में तत्कालीन न्यायमंत्रियों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में खंडपीठ देने की बात सिद्धांत रूप में स्वीकार की थी।

पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ एक केन्द्रीय स्थल है। आगरा, मुरादाबाद, गढ़वाल और कुमायूं इन चारों मंडलों की दूरी मेरठ से लगभग बराबर है और महाभारत काल तथा स्वतंत्रता संग्राम के समय से मेरठ की एक ऐतिहासिक पहचान है।

अतः मैं केन्द्र सरकार के अनुरोध करता हूं कि मेरठ में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

(आठ) देश में अल्पसंख्यकों को आरक्षण की सुविधा दिए जाने की आवश्यकता

श्री जी.एम. बनातवाला (पूनानी) : अल्प-संख्यकों के लिये सेवाओं, शिक्षा, संसद, विधान मंडलों और स्थानीय निकायों में आरक्षण को लागू किये जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में अल्प-संख्यकों विशेषतः मुसलमानों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिये गठित उच्च स्तरीय 'पैनल' द्वारा प्रस्तुत आंकड़े भी अल्प-संख्यकों के लिये आरक्षण के मामले को बल देते हैं। ऐसा करने से ही साम्यमूलक समाज के निर्माण हेतु सामाजिक न्याय की नीति को लागू किया जा सकता है।

मैं सरकार से इस हेतु बिना विलम्ब आवश्यक कदम उठाए जाने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 2.29 बजे

आय-कर (संशोधन) विधेयक, 1996*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 15 और 16 पर एक साथ विचार करेगी। प्रो. रासा सिंह रावत।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह भारतीय आयकर नियम के अन्तर्गत अध्यादेश जारी किया गया है। यह बहुत ही मानवीय और राष्ट्रीय आपदा के संबंध में किया गया है। यह तो बहुत शीघ्र ही आ जाना चाहिए। इसलिए मैं इस सांविधिक संकल्प का निरनुमोदन करने वाले प्रस्ताव को परिचालित नहीं करना चाहता, क्योंकि यही हमारी पार्टी की भी नीति है। आंध्र प्रदेश के तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए जो यह प्रावदान किया गया है यह राष्ट्रीय आवश्यकता है और अविलम्ब उनको यह सहायता पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए मैं इसका निरनुमोदन नहीं करना चाहता हूं। बाद में बोलने के लिए अवसर देंगे तो बोलूंगा।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश** करता हूं :

> "कि आय-कर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

6-11-1996 की रात्रि में आन्ध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में आए भयंकर समुद्री तुफान के कारण काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी और काफी सम्पत्ति का नुकसान हो गया था। तूफान पीड़ितों की सहायतार्थ संसाधन को जुटाने के लिये एक विशेष निधि, जिसका नाम आन्ध्र प्रदेश में मुख्य मंत्री तूफान राहत कोष, 1996 है, गठित की गई थी ताकि लोगों और संस्थाओं से नकद और 'चैक' के रूप में अनुदान प्राप्त किया जा सके।

भारत सरकार ने 14-11-1996 को एक अध्यादेश जारी करके इस निधि के लिये प्राप्त सभी अनुदानों को आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन करके आयकर अधिनियम की धारा 80 (छ) के तहत पूरी तरह कर-मुक्त कर दिया है। हमने यह उपाय आपदा के समय में आन्ध्र प्रदेश की सरकार और लोगों के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के उदेश्य से किया है।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड 2 दिनांक 3.12.1996 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अब मैं आयकर (संशोधन) विधेयक, 1996 को अध्यादेश का स्थान लेने के लिये पुरःस्थापित कर रहा हूं। संसद द्वारा इस विधेयक के पारित कर दिये जाने के पश्चात् आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 छ संशोधित कर दी जायेगी ताकि आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के तूफान राहत कोष, 1996 में दिये गए सभी अनुदानों को कुल आय की गणना के वक्त पूर्णतः कर-मुक्त किया जा सके।

महोदय, मैं आशा करता हूं कि आन्ध्र प्रदेश के तूफान पीड़ितों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास हेतु बड़ी संख्या में उदार भारतीय और अन्य अनुदान राशि देंगे। मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाले अपने सांविधिक संकल्प को वापस ले लिया है।

दो दिन तक सभा में आन्ध्र प्रदेश की तूफान की स्थिति पर चर्चा हुई थी। मैं माननीय सदस्यों से बिना चर्चा किये विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं। मेरे विचार से इस पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिनियम में वर्तमान संशोधन सिर्फ आपदा की गम्भीरता को देखते हुये किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : हम सभी समर्थन करते हैं।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : इस पर डिसकशन की क्या जरूरत है?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी ऐसा महसूस करता हूं लेकिन फॉरमैलिटी तो पूरी करनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अन्य माननीय सदस्यों से भी पूछना चाहता हूं जिनके नाम सूची में हैं। श्री दाऊ दयाल जोशी-उपस्थित नहीं, श्री गिरधारी लाल भार्गव - उपस्थिति नहीं, और श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय - उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फस्ट स्पीकर हूं। मेरी पार्टी की तरफ से मुझे पहले बोलने का मौका मिलना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री जी ने कहा है कि इसे बिना डिसकशन पास कर दिया जाए। अगर इस पर बोलना ही है तो पहले उन्हें चांस मिलेगा।

(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत : आयकर कानून में संशोधन हो ही रहा है तो मैं इस पर अपनी बात कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : कृपया मेरी बात सुनें। मुझे लोक लेखा समिति की बैठक में जाना है। डा. जोशी यहां होंगे। मुझे बैठक की अध्यक्षता करनी है। मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे अभी एक मिनट बोलने दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, हम सभी इसका समर्थन करते हैं। हमने इसका एक अध्यादेश के रूप में भी समर्थन किया है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं वित्त मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, कि विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम ऐसे अनेक राहत कोष हैं। अच्छा होता यदि आप प्रधान मंत्री राहत कोष के साथ ही ऐसे सभी कोषों को भी कर-मुक्त कर देते। यह एक सुझाव है जिसे मैं उनके समक्ष रख रहा हूं। राज्यों के प्रत्येक मुख्यमंत्री के नाम एक राहत कोष है। उन्होंने न्यासों आदि की तरह अच्छे कार्यों के लिए पैसा खर्च किया है। अतः आगामी विधेयक में उन्हें सभी मुख्यमंत्री राहत कोषों को कर-मुक्त करने दीजिए।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक आयकर संशोधन विधेयक 1996 का प्रश्न है, इसके अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश के तूफान पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा प्रारम्भ किए गए तूफान पीड़ित राहत कोष में जो दानदाता, संस्था या निगम अपनी राशि प्रदान करता है, उसमें राहत प्रदान करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो कानून बनाया गया है, मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह एक बहुत अच्छा कदम है।

6 नवम्बर को जो घटना हुई, यह केवल आन्ध्र पद्रश की नहीं अपितु राष्ट्रीय विपदा है, राष्ट्रीय आपदा है। मैं ऐसा समझता हूं कि प्रत्येक राज्य को और राष्ट्र के प्रत्येक वर्ग को जो साधन सम्पन्न या समृद्ध हैं, पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। ऐसे मानवीय कार्यों के लिए वित्त मंत्री जी भी बधाई के पात्र हैं। वहां आपने 80-जी के अंतर्गत रियायत देने का प्रावधान किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा राशि आ सके। जैसा कि श्री निर्मल कान्ति जी ने कहा देश के

अन्य राज्यों में आपदा कोष खुले हुये हैं। उड़ीसा में घोर अकाल पड़ा है, अन्य राज्यों के अन्तर्गत समय-समय पर प्राकृतिक आपदा या अकाल की स्थिति या विभीषिका आ जाती है जिसमें स्वयं सेवी संस्थायें मानवीय कल्याण के कार्यों में लगी रहती हैं तो ऐसी स्थायी व्यवस्था आयकर कानून में ऐसी होनी चाहिये तथा स्वतः ही उनको रियायत का प्रावधान इसके अन्तर्गत हो जाये और आपको इस प्रकार के अध्यादेश लागू करने की आवश्यकता नहीं पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संदर्भ में दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। भारतवर्ष में आयकर कानून बना हुआ है जो 1961 का है और आप 1996 में एक संशोधन लाये हैं। तब से लेकर आज तक देश के अंदर आर्थिक क्षेत्र में, वाणिज्यिक क्षेत्र, सामाजिक संरचना के अन्तर्गत या सामाजिक, आर्थिक स्थिति के अंदर जो परिवर्तन पैदा हुये हैं, उसके संदर्भ में आयकर कानून के अंदर आमूलचूल परिवर्तन की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि वित्त मंत्री जी द्वारा पूर्व में घोषणायें बहुत सी सरकारें पहले भी कर चुकी हैं कि आयकर कानून का सरलीकरण करेंगे, इसकी पचांदगियों को दूर करेंगे और बचत करने वालों को प्रोत्साहन देंगे और इसमें उनको विशेष रियायत प्रदान करेंगे तथा ज्यादा खर्च करने वालों पर ज्यादा आयकर लगायेंगे लेकिन ये घोषणाये केवल कागजी रह गयी हैं। उस पर जिस प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिये थी, वह नहीं की गयी है। इसलिये शंका है कि वित्त मंत्री जी ने जो कुछ समय पूर्व घोषणा की थी, उसका परिणाम आज तक हमारे सामने नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी आयकर कानून, 1961 में आमूल परिवर्तन करने के लिए संशोधन तो लाये हैं लेकिन देश की वर्तमान स्थिति, उदारीकरण की नीति, ग्लोबलाईजेशन, कर्मचारियों के वेतन और विशेषकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आयकर देना पड़ता है। यदि इस कानून के अंतर्गत परिवर्तन होता है तो वे खर्च नहीं कर सकते हैं और न ही बचत कर सकते हैं क्योंकि उनकी आय का बड़ा भाग आयकर के रूप में चला जाता है जिसे उनके बड़े परिवार पर खर्च होना चाहिये था। हमारी पार्टी ही नहीं बल्कि सभी दलों ने मांग की थी कि आयकर की सीमा को बढ़ाया जाये। चाहते तो थे वित्त मंत्री जी लेकिन अपनी मंशा का परिचय नहीं दिया। इस ओर ध्यान देना चाहिये था। वर्तमान आयकर कानून अत्यंत जटिल, पेचीदा है जिसे आम आदमी के लिये समझना बहुत कठिन है। उसका हिसाब-किताब लगाने के लिये...

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : उन्हें इस विधेयक तक ही बोलना चाहिए ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन बातें ही कहना चाहता हूं। जो मंत्री महोदय संशोधन लाये है, उसका तो स्वागत करता हूं। लेकिन कर्मचारियों को भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिये वकीलों की सहायता लेनी पड़ती है, चार्टर्ड एकाऊंटेंट की शरण में जाना पड़ता है। मैं आशा करता हूं कि नये आयकर कानून में बचत करने वालों को विशेष रियायत देंगे। इसलिये आज एक व्यापक आयकर कानून बनाये जाने की आवश्यकता है। इसलिये मेरा आग्रह है कि वर्तमान आयकर की दरें कम की जायें, आयकर की प्रक्रिया सरल की जाये। हालांकि आयकर कानून लागू करने में कभी-कभी कठिनाईयां आती हैं...

उपाध्यक्ष महोदय : इसका इस बिल से रिलेवेंस नहीं है...

(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत : सदन की भावनाओं का आदर करते हुए आंध्र में तूफान-पीड़ित लोगों के लिए सहायता कोष का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इस रियायत के द्वारा देश के अधिकांश लोग आंध्र तूफान पीड़ितों के लिए और अन्य इस प्रकार की आपत्तियों के लिए मुक्त हस्त से उदारतापूर्वक दान देकर इस राष्ट्रीय आपदा को अपने ऊपर विपत्ति समझकर उनका कष्ट हल्का करें।

जिन बातों की तरफ मैंने ध्यान आकर्षित किया है कि कानूनी प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए, उसके लिए आप निर्देश दें।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसमें इनकम-टैक्स के सैक्शन 80 जी का संशोधन हो रहा है जिससे आंध्र प्रदेश के तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए दिये जाने वाले पैसे पर इनकम टैक्स में छूट होगी। निर्मल कांति चटर्जी और रासा सिंह रावत जी यहां जो बोले हैं मैं उनसे सहमत हूं कि हमारे इतने बड़े देश में किसी न किसी प्रांत में बराबर प्राकृतिक विपदा आती रहती है। कहीं न कहीं बाढ़, सुखाड़ या भूंकप आता रहता है। उससे स्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि राज्य सरकार उसे नहीं संभाल पाती। उड़ीसा में अभी घोर अकाल पड़ा है और वहां की स्थिति बड़ी भयानक है। प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री भी बोल चुके हैं कि उड़ीसा की हालत अच्छी नहीं है, वह आंध्र प्रदेश के बराबर है या उससे भी ज्यादा खराब है। मैं उसमें नही जाना चाहता हूं। अभी जैसी व्यवस्था आंध्र प्रदेश के लिए की गई है, उड़ीसा के लिए भी इनकम टैक्स के सैंक्शन 80 जी में व्यवस्था होनी चाहिए। वहां भी मुख्यमंत्री के पास रिलीफ फंड है। उसमें भी डोनेशन आ सकता है और इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उड़ीसा के लिए भी ऐसी व्यवस्था की जाए। वह निर्विवाद है कि ऑर्डिनेन्स लाना इसके लिए जरूरी था क्योंकि सत्र नहीं चल रहा था। इसलिए इसका समर्थन करते हुए मैं सरकार से उड़ीसा के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था करने की दरख्वास्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ईश्वर प्रसन्ना इजारिका (तेजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस संबंध में एक सुझाव देना है।

यह विधेयक पारित होना चाहिए। लेकिन अलग से इसके लिए प्रशानिक अनुदेश जारी किए जा सकते हैं - इस पर वे विचार कर सकते हैं - कि ऐसे दान के लिए दिए गए धन के स्रोत के बारे में पूछताछ नहीं की जाएगी ताकि यदि दान की राशि काले धन से भी दी गई हो तो दान देने वाले के खिलाफ कोई दाण्डिक कार्यवाही न की जा सके। इस तरह की विनाशलीला में हमें यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार के उपाय करने चाहिए जिससे कि हम अधिकतर भुक्त भोगियों को यथा संभव सहायता और राहत पहुचा सकें और यदि हमारे पास इस प्रकार की व्यवस्था हो - यह कोई ऐसी योजना नहीं है जिसके अंतर्गत लोग अपने-अपने धनों का खुलासा स्वेच्छा से करें - तो इससे ज्यादा-से-ज्यादा राशि दान करने में सक्षम लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और राहत कोष का खजाना भरने में बेहतर ढंग से मदद मिलेगी क्योंकि अभी लोग अपने उसी धन का दान कर सकते हैं जिसका उन्होंने लेखा-जोखा रखा हो। अतः यदि लोग अपने ऐसे धन का दान करते हैं जो बेहिसाबी है और जिसके स्रोत को बताना न पड़े तो हमें इस धन के दान को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि राहत कोष के लिए और अधिक पैसा जुटाया जा सके।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : उपाध्यक्ष महोदय मैं श्री चिदम्बरम को इस ऐतिहासिक विधयेक को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं, क्योंकि जब भी कोई आपदा होती है तो आप केवल सरकार से ही सारा धन जुटाने की आशा नहीं कर सकते हैं। यह देशवासियों तथा अन्य देश के लोगों का भी कर्तव्य होता है कि वे सामने आएं और इस प्रकार की भीषण आपदा में लोगों के सहभागी बनें तथा उनकी मदद करें।

यह बहुत अच्छी शुरूआत है। अन्य सभी मित्रों ने कहा कि चूंकि आपने इसकी शुरूआत आंध्र प्रदेश के लिए की है अतः सरकार को इस प्रकार के कदम अन्य राज्यों में आने वाली आपदाओं के संबंध में भी उठाने चाहिए।

यह भी एक अच्छा विचार है। तथापि, चूंकि मैं आंध्र प्रदेश का हूं और इस आपदा ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र तथा मेरे पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्रों में कहर ढाया है इसलिए मुझे यह विचार बहुत ही पसन्द आया है। मुझे आशा है कि इससे हम दान के जरिए, राज्य तथा देश के विभिन्न भागों से और उद्योगपतियों से भी अच्छी खासी रकम राहत के लिए इकट्ठा कर सकेंगे। हां, यह अवश्य है कि हमें इस व्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो कोई भी धन देता है, हम उसका कोई हिसाब किताब ही न दे पाएं। उससे बहुत सारे भ्रम और गलतफहमियां पैदा होंगी तथा संपर्क के अभाव में लोग अपनी अपनी तरह से सोचेंगे जो न वांछनीय है और न ही परामर्श योग्य। अतः हमें इस संशोधन के लिए बहुत ही सुदृढ़ और सुस्पष्ट सूत्र, नियम तथा संशोधन बनाने चाहिए। मैं आपको आंध्र प्रदेश के लोगों की ओर से एक बार पुनः संशोधन के जरिए महान राहत देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : चिदम्बरम जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, श्री निर्मल कान्ति चटर्जी द्वारा दिया गया सुझाव एक अच्छा सुझाव है जहां तक श्री रावत द्वारा कही गई बात का प्रश्न है, मैं इस सदन में पहले ही घोषित कर चुका हूं कि एक समिति आय-कर अधिनियम का प्रारूप फिर से तैयार करने के लिए दिनरात काम कर रही है। मुझे पक्का भरोसा है कि मैं जनवरी, 1997 में वह प्रारूप सार्वजनिक चर्चा के लिए प्रस्तुत कर दूंगा। व्यापक स्तर पर सार्वजनिक चर्चा कराने के बाद मैं 1997 के अन्त में किसी समय उस विधेयक को प्रस्तुत कर दूंगा। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक को पारित कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प पेश नहीं किया गया है। हम विधेयक पर विचार करते हैं।

प्रश्न है :

"कि आय-कर अधिनियम, 1991 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : यह एक रिकार्ड है कि इतने कम समय में हमने विधेयक पारित कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका श्रेय सभा को जाना चाहिए।

अपराह्न 2.48 $^{1}/_{2}$ बजे

उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प [1]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री इन्द्रजीत गुप्त संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

अपराह्न 2.49 बजे

(कर्नल राव राम सिंह पीठासीन हुए)

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 17 अक्तूबर, 1996 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

[हिन्दी]

बाकी तो सर इस पर बहस होगी, बहस के अंत में कुछ और बोलेंगे।

[अनुवाद]

जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, राष्ट्रपति शासन के दौरान उत्तर प्रदेश की विधान सभा के लिए 30 सितम्बर, 3 अक्तूबर, और 7 अक्तूबर, 1996 को तीन चरणों में मतदान हुआ। राज्य ने कोई भी दल या दलों का गठबंधन सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत जुटाने के समर्थ नहीं हो सका। चुनावों के बाद राज्य विधान सभा की दलीय स्थिति इस प्रकार थी।

भाजपा-समता पार्टी गठबंधन को 176 सीटें मिलीं, दूसरे नंबर पर 134 सीट लेकर संयुक्त मोर्चा रहा तथा बसपा-कांग्रेस गठबंधन 100 शीटें लेकर तीसरे स्थान पर रहा। 14 सीटों पर अन्य विजयी हुए। 17 अक्तूबर, 1996 को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग ने चुनाव परिणामों की अधिसूचना जारी की।

उत्तर प्रदेश के राज्य पाल ने राज्य में मंत्रिमंडल के गठन की संभावनाओं का पता लगाया तथा 15 अक्तूबर 1996 और 16 अक्तूबर, 1996 की अपनी रिपोर्टों के जरिए राष्ट्रपति को उसके परिणामों से अवगत कराया। निसंदेह राज्यपाल की इन रिपोर्टों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाएंगी। दिनांक 15 अक्तूबर, 1996 की अपनी रिपोर्ट में राज्यपाल ने उल्लेख किया कि अब तक भा.ज.पा. स.ज.पा. और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने विधायक दलों के नेता चुन लिए हैं लेकिन किसी ने भी अपने स्वयं अथवा किसी अन्य दल/पार्टी के बलबूते पर सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि उन्हें संयुक्त मोर्चा और भा.कम्यू. पार्टी के नेताओं से सूचना मिली थी कि वे भा.ज.पा. की किसी सरकार का समर्थन नहीं करेंगे तथापि उन्होंने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया कि वे बसपा-कांग्रेस गठबंधन का समर्थन करेंगे या सरकार बनाने के लिए बसपा-कांग्रेस गठबंधन का समर्थन लेंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा किए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल ने यह निष्कर्ष निकाला कि कोई भी दल या समूह अनुचित तरीका अपनाए बगैर स्थाई सरकार बनाने या समर्थन देने की स्थिति में नहीं था।

16 अक्तूबर, 1996 को भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष राज्यपाल से मिले और उन्हें एक पत्र दिया जिसमें कहा गया था कि नवनिर्वाचित विधान सभा में भाजपा सबसे बड़ा दल है और राज्यपाल को भाजपा विधायक दल के नेता श्री कल्याण सिंह को सरकार बनान के लिए आमंत्रित करना चाहिए। यह भी उल्लेख किया गया था कि भाजपा को समता पार्टी के दो सदस्यों तथा चार निर्दलीय सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि भी 16 अक्तूबर 1996 को राज्यपाल से मिले थे। राज्यपाल ने उक्त तिथि को सुश्री मायावती से भी सम्पर्क किया था। संयुक्त मोर्चा, कांग्रेस और बसपा सभी को मिलाकर 234 विधायक भाजपा को किसी भी प्रकार का समर्थन देने के विरोध में एकमत थे। 16 अक्तूबर, 1996 को हुई चर्चा के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल को और विश्वास हो गया कि किसी भी दल या गठबंधन के राज्य में स्थाई सरकार देने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए राज्य में परिणामों की घोषणा के एक सप्ताह से अधिक समय बाद राज्यपाल ने महसूस किया कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दोबारा राष्ट्रपति शासन के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई और विकल्प नहीं है। राज्यपाल ने यह भी सिफारिश की कि वर्तमान परिस्थितियों में नवनिर्वाचित विधान सभा को निलंबित रखा जाए।

केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की रिपोर्टों और राज्य में व्याप्त स्थिति पर विचार किया और राष्ट्रपति को दो उद्घोषणाएं जारी करने के लिए सिफारिश करने का निर्णय लिया, एक अनुच्छेद 356 के खंड 2 के अंतर्गत 18 अक्तूबर, 1995 को जारी उद्घोषणा को रद्द करने तथा दूसरे उत्तर प्रदेश राज्य में दोबारा राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित था जिसके दौरान विधान सभा निलंबित रहेगी। राष्ट्रपति द्वारा ये दोनों उद्घोषणाएं 17 अक्तूबर 1996 को जारी की गई।

जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित है, उत्तर प्रदेश जैसी ही स्थिति मार्च, 1965 में केरल राज्य में उत्पन्न हुई थी जहां पर चुनावों के तुरंत बाद राज्यपाल ने सिफारिश की थी कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए तथा राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाए। उस मामले में अर्थात केरल विधान सभा में 134 सदस्य संख्या थी जिसमें कम्युनिष्ट (मार्क्सवादी) 40, कांग्रेस 36, केरल कांग्रेस 25, जिसने एक निर्दलीय सदस्य केरल कांग्रेस द्वारा सम्मलित था तथा एक स्वतंत्र विधायक जिसमें अपने आपको केरल कांग्रेस के साथ जोड़ लिया था; एस एस पी 13, मुस्लिम लीग 11 जिसमें वे पांच निर्दलीय उम्मीदवार शामिल थे जो मुस्लिम में आ गए थे तथा अन्य आठ। आंग्ल भारतीय एक सदस्य को नामानिर्दिष्ट किया जाना था। आवश्यक बहुमत वाला कोई भी गठबंधन सामने नहीं आ रहा था। 24 मार्च, 19965 को अनुच्छेद 356 (2) के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की गई जिसमें केरल राज्य में 30 सितम्बर, 1964 को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई पूर्व उद्घोषणा को रद्द किया गया था। 24 मार्च, 1965 को एक नई उद्घोषणा भी जारी की गई जिसके अंतर्गत केरल राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दोबारा राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। जहां तक आधार का संबंध है, उक्त वास्तविक स्थिति थी।

सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संवैधानिक पहलू, राज्यपाल तथा केन्द्र सरकार की भूमिका की मीडिया और अन्यत्र काफी आलोचना की गई है। कुछ संवैधानिक मामलों को विभिन्न अदालतों में भी चुतौती दी गई है।

महोदय, मुझे इसमें से कुछ मुद्दों पर संक्षेप में बोलने की अनुमति दीजिए।

(1) जहां तक उसी दिन उद्घोषणा को प्रतिग्रहण करने और उसे लागू करने के सांविधानिक पहलू का संबंध है, पहले उल्लेख किए जा चुके केरल के पूर्व दृष्टांत को छोड़कर, हमें दी गई सलाह यह थी कि राष्ट्रपति द्वारा अक्तूबर, 1995 में जारी की गई उद्घोषणा अक्तूबर, 1996 में समाप्त होगी और इस अवधि के बाद इसे जारी नहीं रखा जा सकेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि चुनाव पहले ही अक्तूबर, 1996 के पहले सप्ताह में पूरे कराए जा चुके थे और उसके तुरंत बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई थी। जिस परिस्थितियों में अक्तूबर, 1995 में राष्ट्रपति की उद्घोषणा जारी की गई थी और जिन परिस्थितियों के कारण अक्तूबर, 1996 में नई उद्घोषणा को जारी करना आवश्यक हो गया था वे एक दूसरे से एकदम भिन्न थी। बाद वाली उद्घोषणा चुनावी नतीजों के कारण उत्पन्न परिस्थितिया जिनके कारण सीधे सरकार का गठन नहीं हो सकता था, के कारण जारी की गई थी।

(2) दूसरा प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 356 अंतर्गत नई उद्घोषणा को जारी करने की वैधानिकता के बारे में उठाया गया है। हमें स्पष्ट परामर्श दिया गया था कि उद्घोषणा को जारी करना स्पष्ट रूप से राज्यपाल द्वारा लिए गए इस आयजे पर निर्भर करता था कि नई विधान सभा के मौजूदा स्वरूप के फलस्वरूप स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है जिसके अंतर्गत, राज्यपाल का मत है कि राज्य सरकार को संविधान के उपबन्धों के अनुरूप नही चलाया जा सकता और राज्यपाल ने तत्संबंधी सूचना राष्ट्रपति को दी।

अनुच्छेद 163 (2) के अन्तर्गत, ऐसे मामलों में राज्यपाल का स्वविवेक परम होता है जहां उससे अपने स्वविवेक का प्रयोग करने की आशा की जाती है। ऐसे स्वविवेक के प्रयोग का आधार राज्यपाल की आत्म संतुष्टि पर निर्भर करता है और उसके द्वारा प्रयोग किए गए स्वविवेक पर उंगली नहीं उठाई जा सकती।

अपराह्न 3.00 बजे

राज्यपाल ने सरकार बनाने की दौड़ में शामिल अनेक पार्टियों की संभावनाओं का जायजा लेने के भी प्रयास किए हैं कि वे सरकार बनाने में सक्षम हैं भी अथवा नहीं। और यदि ऐसे प्रयास करने के बाद राज्यपाल संतुष्ट हो जाता है कि कोई भी पार्टी टिकाऊ सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो राज्यपाल इस आशय की सूचना राष्ट्रपति को देने के लिए स्वतंत्र है ताकि राष्ट्रपति उपर्युक्त आधार पर नई उद्घोषणा जारी कर सके।

मैं सदन का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 164(1) की तरफ भी दिलाना चाहूंगा जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त ही अपने पदों को धारण करेंगे। उस मामले में, राज्यपाल के स्वविवेक पर अप्रत्यक्ष रोक यूं है कि यदि मुख्यमंत्री और उसकी सलाह पर नियुक्त किए गए मंत्री विधान सभा में सदस्यों के बहुमत का विश्वास नहीं प्राप्त करते हैं तो सरकार नहीं चल पाएगी। अतएव राज्यपाल को किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिए जिसे विधान सभा के भीतर सदस्यों का बहुमत हासिल करने की संभावना हो। जब कोई पार्टी अथवा पहले से बना पार्टियों का कोई गठबन्धन किसी चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल करता है तो राज्यपाल स्पष्टतः ऐसी पार्टी अथवा ऐस गठबन्धन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने हतु बाध्य है। जब कोई भी एक पार्टी अथवा पहले से मौजूद गठबन्धन बहुमत हासिल नहीं कर पाता है तो यह देखना होता है कि कि निर्दलीय, आदि का समर्थन किसे प्राप्त है अथवा यह निर्णय करना होता है कि अतिरिक्त समर्थन जुटा पाने के सर्वाधिक आसार किसके पास हैं।

यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में जो परिदृश्य उभरा है उसमें बहुमत तभी संभव हो सकता था जब राजनीतिक पार्टियों में आपस में समझबूझ होती अथवा दलबदल को बढ़ावा दिया जाता। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और सांवैधानिक रिक्तता को टालने के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना आवश्यक हो गया था। राज्यपाल वास्तव में बहुत ही मुश्किल में थे। चूंकि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका था अतः यदि किसी आधार पर सरकार बनाने की अनुमति दे भी दी जाती तो राज्यपाल पर यह आरोप लगाया जाता कि उन्होंने जानबूझकर दलबदल को बढ़ावा दिया। अतः स्थिति का जायजा लेने और बढ़िया से बढ़िया रास्ता निकालने का एकमात्र निर्णायक राज्यपाल होता है। और उसकी यह कार्यवाही बिल्कुल वैध है।

केन्द्र सरकार लोकतांत्रिक परम्पराओं और मूल्यों के प्रति कटिबद्ध होती है। हाल में उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाव इस दृष्टि से कराया गया था कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के एक साल बाद चुनी हुई सरकार स्थापित की जाए। 17 अक्तूबर, 1996 को संविधान में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत एक नई उद्घोषणा जारी करके उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रपति शासन के अधीन करना पड़ा क्योंकि कोई भी पार्टी या गठबन्धन सरकार बना सकने की स्थिति में नहीं था और ऐसा करना राज्य का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो गया था। राज्य की विधान सभा को भंग नहीं किया गया है। इसे निलम्बित अवस्था में रखा गया है। यह आशा की जाती है कि बिना किसी अवांछित माध्यमों का सहारा लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच अपासी समझौते के जरिए कोई बहुमत वाली सरकार बनेगी।

इन शब्दों के साथ, महोदय, मैं सिफारिश करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अतंर्गत 17 अक्तूबर, 1996 को जारी की गई उद्घोषणा का इस माननीय सदन द्वारा अनुमोदन किया जाये। उद्घोषणा की एक प्रति, पारिणामिक आदेश के साथ, सभा पटल पर रखी जाती है। परम्परा का पालन करते हुए, दिनांक 15 अक्तूबर, 1996 और 16 अक्तूबर, 1996 की राज्यपाल की रिपोर्टों, जिसमें उनके द्वारा राज्य में व्याप्त स्थिति का मूल्यांकन और उद्घोषणा को जारी करने की सिफारिश समाविष्ट है, की एक-एक प्रति भी सभा पटल पर रखी गई है।

सभापति महोदय : यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 17 अक्तूबर, 1996 को संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : सभापति जी, मैं इस प्रोक्लेमेशन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं और सदन से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रपति जी की इस उद्घोषणा का पूरी तरह से विरोध करें और इसको नकार दें और उत्तर प्रदेश में जनता के द्वारा चुनी हुई, जनादेश प्राप्त की हुई सरकार के निर्माण के लिए रास्ता प्रशस्त करें। मैं इस उद्घोषणा का समर्थन इसलिए भी नहीं कर सकता कि शायद इसके द्वारा भारत के जनतंत्र के इतिहास में जितना बड़ा अपराध किया गया है, संविधान के साथ जितना भयानक बलात्कार किया गया है और इस देश में फासिज्मवाद के उदय के लिए सारे रास्ते खोल दिए गए हैं, इससे अधिक बड़ा संवैधानिक बलात्कार इस देश के जनतांत्रिक इतिहास में आज तक नहीं हुआ। गृह मंत्री जी ने बहुत सी बातें कहीं हैं। मैं सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश की राजनैतिक स्थिति के बारे में संक्षेप में कुछ तथ्यों का विवरण करके रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति जी की पहली उद्घोषणा 17.10.95 को लागू हुई थी और उस समय छः महीने के लिए प्रोक्लेमेशन जारी किया गया था। यह जनता का विश्वास था और यह उचित भी था कि 17.4.96 तक उत्तर प्रदेश के चुनाव हो जाने चाहिए थे। लेकिन यह चुनाव नहीं कराए गए। क्यों नहीं कराए गए? छः महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में स्थिति सामान्य थी, प्रशासन सामान्य तौर पर चल रहा था, जनता चुनाव चाहती थी, निर्वाचित सरकार चाहती थी लेकिन जान-बूझकर अप्रैल 1996 में तत्कालीन सरकार ने चुनाव नहीं करवाए। हम यह समझते थे कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा के चुनाव लोक सभा के सामान्य चुनावों के साथ कराए जायेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश में लोक सभा के चुनाव तो कराए गए लेकिन विधान सभा के चुनाव नहीं कराए गए। क्यों नहीं कराए गए? अगर लोक सभा के चुनाव अप्रैल, मई में हो सकते थे तो फिर अप्रैल, मई के अंदर विधान सभा के चुनाव क्यों नहीं हो सकते थे? अगर परीक्षाओं के कारण उत्तर प्रदेश की विधान सभा के चुनावों को टाला जा सकता था तो लोक सभा के चुनाव कैसे हो गए? उस समय तर्क यह दिया गया था परीक्षाएं हैं। अगर उत्तर प्रदेश में लोक सभा के चुनाव उन्हीं 425 विधान सभाओं में उन्हीं मतदान केन्द्रों में चुनाव करवाकर मतदान कराके किए जा सकते थे तो उसी के साथ एक बैलट पैपर विधान सभा के लिए भी छपवा कर चुनाव करवाए जा सकते थे। लेकिन उस समय की सरकार की नीयत खराब थी और उन्होनें उत्तर प्रदेश के विधान सभा को लोक सभा के चुनावों से अलग कर दिया, डीलिंक कर दिया क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि उत्तर प्रदेश में लोक सभा और विधान सभा के चुनाव होंगे तो उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के रूप में होगा और यह नतीजों ने साबित किया। उस समय उत्तर प्रदेश में 425 में से 236 विधान सभा के क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को प्रथम स्थान मिला था इसलिए अगर सामान्य तौर पर उसी समय चुनाव हुए होते जो कि जनतंत्र की प्रक्रिया के लिए बिल्कुल अनुकूल था, संविधान के अनुसार था, परम्पराओं के अनुसार था, विधान सभा के चुनाव को नहीं होने दिया गया क्योंकि तब भी उनको इस बारे में पूरा भरोसा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी और इसलिए मेरा कहना है कि नीयत शुरू से ही उस सरकार की खराब थी जो पहले बैठी थी और अब जो

यहां बैठी हुई है, नीयत इस सरकार की भी खराब है। इसलिए उत्तर प्रदेश में विधान सभा के चुनाव जब दोबारा राष्ट्रपति शासन के छः महीने पूरे होने का समय आया तब कराने की कोशिश की गई। लेकिन उससे पहले एक ऐसे राज्यपाल महोदय वहां विद्यमान थे जो बराबर बयान दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अगर त्रिशंकु विधान सभा आएगी, तो मैं सबसे बड़ी पार्टी को बुलाने के लिए बाध्य नहीं हूं। कोशिश की जा रही थी शायद पहली बार मैंने ऐसा देखा था कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा के चुनावों में प्रधान मंत्री महोदय चौवालीस बार भाषण करने के लिए गए हों।

उसके बाद परिणाम जो कुछ भी मिला हो, उसकी तुलना में बिल्कुल नगण्य रहा हो, शून्य रहा हो। लेकिन पंडित जवाहर लाल जी से लेकर आज तक जितने प्रधान मंत्री हुए हैं, किसी भी प्रधान मंत्री को उत्तर प्रदेश के चुनावों में चौवालीस बार भाषण करने के लिए जाते हुए मैंने नहीं देखा है। कोशिश यह रही कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आगे न बढ़ने दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को इस बारे में जो शिकायतें भेजी गई थी, वह मेरे पास आई थीं जिनमें पाया गया कि जिन विधान सभा क्षेत्रों में कुछ वोट मतदान पत्रों के हिसाब के साथ निकलने चाहिए थे। बैलट पेपर एकाउंट में जितने वोट बताए गए थे, उससे हजारों वोट ज्यादा निकले हैं। ये कहां से आ गए? क्यों आ गए? 10-15-20 सीटें ऐसी हैं जिनमें यह हुआ है और 10-15-20 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी से लेकर एक हजार वोटों से हारी है। जान-बूझकर इसके अंदर कोशिश की गई, षडयंत्र किया गया, प्रशासनिक यंत्र का नाजायज फायदा उठाया गया और दबाव डाला गया और राज्यपाल की भूमिका इसके अंदर अहम रही। एक तो उन्होंने पहले से कहना शुरू कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में त्रिशंकु विधान सभा आएगी तो मैं किसी बड़ी पार्टी को बुलाने के लिए बाध्य नहीं हूं। यानि एक तरह से इशारा दे रहे थे, सारे अधिकारियों को इशारा दे रहे थे उत्तर प्रदेश में त्रिशंकु विधान सभा लाई जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को आगे आने की कोशिश न करने दी जाए और अगर वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर आ जाए तो हम उसे किसी भी सूरत में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे। यह धमकी थी, वहां चुनावों को राज्यपाल के द्वारा असंवैधानिक जनतांत्रिक तरीके से प्रभावित करने का, सरकारी तंत्र के दुरुपयोग करने का और एक ऐसे नापाक गठबंधन को राजनैतिक क्षेत्र में लाने का एक तरीका था जिसका एकमात्र उद्देश्य एक प्रतिस्पर्धात्मक विचारधारा को छल, बल और कौशल से रोकने का तरीका था, उसे षडयंत्र से रोकने का तरीका था। यह अगर फ्रासिज्म नहीं है तो और क्या है? किसी पार्टी को आगे मत आने दो, जनता उसको वोट दे रही है, जनता उसको सबसे बड़ी पार्टी बना रही है मगर उसको शासन मत करने दो भले ही उसके लिए संविधान की हत्या करनी पड़ जाए। आपके गवर्नर साहब ने क्या किया है, आपने संविधान के जिस अनुच्छेद 356 का उल्लेख किया है, उसका पांचवा सैक्शन क्या कहता है, मैं उसका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करता हूं:-

[अनुवाद]

खंड (4) में किसी बात के होते हुए भी, खंड (3) के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा के किए जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से आगे किसी अवधि के लिए ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प संसद के किसी सदन द्वारा तभी पारित किया जाएगा जब---

(क) ऐसे संकल्प के पारित किए जाने के समय आपात की उद्घोषणा, यथास्थिति, संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में प्रवर्तन में है; और

(ख) निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि ऐसे संकल्प में विर्निदिष्ट अवधि के दौरान खंड (3) के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखना, संबंधित राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन करने में कठिनाइयों के कारण, आवश्यक है।"

[हिन्दी]

क्या ये दो शर्तें थी? आपने राज्यपाल महोदय की रिपोर्ट का उल्लेख किया है। संविधान क्या कहता है? एक साल के बाद एक क्षण के लिए भी आप राष्ट्रपति शासन के बारे में किसी प्रोक्लेमेशन को इस सदन में नहीं रख सकते, किसी उद्घोषणा को पास नहीं कर सकता। आप किस हैसियत से इसको यहां लाएं? आप संविधान की किस धारा के अन्तर्गत इसको यहां पेश कर रहे हैं? यह कैसा असंवैधानिक कृत्य है? इसको यहा पर लाने की इजाजत कैसे दी गई? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यह तो हो ही नहीं सकता। यह असंभव है। इसमें इस संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जिसके अंदर आप शक्तियां अधिगृहीत कर रहे हैं, जिसके अन्तर्गत आप उत्तर प्रदेश को जनतांत्रिक सरकार से वंचित कर रहे हैं, पन्द्रह करोड़ जनता के ऊपर आप जबर्दस्ती एक नौकरशाह और गलत ढंग के राज्यपाल को थौंपे हुए हैं, वह संविधान की धारा आपको स्पष्ट निर्देश देती है कि आप ऐसा केवल एक साल तक के लिए कर सकते हैं और इससे अधिक एक मिनट भी नहीं कर सकते और अगर करना है तो क्या उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी लागू है? क्या देश के अंदर आपातकाल है? क्या इलेक्शन कमीशन ने लिखकर दिया है कि वहां इलेक्शन न कराए जाएं? वहां इलेक्शन तो हो गए, इसलिए आप किस धारा के अन्तर्गत, किस अनुच्छेद के अन्तर्गत किस तरह से इस चीज को यहां ला रहे हैं? यह बिल्कुल असंवैधानिक है। इसको पढ़ने की इजाजत कैसे दी गई? मेरी समझ में नहीं आता कि यह बात सदन के सामने कैसे आई? यह तो आ नहीं सकती। इसको तो हम पास नहीं कर सकते। ...**(व्यवधान)** आप चुप रहिए। पहले संविधान को पढ़कर आइये। मेरी बात सुनिए। गृह मंत्री जी, मैं आपसे तो अपेक्षा करता था कि आप एक ऐसी पार्टी के सम्मानित नेता रहे हैं।

...**(व्यवधान)** मैं बताऊंगा कि हाई कोर्ट ने क्या कहा है। मेरे पास निर्णय है, वह मैं बताऊंगा। चिन्ता मत करिए।...**(व्यवधान)** आप एक ऐसी पार्टी के नेता हैं, जिसने न केवल संविधान के इस अनुच्छेद 356 के दुरूपयोग को रोकने के लिए बल्कि समय-समय पर इसको हटाने के लिए कहा है कि संविधान में से इस अनुच्छेद को हटा दिया जाए। मैं पूछता हूं, आज आपको क्या हो गया है? क्या केवल सत्ता के लालच में या गृह मंत्री बने रहने के लिए आप ऐसा अपराध करेंगे? आप संविधान की हत्या करेंगे? आप अपनी पार्टी के घोषित सिद्धान्तों की हत्या करेंगे? यह तो हमने कभी नहीं सोचा था। आप फासिज्म की हत्या करेंगे, जनतन्त्र का गला घोटेंगे, संविधान का गला घोटेंगे, केवल इसलिए कि आप गृह मंत्री बने रहें। मेरी आपसे यह अपेक्षा थी, जब आपके सामने यह बात लाई गई थी, तो आप कहते - श्रीमन्, यह नहीं हो सकता है। अगर यह करना जरूरी है, तो मैं गृह मंत्री नहीं रहूंगा, तब आपकी इज्जत इस देश में बढ़ती और आपको जनतन्त्र के मसीहा के तौर पर, जनतन्त्र के रक्षक के तौर पर मैं आपको स्वीकार करता। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। आप इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। आप प्रोटैम-स्पीकर रहे हैं। आप देश की बहुत बड़ी पुरानी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं और आज देश के गृह मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। आपसे यह आशा नहीं की जा सकती थी कि आप संविधान की हत्या करेंगे, जनतन्त्र की हत्या करेंगे और फासिज्म का समर्थन करेंगे। मुझे यह देखकर बहुत अफसोस है कि आप यह कर रहे हैं। राज्यपाल ने रिपोर्ट दे दी और आपने उसको मान लिया, यह कैसी व्यवस्था है? आज केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आदेश दे रहे हैं कि ऐसा करो। सिफारिश करते हैं कि ऐसा करो। वह सिफारिश दो पैसे की कीमत की नहीं है। उसका कोई मूल्य नहीं है। जनतन्त्र विरोधी सिफारिश है। वह राज्य के 15 करोड़ लोगों को सांतान्त्रिक ढंग से शासन से वंचित किए जाने का षडयन्त्र है। आपको यह कहना चाहिए था कि आप ऐसी सिफारिश कर रहे हैं और आप वहां सरकार बनाने में असमर्थ हैं, आप वापिस आइए। आपको गवर्नर को वापिस बुला लेना चाहिए था और उनसे त्यागपत्र मांग लेना चाहिए था कि आप क्या बात कर रहे हैं। संविधान की धारा 164 में जो उल्लेख है, मैं उसको बढ़ना चाहता हूं :-

[अनुवाद]

> "मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद धारण करेंगे"

[हिन्दी]

यह धारा आपने पढ़ी है, लेकिन मैं पूछता हूं, चीफ मिनिस्टर कहां हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार कहां है? गवर्नर और गवर्नमेंट में फर्क होता है। संविधान की धारा 356, जिसका प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन को आपने लागू किया है, मैं उसको भी पढ़ना चाहता हूं :-

[अनुवाद]

> "यदि राष्ट्रपति का, किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा-"

[हिन्दी]

कहां थी सरकार, कहां था मुख्यमंत्री और कहां थी काउन्सिल आफ मिनिस्टर और कौन संविधान के अन्दर काम नहीं कर रहा था? क्या उत्तर प्रदेश के अन्दर संवैधानिक दुर्व्यवस्था कायम हो गई थी? क्या उत्तर प्रदेश के अन्दर कान्स्टीट्यूशनल ब्रेक डाउन था? चुनाव बिलकुल ठीक से हो कर चुके थे। पार्टियों को जनादेश मिला था। गवर्नर साहब ने बहुत संतोष के साथ और बड़े अभिमान के साथ कहा था कि उत्तर प्रदेश में बड़े शान्तिपूर्ण चुनाव हुए हैं। चुनाव तो ठीक हुए और शान्तिपूर्ण हुए। मैं पूछता हूं, कहां था कान्स्टीट्यूशनल ब्रेक डाउन और कौन सी रिपोर्ट थी? क्या उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे थे? क्या उत्तर प्रदेश के अन्दर प्रशासनिक तन्त्र बिल्कुल भ्रष्ट हो गया था और वह काम नहीं कर रहा था? क्या शिकायतें थीं उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक तन्त्र नहीं है? उत्तर प्रदेश तो काम कर रहा था, यह दूसरी बात है कि प्रशासन तन्त्र गवर्नर साहब के हाथ में था, ब्युरोक्रेटिक कन्ट्रोल था। जनतान्त्रिक सरकार नहीं थी, लेकिन कान्स्टीच्युशनल मशीनरी कहां ब्रेक डाउन हुई थी? क्या आपके पास तथ्य थे और क्या तरीके थे? कहा यह जाता है कि सिर्फ इस लिए हमने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, क्योंकि कोई दल पूर्ण बहुमत लेकर नहीं आया था। क्या संविधान यह कहता है कि अगर किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत न हो, तो वहां सरकार ने बने? संविधान में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। कहां राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह यह कहे...

एक माननीय सदस्य : बिना बहुमत की सरकार।

डा. मुरली मनोहर जोशी : बिना बहुमत के आप सामने बैठे हुए हैं और इससे पहले बिना बहुमत के बैठे हुए थे। यह बात दूसरी थी कि नाजायज तरीके से उन्होंने बहुमत पैदा लिया था...**(व्यवधान)**

श्री इलियास आजमी : किसी का समर्थन ले लो।...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी : आज बुलाइए, कल समर्थन साबित कर दें।...**(व्यवधान)** हमें सरकार बनाने के लिए बुलाइए, हम तो कल समर्थन लेकर दिखा देंगे।...**(व्यवधान)** आज बुलाइए, कल समर्थन

साबित कर देंगे।...**(व्यवधान)** ऐसी कौन सी परम्परा है, ऐसी कौन सी संवैधानिक व्यवस्था है। इसके विपरीत तीन-तीन, चार-चार बार भारत के इसी सदन में हमने ऐसी सरकारें देखी हैं जिनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था। यह कभी नहीं कहा गया कि आप पूर्ण बहुमत की परेड कीजिए या पहले सदन के बाहर साबित कीजिए। आपने तो सरकारिया कमीशन की बार-बार सिफारिश की है कि सरकारिया कमीशन लागू किया जाना चाहिए। सरकारिया कमीशन क्या कहता है, उसकी क्या सिफारिशें हैं। जरा सरकारिया कमीशन के पेज 135 के पैरा 4.1610 का (ए) पढ़िए।

[अनुवाद]

"मुख्यमंत्री का चुनाव करते समय, राज्यपाल की निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए नामतः (1) ऐसे दल या दलों के गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए, जिसकी विधान सभा में सबसे अधिक समर्थन प्राप्त हो।

[हिन्दी]

आप मुझे बोलने दीजिए...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

यह पहली बात है जो सरकारिया आयोग कहता है।

[हिन्दी]

आप जरा पढ़िए, आप मंत्री रह चुके हैं।....**(व्यवधान)** आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। आपकी सरकार ने जो रिकमेंडेशन पश्चिम बंगाल में सरकारिया कमीशन को किए हैं उसी में से सरकारिया कमीशन ने लिखा है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : कौनसा पैराग्राफ?

डा. मुरली मनोहर जोशी : पैराग्राफ 4.1610 (ए)

[हिन्दी]

आप तो इसके वकील रहे हैं, आज आप इसका विरोध करेंगे। आप धन्य हैं, वाह-वाह आप भी धन्य हैं। आप जरा सुनिए।

[अनुवाद]

ऐसा दल या दलों का गठबंधन के सरकार बनाने के लिए आंमत्रित किया जाना चाहिए जिसको विधान सभा के सबसे अधिक समर्थन प्राप्त हो। दूसरे, राज्यपाल का कार्य यह देखता है कि सरकार बने और न कि सरकार बनाने की कोशिश करे जो उसकी नीतियों को आगे चलाए"

[हिन्दी]

बहुत स्पेसिफिक बात कही गई है। अनीस साहब, आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए और पढ़ लीजिए।

[अनुवाद]

राज्यपाल का कार्य यह देखना है कि सरकार बने। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार एक राज्यपाल होना चाहिए और एक मुख्यमंत्री होना चाहिए।

[हिन्दी]

गवर्नर का काम है कि वह चीफ मिनिस्टर को नियुक्त करे। सरकारिया कमीशन कह रहा है कि गवर्नर का काम यह है कि वह देखें कि सरकार बने और ऐसी सरकार बने जिसको जनादेश प्राप्त हो। ऐसी न हो जो गवर्नर साहब की नीतियों का अनुपालन करे। अपने अंगूठे के नीचे चलाई जाने वाली सरकार न बनाए लेकिन एक ऐसी सरकार बनाए जिसका सदन में वाइडेस्ट सपोर्ट हो।...**(व्यवधान)** मैं आपको बता रहा हूं। मैं पूरा पढ़ूंगा, मैं आपकी तरह से कोंटेशन को आउट ऑफ कांटेक्स्ट नहीं करता हूं।

[अनुवाद]

"यदि एक दल को विधान सभा में बहुमत प्राप्त है तो उस दल के नेता को स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा जाना चाहिए।"

[हिन्दी]

ऐसी कोई पार्टी नहीं है जैसी कि उत्तर प्रदेश में है,

[अनुवाद]

"यदि ऐसा कोई दल नहीं है तो राज्यपाल की उससे अगली पार्टियों या पार्टियों के समूहों में से मुख्यमंत्री चुनना चाहिए जिन्होंने चुनाव से पहले गठबंधन किया था।"

[हिन्दी]

यह केवल एक पार्टी थी जिसमें बहुजन समाज और कांग्रेस का चुनाव समझौता पहले से था। दूसरी पार्टी थी जिसमें यूनाइटेड फ्रंट के लोगों का चुनाव के पहले समझौता था, ऐसी एलायांस कि किसी पार्टी के पास सबसे बड़ी संख्या नहीं थी, अलग-अलग एक की संख्या सौ के लगभग और दूसरे की संख्या 134 की लगभग थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संख्या और उसके चुनाव पूर्ण सहयोगी की संख्या

मिलाकर 176 थी। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और हमने सरकार बनाने का दावा किया है।

[अनुवाद]

"सबसे बड़ा दल सरकार बनाने का दावा कर रहा है...

[हिन्दी]

हमने इंडिपेंडेट् सदस्यों की सपोर्ट की भी एक संख्या दिखाई और कहा कि हम और संख्या भी दिखा सकते हैं।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप बैठिये। वह यील्ड नहीं करते हैं जब तक वह यील्ड नहीं करते हैं आप व्यवधान न डालें।

डा. मुरली मनोहर जोशी : "(तीन) चुनावों के बाद का गठबंधन जिसमें सरकार के शामिल होने के लिए सभी भागीदार हों।"

[हिन्दी]

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) **:** बम ब्लास्ट पर रेल मंत्री का स्टेटमेंट तीन बजे होगा या नहीं होगा।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा. मुरली मनोहर जोशी : "(चार) चुनावों के बाद का पार्टियों का गठबंधन, सरकार बनाने में कुछ दल तथा शेष दल "निर्दलीय सदस्यों" समेत बाहर से सरकार का समर्थन करें।"

[हिन्दी]

मुझे बोलने दीजिए, मैं सभापति की आज्ञा से बोलने के लिए आपको समय मिलेगा इस पर तब आप बोलिये।

एक माननीय सदस्य : आप इसका पूरा भाव बता दीजिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं भाव ही बता रहा हूं।

[अनुवाद]

राज्यपाल की उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए ऐसे नेता को चुनना चाहिए जो उनके स्वविवेक ने विधान सभा में बहुमत सिद्ध कर सकें।"

(ग) मुख्य मंत्री, अन्यथा कि वह उस दल का नेता हो जिसका विधान सभा में पूर्ण बहुमत हो, को विश्वास मत हासिल करना चाहिए।

[हिन्दी]

हम तो हफ्ते भर में ही साबित कर देंगे, जितना समय विधान-सभा को बुलाने में लगता है, उसी दिन, पहले दिन ही साबित कर देंगे, 30 दिन तो बहुत होते हैं।...**(व्यवधान)** कृपया सुन लीजिए। गृह मंत्री जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। सोमनाथ जी, आपसे भी अनुरोध है, संतोष मोहन देव जी, आपसे भी अनुरोध है और अपने मित्रों को भी कहिये वह भी सुनें और समझे कि सरकारिया कमीशन ने क्या कहा है।....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा लगता है कि आप उस बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : मुझे इसमें विश्वास है।

[हिन्दी]

सदन के पटल पर इसका निर्णय होना चाहिए कि किसका बहुमत है, हमारा बहुमत है या किसी और का बहुमत है, किसका है, किसा नहीं है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

"राज्यपाल की स्वयं, विधानसभा के बाहर बहुमत समर्थन के मामले का पता लगाने को जोखिम नहीं उठाना चाहिए।" उनके लिए विवेक की बात यह होगी कि विरोधियों के दावों को सदन में ही परखा जाए।"

प्रक्रिया के अनुसार वह किसी को भी बुला सकते थे जो उनके मत में सबसे अधिक लोगों का विश्वास रखता हो। वह तो किसी भी व्यक्ति को 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार और राज्यपाल मिलकर 15 करोड़ लोगों को, जनता द्वारा चुने हुए लोगों को सरकार से वंचित रखना चाहते हैं और राज्यपाल की मार्फत आप उत्तर प्रदेश के विकास को ठप्प कराना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में सारा विकास ठप्प हो गया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 1995 से आज तक राष्ट्रपति का शासन रहा तथा उससे पहले भी एक बार रहा। आपने फिर बढ़ा दिया। भारत की जनसंख्या का छठवां भाग उत्तर प्रदेश है जहां आप जनतांत्रिक व्यवस्था को नहीं लाना चाहते हैं। आप उत्तर प्रदेश को पिछड़ा रखना चाहते हैं और भारत को गरीब रखना चाहते हैं। आप उत्तर प्रदेश क सारे विकास कार्यों को ठप्प रखना चाहते हैं। वहां दो महीने के अंदर फिरौती की मांग बढ़ रही है और लोगों की हत्याएं हो रही हैं। अभी फतहपुर जिले में क्या हो रहा है, इलाहाबाद में क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद में क्या हो रहा है। बाराबंकी, लखीमपुर और हमीरपुर में क्या हो रहा है? वहां किस तरह से लोग मारे जा रहे हैं और मार दिए गए? उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के लिए गृह मंत्री जी सीधे जिम्मेदार हैं।

सभापति महोदय : जोशी जी, आप कितना समय लेंगे? अगर आप जल्दी खत्म करने वाले हैं तो आपका भाषण खत्म होने के बाद रेल मंत्री जो एक स्टेटमैंट देंगे। अगर आप ज्यादा बोलना चाहते हैं तो पहले रेल मंत्री जी को स्टेटमैंट देने दीजिए क्योंकि उन्हें दूसरे हाउस में भी जाना है। क्या अभी स्टेटमैंट करवा दें?

डा. मुरली मनोहर जोशी : आपकों उस सदन में कितने बजे जाना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : वहां जाने का समय साढ़े तीन बजे का था...**(व्यवधान)** असल में दिक्कत यह है कि वहां स्टेटमैंट के बाद क्लैरिफिकेशन्स होते हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : यहां तो कोई क्लैरिफेकशन्स नहीं होंगे।

श्री राम विलास पासवान : यह तो चेयर पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : उन्हें अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : उन्हें बीच में बोलने दें और अपना वक्तव्य देनें दें। अब रेल मंत्री अम्बाला में हुई दुर्घटना के बारे में वक्तव्य देगें।

अपराह्न 3.31बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

2 दिसम्बर, 1996 को अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर झेलम एक्सप्रेस में बम विस्फोट

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अत्यन्त दुख के साथ सदन को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना दे रहा हूं जो 2.12.96 को लगभग 02.20 बजे अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर जम्मू जाने वाली झेलम एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 1077 अप) के एक शयनयान में हुए विस्फोट के सम्बन्ध में है।

गाड़ी संख्या 1077 अप झेलम एक्सप्रेस 1.12.96 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 21.50 बजे चली और 2.12.96 को लगभग 01.55 बजे अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर पहुंची। जब यह गाड़ी अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर 6 से चलने वाली थी, तब इसके शयनयान संख्या सी.आर. -5370 (एस-4) में विस्फोट हुआ।

नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, इस घटना में 10 यात्रियों की मृत्यु हुई और 29 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिन्हें अम्बाला के विभिन्न अस्पतालों में, अर्थात सिविल अस्पताल, सैनिक अस्पाल, रेलवे अस्पताल और पी.जी.आई. चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया है। 29 घायलों में 12 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

प्रथम दृष्टि में यह विस्फोट सवारी डिब्बे में कोई विस्फोट यंत्र रखे जाने से हुआ। राजकीय रेलवे पुलिस, अम्बाला छावनी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 एवं 5 के तहत 2.12.96 को प्राथमिकी संख्या 559 दर्ज की है। हरियाणा सरकार द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है। मैंने इस घटना की जांच रेल संरक्षा आयुक्त से करवाने के भी आदेश दे दिए हैं।

मैं और रेल राज्य मंत्री अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के साथ 2.12.96 को प्रातः विस्फोट के स्थल पर पहुंचा। डाक्टरी सहायता उपलब्ध कराने तथा यातायात को बहाल करने के लिए महाप्रबंधक, उत्तर रेल अपने विभागाध्यक्षों तथा डाक्टरों के एक दल के साथ घटना स्थल के लिए पहले ही रवाना हो गए थे। मृतकों के निकट संबंधियों और घायल व्यक्तियों को, मृत्यु के मामले में प्रत्येक को 15,000 रुपए, गम्भीर चोट के मामले में प्रत्येक को 5,000 रुपए और मामूली चोट में प्रत्येक को 2,000 रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है। जो बच गए हैं, उनको भी तुरन्त इसका भुगतान करने के आदेश दिए गए है।

सभापति महोदय : भुगतान किया गया है या करेंगे?

श्री राम विलास पासवान : जो लोग वहां उपलब्ध थे, उनको इसका भुगतान कर दिया गया है। जो लोग बच गए हैं, उनका पैसा रखा हुआ है और कहा है कि वे ज्यों-ज्यों आते जाएं, उनको राशि का भुगतान कर दिया जाए। इसलिए मैंने दोनों चीजें लिखी हैं...**(व्यवधान)** उनके सम्बन्धी को भुगतान कर दिया गया है।

इसके अलावा, प्रत्येक मृतक व्यक्ति के निकटतम सम्बन्धी दो लाख रुपए, प्रत्येक घायल व्यक्ति 16,000 रुपए से दो लाख रुपए की बीमा योजना के अन्तर्गत राशि पाने के हकदार हैं...**(व्यवधान)** वह तय हो जाता है।

सभापति महोदय : मंत्री जी को पहले स्टेटमैंट खत्म करने दीजिए।

श्री राम विलास पासवान : इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री बंसी लाल ने भी प्रत्येक मृत व्यक्ति को 50,000 रुपए, गम्भीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 10,000 रुपए और साधारण रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

तीन बोगियां हटा लिए जाने के बाद, गाड़ी प्रातः 04.40 बजे अम्बाला छावनी से रवाना हो गई थी।

संरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये रेलवे ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(1) फील्ड कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान से ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है।

(2) रेलवे स्टेशनों की इमारतों और प्लेटफार्मों आदि पर विशेषकर शौचालयों, प्रतीक्षालय और बुकिंग काऊंटर आदि संवेदनशील स्थलों पर गहन निगरानी के आदेश दिये गये हैं।

(3) धुलाई लाइनों, कोचिंग यार्डों आदि में रेलवे सुरक्षा बल, पुलिस तथा सवारी डिब्बा कार्मिकों द्वारा रेकों और निचले फ्रेमों की संयुक्त रूप से पूरी जांच की जाती है और प्लेटफार्मों तक उनका मार्ग-रक्षण किया जाता है। प्लेटफार्मों पर पुनः उनकी पूरी तरह जांच की जाती है।

(4) सूंघ कर विस्फोटक सामग्रियों का पता लगाने के लिये सूंघने वाले कुत्ते तैनात किये जा रहे हैं।

(5) सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को यह बताने के लिए बार-बार घोषणायें की जा रही हैं कि वे अधिक सतर्क रहें और किसी संदेहास्पद वस्तु को न छूयें क्योंकि यह विस्फोटक या बम हो सकती है। यदि ऐसी कोई लावारिस या संदेहास्पद वस्तु पाई जाये तो उसके बारे में रेल सुरक्षा बल/रेल कर्मचारियों को सूचना दी जाये।

(6) इस संबंध में आसूचना एकत्र करने के लिये राज्य पुलिस तथा सभी प्राधिकारियों के साथ निकट संपर्क और समन्वय बनाए रखा जा रहा है।

मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री बंसी लाल जी से भी मिला और मैंने उनसे इस मामले की गहराई से छानबीन कराने का भी अनुरोध किया।

सभी रेल कर्मचारी और मैं स्वयं शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना और घायलों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हैं।

मुझे विश्वास है कि शोक-संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करने में सदन भी मेरा साथ देगा।

अपराह्न 3.37 बजे

उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में संकल्प

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, मैं सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट में से पढ़ रहा था :

[अनुवाद]

> "राज्यपाल को विधान सभा के बाहर स्वयं अपने आप बहुमत के समर्थन के मुद्दे के निर्धारण का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। उसके लिए बुद्धिमानी का रास्ता यही होगा कि वे विरोधी दलों से सभा में अपना दावा सिद्ध करने के लिए कहें।"

[हिन्दी]

अब हमारे अलावा और किसी ने क्लेम किया ही नहीं। अगर कोई करता तो समझ में आता। हमने क्लेम किया था, हमने बात की थी कि सरकार बनाने में हम सक्षम हैं, हमें मौका दिया जाना चाहिये और अगर नहीं बना सकते या गिर जाते तो किसी और को मौका दिया जाना चाहिये या किसी तीसरे को दिया जाना चाहिये लेकिन यह कैसी बात है कि असेम्बली आयी, यह मौजूद है लेकिन आपने हाऊस का गठन नहीं किया और विधानसभा के लिये चुने गये सदस्यों को आज तक शपथ नहीं दिलाई। इसका मतलब क्या है? उद्देश्य क्या है और नीयत क्या है? मेरी समझ में नहीं आता कि कौन से संविधान की परम्पराओं का पालन किया जा रहा है। इस बीच में क्या-क्या किया गया है, इसके बारे में में तो आगे चलकर बताऊंगा लेकिन अभी तो यह बताना चाहता हूं कि जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं, जिसके अनुसार आप शक्ति ग्रहण कर रहे हैं, उसका हश्र क्या है? बोम्मई केस, जिसका बार-बार यहां पर उल्लेख किया जाता है और एक तरह से आजकल इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 356 और सुप्रीम कोर्ट के आदेश, निर्देश की बातें कही जाती हैं, मैं इस संदर्भ में श्री सोली सोराबली द्वारा बुक फार्म में छपे एक लेख को पढ़कर बता रहा हूं :

[अनुवाद]

> "एस.आर. बोम्मई बनाम भारत सरकार केस में उच्चतम न्यायालय का निर्णय-सोली जे. सोराबली की समीक्षा" उन्होंने कहा है:
>
> "एस.आर. बोम्मई के मामले का अनुपात, अनुच्छेद

356(1) की व्याख्या : न्यायमूर्ति सावंत और कुलदीप सिंह के अनुसार, अनुच्छेद 356 में विचारित परिस्थितियां हैं ऐसी हो सकती हैं जिनमें राज्य के शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलाना सम्भव नहीं है। 'नहीं सकता' शब्द का स्पष्ट अर्थ गतिरोध की स्थिति से है। तद्नुसार, ऐसी स्थिति जिसका उपचार किया जा सकता है वह गतिरोध की स्थिति पैदा नहीं करती है या अशक्त नहीं बनाती या राज्य के शासन में हस्तक्षेप नहीं करती है, संविधान के अनुसार ऐसी स्थिति अनुच्छेद में राष्टपति-उद्घोषणा जारी करने के अर्ह नहीं हैं।"

[हिन्दी]

कौन सा गतिरोध है, क्या इस प्रकार की असंभव परिस्थिति पैदा हो गयी थी जिसका निराकरण नहीं किया जा सकता था, क्या सरकार नहीं बनायी जा सकती थी, क्या किसी को शपथ दिलाकर अपना बहुमत सिद्ध करने का मौका नहीं दिया जा सकता था? सरकारिया कमीशन की सिफारिशों के अनुसार जो निर्देश दिये गये हैं, क्या उसके हिसाब से एक-एक करके क्रमानुसार आप लोगों को मौका नहीं दे सकते?

सीधी सी प्रक्रिया लिखी हुई है। बोम्मई केस साफ कहता है कि जब तक ऐसी असंभव परिस्थिति न हो जाए कि सरकार चलने में मुश्किल हो जाए या सरकार बनने में मुश्किल हो जाए, तब तक ऐसा न किया जाए। मगर आपने तो कोशिश ही नहीं की। राज्यपाल को पहले से चाबी भर दी गई थी कि किसी भी हालत में सरकार नहीं बनने देना। उसको ऐंठ दिया गया था। एक ही रिकार्ड राज्यपाल की तरफ से बार-बार बज रहा था। पता नहीं कैसा टेप है, बार-बार वही बजता था। जैसे कभी-कभी टेलीफोन में आता है कि यहां से कलकत्ता की सभी लाइनें व्यस्त हैं, ठीक उसी तरह से राज्यपाल का रिकार्ड बजता रहता है कि किसी का बहुमत नहीं हैं आप कैसे कह सकते हैं कि बहुमत नहीं है। कहा जा रहा है कि राजय सभा के चुनाव में कुछ नतीजे आ गए। तो राज्य सभा के चुनावों में तो हमारी संख्या 176 से बढ़कर 200 तक चली गई।...**(व्यवधान)** अगर बहुमत सिद्ध नहीं कर सके तो गिर जाएंगे। मेरा पूछना है कि उत्तर प्रदेश की जनता की सरकार से वंचित करने का अपराध क्यों किया जा रहा है? ये बिहार के लोग या बाहर के लोग उत्तर प्रदेश के अंदर शासन लाने में बाधा डालना चाहते हैं। क्या आप वहां सरकार को आने से रोकना चाहते हैं? आप उत्तर प्रदेश के साथ दुर्भावना रखते हैं, आप उसको पीछे रखना चाहते हैं, आप वहां का विकास ठप्प करना चाहते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठप्प करना चाहते हैं। मैनपुरी जिले में रोज एक हत्या हो रही है। बाराबंकी में मऊ में गुरुद्वारे के मुख्य पंथी की पुलिस पुलिस की उपस्थिति में हत्या कर दी गई। वह इतना पवित्र स्थान है जिस स्थान पर गुरु गोविन्द सिंह जी जा चुके हैं। लखीमपुर में हत्याएं हो रही हैं। मैनपुरी में जहां से हमारे रक्षा मंत्री आते हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में औसतन दो हत्याएं प्रतिदिन हो रही हैं। अभी डा. त्रिपाठी के बच्चों का अपहरण हुआ। रोज डकैतियां और अपहरण हो रहे हैं। इलाहाबाद में फिरौती मांगी जा रही है। लोग फिरौती न दिये जाने के कारण मार दिये गए हैं। हर प्रकार के अपराध पिछले एक महीने में उत्तर प्रदेश में बड़े हैं क्योंकि अपराधियों को विश्वास हो गया था कि केंन्द्र की सरकार वहां पर सरकार नही बनने देना चाहती है, केन्द्र की सरकार वहां अपराधियों को संरक्षण देना चाहता है, केन्द्र की सरकार वहां अपराध बढ़ाना चाहती है। यह एक षडयंत्र है जो जान-बूझकर उत्तर प्रदेश की जनता के विरुद्ध किया जा रहा है और इसके लिए आप संविधान का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। इसके लिए आप संविधान को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। इस बात की भी आप इतनी सी चिन्ता नहीं करते कि संविधान में जो स्पष्ट निर्देश हैं, आप उनका पालन करें। मुझे बहुत अफसोस है कि गृह मंत्री जी जैसे वरिष्ठ नेता ने, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, देश इजजत करता है, सदन इज्जत करता है, ऐसे घोर असंवैधानिक कृत्य की इजाजत दी और उसको सदन में यहां आकर प्रस्तुत किया।

यह बताया जा रहा था कि इन सब परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका की लखनऊ पीठ ने दो फैसले दिये। उन फैसलों को जब मैं पढ़ रहा था तो उसके न्यायाधीश ने प्रथम पृष्ठ पर ही जो उद्धरण दिया है, वह मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वह बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही उद्बोधक है। मैं तो पहले वह पढ़ रहा हूं जो रजा साहब ने लिखा है।

[अनुवाद]

माननीय एस.एच. ए.रजा जे. ने निम्न आदेश दिया है :

> "वस्तुतः मैं इन व्यक्त भावनाओं से सहमत हूं कि अच्छी बात जिसकी हमें अपेक्षा करनी चाहिए वह यह है कि इस तरह के आदेश कभी भी प्रवर्तन में न लाए जाएं और उन्हें मृत-अनुच्छेदों के रूप में ही रहने दिया जाए।"

उन्होंने डा. अम्बेडकर की संविधान सभा के वाद-विवाद से उद्धृत किया है, उन्होंने आगे कहा है :

> "यदि उन्हें कभी प्रवर्तन में लाया भी जाता है तो मुझे आशा है कि राष्ट्रपति जिन्हें ये शक्तियां प्रदान की गई हैं, वे किसी प्रान्त के प्रशासन को निलम्बित करने से पूर्व समुचित सावधानी बरतेंगे। मुझे आशा है कि पहला काम जो वे करेंगे वह यह है कि गलती करने वाले राज्य को केवल चेतावनी जारी करेंगे कि प्रशासन इस ढंग से नहीं चलाया जा रहा है जिस तरह से संविधान में आशायित था।"

डा. बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में अनुच्छेद 277 और 277क के प्रारूप पर वाद-विवाद के उत्तर में जिन्हें बाद में भारत के संविधान में अनुच्छेद 356 के रूप में सम्मिलित किया गया...

> "डा. अम्बेडकर जैसे स्तर का व्यक्ति भी यह कल्पना नहीं कर सका कि भारत के राष्ट्रपति सौ या लगभग इतने अवसरों पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग करेंगे। केवल इसी कारण से, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत सरकार और अन्य 1994(3) एस.सी.-1 के केस में प्रतिवेदन के पैरा 295 में माननीय एस.सी. अग्रवाल जे. और स्वयं की ओर से माननीय बी.पी. जीवन रेड्डी ने टिप्पणी की थी..."

यह टिप्पणी कितनी महत्वपूर्ण है। कृपया इसे सुनें।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

इसीलिए तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। सोमनाथ जी, संतोष मोहन देव जी आपका ध्यान इस तरफ होना चाहिए। जनतंत्र की रक्षा कीजिए, मित्र की रक्षा बाद में हो जायेगी। गृह मंत्री जी, जज साहब क्या कहते हैं इसको सुनिये-

[अनुवाद]

> "वह प्रावधान जिसका कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए था, समाप्त होने के बजाए बीसों राज्य सरकारों और विधान सभाओं को बर्खास्त करने का कारण बन गया।

[हिन्दी]

यह कोटेशन बी.पी. जीवन रेड्डी की तरफ से है जो उन्होंने बोम्मई केस में कहा है और कितना सच है, कितना प्रोफेटिक है। यह महान न्यायमूर्ति कितने भविष्यदृष्टा थे जिन्होंने यह बात कही थी।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी का निर्णय ही था जिसकी आपने आलोचना की थी।

डा. मुरली मनोहर जोशी : उनकी कतिपय बातों के लिए आलोचना की गई थी। लेकिन मैं आपसे इस संबंध में पूछ रहा हूं।

[हिन्दी]

आप इससे सहमत हैं या नहीं। बस इतना ही पर्याप्त है और इस तरह से आपने और किसी के लिए हुआ हो या न हुआ हो लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश की विधान सभा के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, जनतंत्र के लिए, संविधान के लिए तो अवश्य ही इस बार का यह संविधान के अनुच्छेद 356 का दुष्प्रयोग वास्तव में मृत्यु का ही पत्र था, यह मृत्यु का आदेश है। यह आपने जनतंत्र की हत्या कर दी, आपने फासीवाद का समर्थन संविधान की हत्या कर दी, आपने परम्पराओं की हत्या कर दी, आपने फासीवाद का समर्थन कर दिया। इसके अलावा फासिज्म क्या है। आप हर प्रकार से असंवैधानिक कृत्य करते चले जाएं, किसी दूसरी प्रतिपक्षी पार्टी को आने से बलपूर्वक, छलपूर्वक रोकते चले जाएं। अगर जनतंत्र से रोको तो कोई आपत्ति नहीं है। यह छल और कपट, इसकी अपेक्षा तो आपसे नहीं है और अगर आप यही करना चाहते हैं तो इसका संकेत और संदेश जनता में क्या जायेगा। क्या आप समझते हैं कि आप इस तरह से जनतंत्र की हत्या करते रहेंगे तो यह बहुत दिनों तक देश में एक शुभ संकेत देगा। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस तरह की गतिविधियां बढ़ती रहीं तो देश की जनता संविधान की ऐसी हत्या करने वालों को सबक सिखाने का पूरा दम रखती है और वह दिन दूर नहीं है कि जब आपको अपने इन दुष्कृत्यों पर पश्चाताप करना पड़ेगा, क्षमा मांगनी पड़ेगी।...**(व्यवधान)** गुजरात में भी हमारे साथ यही किया गया। मैं उस प्रश्न को उठाना नहीं चाहता, लेकिन आप सुनना ही चाहते हैं तो गुजरात में जो किया गया वह भी एक घोर दुष्कृत्य है। उसी अनुच्छेद 356 का ऐसा दुरुपयोग है, धिनौना दुरूपयोग है, जो दुनिया के इतिहास में कही नहीं मिलेगा। एक बहुमत प्राप्त सरकार को आपने उठाकर फेंक दिया और उसने सदन में अपना बहुमत भी सिद्ध किया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हमें केवल इस विष पर ही बोलना चाहिए

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस आज के प्रस्ताव को स्वयं वापस ले लें। राष्ट्रपति की घोषणा से वहां उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, इसे स्वयं ही उठा लें और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर दें और जनतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करें। जनतांत्रिक प्रक्रिया की शुरूआत में अगर कहीं ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी भी हालत में सरकार न बन पाये, कोई भी सरकार न चल पाये, तब आप संविधान के अनुसार, संविधान की मंशा के अनुसार आगे काम कर सकते हैं। लेकिन बिना अवसर दिये हुए जब आप यह कर रहे हैं तो फिर उससे तो मुझे लगता है कि आपकी नीयत खराब है। यह सवाल केवल तकनीकी कारणों का ही नहीं है, यह बदनीयती का सवाल है। यह कांस्टीट्यूशनल इम्प्रोप्राइटी नहीं है बल्कि कांस्टीट्यूशनल फ्रॉड है और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कम से कम इस

कांस्टीट्यूशनल फ्रॉड को न करे। इसी प्रकार बोम्मई केस में भी :

[अनुवाद]

"मंत्रालय की संख्या निश्चित करने के लिए मानदंड, शक्ति परीक्षण बोम्मई केस में जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठा था वह था मंत्रालय की संख्या निश्चित करने के लिए परीक्षण का समुचित तरीका और यह निश्चित करने के लिए कि इसने सभा का विश्वास खो दिया है या प्राप्त है, तो अधिकांश का विचार यह है कि इसके लिए सभा ही मुख्य संवैधानिक निर्धारित मंच है। मंत्रालय की संख्या का जायजा सभा में ही सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कर निश्चित किया जा सकता है। इसलिए, जहां इस तरह का प्रदर्शन सम्भव है वहां इसकी उपेक्षा करके राज्यपाल या राष्ट्रपति की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है।"

[हिन्दी]

बहुत साफ लिखा है, आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। हर बात में आप सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देते हैं। बोम्मई केस आपके लिए बाइबिल है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, लॉ है, कानून है, फिर उसको क्यों नहीं मानते हैं। आप उसे क्यों बाईपास करते हैं। कल विधान सभा की बैठक बुलाईए, कल हमें मौका दीजिए, परसों हम आपको बहुमत सिद्ध करके दिखा देंगे, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर दिखा देंगे। लेकिन आप हमें मौका नहीं देना चाहते। जैसा मैंने कहा कि आप छल-कपट से काम लेना चाहते हैं।...**(व्यवधान)** इसे टालना चाहते हैं। अगर आप सदन बुलाएंगे और हम बहुमत साबित नहीं कर पाए तो गिर जाएंगे, चले जाएंगे लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि हम बहुमत सिद्ध नही कर पाएंगे। उसका परीक्षण सदन में होगा। जब आप सरकारियां कमीशन, बोम्मई केस और परम्पराओं की बात करते हैं तो हमें मौका दीजिए, हम सदन में आपको बहुमत दिखाएंगे। यदि ऐसा नहीं कर सकेंगे तो गिर जाएंगे...**(व्यवधान)** लेकिन गृह मंत्री जी मैं आपसे बार-बार कहना चाहता हूं और राज्यपाल के आचरण के बारे में मुझे यहां बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, जैसा राज्यपाल के विषय में कहा गया कि कैसे लोग राज्यपाल बनाये गए हैं, कैसे लोगों को आप राज्यपाल बनाते हैं, फिर वे क्या करते हैं, क्या राज्यपालों का यही कर्तव्य है? मैं आपके सामने कांस्टीट्यूएंट असैम्बली की डिबेट से पंडित जवाहर लाल नेहरू के उद्धरण देना चाहता हूं, जो पृष्ठ 121 पर पैरा 4.6.03 है :

[अनुवाद]

राज्यपाल के चयन के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा था :

"मेरे विचार से यह बहुत ही बेहतर होगा यदि उसे ('उसे का तात्पर्य 'राज्यपाल') प्रान्त की स्थानीय राजनीति से इतना घनिष्ठ रूप से नहीं जोड़ा जाता है... और क्या किसी अनासक्त व्यक्ति को राज्यपाल बनाना बेहतर नहीं होगा जोकि प्रान्त की सरकार को स्वीकार्य हो और उसे उस प्रान्त के प्रशासन तंत्र के भाग के रूप में न जाना जाए... लेकिन कुल मिलाकर - कदाचित यह वांछनीय होगा कि उसे बाहर से लिया जाए - प्रसिद्ध व्यक्ति, और कभी कभी ऐसा व्यक्ति जिसने राजनीति में अधिक भाग ने लिया हो। राजनेता कदाचित अपने क्रियाकलापों के लिए अधिक सक्रिय क्षेत्र पसंद न करते हैं। लेकिन वह प्रसिद्ध शिक्षाविद् हो सकता है या वे व्यक्ति जिन्होने जीवन के अन्य क्षेत्रों में प्रसिद्धि प्राप्त की हो जो स्वाभाविक रूप से हर हालत में सरकार की नीतियों को लागू करने में पूर्ण सहयोग करते हुए हर तरह से सहायता कर सके ताकि सरकार की नीति लागू की जा सके। इसके बावजूद वह ऐसा व्यक्ति होगा जो दलगत भावना से ऊपर होगा और इससे वस्तुतः वह दलीय तंत्र के भाग के रूप में नहीं समझा जाएगा और सरकार की आर्थिक सहायता करेगा।

[हिन्दी]

संतोष मोहन देव जी, क्या मै ठीक कह रहा हूं कि रोमेश भंडारी जी कांग्रेस के फंक्शनरी रहे हैं। वे एक राजनीतिज्ञ हैं और पंडित जवाहर लाल नेहरू जी कांग्रेस के महान नेता थे, देश के महान नेता थे, देश के प्रधान मंत्री थे लेकिन राज्यपालों के बारे में कांस्टीटॅएंट असैम्बली में उन्होंने जो कुछ कहा, जो कवालिटीज बताई, जो गुण-अवगुण बताये, उन्होंने कहा है कि किसी पार्टी फंक्शनरी को राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए - फिर आपने उन्हें राज्यपाल क्यों बनाया, क्यों समर्थन दिया जब वे एक पार्टी के फंक्शनरी रहे हैं, किसी एक खानदान के साथ अपने संबंध भक्तिभाव से जोड़े रहे हैं और जो बिल्कुल साफ तौर से कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने की इजाजत नहीं दूंगा। जब एक पार्टी उनसे जाकर कहती है कि हम सरकार बनाने में सक्षम हैं, हमें मौका दीजिए तो राज्यपाल खुद दूसरे लोगों को फोन करते हैं और कहते हैं बताईए, आप क्या कहना चाहते हैं, किसे समर्थन देना चाहते हैं - यह तो राज्यपाल का कर्तव्य नहीं है...**(व्यवधान)** हां, इलाहाबाद में दो टेलीफोन एक्सचेंज हफ्ते भर में जल गए ...**(व्यवधान)**

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : रिस्टोर हो गए।

डा. मुरली मनोहर जोशी : अगर रिस्टोर हो गए तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सदन को गुमराह नहीं कर रहे हैं। यह फोन इम्प्रूवमेंट की बात अलग है, लेकिन मैं

राज्यापालों की नीयत के बारे में, उनकी छांट के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा. जोशी, आपने पचास मिनट का समय ले लिया है और बी.जे.पी. को आबंटित समय केवल एक घंटे और पांच मिनट का है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं केवल दो या तीन मिनट का समय और लूंगा।

[हिन्दी]

मैं केवल यह अनुरोध करना चाहता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति को जो किसी पार्टी का फंक्शनरी रहा हो, चुनावों में सीधे-सीधे भाग लेता रहा हो, जिसकी राजनैतिक आकांक्षाएं हों, उसे आपने उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बना दिए और उनके माध्यम से सारे उत्तर प्रदेश में आप गड़बड़ी करा रहे हैं - अगर आपकी नीयत ठीक है तो क्या ऐसे राज्यपाल को आप वापस बुलाएंगे। अगर आपकी नीयत में खोट है, आप राज्यपाल के साथ मिलकर कोई षडयंत्र कर रहे हैं तब तो मुझे कुछ नहीं कहना लेकिन अगर आप जनतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, देश की कुल जनसंख्या के 1/6 भाग का विकास करना चाहते है, वहां लॉ एंड आर्डर के साथ साथ एक अच्छा जनतांत्रिक शासन देना चाहते हैं तो फिर यह जरूरी है कि आप इस उद्घोषणा को, इस प्रोक्लेमेशन को स्वयं वापस ले लें, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को अविलम्ब उठाएं और वहां सबसे बड़ी पार्टी का सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कराएं, राज्यपाल महोदय को वापस बुलाएं या कम सेकम उत्तर प्रदेश से हटाएं। इसके बिना उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं है।

मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि आप इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, आप गृह मंत्री जी कृपा करके संविधान की हत्या करने का अपराध न करें और देश में फासीवाद का उदय न होने दें। धन्यवाद।

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : अगर मैं हट जाऊं तो क्या आपकी पार्टी बच जाएगी?

डा. मुरली मनोहर जोशी : जनतंत्र तो बच जाएगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, इस सांविधिक संकल्प पर चर्चा करने के लिए कार्य समिति द्वारा आबंटित किया गया समय चार घंटे है। वाद-विवाद अपराह्न 2.50 बजे शुरू हुआ था। बीच में माननीय रेल मंत्री ने पांच मिनट का समय लिया था। यदि माननीय अध्यक्ष महोदय आज की सभा की बैठक बढ़ाने का निर्णय नहीं लेते हैं तो इस पर चर्चा कल जारी रखी जाएगी।

बेगम नूर बानो (रामपुर) : महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 17 अक्टूबर, 1996 को उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावित संकल्प के बारे में कुछ कहने के लिए खड़ी हुई है।

यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि विधान-सभा के दोबारा चुनाव कराये जाने के बाद भी उत्तर-प्रदेश में जन-समुदाय के प्रति किसी उत्तरदायी लोकप्रिय सरकार का गठन नहीं हो सका है। राज्य में वर्तमान राजनीतिक स्थिति के दृष्टिगत संविधान के अनुच्छेद 356 का दोबारा आश्रय लेना पड़ रहा है। 17 अक्तूबर 1996 को की गई उद्घोषणा स्वीकृति हेतु हमारे समक्ष है। अब यह हमारे ऊपर अर्थात् लोक सभा सदस्यों पर निर्भर करता है कि हम इसे स्वीकृति प्रदान करें अथवा इसे अस्वीकृत करें। ऐसी उद्घोषणा को यदि हम स्वीकृति प्रदान नहीं करते हैं, तो यह दो महीने के पश्चात् स्वयमेव समाप्त हो जायेगी।

सभापति महोदय : महोदया, वाद-विवाद के दौरान यह सभा की परम्परा नहीं है कि भाषण को अक्षरशः पढ़ा जाए। चूंकि यह आपका पहला भाषण है, अतः यदि अन्य माननीय सदस्य सहमत हों तो आपको भाषण पढ़ने की अनुमति दी जा सकती है।

कुछ माननीय सदस्य : चूंकि यह इनका पहला भाषण है अतः इन्हें पढ़ने की अनुमति दी जाये।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, मैं माननीय सदस्यों से इस बात पर पूर्णतया सहमत हूं कि चूंकि यह उनका पहला भाषण हैं अतः उन्हें अपना भाषण पढ़ने की अनुमति दी जाए।

बेगम नूर बानो : इस संकल्प पर निर्णय लेने से पूर्व हमें संवैधानिक तंत्र के असफल होने के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए। यह देखना होगा कि यह कैसे हुआ और हमारे सामने कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। इसके संदर्भ में हमें बी.जे.पी. और इसके विरोधियों की भूमिका का मूल्यांकन करना होगा।

अपराह्न 4.00 बजे

हमें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि केन्द्रीय सरकार विभिन्न दलों से मिलकर बनी है जिनका एक सामान्य लक्ष्य धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना और सम्प्रदायवाद को समाप्त करना है।

महोदय, इस परिप्रेक्ष्य में, मैं माननीय सदस्यों को स्मरण कराना चाहूंगी कि मेरे दल ने वर्तमान सरकार को जो बिना शर्त समर्थन दिया है उसका सीधा कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता के प्रति वचनबद्ध है, जबकि सभी राजनीतिक दल अपने-अपने साम्प्रदायिक विचारों से ग्रस्त हैं। कांग्रेस पार्टी में वर्तमान सरकार को अपना सम्पूर्ण समर्थन दिया क्योंकि वह समझती थी कि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो भारत में सम्प्रदायवाद मजबूत हो जायेगा। बी.जे.पी. और इसके साथ के दल केन्द्र में सरकार नहीं बना पाए क्योंकि वे अपनी विचारधारा के अनुसार आवश्यक समर्थन नहीं जुटा पाए।

बी.जे.पी. ने उत्तर-प्रदेश में भारी बहुमत से जीतने और अपनी सरकार बनाने का दावा करके चुनाव में भाग लिया था परन्तु परिणाम कुछ और निकले। बी.जे.पी. को स्पष्ट रूप से नकार दिया गया है। संयुक्त मोर्चा और बहुजन समाजपार्टी-कांग्रेस गठबंधन में, बी.जे.पी. और सम्प्रदायवाद के विरूद्ध अभियान चलाया। संयुक्त मोर्चा और बी.एस.पी. - कांग्रेस गठबंधन ने मिलकर विधान सभा की 425 सीटों में से 232 सीटें प्राप्त की। दूसरे शब्दों में, वे असानी से बहुमत जुटा सकते थे। वास्तव में, हमें उत्तर-प्रदेश के लोगों द्वारा दिए गए जनादेश को पहचानना होगा, उन्होंने सम्प्रदायवाद को अस्वीकार कर दिया है और धर्म-निरपेक्षता का समर्थन किया है परन्तु इसके साथ ही उन्होंने यह भी इच्छा व्यक्त की है कि धर्म-निरपेक्ष शक्तियों को मिलीजुली सरकार बनानी चाहिए।

अतः वास्तव में उत्तर-प्रदेश में विधान सभा चुनाव में बी.जे.पी. तथा उसके सहयोगी दलों और धर्म-निरपेक्ष शक्तियों दो दलों के बीच एक विकल्प था। बी.जे.पी. को अस्वीकार किया जाना स्पष्टतया कांग्रेस के पक्ष में जनादेश है। धर्म निरपेक्ष शक्तियां दो दलों में विभक्त थी। यथा बहुजन समाज पार्टी-काग्रेस गठबन्धन और एस.पी.-यू.एफ. गठबंधन हालांकि लागों ने धर्म-निरपेक्षता के पक्ष में मतदान किया परन्तु उन्होंने इनमें से किसी एक ग्रुप या पार्टी को सत्ता नहीं सौंपी। अतः संयुक्त मोर्चा और विशेषतः एस.पी. द्वारा यह कहना गलत है कि लोगों ने उनके पक्ष में मतदान किया है। इस सदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगी कि वे अपनी स्थिति को सुधारने वाला केवल एक ही दल था और वह था कांग्रेस पार्टी।

वर्तमान गतिरोध का कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में संयुक्त मोर्चा और उसके प्रमुख घटक एस.पी. ने एक जैसी नीति का अनुसरण नहीं किया। जबकि इस दल ने केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की सहायता प्राप्त की है परन्तु यह उत्तर-प्रदेश में कांग्रेस को अपनी तरफ करने में असमर्थ रही है। एक तरफ यह कहना है क यह धर्मनिरपेक्षता के प्रति वचनबद्ध है तो दूसरी ओर एक दलित महिला को मुख्य-मंत्री स्वीकार करने में असमर्थ है। ऐसा करके यह केवल बी.जे.पी. का पलड़ा भारी कर रही है अतः संयुक्त मोर्चा सरकार उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उस नीति से बिलकुल भिन्न नीत का अनुसरण कर रही है जिसका वह राष्ट्रीय स्तर पर अनुसरण कर रही है। कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता के प्रति वचनबद्ध है और वह निहित स्वार्थी और व्यक्तिगत आंकाक्षाओं को इस पर हावी नहीं होने देंगी। दूसरी और जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है संयुक्त मोर्चा ने कुछ आत्म-ज्ञात करणों से अपने हितों की पूर्ति हेतु धर्म-निरपेक्ष सिद्धातों को एक ओर कर दिया है। वे नहीं जानते कि ऐसा करके वे वास्तव जनादेश को अस्वीकृत कर रहे हैं और सांप्रदायिक शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं।

इस संदर्भ में जब बी.जे.पी. - सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भी बहुमत अर्जित करने में अभी तक असफल रहा है तो राज्यपाल के सम्मुख अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा की सिफारिश करने के अलावा कोई और उपाय ही नहीं बचता था। शायद राज्यपाल को यह आशा थी कि दो महीने के भीतर मिली जुली सरकार बनाई जा सकेगी और बहुमत सिद्ध किया जा सकेगा। दुर्भाग्यवश ऐसा अब तक नहीं हो सका है। चुनाव एक खर्चीली प्रक्रिया है जिसका खर्चा जनता द्वारा ही उठाया जाता है। जनता ने उपना जनादेश दे दिया है यह हमारे ऊपर है कि हम उसे समझें और उनकी आकांक्षाओं का आदर करें। संयुक्त मोर्चा को इसे समझना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वह कुछ व्यक्तिगत हितों तथा कुछ व्यक्तियों की इच्छाओं को धर्म-निरपेक्षता की घोषित नीति के ऊपर हावी न होने दें। उन्हें काग्रेस पार्टी के अनुभवों से कुछ सीखना चाहिए और वही करना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी केन्द्र में कर रही है। उन्हें समझना चाहिए कि आखिरकार हमें अपनी जनता की चिन्ता करनी है और कुछ राजनीतिक हस्तियों की नहीं। लोकतन्त्र का हमेशा कोई अर्थ रहा है और इसका तात्पर्य हमेशा जनता की सरकार जनता द्वारा बनाई गई सरकार और जनता के लिए सरकार रहेगा।

अतः यह बहुत आवश्यक है कि यह घोर संकट समाप्त किया जाये और चुने हुए प्रतिनिधियों को शासन चलाने के उनके अधिकार सौपे जाएं।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शायद कुछ और समय लगेगा। संयुक्त मोर्चा को कुछ आत्म-निरीक्षण करना होगा। अतः यह मेरे लिए आवश्यक है कि मैं सरकार द्वारा लिये गये निर्णय का समर्थन करूं तथापि इससे राज्य में लोकतन्त्र का स्वरूप मजबूत नहीं होगा।

महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों की आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अपना भाषण पढ़ने की अनुमति दी क्योंकि यह मेरा प्रथम भाषण था।

श्री पी. कोदंडा रमैया (चित्रदुर्ग) : महोदय, मुझे संदेह है कि क्या मुझे डा. मुरली मनोहर जोशी को उनके उत्कृष्ट भाषण के लिए मुबारकवाद देनी चाहिए अथवा नहीं जिसमें उन्होंने सरकार बनाने के अपने पार्टी के दावे का समर्थन किया है। उनका भाषण बी.जे.पी. द्वारा सरकार बनाने से संबंधित है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी कुछ टिप्पणियां निरर्थक थी और कुछ संगत नहीं थी। यह तो स्वीकृत तथ्य है कि बी.जे.पी. एकमात्र बड़ा दल है और बी.जे.पी. का यह कहना है कि चूंकि उनका दल सबसे बड़ा दल है अतः राज्यपाल को उनके दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। मुझे वास्तव में आश्चर्य होता है कि क्या यह कोई स्वयंचालित प्रक्रिया है। क्या ऐसे सबसे बड़े दल को जिसका सदन में बहुमत न हो, उसे राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाये? ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल, यदि कोई हो, को स्वयं ही यह समाधान निकालना होता है अथवा सरकार बनाने का दावा करने वाले विभिन्न दलों के सदस्यों की संख्या और खामियों का मूल्यांकन करने के बाद यह तय करना होता है कि क्या किसी दल को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाये अथवा नहीं।

उत्तर-प्रदेश में स्थिति यह है कि बी.जे.पी. अपनी सदस्य संख्या 176 में कोई भी वृद्धि नहीं कर पाई है और कई महीनों से वह विधायकों के समर्थन का दावा करते चले आ रहे हैं। चुनाव सम्पन्न हुए लगभग दो महीने समाप्त हो चुके हैं और वे अपने 176 विधायकों के अतिरिक्त एक भी विधायक जुटा पाने में समर्थ नहीं हो सके हैं।

श्री जोशी ने यह भी कहा है कि सरकारियां कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार और बोम्मई केस में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार सरकार का बहुमत सदन में सिद्ध करना होता है। मैं उनकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि विद्यमान सरकार को बहुमत सभा में ही सिद्ध करना होगा। यदि हम बी.जे.पी. द्वारा राज्यपाल के लिए उचित ठहराये गए रास्ते का अनुसरण करें तो क्या हम सभी विधायकों को सदन में आमंत्रित करके फिर बी.जे.पी. को अपना बहुमत सिद्ध करने को कह सकते हैं?

आप बी.जे.पी. द्वारा इसी सभा में बनाई गई सरकार का उदाहरण ले सकते हैं । किसी भी दल का बहुमत तभी सिद्ध होता है जबकि सरकार बना ली जाए। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के लिए सबसे पहला कदम यह होता है कि वह किसी एक व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे, और उस व्यक्ति, जो प्रधान मंत्री अथवा मुख्यमंत्री होगा, के परामर्श से मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है और वह मंत्रिपरिषद सदन में अपना बहुमत सिद्ध करेगी। यह ऐसे नहीं होता है कि आप सभी विधायकों को सभा में आमंत्रित करें और फिर उनसे अपना बहुमत सिद्ध करने को कहें। इसकी यह प्रक्रिया नहीं है। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल इससे पहले कि वह किसी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें अथवा सदन की सभा बुलाए उसे कुछ अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होता है। संविधान के अनुच्छेद 163 (2) के अनुसार राज्यपाल का विवेक असीम है परन्तु मुझे आश्चर्य है कि क्या विवेक इतना असीम है और वह मनमाने ढंग तक अपनाया जा सकता है। विवेक अथवा व्यक्तिपरक संतुष्टि सदैव व्यक्तिपरक ही नहीं होती, उसे कतिपय विषयपरक तर्कों पर आधारित होना चाहिए। इस मामले में यद्यपि राज्यपाल के पास किसी भी दल को आमंत्रित करने का पूर्णतः अधिकार है और जहां तक संवैधानिक कार्यकारण का संबंध है उनकी संतुष्टि व्यक्तिपरक है, उन्हें अपने व्यक्तिपरक निर्णय को न्यायोचित ठहराने के लिए कतिपय विषयपरक मानदण्ड अपनाना चाहिए। इस मामले में उन्होंने सभी दलों को अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिया परन्तु अभी तक कोई भी दल ऐसा करने में सफल नहीं हो पाया है।

यदि किसी ऐसे दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है जिसके पास बहुमत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दलबदल होने की आशंका भी बनी रहती है, इस संकट अथवा गतिरोध से बचने के लिए राज्यपाल ने 'इंतजार और देखो' का फैसला किया ताकि वह देख सकें कि क्या कोई राजनीतिक गठबंधन ऐसा बनता है, ताकि वह किसी ऐसे सबसे बड़े दल को इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् सरकार बनाने हेतु आमंत्रित करे कि उन्हें बहुमत का समर्थन प्राप्त है। गठजोड़ तो बने हैं। गठजोड़ों की बात चली है। कभी-कभी तो यह कहा गया है कि बी.एस.पी और बी.जे.पी. गठजोड़ बनाने जा रहे हैं, या अथवा उनमें आपसी समझबूझ के संकेत हैं और संभवत बी.जे.पी. पार्टी बी. एस.पी., का बाहर से समर्थन करेगी या यह कि बी.एस.पी. पार्टी बी. जे.पी. के साथ मिल जाएगी या बाहर से ही समर्थन देगी। परन्तु इनमें से किसी भी बात को साकार रूप नहीं दिया जा सका है। इसी कारण उत्तर प्रदेश में अभी भी स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है।

जहां तक उद्घोषणा अवधि अथवा उद्घोषणा के जारी होने का सम्बन्ध है मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि दो उद्घोषणा हुई है। एक उद्घोषणा एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए वैध नहीं हो सकती। परन्तु दो सरकारी उद्घोषणाएं हुई हैं। प्रथम उद्घोषणा राष्ट्रपति शासन को हटाने और दूसरी राष्ट्रपति शासन को पुनः लागू करने से संबंधित है। जहां तक इन दो उद्घोषणाओं का संबंध है इनमें कोई भी संवैधानिक दुर्बलता नहीं है। यह बात बहुत ही स्पष्ट है कि ये स्पष्ट हैं और अलग-अलग हैं और वे एक दूसरे को न्यायोचित ठहराता हैं इन दोनों बातों की उद्घोषणा में कोई भी संवैधानिक अनुपयुक्तता नहीं है।

हम अनुच्छेद 356 का विरोध करते रहे हैं। आज से नहीं अपितु बहुत लम्बे अर्से से हम इसका विरोध करते रहे हैं। सी.पी.आई के नेता माननीय गृहमंत्री श्री इन्द्रजीत गुप्त लगातार इसका विरोध करते रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बी.जे.पी. ने भी इसका विरोध किया है। कांग्रेस इसका विरोध करती है। इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं।

सोमनाथ चटर्जी : बी.जे.पी. ने अनुच्छेद 356 का कभी भी विरोध नहीं किया।

श्री पी. कोदंडा रमैया : अब तो मामले के हित को ध्यान में रखते हुए वह इसका विरोध कर रहे हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : इसका दुरूपयोग नहीं होना चाहिए। हमने अपनी सिफारिश की है। लेकिन आप इसे रखना भी चाहते हैं और दुरूपयोग भी करना चाहते हैं।

श्री पी. कोदंडा रमैया : क्या मैं विपक्ष में बैठे अपने मित्रों से पूछ सकता हूं कि क्या वह उसी जनता दल सरकार में शामिल नहीं थे जिसने केन्द्र में सरकार बनाते ही राज्यों की कांग्रेस सरकारों को भंग कर दिया था? क्या उन्होंने उस समय इस कार्यवाही का विरोध किया था? क्या जब जनता दल सत्ता में आया तो उनके दल ने कांग्रेस सरकारों के भंग करने का समर्थन किया था? मैं न तो कांग्रेस का समर्थन कर रहा हूं और न ही जनता दल का। लेकन मैं तथ्यों को बताता रहा हूं कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक दल ने एक समय अथवा अन्य समय सरकार को सदन में अपनी शक्ति-परीक्षण करने का अवसर दिये बिना ही सरकार के विरुद्ध इस प्रावधान का प्रयोग

किया है। यह वर्ष 1977 और 1980 में हुआ है। हमें ऐसा नहीं जताना है कि हम देवता है। आखिरकार हम मानव हैं और हमें सरकार चलानी है। हमें किसी विशेष सन्दर्भ में विद्यमान स्थिति की ओर ध्यान देना चाहिए और फिर सारे मामले के बारे में निर्णय लेना चाहिए। हम संयुक्त मोर्चा सरकार में हैं और उत्तर प्रदेश की स्थिति का अवलोकन करते रहे हैं। हम इस तथ्य से आश्वस्त हैं कि अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि उद्घोषणा को समाप्त करके किसी पार्टी को सरकार बनाने की अनुमति दी जाए। हमें कुछ और समय तक स्थिति की निगरानी करनी है। अब यह सदन के ऊपर निर्भर है कि वह उद्घोषणा को स्वीकृति प्रदान करे...**(व्यवधान)** मैं इस बात पर जोर देकर संस्तुति करता हूं कि यह सभा उद्घोषणा का अनुमोदन करे...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया उनके लिए व्यवधान उत्पन्न मत करें।

श्री पी. कोदंडा रमैया : यहां यह रिवाज ही बन गया कि हरेक व्यक्ति दूसरे का व्यवधान उत्पन्न करे।

अब मैं राज्यपाल के बारे में सरकारिया आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में चर्चा करूंगा। इसने भी इस बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं। परन्तु क्या वह व्यावहारिक हैं यह देखना हमारा काम है? मुझे नहीं लगता कि सरकार बनाने से पूर्व किसी सरकार का सभा में शक्ति परीक्षण किया जा सकता है। इस सीमा तक सरकारिया आयोग की रिपोर्ट न तो संवैधानिक आवश्यकता को पूर्ण करती है और न ही देश के कानून की आवश्यकता को पूर्ण करती है। अतः मेरा तो यही मत है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ, वह वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार सही ही हुआ है।

मैं सदन से आग्रह करता हूं कि वह माननीय गृह मंत्री द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभापति महोदय, मैं बहुत अप्रसन्नता से इस प्रस्ताव का समर्थन का रहा हूं क्योंकि हमारी नीति इतनी चरमरा गई है कि केन्द्र में संयुक्त मोर्चा सरकार को इस पर पुनः विचार करना पड़ा। श्री जोशी की बात को मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। आज श्री जोशी की 'मुरली' सुर में नहीं है। वे मधुर आवाज नहीं निकाल रहे हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : आपकी ग्रहणशीलता अस्थिर हो गई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, महत्वपूर्ण बात, जिसकी आशा की गई थी, वह था सरकार बनाने का दावा और उसे चलाना। वे अकेले - मामले के तथ्य के कारण स्वाभाविक तौर पर - मांग नहीं कर सके या नहीं की।

महोदय, हमने यहां पर 'तथाकथित' परंपरा का परिणाम देख लिया है। मैंने 'तथाकथित' इसलिए कहा क्योंकि इसे समय के अनुसार नहीं परखा गया। हमने सरकार बनाने के लिए विधायिका में बड़े दल को आमंत्रित करने की 'तथाकथित' परंपरा का परिणाम देखा है। हमें हाल ही में यह अनुभव हुआ है परिणाम क्या रहा? हमें सभा में एक और भूतपूर्व प्रधान मंत्री और भूतपूर्व मंत्री मिल गए। अन्ततः मैं नहीं जान पाया कि श्री जोशी सिकन्दर बख्त ने कौनसा मंत्रालय स्वीकार किया। मुझे आशा है कि वे इस देश में हमेशा भूतपूर्व प्रधान मंत्री और मंत्री रहेंगे।

महोदय, जब हमने अनुच्छेद 356 को निरस्त करने की बात कही - हम अभी भी कह रहे हैं - तब भाजपा हमारे समर्थन में कभी आगे नहीं आई। यह कहना बहुत आसान है कि इसका गलत इस्तेमाल मत करो। यहां प्रश्न यह है कि इस मामले के तथ्यों को देखते हुए क्या इसका दुरूपयोग हुआ है? यदि आप मामलें-वार इसकी बात करेंग तो आपको इस मामले पर निर्णय लेना होगा। आप अनुच्छेद 356 को हटाने या निरस्त करने का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमने तो राज्यपाल के पद को समाप्त करने तक की बात की थी जिसका उन्होंने समर्थन नहीं किया। अतः उनकी पीड़ा श्री रोमेश भंडारी को लेकर है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी उनमें आस्था सम्मत नहीं हुई है। आप कहते हैं कि श्री रोमेश भंडारी एक राज्यपाल विशेष ने सर्वोच्च न्यायालय के विनिर्णय और सरकारिया आयोग की रिपोर्ट समेत पूर्व - स्थापित परंपराओं के विपरीत कार्य किया है।

अपराह्न 4.10 बजे

(श्री नीतिश कुमार पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वाभाविक तौर पर वही कुछ भाग पढ़ना था जो उनके लिए उचित था। मैंने भी राज्यपाल की रिपोर्ट की जांच की है। मैं उनके साथ अस्पृश्यता का बर्ताव नहीं कर सकता हूं। वे इस देश के उस राज्य विशेष के राज्यपाल हैं जिसका अब जिक्र हो रहा है। वहां पर कई निर्विवाद तथ्य हैं जो विधायकों की संख्या से संबंधित हैं। भाजपा को बहुमत नहीं मिला है। वे चुनावों के दौरान-लोक सभा चुनावों के कारण-तथा उससे पहले लगभग 236 सीटें जीतने के लिए बहुत सुखभ्रांति में थे। इसलिए आपने सोचा कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य आपकी जेब में है। आप बहुत दुःखी हैं क्योंकि केवल 32.51 प्रतिशत लोगों ने उत्तर प्रदेश में आपके पक्ष में मतदान किया है। स्वाभाविक तौर पर आपको पता लगाना है कि क्या किया जाए। आज एक बात स्पष्ट है कि आप अलग-अलग पड़ गए हैं।

मैंने श्री वाजपेयी के वक्तव्य का कोई खण्डन नहीं देखा है जो उन्होंने कुछ दिन पहले - 14 नवम्बर को दिया था जो समाचार पत्रों में आया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि राज्य में लोकप्रिय सरकार के गठन हेतु भाजपा-बसपा गठबंधन की बात समाप्त हो चुकी है।

आप बाकी विधायक कहां से लाएंगे? आपके पास अभी भी 40 सदस्यों की कमी है। श्री वाजपेयी जैसे नेता ने 14 नवम्बर को कहा

था—यह "नैशनल हैराल्ड" में छपा है तथा मुझसे इस बारे में गलती भी हो सकती है, इस बारे में मैं अब तक कोई खण्डन नहीं आया है- कि बासपा की कोई गिनती नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप समाजवादी, जनता दल, सी.सी.आई, सी.पी.आई(एम) के अपने साथ आने की आशा नहीं कर रहे थे। जो पार्टी बची है वह केवल कांग्रेस है। हमने कांग्रेस के सदस्यों के भाषण भी सुने हैं। अतः क्या आप इस जादुई संख्या को पाने में कामयाब होंगे। इन हालातों में यदि आप अब भी बहुमत समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपको खरीद फरोख्त करनी होगी। आपने यह नहीं बताया है कि आप यह संख्या कहां से लाएंगें। मैं धैर्यपूर्वक इसका इन्तजार कर रहा था।

आप अपने आपको अनुशासन पर आधारित सिद्धांतवादी पार्टी कहते हैं। हमने गुजरात और अन्य राज्यों में जो हुआ है उसे देखा है। मैं आशा करता हूं कि काश! किसी ने उस बेचारे मंत्री को एक अतिरिक्त 'धोती' दी होती। कोई दावा पेश नहीं किया गया। सभा में भी, जबकि आप ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कर रहे थे, कोई बात सामने नहीं आई थी। सभापति महोदय स्वाभाविक तौर पर जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या हमें यहां पर परम्पराएं बनानी हैं या नियम अथवा यह जरूरी हो सकता है कि सभी राजनीतिक दल एक साथ बैठें और कार्य करने की प्रणाली का पता लगाएं। इसमें कोई औपचारिकता नहीं होनी चाहिए।

जोशी जी ने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया है। दुर्भाग्यवश वे उस भाग को पढ़ रहे हैं जो यहां पर प्रासंगिक नहीं है। मुझे विश्वास है कि उनके पास रिपोर्ट की एक प्रति होगी। एक मामले में सरकारिया आयोग ने ऐसे मौके पर सिफारिश की है जबकि संवैधानिक संकट आ गया हो। मैं पैरा 6.4.02 पढ़ता हूं :-

> "संवैधानिक संकट राजनीतिक संकट अथवा अस्थिरता का परिणाम हो सकता है। ऐसा उस स्थिति में हो सकता है जब आम चुनाव के बाद कोई पार्टी अथवा पार्टियों या ग्रुपों का गठबंधन विधान सभा में पूर्ण बहुमत न हासिल कर सका हो और राज्यपाल द्वारा सभी संभावनाओं का पता लगाने के बावजूद वह शक्ति परीक्षण के लिए सभा में शक्ति परीक्षण की बात नहीं करता - ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें विधान सभा के विश्वास से सरकार बनाने की पूर्ण असमर्थता नजर आती हो।"

मैं श्री रोमेश भंडारी की भूमिका को समझ गया हूं। वह यह पूछ रहे थे कि उन्हें बताया जाए कि बहुमत कैसे सिद्ध हो सकता है। सभापति महोदय, 15 अक्तूबर, 1996 को बहुत स्पष्ट करते हुए यह उल्लेख किया कि उस तारीख तक भाजपा द्वारा सरकार बनाने हेतु कोई दावा पेश नहीं किया गया था। आप इस रिपोर्ट को पढ़िए मैं ऐसा नहीं मान सकता हूं कि आपने 15 अक्तूबर को ऐसा नहीं कहा था। 16 अक्तूबर को उन्होंने एक और रिपोर्ट दी जिसका उल्लेख माननीय गृह मंत्री अपने भाषण में किया गया है कि भाजपा की राज्य इकाई में अध्यक्ष श्री कलराज मिश्रा ने अपने अन्य दो साथियों के साथ 10 बजे प्रातः मिलने की अनुमति मांगी तथा एक पत्र दिया, जिसकी फोटो प्रति संलग्न है। इस पत्र में यह कहा गया कि नव निर्वाचित विधान सभा में भाजपा समता पार्टी के साथ मिलकर सबसे बड़ा दल है इससे कौन इन्कार करता है?—तथा इस आधार पर यह राज्यपाल का संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि वह श्री कल्याण सिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। अतः उनका कहना है कि परम्पराओं का पालन करें। वे सभा में बहुमत का दावा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी इसका दावा नहीं किया है। 15 अक्तूबर तक उन्होंने सरकार बनाने के लिए अवसर देने से भी नहीं कहा तथा 16 अक्तूबर को वे राज्यपाल से मिले और उन्हें परम्पराओं का अनुसरण करने को कहा क्योंकि उनके पास 176 सदस्य हैं।

राज्यपाल ने स्थिति जानने के लिए कुमारी मायावती को भी टेलीफोन तक कर दिया। आप इस मामले में किसी को टेलीफोन करने के लिए उनकी आलोचना कर सकते हैं लेकिन उन्होंने मायावती से उनसे मिलने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वे व्यस्त हैं तथा उन्होंने यह कहा कि भाजपा को समर्थन देने या उनसे कोई तालमेल करने का प्रश्न ही नहीं उठता। 16 तारीख को यह स्थिति थी।

सभापति महोदय, मैं यह बहुत दुःख के साथ कह रहा हूं। ऐसा लगता है कि भविष्य में हमें ऐसे चुनाव परिणामों का सामना करना होगा। लोक सभा चुनाव के बाद भी उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं किया ताकि सरकार बनाई जा सके। इस देश का क्या होगा? केवल दोष लगाने से कुछ नहीं होगा। अतः बहुत अनिच्छा से हमारी पार्टी ने कहा "हमारे पास कोई अन्य रास्ता नहीं है।" निश्चित तौर पर हम एक और चुनाव नहीं चाहते हैं। सरकारिया आयोग ने कड़ी सिफारिश की थी कि लोगों को जल्दी-जल्दी चुनावों में नहीं झोंका जाना चाहिए। श्री बोम्मई के मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया था कि देश के लोगों पर यह खर्च नहीं डाला जाना चाहिए। इसमें खर्च होने वाली भारी धनराशि को देश बर्दास्त नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा तथा अधिक जनसंख्या वाला राज्य है जिसमें विधान सभा के 425 सदस्य हैं। स्थिति पहले चुनावों के एक या दो महीने के भीतर चुनाव की हो सकती है जिस पर भारी व्यय होगा। अतः जहां तक संभव हो सभी राजनीतिक दलों द्वारा समस्या के समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए। हम इसे राज्यपाल के विवेक पर क्यों छोड़ें?

राज्यपाल संविधानिक मुखिया है। उनका कर्तव्य यह देखना है कि सरकार बने लेकिन राजनीतिक दलों को उन्हें बताना चाहिए कि वे सरकार बनाने के लिए तैयार हैं और उनके पास सरकार बनाने के

लिए बहुमत हैं। भाजपा का कहना है कि "आप हमें मौका दीजिए, हम सदन में अपना बहुमत सिद्ध कर देंगे।" निश्चित तौर पर मैं सदन के भीतर बहुमत सिद्ध करने के सिद्धान्त के पक्ष में हूं। श्री रमैय्या ने यह सही ही कहा है कि बहुमत का निर्धारण सदन के भीतर होना चाहिए क्योंकि सरकारिया आयोग ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है। यह हमारे लिए बडे दुख की बात है कि इस देश में दलबदल जैसी चीज होती है।

सरकारिया आयोग ने कहा है कि जब कोई सत्ताधारी सरकार अल्पमत में आ जाती है तो यह दावा किया जाता है कि वह अल्पमत में है अथवा आरोप लगाया जाता है कि वह अल्पमत में है तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसे में क्या किया जाना चाहिए। और यहां पर वह कहते हैं कि निश्चित तौर पर इसका परीक्षण सदन के भीतर किया जाएगा तथा अन्य किसी भी अधार पर इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। हमारी भी हमेशा से यही मांग रही है। महोदय, मुझे पक्का यक़ीन है कि आप इससे सहमत होंगे कि और कोई भी अचुच्छेद 356 के उपबन्धों को लागू करने के खिलाफ इतनी कड़वाहट से नहीं लड़ा क्योंकि हम इन उपबन्धों के शिकार होते रहे हैं। उसी अनुच्छेद के अंतर्गत पश्चिम बंगाल और केरल में हमारी सरकारों को बर्खास्त किया गया है। मैं अभी भी इसे संविधान का एक अलोकप्रिय उपबन्ध मानता हूं। इस सबके बाद भी विधान सभा को भंग करने का सवाल नहीं उठना चाहिए। अतः यह निर्णय करना है कि वहां पर क्या किया जाना चाहिए।

श्री जोशी ने सरकारिया आयोग का हवाला दिया है। जैसाकि मैंने कहा कि वे बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। उन्हें कोई भी पार्टी अपना समर्थन नहीं दे रही है। वे निर्दलीय सदस्यों का समर्थन भी नहीं जुटा सकते हैं। और यदि उन्हें सारे निर्दलीय सदस्य अपना समर्थन भी दे दें तो भी वे निराशाजनक रूप से अल्पमत में ही रहेंगे। हाल में राज्य सभा के लिए हुए चुनावों का क्या नतीजा रहा? यह पूरी तरह से साबित हो गया कि वे कुछ और माननीय सदस्यों को राज्य सभा में भेजने के अपने पूरे प्रयासों के बावजूद इसमें सफल नहीं हो पाए। इसके लिए पार्टियों का कोई न कोई गठजोड़ बनाना अथवा उनमें आपसी तालमेल बैठाना होगा और हमें केवल धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के एक होने की आशा है। हम वहां पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य एक दिन पुनः साम्प्रदायिक प्रशासन के अधीन आ जाता है तो इस देश के लिए वह बहुत बड़े शोक का दिन होगा। हम देख चुके हैं कि भाजपा शासन के अधीन वहां पर राष्ट्रीय अपमान की घटना घटी है। 6 दिसम्बर का दिन जब ऐसी शर्मनाक घटना घटी फिर नजदीक आ रहा है। ...**(व्यवधान)** उत्तर प्रदेश में भाजपा शासन रूपी एक खुराक ने बाबरी मस्जिद ढहा दी और दूसरी खुराक संभवतः मथुरा तथा वाराणसी स्थित मस्जिदों को ढहा देगी। यह बहुत बड़ा खतरा है। हमें इस देश में सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों से तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा में सबसे अपील करनी होगी कि हमें भाजपा द्वारा येनकेन प्रकारेण सत्ता में आने के प्रयास से जो खतरा उत्पन्न हो गया है, उसे समझना चाहिए ...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी : ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं इसका विरोध करता हूं यह बिलकुल गलत है। आप भाजपा को येनकेन प्रकारेण बाहर करना चाहते हैं। हम सही ढंग से आए हैं और हम हमेशा सही ढंग से सत्ता में रहना चाहेंगे। हमें सत्ता हथियाने के अनुचित उपायों से घृणा हैं। इस सरकार की तो नीति रही है कि ...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको सत्ता से बाहर तभी निकाला जा सकता है जब आप सत्ता में बैठे हों। अभी आपको सत्ता नहीं मिली है। आपकी सरकार को बाहर निकालने का प्रश्न ही कहां पैदा होता है? आपको वह जगह कभी भी नहीं मिलेगी ...**(व्यवधान)** चुनावों के सात सप्ताह बाद भी आप सरकार बनाने की संभावना के इर्दगिर्द नहीं नजर आते हैं। ...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी : चुनावों के बाद कोई सरकार बनाने का दावा भी नहीं कर सका है। हमने दावा तो किया है। ...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : अभी केवल पिछले सप्ताह अर्थात 29 नवम्बर को राज्य सभा के चुनावों में सिद्ध हुआ है कि आप अल्पमत में है ...**(व्यवधान)** सभापति महोदय ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप अपना भाषण जारी रखिए।

[अनुवाद]

डा. मुरली मनोहर जोशी : उन्हें बोलने दीजिए। उन्हें अरक्षित की रक्षा करने दीजिए। आपको अरक्षित की रक्षा करने की अनुमति दी जाती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उसका निर्णय इतिहास करेगा। मैंने कहा कि मैं अप्रसन्न हूं। मुझे दुख है कि हमारी राजनीति पंगु होती जा रही है। मुझे दुख है कि भाजपा वहां सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लोग इससे अधिकाधिक सबक लेंगे। इसलिए आप उत्तर प्रदेश में छः अथवा चार महीनों के ही भीतर 235 से 176 सीटों पर आ गए। कृपया उसे भी कीजिए। आपने गुजरात गंवाया है। ...**(व्यवधान)** आप आइने में क्यों नहीं देखते हैं?...**(व्यवधान)** सभापति महोदय, कृपया उन्हें रोकिये ...**(व्यवधान)** उनकी तीक्ष्ण मनोव्यथा के कारण ...**(व्यवधान)** मुझे इसकी आदत हो गई है। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप जारी रखिए। सिर्फ आपकी बात रिकार्ड में जाएगी।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री जोशी ने कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। मैंने शायद और कठोर शब्दों का प्रयोग किया होता। ...**(व्यवधान)** हिन्दी में उन्होंने कहा है कि

[हिन्दी]

बलात्कार हुआ, फ्राड हुआ।

[अनुवाद]

प्रश्न यह है कि कुछ पार्टियां न्यायालय में गई थीं। यह मामला भी कोर्ट के समक्ष है। दो विद्वान न्यायाधीशों ने भिन्न मत दिए हैं। मैंने समाचार पत्रों में पढा है कि इलाहाबाद उच्च-न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ गठित की गई है। निःसन्देह, इस पर न्यायालय अपना फैसला देगा। लेकिन इसमें संसद क्या कुछ कर सकती है? यही सवाल मैं अपने आप से पूछ रहा हूं। ...**(व्यवधान)** लोक सभा चुनावों और विधान सभा के चुनावों में एक मूलभूत अन्तर होता है। हमारे पास कोई चारा नहीं है इसलिए हमें दिल्ली में सरकार बनानी है। और जैसाकि मैंने कहा कि इस 13 दिनों की सल्तनत से देश को कोई लाभ नहीं हुआ। 'एनरान' को छोड़कर कोई भी उससे लाभान्वित नहीं हुआ है। आपने उनके लिए वह गारण्टी ली। लेकिन उससे किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा कहना है कि हमेशा आशावान होना अच्छी बात है। मैं श्री जसवंत सिंह का बहुत आदर करता हूं। एक दिन मैं भाजपा शासन के अधीन हुए आर्थिक विकास पर उनका सुस्पष्ट भाषण सुन रहा था। मेरे ख्याल से दिवा स्वप्न देखने में कोई बुराई नहीं है। वह कह रहे थे कि अगले पाचं वर्षों के लिए हमारे देश की आर्थिक नीति क्या होगी? वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर कैसे नियन्त्रण रखेंगे? वह विश्व बैंक को कैसे नियन्त्रित करेंगे? वह उसके समक्ष कैसे अपनी बात कहेंगे? इस प्रक्रिया में वे बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के लिए श्री जोशी से कैसे निपटेंगे? वह सब करने के लिए के लिए जिस तरह से वह प्रस्ताव कर रहे थे, उसे देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था। अब, दुर्भाग्यवश, वहां सांविधानिक तंत्र चरमरा गया है। किसी भी सरकार का गठन नहीं कया जा सकता। दुर्भाग्य से अभी तक यही वास्तविकता है। मुझे नहीं मालूम कि कल क्या होगा। मैं आशा करता हूं कि कल को कुछ धर्मनिरपेक्ष पार्टियां सामने आएंगी और अपनी सरकार बनाएंगी। उन्होंने कहा कि वहां पर कोई सांविधानिक तंत्र नहीं टूटा है। अपको तो केवल एक ही टूट-फूट में विश्वास है अर्थात् मस्जिदों की टूटफूट और कोई टूटफूट आप जानते ही नहीं है।

महोदय, श्री जोशी को श्री सोली सोरबजी के लेख का सहारा लेना पड़ा। वह बड़े नामी वकील हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। यदि आप श्री बोम्मई के मामले में दिए गए निर्णय को पढ़ें तो आप देखेंगे कि विद्वान न्यायाधीशों ने भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न बातें कही हैं। उनकी चिन्ता यह है कि न्यायाधीशों ने एक स्वर में अपना निर्णय नहीं दिया है। बहुमत का निर्णय क्या था? उसे समझने के लिए भी उन्हें पचास पृष्ठ पढ़ने पड़े कि बहुमत से दिया गया निर्णय क्या होता है। बहुमत से दिए गए निर्णय में भी न्यायाधीश सहमत नहीं थे।

न्यायाधीश रामास्वामी विद्वान न्यायाधीशों में से एक थे। यह कहना कठिन है कि वह बहुमत में थे अथवा अल्पमत में। कुछ मामलों में वह सहमत थे और कुछ मामलों में असहमत थे। उन्होंने जो कुछ कहा था उसके बारे में मेरी अपनी स्वयं की भी आपत्ति है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दिए गए निर्णय के पृष्ठ 210, पैरा 263 में यह कहा गया था कि :

> "इसका एक उपाय सदन के भीतर परीक्षण हो सकता है जिसे हो सकता है कि राज्यपाल ध्यान में रखे परन्तु इसका सहारा लिया जाए अथवा नहीं, यह मौजूद परिस्थितियों पर निर्भर करता है। व्याप्त राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका को भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए।"

अतः यदि कोई राज्यपाल, चाहे उसका अतीत कैसा भी हो, राजनीतिक पार्टियों-कम से कम भाजपा को—खरीद फरोख्त से दूर रखता है तो मैं उसे दोषी नहीं ठहरा सकता। अतः भाजपा यह नहीं कह सकती कि यदि उसे सत्ता सौंपी जाय तो वह सरकार बनाने में सक्षम होगी। यदि वैसा किया जाता है तो उन्हें अपनी संख्या को बढ़ान का मौका मिल जाएगा जो और यह कुछ और न होकर खरीद फरोख्त में लिप्त होने का खुला खतरा है। और ऐसे में, राज्यपाल उस खरीद फरोख्त का भागीदार होता।

डा. मुरली मनोहर जोशी : आप कृपया भाजपा के बारे में यह न कहें कि वह खरीदफरोख्त करती है। हमने कभी भी खरीदफरोख्त नहीं की है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे खरीदफरोख्त के भागीदार होते अन्यथा यह असम्भव था। बसपा ने भाजपा का साथ देने से मना कर दिया था। उनसे कहा गया कि आप वह पार्टी लेकर आओ जिनका समर्थन आपको मिलने की संभावना है। ये ऐसा करने में नाकामयाब रहे।

महोदय, इसलिए जैसा कि मैंने कहा, यह हमारे संवैधानिक तथा संसदीय प्रजातंत्र के इतिहास में एक बहुत दुःखद दिन है कि सरकार को ऐसे उपाय का सहारा लेना पड़ा। मैं अभी भी यह मांग कर रहा हूं कि इसे निरस्त किया जाये। उसके पश्चात क्या होगा? इस देश की राजनीति को निर्णय करना है।

इसलिए, सभापति महोदय, कोई विकल्प नहीं दिखायी देता। मुझे विश्वास है कि श्री इन्द्रजीत गुप्त को बहुत आनाकानी के पश्चात देश को बचाने के लिए इसे स्वीकार करना पड़ा।

दूसरा प्रश्न यह किया गया था, "कि आप इस उद्घोषणा को एक वर्ष से अधिक समय तक कैसे रख सकते हैं? मुझे विश्वास है कि यह कहा गया था। संविधान का अनुच्छेद बहुत स्पष्ट है। उसमें कहा गया है कि आप इस उद्घोषणा को एक वर्ष से अधिक जारी नहीं रख सकते।" लेकिन यहां की स्थिति को लीजिए। इस उद्घोषणा को पहले लागू किया गया था, और सरकार के न रहने अथवा उसकी अवधि के 17 अक्तूबर को पूरा होने के पश्चात वहां कोई सरकार नहीं हैं अथवा कोई सरकार नहीं बनायी जा सकती। यदि वे सरकार बनाते हैं तो वे अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए, आप एक या दो अथवा तीन या चार दिनों के अन्तराल को बुरा नहीं मानते।

मुझे याद है, वाजपेयी जी ने अपनी सरकार का समर्थन किया था और उनकी सरकार को समर्थन न देने के लिए हमारी आलोचना की थी। मैंने खड़े होकर यह कहा था, "आपकी सरकार का समर्थन देने के लिए मेरा क्या दायित्व है?" उन्होंने कहा था," अन्य दलों को भा.ज.पा. को सत्ता से बाहर करना है। उन्होंने साहसपूर्वक कम से कम यह तो महसूस किया कि बहुमत पाने की कोई आशा नहीं है। इसलिए, उन्होंने कहा था कि वे त्यागपत्र देने जा रहे हैं। उस औपचारिकता के लिए तो हां कहिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैंने 'औपचारिकता' कभी नहीं कहा। मैंने कहा है कि यह संविधान की उचित प्रक्रिया के कारण हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यहां अनुच्छेद 356 को लागू नहीं किया जा सकता। वह यहां लागू नहीं है। नये चुनाव के पश्चात अलग उद्घोषणा होनी है जिसके पश्चात कोई दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : श्री चटर्जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संविधान की मूल भावना यह है कि एक राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा एक वर्ष से अधिक समय तक जारी नहीं रहनी चाहिए? औपचारिक रूप से यह पांच वर्ष थी। यही जनादेश था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप यह भूल गये हैं कि हम दूसरे संशोधन के विरूद्ध लड़े थे। किसी अन्य ने इस सदन में वैसा नहीं किया जैसा हमने किया है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : पुनः आप इसके दुरूपयोग का समर्थन कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं यह कह रहा हूं कि इस देश को भा.ज.पा. से भी बचाना है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : और संविधान का बलात्कार करना है ...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : हां, मैं कहता हूं कि देश को बचाना है। लेकिन उसके लिए इस सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 का दुर्भाग्यपूर्ण सहारा लिया गया है। मुझे आशा है कि भविष्य में उनके पास ऐसा करने का कोई अवसर नहीं होगा। लेकिन इस देश और लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। प्रशासन तो कायम रखा जाना है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : हां, यह सही है। आप हमारे साथ खिलवाड़ कर संविधान का उल्लंघन न करते रहें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे खेद है कि वे इतने अधिक अशान्त महसूस कर रहे हैं कि उन्हें हर मिनट हस्तक्षेप करना पड़े। मैं यह जानता हूं कि वे अशान्ति महसूस करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि उनकी मुरली आज लय में नहीं है। उन्हें वह कहना है, जिसमें उनका विश्वास नहीं है। मैं जो कह रहा हूं उसमें मेरा विश्वास है। मैं इस देश में वर्तमान राजनैतिक स्थिति में संदर्भ के कहता हूं।

दुर्भाग्य से, ऐसा किया जाना है और वे ऐसा करने के लिए बाध्य हैं। मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा में सभी धर्म निरपेक्ष दलों से अनुरोध करता हूं कि वे यह प्रयास करें कि वहां सरकार बने और इस उद्घोषणा के और आगे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है और हम भा.ज.पा. की साम्प्रदायिक सरकार से बचें।

महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री तिरुची शिवा (पुडुक्कोट्टई) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि किसी दल के सरकार बनाने की संभावना नहीं थी, स्थिति इतनी जटिल तथा अप्रत्याशित हो गई कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। यह बात तो सर्व विदित है।

मैं इस स्थिति के गुण-दोषों में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस अवसर पर मैं संविधान के अनुच्छेद 356 तथा राज्यपालों की भूमिका के संबंध में अपने विचार अवश्य प्रकट करना चाहता हूं।

हमारे दल डी.एम.के. ने इस पर बल दिया है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 के अलोकप्रिय उपबन्ध को निरस्त किया जाना चाहिए। जो कोई भी सत्ता में आये, चाहे उसकी प्रजातांत्रिक भावना जो भी हो, वे किसी भी कारण से, चाहे इसलिए कि यह उनकी नहीं है या वह उनको समर्थन नहीं दे रहे हैं वे इस घातक हथियार का राज्य सरकार के विरूद्ध प्रयोग करने के प्रलोभन में अवश्य पड़ता है। उत्तर प्रदेश में स्थिति भिन्न है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है और जैसा कि सभी ने उल्लेख किया है, कोई भी दल सरकार बनाने में सक्षम नहीं है और उसके परिणामस्वरूप यह स्थिति बन गई है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या केवल ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है। यहां तक कि एक ऐसे राज्य में भी जहां एक दल को बहुमत का समर्थन प्राप्त है, वहां भी प्रायः सरकार को उखाड फैंका गया है और मैंने इसे यहां बेझिझक एक मुद्दा बनाया है। हमने सबसे ज्यादा परेशानी उठायी है। अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत दो बार हमारी सरकर हटा दी गई थी जबकि हमारे पास विधान सभा में बहुत

बड़ा बहुमत था और यही मार्क्सवादियों के साथ हुआ है, जिसके बारे में हमारे विद्वान सदस्य, श्री सोमनाथ चटर्जी ने उल्लेख किया है। मैंने यह आशा की थी कि इस कटु अनुभव तथा भा.ज.पा. के दावों के पश्चात जो वह अब सरकार बनाने के लिए कर रही है और यह कह रही है कि अनुच्छेद 356 के कारण इससे वंचित किया गया है, उसे हमारे मत का समर्थन करना होगा, लेकिन जब हमारे विद्वान सदस्य, डा. मुरली मनोहर जोशी बोले, तो उन्होंने कहा "नहीं, हम इसके पक्ष में नहीं है।" अतः, इस अनुभव के पश्चात भी वह संविधान में संशोधन करने के लिए आगे आने के लिए तैयार नहीं है,जो लोकतन्त्र तथा संघवाद पर प्रहार है। वह परिवर्तन करने से इन्कार करते हैं। यह कहते हुए मुझे खेद है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जो भी सत्ता में आता है इस अनुच्छेद का प्रयोग करने के मोह में पड़ जाता है। मेरे विचार से मेरा यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि यदि गांधी जी सत्ता में आये, तो वे भी किसी राज्य सरकार के विरूद्ध अनुच्छेद 356 का प्रयोग करने के लिए प्रलोभन में पड़ जायेंगे। इसलिए यह मेरा दृढ़ आग्रह है कि इस अनुच्छेद को किसी भी कीमत पर निरस्त किया जाना चाहिए। यह एक प्रलोभनकारी है। मैं एक बार फिर इस पर बल देना चाहता हूं कि हो सकता है कि यह सामान्य सिद्धान्त एक स्थिति पर लागू नहीं हो लेकिन भविष्य में यह किसी भी सरकार पर लागू हो सकता है जिसके पास पूर्ण बहुमत हो और एक लोकप्रिय सरकार हो।

महोदय, राज्यपालों की भूमिका के बारे में उल्लेख करने का भी यह सर्वोत्तम अवसर है। ड़ा जोशी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के कार्य की आलोचना कर रहे थे। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल का पद ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रणाली की देन है। हमारे संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का तरीका लोकतांत्रिक प्रणाली में अराजकतावाद है। केन्द्र सरकार के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति से, जिसकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है और जो केन्द्र सरकार के प्रति उत्तरदायी है, उससे स्थानीय परिस्थितियों तथा राज्य में विद्यमान राजनैतिक स्थितियों को समझने की आशा नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त राज्यपाल पर किया गया व्यय भी समाज की समाजवादी व्यवस्था के साथ मेल नहीं खाता। हमने इस पर बल दिया है। मैं इस अवसर का उपयोग केवल यह कहने के लिए करता हूं कि राज्यपाल के व्यय से बचा जा सकता है। यह हमारी दृढ नीति है और हमने यह सभा में कई बार कहा है। हमारे माननीय सदस्य भी इसके बारे में बोले है। हमने इस संबंध में संकल्प पारित किए हैं। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने राव बहादुर सिंह बनाम विन्ध्यप्रदेश के मामले 538 एस.सी.आर. 1188 में निर्णय दिया है कि मंत्री राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारी है, विधिक सिद्धान्त में लोगों का निर्वाचित प्रतिनिधि केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के नौकर से अधिक कुछ नहीं है। मेरे विचार से, राज्यपाल के पद को हटाने का यह उचित समय है।

मुझे आशा है कि भा.ज.पा. कम से कम इसके बाद इस आवास का समर्थन करेगी। मैं यहां यह सुझाव देना चाहता हूं—यह एक सुझाव है—कि वेस्ट जर्मन बंगाल की प्रक्रिया के अन्तर्गत जहां मुख्यमंत्री का पद मृत्यु से, त्यागपत्र आदि से रिक्त होता है, उत्तराधिकारी का निर्वाचन एक निश्चित समयावधि के लिए किया जाना चाहिए और यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो सभा स्वतः ही भंग हो जायेगी।

इस अन्तराल के दौरान यह सुझाव दिया गया कि जब तक कोई मुख्यमंत्री सत्ता नहीं सम्भालता तब तक राज्य के मुख्य न्यायाधीश प्रशासन का कार्यभार संभालें। इसी तरह यह प्रणाली यहां भी अपनायी जा सकती है। वर्तमान में राज्यपाल द्वारा जो कार्य देखें जा रहे हैं। उन कार्यों को मुख्य मंत्री करेंगे। मुख्य मंत्री न होने की स्थिति में यदि कोई अन्तराल आता है तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश उन कार्यों को देखेंगे। मेरे विचार में यह अपने विचार व्यक्त करने का सबसे अच्छा मौका है, विशेषकर कि भा.ज.पा. के लिए जब आप यह कहते हैं कि आपके साथ ज्यादती की गई है। चूंकि आपने सरकार बनाने का दावा नहीं किया है फिर भी आप यह महसूस करते हैं कि आपको इस अवसर से वंचित रखा गया है। जैसा कि सब जानते हैं कि आप यह नहीं बता पा रहे हैं कि आप अपना बहुमत कैसे सिद्ध करेंगे। लेकिन कम से कम इस अवसर पर आपको यह तो समझना चाहिए कि यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। यदि मेरे सुझाव मान लिए जाते हैं तो जब तक कि कोई उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं होता तब तक राष्ट्रपति शासन की कोई ऐसी उद्घोषणा अथवा विधान सभा को निलंबित स्थिति में रखे जाने जैसा कोई कार्य नहीं होगा।

हमारी यह राय है कि इस बात का निर्णय स्थान विधान सभा में लिया जाना चाहिए, न कि राजभवन में। भारत एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न भाषाएं बोलने वाले, विभिन्न प्रकार के इतिहास तथा संस्कृतियां रखने वाले लोग हैं और प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं तथा समस्याएं हैं। आप यह बात अच्छी तरह से और मुझसे बेहतर जानते हैं। भा.ज.पा. कहती है कि यह इस देश की प्रभुसत्ता के लिए है। वे इस देश के लोकतंत्र तथा संघात्मक ढांचे के पक्षधर हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्यों को कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उनके पास पर्याप्त वैधानिक तथा कार्यकारी शक्तियां होनी चाहिए ताकि वह देश की एकता को नुकसान पहुंचाये बिना प्रगति कर सके। ऐसा केवल संघात्मक ढांचे के अंतर्गत ही संभव है। क्या आप मेरे दावे को मानते हैं? आप मेरे सुझावों को स्वीकार करें अथवा नहीं परन्तु मुझे उम्मीद है और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि भविष्य में जब इस विषय पर चर्चा शुरू होगी तो वह इन सुझावों से ही आरम्भ होगी। मुझे उम्मीद है और मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि यहां कोई भी दल अनुच्छेद 356 के शिकार आरोप का अपवाद नहीं है अतः यह उचित समय है जब संविधान के अनुच्छेद 356 को समाप्त किया जाना चाहिए। हमें राज्यपालों की और किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं है। अतः राज्यपाल के पद को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए और इसके बाद, भा.ज.पा. को 'राम राम' करने की बजाय राष्ट्र के भविष्य के हित में इस देश की सच्ची संघीय प्रणाली के लिए आवाज उठाएगी।

[हिन्दी]

श्री रामसागर (बाराबंकी) : अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश में किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा, उस बारे में तमाम माननीय सदस्यों और माननीय गृह मंत्री जी ने अपना पक्ष सदन में रखने का काम किया। माननीय जोशी जी ने जो अपनी बात शुरू की थी उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि लोक सभा के साथ विधान सभा के चुनाव न हों पायें और मान्यवर आप भी जानते हैं कि यह परिस्थिति हुई थी कि लोक सभा के साथ विधान सभा के चुनाव नहीं हुए।

अधिष्ठाता महोदय, जोशी जी को इस बात के लिए मोर्चा सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि जैसे ही इस सरकार ने सत्ता संभाली वैसे ही प्रजातंत्र का आदर करते हुए, उत्तर प्रदेश की जनता की मानसिकता के हिसाब से, मांग के हिसाब से, सबसे पहली प्राथमिकता प्रदान की कि उत्तर प्रदेश में विधान सभा के चुनाव कराए।

अधिष्ठाता महोदय, चुनाव के बारे मे मैं कहना चाहूंगा कि इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं कि जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकर ने, चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से मोरचा सरकार ने शान्त चुनाव कराए, यह अपने आप में अनुकरणीय है।

जोशी जी, इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि वहां शांतिपूर्वक चुनाव हो गए। लेकिन क्या यह सरकार की जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत भी दिलाए। यह जिम्मेदारी नहीं है। 425 सदस्यों के सदन में जिस ग्रुप या दल के 213 सदस्य होंगे, उसका बहुमत होगा। उत्तर प्रदेश की 60 प्रतिशत जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाला ...**(व्यवधान)** और यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जैसी फासिस्टवादी और प्रतिक्रियावादी पार्टी का साम्प्रदायिकतावादी शासन जनता नहीं चाहती है।

सभापति महोदय, आप भी जानते हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और उनके 176 सदस्य जीते। क्या इतनी संख्या के आधार पर सरकार बन जाएगी? अटल बिहारी वाजपेयी का उसी प्रकार का दावा है जैसे उन्होंने लोक सभा में चुनकर आने के बाद कहा था। यह कहकर उन्होंने न केवल देश को, बल्कि विश्व को गुमराह किया। आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार का आदमी, जो आदर की दृष्टि से देखा जाता है, हम लोग भी सम्मान करते हैं, इस प्रकार का व्यक्तित्व और यह कह दिया कि लोक सभा में हमारा बहुमत है। पीछे लाइन भी नहीं देखी कि हमारी संख्या बहुमत की है या नहीं। वहां जाकर कसम खा आए कि हम बहुमत साबित कर देंगे। आखिर कब तक सच नहीं बोले कि हमारा बहुमत नहीं है।

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : क्या पांच बजे के बाद भी चलाएंगे?

सभापति महोदय : उनका भाषण तो सुनने दीजिए।

श्री रामसागर : जिस प्रकार से यहां चुनाव के बाद लोक सभा की स्थिति थी, ठीक वैसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश में विधान सभा के चुनाव के बाद उत्पन्न हुई कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। दो दलों को मिलाकर भी बहुमत नहीं मिला। अगर हमें राखी बांधी होती तो हम मुख्यमंत्री बना देते। ...**(व्यवधान)** इस प्रकार यहां किसी मोर्चा या दल को बहुमत नहीं मिला, तो गणित का वही सवाल वहां पैदा हुआ।

अपराह्न 5.00 बजे

राज्यपाल महोदय ने सारी चीजों का अध्ययन किया और बारी-बारी से बुलाया। लेकिन सब लोग एक जैसी बात कह रहे थे। बी.जे.पी. कह रही थी कि हमारा बहुमत है, बहिन जी कह रही थीं कि हमारा बहुमत है। मोर्चे के लोग कह रहे थे कि हमारा बहुमत है। 213 की जो गिनती ...**(व्यवधान)** वह कोई भी दल नहीं कर पाया है।

सभापति महोदय : यह बहिन जी कौन हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसे आप ठीक से जानते हैं।

श्री रामसागर : इन परिस्थितियों में राज्यपाल महोदय के सामने ...**(व्यवधान)** रिपोर्ट भेजने के या अपनी परिस्थति गवर्नमेंट के सामने रखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उत्तर प्रदेश से जो नव-निर्वाचित विधायक हैं, उनको एक बार विधान भवन में घुसने का मौका मिला था। राज्य सभा के चुनाव हुए। ...**(व्यवधान)** अब सुन तो लीजिए। ...**(व्यवधान)**

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : धैर्य से रहिए। सारी बात सुनिए। ...**(व्यवधान)**

श्री रामसागर : लेकिन वह कह रहे हैं कि मेरा बहुमत है और आज भी कह रहे हैं कि मैं बहुमत सिद्ध कर दूंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ट्रॉयल हुआ है, जो राज्य सभा के चुनाव हुए, उसमें मोर्चा समर्थित कॅडिडेट को 219 वोट मिले हैं। इसलिए...**(व्यवधान)** चार मेम्बर्स जो दो स्थान से चुने गए हैं, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और मायावती जी दो जगह से चुनाव जीत गई थी। एक सीट छोड़नी पड़ी इस तरीके से 420 में से 219 सदस्य ने संयुक्त मोर्चा के पक्ष में मतदान किया। ...**(व्यवधान)** अब आप बताइये कि बहुमत किसका है? ...**(व्यवधान)** मैं केवल एक बात का समर्थन करना चाहता हूं और खुले दिल से समर्थन करूंगा, वह बात यह हैं कि ये चाहते हैं कि वहां सरकार बने। हम भी चाहते हैं कि वहां सरकार बने लेकिन मोर्चा समर्थन की ज्यादा संख्या है, इसलिए वहां मोर्चा समर्थित सरकार बननी चाहिए। ...**(व्यवधान)** मैं यह दावा करता हूं कि अगर मोर्चा संगठन को, मुलायम सिंह यादव जी को विधान सभा में बुलाए जाने का मौका मिला तो हम बहुमत सिद्ध कर देंगे और वहां सरकार बनेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो किसी कीमत

पर नहीं बन सकती। अधिक न कहते हुए उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उनमें जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। ...**(व्यवधान)**

श्री राधा मोहन सिंह (मोतीहारी) : भाजपा की सरकार किसी कीमत पर नहीं बन सकती। यह असंसदीय है। ...**(व्यवधान)**

श्री रामसागर : अधिष्ठाता महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी कीमत पर नहीं बन सकती। यह संसदीय या असंसदीय कहां है? यह तो सच्ची बात है। यह तो सच बात है। इसलिए उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। हम सारे लोग चाहते हैं कि वहां प्रजातान्त्रिक प्रोसैस चले और वहां मोर्चा सरकार बने।

इन शब्दों के साथ गृह मंत्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। मैंने माननीय गृह मंत्री जी और माननीय जोशी के भाषणों और अन्य माननीय सदस्यों के भाषणों को गौर से सुना। माननीय गृह मंत्री जी ने दलीलें दी हैं कि वहां कोई सरकार बनने की संभावना नहीं थी और उनके जवाब में माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ने जो दलीलें दी हैं, दोनों को गौर से सुनने के बाद, मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। यह बिल्कुल सही है कि वहां कोई सरकार बनने की संभावना नहीं थी और जब राज्यपाल ने यहां केन्द्र में अपनी रिपोर्ट भेजी, उस वक्त तक किसी ने बाकायदा सरकार बनाने का दावा भी नहीं किया था। मैं मुरली मनोहर जोशी जी से पूछना चाहता हूं, आप बार-बार कहते हैं कि हमको मौका दे दें, हम अपना बहुमत सिद्ध कर देंगे, जब आपको अपने ऊपर इतना भरोसा है, तो आप क्यों नहीं 213 सदस्यों की सूची दे देते, जिससे यह मालूम हो सके कि आप बहुमत सिद्ध कर सकते हैं? ...**(व्यवधान)**

दूसरी बात मैं धारा 356 के बारे में कहना चाहता हूं। यह सही है कि सी.पी.आई. और सी.पी.आई(एम) ने हमेशा इस धारा का विरोध किया है और समय आने पर कभी-न-कभी सभी ने इसका विरोध किया है। मैं जोशी जी से पूछना चाहता हूं, 1977 में आप भी सत्ता में थे, बी.जे.पी. के आज जो बड़े नेता हैं, वे सब उस सरकार में शामिल थे, तब आपने एक ही मिनट में नौ चुनी हुई सरकारों को, जो पूर्ण बहुमत में थी, बर्खास्त कर दिया था? मैं मानता हूं कि आपने अभी अपनी तकरीर बड़े मार्मिक अन्दाज में की है।...**(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य : उसमें ये भी शामिल थे। ...**(व्यवधान)**

श्री इलियास आजमी : दोनों थे। उस वक्त आपने नौ सरकारों को बर्खास्त करने में एक भी मिनट नहीं लगाया था और आपने आधार यह लिया था कि वे सरकारें जनता के समर्थन से महरूम हो चुकी हैं। इसलिए मैं भी कहता हूं कि आपको भी 32 परसेंट वोट ही मिला है, इसलिए आप भी सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकते हैं।

दूसरी बात, अभी हमारे भाई रामसागर जी ने कहा, अगर हमको मायावती ने राखी बांधी होती, तो हम मायावती के बारे में सोचते। सवाल यह है कि 1993 में वी.पी. सिंह और पूरे जनता दल ने मुलायम सिंह को राखी बांधी थी और मुलायम सिंह जनता दल को ही कच्चा चबा गये। और आज जो उनको राखी बांधेगा, वे उसको कच्चा चबा जायेंगे। इसलिए उनको कोई राखी बांधने वाला नहीं है। वे लोग जो अपनी अकल तो ताक पर रख चुके हैं, वही उनको राखी बांधेंगे और जिनके पास थोड़ी सी भी बुद्धि होगी, वे कभी भी मुलायम सिंह को राखी बांधने की गलती नहीं करेंगे।

अभी सोमनाथ जी का भाषण हो रहा था और माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ने बड़े भरोसे और एहतमाद के साथ कहा कि हम तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करते हैं और न हम अनैतिक कार्य किया करते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, आपने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को छोड़ कर किस खुशी में उत्तर प्रदेश के तीन बड़े पूंजीपतियों को राज्यसभा के बाई-इलैक्शन में खड़ा किया था?

आपका यही मकसद रहा होगा कि वे लोगों के ईमान को खरीद लेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। उसके बाद हम सरकार बनाने का दावा करेंगे और हम यह कहेंगे कि हमने 212 से ज्यादा वोट ले लिए इसलिए हमको सरकार बनाने का मौका दो। अगर ऐसा हो गया तो शायद पूरा सदन मजबूर होता, किसी के पास कोई तर्क न रहता।

महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायकों को मुबारकवाद देना चाहता हूं कि उनके ईमान को खरीदा नहीं जा सका। सिर्फ 15 लोगों के ईमान को खरीदने में वे लोग कामयाब हुए तो आप भी किसी चीज से बरी नहीं हैं। सिर्फ 15 लोगों के ईमान खरीदने में वे पूंजीपति सफल हुए इसलिए आपको 15, वोट ज्यादा मिले। दूसरा मैं जोशी जी को कहूंगा और मेरी खुशकिस्मती है कि इस वक्त अटल जी भी वहां मौजूद हैं, मैं बी.जे.पी. के दोस्तों से कहूंगा कि आप कब अपना आत्ममंथन करेंगे? बी.जे.पी. की लीडरशिप उनके हाथ में है जिनके पूर्वजों ने हजारों साल तक मानवता के बहुत बड़े भाग को अछूता बना कर रखा था। आज उन्हीं लोगों के हाथ में बी.जे.पी. का नेतृत्व है। अब आप कब आत्ममंथन करेंगे। आज आप खुद इतने अछूते क्यों बन गए हैं कि आपको कोई समर्थन के लिए करीब नहीं आता। अगर आपने अपना आत्ममंथन कर लिया तो शायद कल स्थिति बदल जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि आप आत्ममंथन करने के लिए तैयार हैं। ...**(व्यवधान)**

जोशी जी ने सरकारिया आयोग की बात की है। सरकारिया आयोग के एक भाग को जोशी जी ने पढ़ा और दूसरे भाग को सोमनाथ जी ने पढ़ा। सरकारिया आयोग का जो भाग जोशी जी ने पढ़ा वह भाग उस स्थिति से संबंध रखता था। जब एक सरकार चल रही हो और कोई दावा करे कि अल्पमत में आ गई है तो ऐसी हालत में बिल्कुल

सही है कि उसका फैसला हाउस के अंदर होना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति का जिक्र जोशी जी ने नहीं किया कि जहां सरकार ही न बनी हो बल्कि राष्ट्रपति शासन के तहत चुनाव हुआ हो और चुनाव में किसी को बहुमत न मिला हो, न कोई ऐसा गठबंधन सामने आया हो जिसके जरिए दो पार्टी या दो गुट मिलकर बहुमत बना सकें।

उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने जो रिपोर्ट दी है उसका समर्थन करते हुए मैं यह कहूंगा कि जोशी जी ने वहां के राज्यपाल के दूसरे आचरण के बारे में जितनी बातें कहीं हैं मैं उनका पूरी तरह से समर्थन करता हूं।*... जो 85 माननीय सदस्यों से भी नहीं मिल सकता। *... उसके पास इतना समय नहीं है कि वह लोक सभा के मेम्बरों को भी अपनी प्रोबलम बताने के लिए समय दे दे। इसलिए मैं इन लोगों से यह कहूंगा कि ठीक है आप अगर विधान सभा को भंग करना चाहते हैं तो कर दीजिए। आप लटकाए रखना चाहते हैं तो लटकाए रखिए, जिसमें आपका स्वार्थ हो वह कीजिए लेकिन भंडारी जी जैसे आदमी से उत्तर प्रदेश को निजात दिला दीजिए।*....

महोदय, मैं इन लोगों से भी कहूंगा। असल में बी.जे.पी. के लोगों का क्या दर्द है ये दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। जब किसी को समर्थन देने की बात थी, आपने एक बार कुमारी मायावती को अनकंडीशनल समर्थन दिया था लेकिन आज दोबारा उनको अनकंडीशनल सपोर्ट देने के लिए शायद इसलिए तैयार नहीं हैं कि वह आपके समर्थन से सरकार चलाएं और मथुरा को जब से आपने अयोध्या बनाना चाहा तो उसने तीन किलोमीटर के अंदर आपके एक भी आदमी को नहीं आने दिया। उस पर आप बोखला गए। फिर आप यह सोचते होंगे कि अगर हम अनकंडीशनल सपोर्ट देकर कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बना देंगे तो हमारे दिमाग में जो खलास है वह फिर हमको तीन किलोमीटर दूर रखेगी। शायद यही भय है जिसकी वजह से आप समर्थन नहीं दे रहे हैं। जब कि चुनाव के बाद भी कुमारी मायावती ने गवर्नर को लिखा था कि किसी भी हालत में भाजपा या राष्ट्रीय मोर्चे को समर्थन नहीं देंगे और अगर इनमें से कोई हमको समर्थन देना चाहेगा तो हम उस पर विचार करेंगे। अगर आपको लोकतंत्र की बड़ी फिक्र है तो आप क्यों नहीं अनकंडीशनल समर्थन दे देते। आप अनकंडीशनल समर्थन दे दीजिए, अगर सरकार न बनाएं तो तब आप हमसे कहिए। लेकिन वह समर्थन बिना-शर्त होना चाहिए। ...**(व्यवधान)** जहां तक इनकी बात है, इन्होंने समर्थन दिया तो शायद 67 आदमियों को मुलायम सिंह यादव तीन दिन के अंदर लुप्त करवा देंगे। इसलिए इनके समर्थन की हम आशा भी नहीं करते हैं। एक बार सबने समर्थन दिया था। 1993 में भी यही स्थिति थी। 173 सदस्य भाजपा के जीतकर आए थे। 104 सपा के आए थे, 67 बी.एस.पी. के आए थे। लेकिन सरकार तो दोनों की भी मिलकर नहीं बन सकती थी। भाजपा से दो कम थे। उस समय माननीय वी.पी.सिंह लखनऊ पहुंचे। वह न तो पार्टी के प्रेसीडेंट थे और न विधान मंडल दल के नेता थे लेकिन उन्होंने जनता दल के विधायक पर दबाव डालकर पूरी कोशिश की। बोम्मई साहब उस समय अध्यक्ष थे। उनका फैक्स राज्यपाल को गया और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को लैटर दिलवा कर मुलायम सिंह की सरकार बनवाई। सी.पी.आई. और सी.पी.एम. पार्टियों ने सपोर्ट किया। सरकार बन गयी। उसके बाद उन्होंने हाथ लगा दिया। जनतंत्रीय व्यवस्था की तारीख में पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ कि समर्थन करने वाले दलों के ईमान को खरीदा गया, उनके विधायकों को खरीदा गया।...**(व्यवधान)** इसलिए हम बी.एस.पी. की तरफ से साफ कह देना चाहते हैं कि हम उनको समर्थन नहीं दे सकते हैं। समर्थन लेने में भी हमको सोचना पड़ेगा क्योंकि कल वे क्या करेंगे ...**(व्यवधान)** जिस बी.एस.पी. ने उनकी सरकार बनवाई थी उसी पार्टी की नेता कुमारी मायावती की 2 जून को जान के लाले पड़ गये, वह बाल-बाल बच गयीं।

एक माननीय सदस्य : आप तारीख गलत बता रहे हैं।

श्री इलियास आजमी : दो जून को ...**(व्यवधान)** मैं भी जनता दल में था। आप लोगों ने गलत प्रचार किया था। वह सब कुछ होने के बाद आपके द्विवेदी जी वहां आए थे।...**(व्यवधान)** मैं लम्बी बात न कहकर जो प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करता हूं। उसके साथ-साथ मैं सरकार से यह प्रार्थना करता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी शरीफ आदमी को भेजें ताकि वहां का राज-काज संविधान के मुताबिक सही ढंग से चल सके।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : गवर्नर साहब के बारे में जो बातें अन-पार्लियामेंटरी हो उन्हें जरूर निकाल देना चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : बहुत ही खेद के साथ यहां पर जो राष्ट्रपति शासन पर बहस हो रही है, उसमें मैं सम्मिलित हो रहा हूं। देश के सबसे बड़े राज्य के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं ऐसा समझता हूं कि देश की जनता जो सामने लोग बैठे हैं उनको कभी माफ नहीं करेगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस की नीयत पहले से खराब थी। ...**(व्यवधान)** इसलिए उसने लोक सभा और राज्य सभा के चुनाव साथ-साथ नहीं कराए। कांग्रेस को लग रहा था कि साथ-साथ चुनाव हुए तो जो परिणाम होगा वह लोक सभा के चुनाव में समझ में आ जाएगा। यह और भी आश्चर्य की बात है कि संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी और उसने जैसा आचरण किया और मुझे लगता है कि ऐसा आचरण इनको करना चाहिए था। नहीं तो चार सदस्यों में दो मंत्री बने। यह इतिहास की बात बनेगी। चार दिन या चार साल में इतिहास को नहीं आंका जाता। 50 वर्षों बाद पता चलेगा कि इस देश में शासन करने वाला कौन था, रजिया सुल्तान थी या और कोई था। देश के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो कुछ हो रहा है, वह ठीक नहीं है। वहां की जनता के साथ

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

बहुत मजाक हो गया। आपको इसके ऊपर विचार करना चाहिए और फैसला करना चाहिए। संयुक्त मोर्चे ने गठन की प्रक्रिया में एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उससे ऐसा लगा कि वे बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं और धारा 356 में बहुत से संशोधन किए जाएंगे, स्वायत्तता दी जाएगी। ऐसा लग रहा था कि उसे समाप्त किया जाएगा। हमने अखबार में पढ़ा कि जब उत्तर प्रदेश का जिक्र चल रहा था तो साम्यवादी दल के लोग बोले कि हमारे साथ इनका आचरण खराब था तब कोई हमारे पक्ष में नहीं बोला। यह बात मैंने कहीं अखबार में पढ़ी थी लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब इन्होंने न्यूनतम कार्यक्रम में तय किया तो यह लगा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में यह सब हो रहा है जिससे कहीं इसका दुरूपयोग न हो सके। अन्तर्राज्यीय काउंसिल की बैठक में भी माननीय गृह मंत्री ने बहुत कुछ कहा लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसके विपरीत आचरण हुआ। बातों की गर्मी खत्म नहीं हुई कि देश की जनता के सामने एक नई चुनौती रख दी और इसे विवाद का विषय बना दिया। निश्चित रूप से इतने बड़े देश को चलाने के लिए जो लोग बैठे हैं उन्हें अपनी कथनी और करनी के बारे में विचार करना चाहिए कि हम किस प्रकार की बातें कर रहे हैं।

मेरा यह मानना है कि साम्यवादी दल का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। जो कुछ था, उसे मुलायम सिंह जी पहले ही खत्म कर चुके हैं। फिर क्या डर था? डर यह था कि 1984 में जब भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद चुन कर आए तो सबको लगा कि बहुत बढ़िया हो रहा है। फिर जब दो के बाद 1989, 1991 और 1996 की स्थिति दिखायी दी तो सब के दिलों में सांप दौड़ने लगे। सबको लगने लगा कि अब आने वाले समय में देश की राजनीति का चित्र क्या होगा। यह सब की समझ में आ गया। 13 दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अगर हम चाहते तो हमारी सरकार बिल्कुल स्थायी होती और बिल्कुल ठीक होती लेकिन हमारे माननीय नेताओं ने उस बात को पसन्द नहीं किया। मुझे मालूम है कि किस प्रकार के लोग हमारे पास आ रहे थे कि हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं लेकिन सब की अपनी-अपनी बातें थीं। सबको लग रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो जेल के सीखचों में रहने वालों की लम्बी लाइन होगी। अखबार में उन सबके नाम आ रहे हैं। बहुत सी बातों को आप रोक नहीं पा रहे हैं। बहुत सी बातों में मजबूरी है। आपको लगता है कि अगर यह नहीं हुआ तो कैसे बात चलेगी। अब बहुत सारे लोग इसमें लिप्त हो रहे हैं। बिहार का मामला सबके सामने है। मुझे लग रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बन जाती तो हमारे सामने जो साथी बैठे हैं, उनमें से बहुतों के चेहरे सामने आ जाते। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद का जो घोटाला हो रहा है, उसके पीछे कौने है? जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस आदमी को सस्पैंड कर दिया था। न्यायालय से बाहर जब यह आदमी आया तो उन्होंने उसको काम नहीं दिया लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब दोबारा मुलायम सिंह जी की सरकार चुन कर आई तो उसको वही कुर्सी दे दी गई। इसके पीछे कारण क्या था? कारण बिल्कुल साफ था, इसके पीछे निहित स्वार्थ थे। जब पूरी जांच प्रकाश में आएगी और असलियत सामने आएगी तो कठघरे में कौन खड़ा होगा? इन सब पर पर्दा डालने के लिए और अपनी काली करतूतों को हिसाब-किताब से रखने के लिए सबको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश केन्द्र को दिशा देता है। उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है। वह फैसला करना जानती है। वह चाहती है कि उत्तर प्रदेश को दिशा मिले। वह जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के सिवाय इसरी कोई सरकार उत्तर प्रदेश को दिशा नहीं दे सकती। हमारे पास उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत है। हमारे 173 विधायक जीते थे। समता पार्टी हमारी सहयोगी पार्टी थी। हम 175 के बाद 183 हुए। अगर हम हॉर्स ट्रेडिंग करते तो हम 200 नहीं 220 होते ...(व्यवधान) 200 विधायकों ने हमें वोट दिया। आपको लोग पसन्द नहीं करते। इसलिए आपने उन्हें ताले में बंद करके रखा है। मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपने उन्हें ताले में बंद रखा है। आपके नेता लोग विधायकों के पैर छूते है और कहते हैं कि आप हमें छोड़ नहीं जाना, नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी, हम राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या बताएंगे।

और आप लोगों के साथ दिल से कोई नहीं रहना चाहता। मैं जानता हूं कि मेरे जिले में एक विधायक पार्टी छोड़ना चाहते हैं मगर उनका कहना है कि यदि मैंने पार्टी छोड़ दी तो मुझे जान से मार दिया जायेगा। यह बात बिलकुल सत्य है। पिछले एक-डेढ़ साल से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति के शासन में क्या हो रहा है, केवल प्रदेश के साथ अन्याय और उसके हितों की अनदेखी की जा रही है, उसका हिसाब-किताब लेने वाली जनता है और उस जनता का उसको हक नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय, मैं कानूनी प्रक्रिया में तो नहीं जाना चाहता और न कोई बहुत सारा समय है क्योंकि जब ऐसा माहौल हो जहां सिर्फ सिरों की गिनती की बात हो तो इन सब बातों को कहने का कोई अर्थ नहीं रहता। मैंने सोचा था कि माननीय सांसद श्री सोमनाथ जी बहुत अच्छी बातें कहेंगे क्योंकि मैंने इनके बहुत सारे लम्बे भाषण सुने हैं और वास्तव में विद्वतापूर्ण ढंग से बातें करते लेकिन आज उनकी बातें सुनने से यही लगा कि केवल एक पक्ष ही रहा है, उनकी बातों में वह दम नहीं क्योंकि आज मजबूरी है कि अगर बी.जे.पी. आ गयी तो लगता है कि पूरे देश के अंदर क्या हो जायेगा?

सभापति महोदय, मैं आपको बताता हूं कि जहां पर हम बिलकुल नहीं हैं, जैसे केरल में तो वहां हमारे लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारे लोगों की हत्यायें हो रही हैं, इन सब बातों की जानकारी तो आगे देंगे इनको डर लगता यही है कि यदि बी.जे.पी. आ गयी तो इन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है। आज बी.जे.पी. समाज के हर तबके में जा रही है। लगता है कि कुछ लोगों की खूबियां हैं, उन्हें केवल चंद नाम ही समझ में आते हैं, कुछ लोग चंद जातियों को जानते हैं, देश में कैसा माहौल है, यह नहीं जानते हैं, उनको आज जानने की जरूरत है और फैसला इस सदन को नहीं, जनता को करना

है और जो जनता को जो पसंद है, करेगी, उसके हिसाब से होगा। आज तो स्थिति अनुकूल है, इसकी अप्रसन्नता नहीं है। कोई जमाना था कांग्रेस बनाम सारे दल और आज हमें फक्र है कि बी.जे.पी. बनाम सारे दल और निश्चित रूप से यह दिशा एक सही रफ्तार पर जायेगी और उसके हिसाब से आपको लगेगा कि आने वाले समय में सही बात होगी। कुछ आंकड़े देखे जाते हैं, बहुत सारी बातें देखी जाती हैं। आज हिन्दुस्तान बहुत नीचे चला जा रहा है, क्यों जा रहा है? इसका कारण जानने की कोशिश की है? सिर्फ एक कारण है और वह बेईमानी। यह देश बेईमानी में सबसे आगे है। मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि स्विस बैकों में इतना पैसा जमा है। उसका असेस्मैंट नहीं हो सकता। इसके पूर्व कहा गया कि यह पैसा हमारी वजह से नहीं गया। इसका जिम्मेदार कौन है? दुर्भाग्य यह है कि जो लोग अपने आपको बहुत अच्छा समझते थे और विशेषकर समाजवादी देश को सही दिशा देने की बात करते थे लेकिन आज तो ऐसा लगता है कि सारे समाजवादियों को मानो सांप सूंघ गया हो क्योंकि कुर्सी के चक्कर में सबको लगता है कि अगर हमने असलियत कही तो हमारी कुर्सी चली जायेगी।

एक माननीय सदस्य : यह 99 परसेंट सही है।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : मेरा आग्रह है कि इस हिसाब से इस ओर ध्यान देना चाहिये। मैं तो केवल यही कहना चाहता हूं और मुझे लगता है कि शायद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के नोट की वजह से कुछ रिलक्टेंस था और उसके बाद मेरी जानकारी में आया। होम मिनिस्ट्री का कोई नोट या श्री सोली सोरब जी की राय ली गयी। मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी इसके बारे में स्पष्ट करें कि वास्तव में क्या बात थी। यह तो आम जनता समझती है और हम से तो सवाल करते हैं कि एक साल होने पर साधारण बहुमत से लोकसभा में पास कर लेंगे और हमने कहा कि यह गणित तो हम नहीं बता सकते। एक साल से छः-छः महीने कर रहे हैं और साधारण बहुमत से कर रहे हैं। देश की जनता इस कानून की जटिलताओं को समझती है। आप उसे धोखा दे रहे हैं। आप देश की जनता के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि वह माफ करने वाली नहीं है। न्यायाधीशों के फैसले हो गये। जिन दिनों में यह प्रक्रिया चल रही थी, उन दिनों लखनऊ में हमने अखबार में एक फोटो में देखा था कि महामहिम पोलो खेल रहे हैं ओर वह भी ऐसे क्रूशियल समय में। मुझे लगता है कि शायद इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। यह कहा जाता है कि महामहिम के लिये कुछ मत कहिये। जजेज लोग उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और हमें कहा जाता है कि टिप्पणी मत करें। मैं कानूनी बातें उद्धृत नहीं करना चाहता फिर भी जो पढ़ा है और जस्टिस गुप्ता ने कहा है :

[अनुवाद]

"राज्यपाल का कर्त्तव्य है वे इस गतिरोध को दूर करे और इसका कोई समाधान निकालें।

"वह संविधान की रक्षा, उसका संरक्षण तथा उसकी सुरक्षा करने की शपथ लेते हैं। लोकतंत्र संविधान का मूल तत्व है और इसलिए मंत्रिमण्डलीय प्रणाली पर आधारित लोकतांत्रिक सरकार का गठन संवैधानिक आवश्यकता है।"

[हिन्दी]

अब यह तो नहीं हुआ। हुआ क्या?

[अनुवाद]

"राजभवन केवल उद्घाटन करने और आधार-शिला रखने का स्थान ही नहीं है। यह राज्य की संस्कृति तथा लोगों की आवश्यकताओं का प्रतीक है। उत्तर-प्रदेश न केवल इस संघ का बड़ा राज्य है बल्कि यह विश्व के अधिकतर देशों से भी बड़ा है। ऐसे राज्य के राज्यपाल को कम से कम राजनेता के गुण होने चाहिए।"

[हिन्दी]

सभापति जी, मैं उस बयान की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उनका कहना है कि :—

[अनुवाद]

"उसमें एक सक्रिय राजनेता के गुण होने चाहिए।"

सभापति महोदय : आप क्या पढ़ रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : यह हाई कोर्ट का जजमेंट मैं पढ़ रहा हूं। जब एक न्यायविद इस प्रकार की बात कहे तो उसका क्या अर्थ लगाया जा सकता है और फिर हमसे कहा जाए कि हम इस प्रकार के आचरण की चर्चा यहां न करें। सरकारिया आयोग की सारी बातों की चर्चा यहां पर हो रही है और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इसके ऊपर गंभीरता से विचार होना चाहिए और इसके हिसाब से फैसला होना चाहिए। मेरा मानना है कि सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए था और ऐसा न करके जो आचरण किया है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता उसके खिलाफ है। हम कहते हैं कि आप हमें बुलाइए। हम बहुमत सिद्ध न कर सके तो विधान सभा भंग कराइए और चुनाव कराइए। पर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की चर्चा हो रही है और चिन्ता हो रही है। मुझे चिन्ता इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। विधायक भी चुन-चुनकर आए हैं और उनकी

स्थिति भी अनिश्चितता की है। अभी उन्होंने शपथ भी नहीं ली है। सदस्य वहां के मार्शलों को लेकर विधान सभा के अंदर घूमने जा रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि वहां का दरवाजा भी देखने को न मिले।

मैंने अखबार में पढ़ा कि हरिद्वार के विधायक के लिए एक पंडित ने भविष्यवाणी की कि वे विधान सभा नहीं पहुंचेंगे। अगर पहुंच गए तो मैं डूबकर मर जाऊंगा। एक साल पहले उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई पर लगता है कि हरिद्वार का विधायक विधान सभा का मुंह तब से नहीं देख पाया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बारे में हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सारे जन-प्रतिनिधि बहुत चिन्ता में हैं। वहां विकास के सारे काम रूके हुए हैं। 1989 के बाद जो सरकारें आईं, उन्होंने इस दिशा में कोई विचार नहीं किया। आज कोई भी पावर का प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में नहीं लगा है और इस कारण उत्तर प्रदेश नीचे की ओर जा रहा है और इस बारे में हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हम किस प्रकार से काम करें। गेस्ट हाउस कांड पर चर्चा होगी, सजा मिलेगी, मुजफ्फरनगर कांड के दोषी लोगों पर सही कार्रवाई होगी। तभी लोगों को पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश किस रास्ते पर जा रहा है। इस पर दूसरे दलों को लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती है तो उनका काम सही चलेगा। मैं इस सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के साथ न्याय करें। उत्तर प्रदेश की जनता आपसे न्याय चाहती है और आप देखिए हमारी संख्या 200 हो गई। लोगों ने अपनी अंतर्रात्मा की आवाज पर हमारा साथ दिया है कि आपकी सरकार बुलाई जाएगी तो सवा दो सौ लोग रहेंगे। सदन के सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपनी अंतर्रात्मा की आवाज पर काम करें। आप पार्टी के हिसाब से विचार न करें। आप सोचें कि जो भी चुनकर आएगा, वह देश के लिए सही ढंग से काम करेगा। ...**(व्यवधान)** मैं इस निवेदन के साथ कि यह सदन इस प्रस्ताव का समर्थन किसी भी सूरत में न करे, क्योंकि आने वाला इतिहास इस बारे में अपनी राय भी देगा और विचार भी रखेगा कि इस सदन मे जो बैठे थे, उन्होंने जो फैसले किये, पुरानी लोक सभा में भी ऐसे कुछ फैसले हुए थे जिसके ऊपर लोग बाहर चर्चा करते हैं। यह यहां का विषय है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से हमने एक जज का बचाव किया, वह लोगों ने पसंद नहीं किया।

और यहां भी जिस प्रकार से आप लोग समर्थन करेंगे उसे लोग पसंद नहीं करेंगे और आपको अगर समर्थन मिलेगा तो उसका हमें लाभ मिलेगा। हम तो कहते हैं दोनों चुनाव कराओ। आप लोग चलाने लायक नहीं है, आप लोग मिल-बैठकर इस पर विचार करें और विचार करके फैसला करें। उत्तर प्रदेश में जिसका सबसे बड़ा दल हो उसको सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए। मैं मानता हूं कि जो दोनों जजों के बयान हैं दोनों जजों के जो फैसले हैं। यद्यपि रजा साहब ने भी हमारे खिलाफ कुछ नहीं कहा, कुछ बीच की स्थिति में आकर उन्होंने बात कही है तो मेरे हिसाब से हम सब लोग विचार करें और गवर्नर को किसी पार्टी का प्रतिनिधि होकर काम नहीं करना चाहिए। गवर्नर के पद पर पहुंचने के बाद में इससे ऊपर उठकर फैसला करना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि महामहिम के आचरण के संबंध में यहां पर लोगों ने चर्चा की। वास्तव में हम लोग इस मत के नहीं है कि हम लोग यहां पर उसकी चर्चा करें। एक दल के एजेंट के रूप में कोई काम करता है तो उसके लिए निश्चित रूप से निंदा की जायेगी, उसके बारे में टिप्पणी भी की जायेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो प्रस्ताव यहां पर आया है उसका विरोध करते हुए और सभी माननीय सदस्य जो यहां पर मौजूद हैं, उनसे इस आग्रह के साथ कि आप सब अपनी अंतरात्मा की आवाज के साथ हमारा साथ दें। इससे आपके क्षेत्र की जनता में आपकी तारीफ होगी और जनता आपको याद करेगी। मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों से कहना चाहूंगा कि वे हमारा इसमें साथ दें।

श्री राममूर्ति सिंह वर्मा (शाहजहांपुर) : माननीय सभापति महोदय, अनुच्छेद 356 पर आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि संयुक्त मोर्चा आज जो ऐलान और घोषणा करता है कि जात-पांत विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकेंगे; तो देखों ये कहां तक रोकते हैं। अगर रोकने की ही बात थी तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करते हुए केन्द्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोका, आज उत्तर प्रदेश में संयुक्त मोर्चा का फर्ज बनता था कि वहां पर कांग्रेस व बहुजन समाज पार्टी के गंठबंधन की मुख्यमंत्री मायावती को बनाया जाता और सच्चे अर्थ में तभी धर्मनिरपेक्षता की रक्षा हो सकती थी। आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग राज्यपाल को कोसते घूम रहे हैं। ...**(व्यवधान)** आप सुनिये, आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते घूम रहे हैं कि महामहिम राज्यपाल ने सरकार बनाने का मौका नहीं दिया तो सभापति महोदय, मैं इन लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि आज जब उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया है, आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है तो किस तरह से आपको राज्यपाल सरकार बनाने का मौका दें। आज लगातार इस सदन में यह चर्चा होती रही कि राज्यपाल को हटाया जाए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जय प्रकाश (हिसार) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जो यह प्रस्ताव आया है मैं इसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, सारे देश की जनता इस सदन की ओर देख रही है कि मुट्ठी भर चुनकर आये हुए लोग उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाओं का अनादर कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सी.पी.एम. के नेता श्री सोमनाथ चटर्जी कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष ताकतें इकट्ठी हुई हैं।

और भारतीय जनता पार्टी को एक साम्प्रदायिक पार्टी कह रहे थे। मैं उन नेताओं से केवल एक बात पूछना चाहता हूं कि 1977 में और 1989 में क्या भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक पार्टी नहीं थी जिसके सहयोग से उन्होंने यहां सरकार बनाई। यह इस देश की जनता का दुर्भाग्य है कि उसने यहां कुछ ऐसे जन-प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा जो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अप्राकृतिक गठबंधन बनाकर, जिन लोगों को इस देश की बहुसंख्य जनता ने चुनकर भेजा, उन्हें सरकार बनाने से रोकने का षडयंत्र रच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, सारे देश की जनता सामने की पंक्तियों में बैठे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी।

आज चर्चा की जाती है और मैं सदन को बताना चाहता हूं, इस समय हमारे वरिष्ठ नेता और साथी शरद यादव जी सदन में नहीं है, कांग्रेस पार्टी का पुराना चरित्र रहा है कि जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के गठबंधन में चुनाव हुए, हमारा बहुमत था लेकिन तत्कालीन देश की प्रधानमंत्री, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने केवल यह कहकर वहां सरकार बनने से रोक दिया कि इनका कोई लिखित गठबंधन नहीं है, गठबंधन तो है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कही लिखकर नहीं दिया ओर इस आधार पर कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी करार देकर सरकार बनाने का मौका दिया गया। क्या आज कांग्रेस पार्टी के लोग अपने तर्कों को भूल गए? आज जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, समता पार्टी उसकी सहयोगी पार्टी है, फिर उसका विरोध क्यों किया जा रहा है?

यहां 1977 में 9 सरकारों के गिराने की बात आई- लेकिन उस समय 9 सरकारें किसने गिराई, उसमें गृह मंत्री जी आप भी शामिल थे, सोमनाथ चटर्जी साहब भी शामिल थे, प्रधानमंत्री जी तो शायद उस वक्त स्टेट में राजनीति कर रहे थे लेकिन वे भी इसमें शामिल थे। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आज किस मुंह से साम्प्रदायिक पार्टी कह सकते हैं? आप पहले अपने गिरहबान में झांककर देखिए क्या उसके साथ मिलकर आपने यहां सरकार नहीं बनाई थी। आज आप केवल उसे साम्प्रदायिक पार्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुमत का समर्थन उसके साथ है, भले ही वहां की जनता ने सरकार बनाने लायक बहुमत उसे न दिया हो लेकिन सिंगल लारजैस्ट पार्टी यदि उत्तर प्रदेश में कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है और इसलिए उसके नेता श्री कल्याण सिंह को वहां सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।

आप लोग अखबारों मे पढ़ते होंगे कि सारे देश ने इस बात को दुत्कारा है जब देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर, गृह मंत्री के इशारे पर, वहां के गवर्नर ने वहां एक घिनौना कार्य किया जब इस देश में उन्होंने ऐसा रिवाज डाला कि सिंगल लारजैस्ट पार्टी को सरकार नहीं बनाने दी जाएगी-फिर वहां सरकार किसकी बनेगी। यदि आज सी.पी.आई, और सी.पी.एम के सदस्य नैतिकता की दुहाई देते हैं, वे इस सदन से इस्तीफा देकर जनता के बीच चलें और कहें कि लोक सभा में किसी पार्टी का बहुमत नहीं है इसलिए हम जनता पार्टी की सरकार का समर्थन नहीं करेंगे-फिर देश में चुनाव हो जाएंगे और सबको अपनी औकात का पता लग जाएगा। यहां केवल भाषण देने से कोई बात नहीं बनती। किसी पार्टी को साम्प्रदायिक करार देकर, उसे सरकार बनाने से रोकने के लिए यहां जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से उसका विरोध करता हूं और चाहता हूं कि सारा सदन अंतर्रात्मा की आवाज के आधार पर इसका विरोध करे। इस देश मे जो लोग पहले धारा 356 को खत्म करने की बात करते थे, अखबारों के जरिए कहते थे कि राज्यपाल का पद समाप्त होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बारे में हमारे दूसरे साथियों ने कहा और भारतीय जनता पार्टी के उपनेता के नेतृत्व में, 6 महीने पहले जब हम देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को श्री रमेश भंडारी की नियुक्ति के बारे में अवगत कराने गए और उन्हें बताया कि ऐसे समय उनको नियुक्त किया गया है जबकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और इससे पहले कुछ कारणों से उन्हें गवर्नर के पद से हटाया जा चुका है। फिर भी उन्हें देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया। मैं समझता हूं कि उसी दिन उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, केन्द्र की सरकार न कपटपूर्ण कार्य किया ताकि भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार ने बना सके।

मैं गृह मंत्री जी से केवल एक बात कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, एक तरफ गृह मंत्री जी कहते हैं कि धारा 356 नहीं होनी चाहिए। इस धारा के तहत गुजरात के अंदर क्या हुआ, यह आप सबको मालूम है। गुजरात में हार्स राइडिंग करके भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार को, जिसने सदन में बहुमत सिद्ध कर दिया था, उसको गिरा दिया और दूसरी सरकार को श्री वघेला के समर्थन में बना दिया। यह घिनौना कार्य इस सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, ये कानून की बड़ी-बड़ी किताबें लेकर और संविधान का सहारा लेकर इस धारा 356 का समर्थन कर रहे हैं और वहां पर राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने का समर्थन कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि यह देश की और विशेषकर उत्तर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात है। यदि वहां पर सबसे बड़ी पार्टी के नेता को बुलाकर सरकार बनाने का आमंत्रण नहीं दिया जाता है, तो यह देश का दुर्भाग्य होगा।

सभापति महोदय, इस देश में बहुत समय से परंपरा चली आ रही है और परंपराएं भी धीरे-धीरे कानून का रूप ले लेती हैं और यह परंपरा चली आ रही है कि यदि सिकी पार्टी को स्पष्टरूप से बहुमत नहीं मिलता है, तो जिस पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक चुनकर आते हैं, राज्यपाल उस पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने इस परंपरा का निर्वाह भी नहीं किया। जब आप वहां के विधायकों को राज्य सभा के चुनाव के लिए मुक्त कर सकते हैं, तो फिर आप वहां के विधायकों को कह

दीजिए कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर आपके साथ कितने विधायक रहेंगे। इससे देश की जनता को भी पता चल जाएगा कि आपने कैसे लोगों को टिकट दिया है।

सभापति महोदय, मैंने कल ही अखबारों में पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश में राजनैतिक लोगों के साथ, चुने हुए विधायकों के साथ बंधुआ मजदूर की तरह से व्यवहार किया जा रहा है। उनको बंद रखा जा रहा है। उनको घूमने की स्वतंत्रता नहीं है। इस प्रकार से तो प्रजातंत्र के साथ घिनौना व्यवहार वहां पर यह सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में चुने हुए विधायकों पर उसके नेता का विश्वास नहीं है। यदि नेता का अपने प्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं है, तो फिर प्रदेश में उस दल या पार्टी को सरकार बनाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश की हालत को लेकर देश की जनता चिंतित है, लेकिन इस देश के गृह मंत्री, इस देश के प्रधान मंत्री या इस देश में कौन से दल की सरकार है, कई लोगों की यह अप्राकृतिक गठबंधन की सरकार जो दिल्ली में बनी हुई है, उसके प्रति इस देश के एक-एक व्यक्ति की चिन्ता है कि यह सरकार इस देश को कहां ले जाएगी? क्या इस देश में संविधान की बात को माना जाएगा? इस सरकार के रहते हुए क्या इस देश के राजनीतिज्ञों का जो फंडामेटल राइट है, मौलिक अधिकार है वह सुरक्षित रहेगा? इस देश में जो इस हाउस की वर्षों से परंपराएं थी, क्या यह सरकार उन परंपराओं को रहने देगी? आज जो नैशनल फ्रंट, यानी कई दलों की सरकार है और जिसके रहते हुए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित नहीं किया है, या वहां पर राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाया गया, तो मैं समझूंगा कि यह उत्तर प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा और सारा देश इनके इस कृत्य को देखेगा और जब वक्त निकल जाएगा तब ये पछताएंगे।

सभापति महोदय, यदि इनमें नैतिकता है, तो यह जो बगैर बहुमत की सरकार है, जो 40 व्यक्तियों की सरकार यहां है और 545 व्यक्तियों के ऊपर बैठी है, इस्तीफा दे और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव कराये, तब फैसला होगा कि वहां पर जनता किसको चाहती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में धारा 356 का सहारा न लें। नहीं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप इन कुर्सियों में बैठे हुए, मेरे बाएं तरफ बैठे हुए लोगों को कहोंगे कि हम धारा 356 हटा देते, तो अच्छा होता, लेकिन तब तक समय निकल चुका होगा। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसको सरकार बनाने के लिए बुलाने का निर्देश राज्यपाल महोदय को दें यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वहां भी विधान सभा भंग कर दो और यहां पार्लियामेंट भंग कर दो ताकि आपके चेहरे को जनता देख सके और पहचान सके कि कौन लोग हैं। इसलिए मैं धारा 356 का विरोध करते हुए आपके माध्यम से फिर आशा करता हूं कि इस देश और उत्तर प्रदेश की जनता को बचाओ। वरना उत्तर प्रदेश की जो हालत है वह बहुत खराब है और खराब होती जाएगी।

सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण बढ़ रहा है। वहां खाद नहीं है। वहां पर बीज नहीं है। वहां पर इंसान की, औरतों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। वहां इंसान दुखी है, वहां कर्मचारी दुखी है, वहां व्यापारी दुखी है, लेकिन ये लोग यहां पर बैठे हैं और लिपिस्टिक लगाकार और पाउडर छिड़क कर और दूसरे काम कर के यहां आ जाते हैं, लेकिन सारा देश इनसे दुखी है। सभापति महोदय, मैं इतना कहते हुए ही अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद। अब अनुच्छेद 356 के संबंध में हमारा रवैया क्या है? हम चाहते हैं कि इस प्रावधान को उपयुक्त तरीके से संशोधित किया जाए ताकि इसके दुरूपयोग को रोका जा सके क्योंकि पहले हमें इसका कटु अनुभव रहा है जब पश्चिम बंगाल में सरकार तोड़ने के लिए अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था। लेकिन भा.ज.पा. पूछ सकती है, 'कि अब ऐसा क्या हो गया कि आप अनुच्छेद 356 को समाप्त क्यों नहीं कर रहे हैं?' ऐसा क्या हो गया कि आप उत्तर प्रदेश में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्यपाल के शासन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं? हो सकता है कि अभी हाल ही के लिए हम अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत इस अवधि को बढ़ाने की मांग कर रहे हों।

जैसा कि मैंने कहा है, हमारा एक अन्य अनुभव भी रहा है जिसे भारत का कोई धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति नहीं भूल सकता। मुझे याद है कि इस सभा में खड़े होकर हमने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिंहराव को बार-बार बाबरी मस्जिद को गिरने से बचाने के लिए अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश तब हमारी बात नहीं सुनी गयी। क्या पीछे की घटनाओं की ओर देखना आवश्यक नहीं था? बाबरी मस्जिद के गिरने के साथ ही भारत की छवि के नाम पर भी गहरा आघात पहुंचा जो कि विश्व हिन्दु परिषद और भा.ज.पा. के लोगों ने गिरायी थी। इस सच्चाई के बावजूद कि उन्होंने तत्कालीन सरकार को निष्ठा से आश्वासन दिया था कि वे बाबरी मस्जिद को नहीं गिरायेंगे परन्तु उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया। हमारा अनुभव रहा है।

इसलिए, अब हम यह महसूस करते हैं कि हालांकि हम इससे बहुत खुश नहीं हैं कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल के शासन की अवधि बढ़ायी जानी चाहिए। कभी ऐसा भी समय आता है जब इन्सान को कुआं या खाई किसी एक को चुनना होता है।

अब स्थिति क्या है? भा.ज.पा. कह रही है कि चुनावों के बाद वह उत्तर प्रदेश विधान सभा का सबसे बड़ा दल है। जी हां, निसंदेह वह विधान-सभा में सबसे बड़ा दल है लेकिन यह भी सच है कि यदि सभी मतदाताओं को लें तो उत्तर प्रदेश में भा.ज.पा. का बहुमत सिद्ध नहीं होता है। यदि उन्हें सरकार का गठन करना है तो उन्हें कुछ और विधायकों को अपने साथ लेना होगा। विधायक कहां से आयेंगे? सभी जानते हैं कि केवल विधायकों की खरीद फरोख्त से ही ऐसा हो सकता है।

[हिन्दी]

श्री एस.पी. जायसवाल (वाराणसी) : स्थाई सरकार बनाने की नीयत से आएंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : स्थाई सरकार बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग का भी सोचना है कि यह चाहिए या नहीं।

[अनुवाद]

आज की राजनीतिक स्थिति में सबसे अधिक खराब स्थिति तत्व राजनीति का अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और नैतिक मूल्यों का पूर्णतः ह्रास होना है। यह तीन बातें सबसे बुरी बाते हैं जो हमारे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही हैं। यदि हम लोकतंत्र के नाम पर कुछ कहना चाहते हैं, यदि हम वास्तव में सही लोकतंत्र चाहते हैं तो हमें इन तीनों के विरूद्ध लड़ना चाहिए यह बात स्पष्ट है।

हम यह महसूस करते हैं कि हमारे जैसे देश में किसी तरह की रूढ़िवादिता को पनपने नहीं दिया जाना चाहिए। यह एक ऐसा देश है जिसमें अनेकता में एकता हमारा इतिहास रहा है। तथापि, किसी भी व्यक्ति को उसे झुठलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यही जीवन का सत्य है। अतः जिस समय विधान सभा को निलंबित अवस्था में रखा जाना आवश्यक हो जाए तो मैं समझती हूं कि ऐसा तभी किया जाता है जब कोई अन्य विकल्प नहीं होता है।

हम इसी उम्मीद से ऐसा कर रहे हैं कि गठजोड़ हो जाएगा। यह बहुत अच्छा होगा यदि धर्म निरपेक्ष दल संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर एक हो जायें और एक धर्म निरपेक्ष संयुक्त सरकार का गठन करें।

मुझे उम्मीद है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। अनुभव से हम काफी बातें सीखते हैं। यह बात भी हम अनुभव से ही सीखेंगे। क्या उन्हें यह अवसर प्रदान नहीं किया जाना चाहिए? अथवा क्या हम सीधे ही वह प्रक्रिया आरम्भ करें जिससे विधायकों की खरीद फरोख्त हो? अथवा हम विधान सभा को तुरंत भंग कर दें? क्या उत्तर प्रदेश के लोग तत्काल एक और चुनाव करवाना चाहेंगे? क्या हम इतना खर्च उठा सकते हैं? प्रत्येक व्यक्ति दिल से यही कहेगा कि 'नहीं 'हम इतना खर्च नहीं उठा सकते हैं।' तो फिर इसका विकल्प क्या है?

इस समय मैं यह महसूस करती हूं कि इसका यही विकल्प है। इस समय हमे धर्म निरपेक्ष दलों को कुछ समय देना चाहिए कि वे आपस में मिलकर कोशिश करें और यदि भा.ज.पा. का बहुमत है तो वह अपना बहुमत सिद्ध करे। वह अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई है। इस मामले का एक अन्य पहलू निश्चय ही, राजस्थान में भा.ज.पा. की सरकार है। ऐसा नहीं है कि भा.ज.पा. की सरकार वहां नहीं है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके वहां सरकार को कोई नहीं तोड़ रहा है। हम ऐसी मूर्खतापूर्ण कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यह एक सामान्य स्थिति है। यह एक भिन्न स्थिति है जो कि उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुई है और उस संदर्भ में हमें स्थिति का ध्यान रखना होगा। उस संदर्भ में इस उम्मीद के साथ कि उत्तर-प्रदेश में धर्म निरपेक्ष दल सरकार का गठन करेंगे, हम इस निर्णय का समर्थन करते हैं कि विधान सभा को कुछ समय के लिए निलंबित रखा जाए। हम उम्मीद करते हैं कि यह निर्णय लोगों को भी अच्छा लगेगा। इसके साथ ही मैं इस संकल्प का समर्थन करती हूं।

श्री जी.एस. बनातवाला (पोन्नानी) : धन्यवाद, महोदय। माननीय सभापति महोदय, शुरू में ही मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो कोई भी प्रसन्न नहीं होता है। किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू करने से यह पता चलता है कि संविधान के अंतर्गत इसका यही एकमात्र हल है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का पता चलता है।

परन्तु चाहे भी यह इच्छा कर सकता है कि अनुच्छेद 356 को संविधान से हटा देना चाहिए लेकिन फिर भी यह सत्य है कि असाधारण स्थितियों में इस अनुच्छेद के सिवा कोई विकल्प नहीं है। मैं यहां तक यह बात स्पष्ट रूप से कहूंगा कि कितना भी अच्छा राष्ट्रपति शासन किसी निर्वाचित लोकप्रिय सरकार का विकल्प नहीं हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है।

अब जहां तक कि मेरा संबंध है मैं प्रसन्न हूं कि उत्तर प्रदेश में भा.ज.पा. सत्ता में नहीं है। यह वह दल है जिसका संविधान में विश्वास नहीं है। इसका कानून में भी विश्वास नहीं है। यह वह दल है जो कि उच्चतम न्यायालय सहित कानून तथा हमारी न्यायपालिका के शासन की खुली अवहेलना करने के लिए जिम्मेदार है। हम बाबरी मस्जिद की दुर्भाग्यपूर्ण शहादत के बारे में जानते हैं। चूंकि जो दल संविधान में विश्वास नहीं रखता और वह हिन्दू राष्ट्र के सिद्धांतों की पुष्टि करता है तो यह ऐसी संल्पना, जो असंवैधानिक है। मेरा वास्तव में मानना है कि ऐसे दल को राजनीतिक ढांचे तथा हमारे राजतन्त्र के निर्वाचन ढांचे में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

महोदय, लेकिन फिर भी हमें यह देखने के लिए कि क्या हमारे देश के संविधान के अंतर्गत राज्यपाल की कार्यवाही की पुष्टि की जा सकती है, हमें एक आलोचनात्मक और पक्षपात रहित अध्ययन करना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री बनातवाला, आप अपना भाषण कल भी जारी रख सकते हैं। अब सभा 4 दिसम्बर, 1996 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 4 दिसम्बर, 1996/13 अग्रहायण, 1918 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।